International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

dxkj dh vkx miU;kl esa ukjh laosnuk

iwtk iVsy
एम. ए., एम. फिल् (हिन्दी), पी–एच. डी. शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

हिमांशु जोशी का उपन्यास 'कगार की आग' नारी संवेदना को केन्द्र में रखकर लिखा गया है। 'गोमती' मुख्य पात्र हैं, जो मात्र पात्र न होकर समस्त ग्रामीण अंचल की नारी का प्रतिनिधित्व करती है। गोमती आदर्श गुणों से परिपूर्ण है फिर भी क्रमशः परिवार, समाज, प्रशासन द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। पहाड़ी अंचल के छोटे से गांव 'लाधौन' की रहने वाली गोमती दलित लाहौर जाति में जन्मी है। पहाड़ी अंचल की विविध प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त गोमती संघर्षरत जीवन जीने को मजबूर हैं।

भारतीय समाज में नारी के लिए बहुत से दायरे बना दिये हैं, इन्हीं सामाजिक बंधनों, रीति–रिवाजों में कैद नारी छूटने के लिए छटपटा रही है। हमारे समाज में नारी सदियों से शोषित होती आ रही है ''महाभारत काल में पितृसत्तात्मक राजनीतिक व्यवस्था में जब कौरव, पाण्डव चौपड़ खेलते हुए शर्त द्रौपती की लगा लेते हैं। जैसे पुरूष की संपत्ति की तरह वह भी एक वस्तु ही हो।''[1] भारतीय समाज की पुरूष सत्तात्मक व्यवस्था में नारी का शोषण जन्म लेते ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक जारी रहता है। जन्म के बाद पिता के आदेशों पर चलती है विवाह बाद पति और उसके संबंधियों की गुलाम बन जाती है। आधुनिक उपन्यास, पुराने सामन्तवादी दृष्टिकोण से हटकर नारी के प्रति विशिष्ट सम्मान लेकर चला है, इसीलिए नारी को यहॉं पुरूष की संगिनी मानकर अवसर प्रदान किये गये तथा सामाजिक विकास में नारी की भूमिका को महत्व दिया गया है। वही इसके विपरीत ऐसे समाज में 'गोमती' जैसी नारी का चित्रण हिमांशु जोशी ने 'कगार की आग' उपन्यास में किया हैं, जिसमें नारी के प्रति सम्मानजनक और उदारवादी दृष्टिकोण का अभाव है।

'गोमती' भी ऐसी पात्र हैं, जो अपने परिवारजनों के शारीरिक शोषण का शिकार है। उसे इस पुरूष प्रधान समाज में आश्रय के लिए एक पुरूष की आवश्यकता पड़ती है। उपन्यास का प्रारम्भ 'गोमती' के ककिया ससुर कलिका और उसके पुत्र 'तेजुवा' द्वारा घरेलु हिंसा का शिकार होने से होता है। यहॉं गोमती अपनी ककिया सास द्वारा मारने और अभद्रता से व्यथित होकर अपनी मॉं के पास भाग जाती है। 'मॉं' उसे समझा कर वापिस ससुराल भेज देती हैं – ''औरत के लिए केवल वही घर है इजु! जैसे भी हो अपनी घड़ी तुझे वहीं काटनी है। सब दिन एक से तो नहीं रहते। कभी कुछ सह भी लिया कर ....।''[2] भारतीय समाज में विवाह के पश्चात् स्त्री के लिए ससुराल ही सबकुछ होता हैं चाहे वहॉं उस पर कितना भी अत्याचार हो उसे वहीं रहने की सीख दी जाती है।

गोमती एक बाल विधवा है जिसका दूसरा विवाह 'पिरमा' जैसे अर्द्ध विक्षिप्त आदमी से होता है। ककिया ससुर कलिका और उसके पुत्र तेजुवा की बुरी नजर गोमती पर हैं, इस बारे में पति से कहने पर वह उसे ही समझाता है। कलिका और तेजुवा द्वारा 'पिरमा' को एक निरीह जानवर की तरह उपयोग में लाया जाता

है। पति के सामने मारा–पीटा जाने तथा तेजुवा द्वारा बलात्कार का प्रयास करने पर गोमती चण्डी का रूप धारण कर लेती है। जहॉ नारी के दुर्बलता के साथ सबलता का रूप दृष्टवत् होता है। कलिका और तेजुवा अपनी चोरी का इल्जाम 'पिरमा' पर लगाकर पुलिस द्वारा उसे पकड़वा दिया जाता है संवेदनशील गोमती पति को छुड़ाने के लिए पुलिस वालो के शारीरिक शोषण का शिकार होती है।

समाज में जहॉ नारी–चेतना और नारी सशक्तिकरण की बातें होती हैं, उसी समाज में 'गोमती' जैसी नारी अशिक्षा, अंधविश्वास, भेदभाव से जकड़ी है। ग्रामीण अंचल में आज भी नारी सामाजिक कुप्रथाओं–बालविवाह, बहू विवाह, दहेज, धड़ी प्रथा का शिकार होती है।

बालविवाह कुप्रथा की शिकार गोमती के जीवन में पहली बार बलात्कार उसके पहले पति द्वारा किया जाता है। कच्ची उम्र में वह समझ ही नहीं जाती पति–पत्नी के संबंध क्या होते हैं। उसके पति के वासना वृत्ति का उदाहरण देख सकते हैं – ''पति ने अपनी हथेली से उसका मुॅह इतनी जोर से दबाया कि वह चीख भी न पा रही थी अब! पसीने से नहायी अचेत सी एक ओर लुढ़क पड़ी–विवश भाव से।''[3] यहॉ नारी के प्रति समाज की वासना पूर्ण मानसिकता के प्रमाण मिलते हैं। हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं हैं, जो नारी के शारीरिक शोषण की मानसिकता रखते हैं। नारी समाज का अभिन्न अंग है फिर भी अपने अस्तित्व को खोकर पति के अस्तित्व में अपना अस्तित्व तलाशती है।

'गोमती' ससुराल वालों की प्रताड़ना से त्रस्त होकर अपनी ईह लीला समाप्त करनें निकलती है, परन्तु अपने पुत्र कुन्नु का ख्याल आने पर बच जाती है। खुशालराम द्वारा बचाये जाने और 'धड़ी' की रकम भरे जाने पर वह उसके घर बैठ जाती हैं, परंतु ममतामयी मॉ गोमती अपने पुत्र की याद में तड़प उठती है। पति और पुत्र की दीनहीन अवस्था उसे सुख–सुविधा युक्त घर में कचोटती है। 'खुशाल राम' की 'धड़ी' की रकम चुकाने के लिए वह दूर तराई–भाभर में जाकर मजदूरी करती है जहॉ उसे 'लाला तिरपनलाल' जैसे पाशविक वृत्ति वाले व्यक्ति की वासना का शिकार लगातार एक वर्ष तक होना पड़ता है। अंततः 'धड़ी' के चार सौर रूपये प्राप्त कर गोमती खुशाल के मुॅह पर वह रकम मारती है।

'गोमती' के लिए उसका रूप ही अभिशाप बन जाता है। नारी को मात्र वासना की वस्तु समझकर उसका पुरूष द्वारा उपभोग किया जाता है। पुरूष का नारी–सौन्दर्य के प्रति आकृषण वासना का रूप धारण कर लेता है। गोमती की सुन्दरता के कारण कई भेड़ियों की बुरी नजर उस पर रहती है, परंतु जीवन की मजबूरियों ने उसका गला घोंट दिया था। वह जीवन में हो रहे शोषण को चुपचाप सह रही थी।

समाज में नारी के प्रति उपेक्षित व्यवहार रखने वाली व्यवस्था के विरूद्ध 'गोमती' आवाज उठा देती है। वह कब तक अपने और अपने परिवार पर अत्याचार और अन्याय को सहेगी। नारी स्वयं पर अत्याचार सहन कर भी ले, परन्तु जब बात उसके परिवार पर आती है, तो वह काली का रूप धारण कर लेती है। कलिका और तेजुवा द्वारा पिरमा की हत्या करने पर वह रौद्र रूप में एक विनाशी शक्ति के रूप में उभरती है – ''बस्ती से दूर काल–भैरवी–सी विकराल बनी एक मॉ अपने दुधमुॅहे बच्चे का हाथ थामे अंधियारे में पता नहीं कहॉ जा रही थी?''[4] गोमती की अत्याचार के प्रति सहनशीलता जबाब दे जाती है अपनी प्रतिशोध शक्ति का प्रमाण देते

हुए कलिका के घर में आग लगा देती है। यहॉ पर गोमती का विषम परस्थितियों से पलायन नहीं हैं बल्कि नव प्रभात का उद्य हैं। नव उम्मीद लेकर नव जीवन का आगाज लिये गोमती जा रही है।

उपन्यासकार ने गोमती के रूप में आदर्श गुणों से परिपूर्ण ऐसी नारी का सर्जन किया है, जो एक प्रेयसी के अलावा पत्नी, मॉ, बेटी, बहू, भाभी आदि रूपों में उभरी है। प्रेमचंद के उपन्यास की नारी–संवेदना को जीवंत रखता हुआ 'कगार की आग' उपन्यास नारी–संवेदना के विविध रंगों और आयामों को दिखाता है। 'गोमती' संवेदना की प्रतिमूर्ति है, जिसमें प्रेम, त्याग, करूणा, स्नेह, ममता, समर्पण, कर्त्तव्यनिष्ठा, परिश्रम, आदि गुण विद्यमान है, जो उपन्यास की कथा में जगह–जगह उभरते है। गोमती के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियॉ याद आ जाती हैं – ''नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास–रजत–नग–पग तल में, पीयुष – स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में।''[5]

भारतीय समाज में नारी के विविध रूप सामने आते है। नारी अपने स्वभाव एवं चारित्रिक विशेषताओं के कारण श्रेष्ठ रही है। नारी के बिना समाज व्यवस्था का सुचारू रूप से चलना अकल्पनीय है। एक नारी है, जो मकान को घर बनाती है, त्याग और समर्पण के बल पर औरों की जिंदगी सॅवारती है। ''वेदों में नारी को देवी माना हैं। पुराणों में मुख्यतः सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, इन तीनों रूपों का वर्णन मिलता है।''[6] भारतीय संस्कृति में नारी को देवी तुल्य माना गया है। पूजनीय होने के बाबजूद समाज में नारी की उपेक्षित दशा सोचने पर विवश करती है। गोमती भी उपन्यास में अपने परिवार के लिए सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप धारण करती है। गोमती एक संवेदनशील और भावुक नारी है, जो शारीरिक पीड़ा से ज्यादा आत्म पीड़ा से ग्रसित है। इतनी दुख, तकलीफ और वेदना के बावजूद भी वह एक साहसी, सहनशील, परिश्रमी और कर्तव्यपरायण स्त्री है, साथ ही वह एक आस्थावादी, भाग्यवादी और अंधविश्वासी स्त्री भी है।

नारी के संबंध में स्वयं हिमांशु जोशी लिखते है – ''नारी को हिरण्य कहते है। हिरण्य यानी सोना। सोना भी कभी अपवित्र होता है ''[7] 'कगार की आग' उपन्यास की गोमती भी हिरण्य हैं, जो इतने पुरूषों द्वारा छुई जाने पर भी पवित्र है, सोने की तरह। गोमती एक सत्व चरित्र वाली नारी है, परन्तु परिस्थितिवश वह कई पुरूषों द्वारा शारीरिक शोषित की जाती है उपन्यास में नारी भोग पर केन्द्रित ऐसे सामाजिक ढॉचा का चित्रण है, जो नारी के प्रति गलत व्यवहार, गलत सोच और गलत दृष्टिकोण रखता है। नारी के प्रति समान भाव एवं सम्मान की दृष्टि का न होना समाज की कमजोरी को इंगित करता है।

fu"d"k %& नारी की सहनशीलता की प्रवृत्ति के दर्शन 'कगार की आग' उपन्यास में होते हैं। उपन्यास की नायिका 'गोमती' दलित गरीब परिवार की अशिक्षित युवती हैं, जो तद्युगीन उपन्यासों में वर्णित नारी की प्रतिनिधि पात्र हैं। उसकी सहनशीलता एवं संघर्ष ने न केवल हिमांशु जोशी के उपन्यास को वरन् स्वयं गोमती को भी कालजयी बना दिया हैं। गोमती का संपूर्ण जीवन शोषण, विषमता एवं दीनता का प्रतिरूप हैं। शायद इन विवशताओं के लिए ही उसका जन्म हुआ था। समाज के ठेकेदारों, पारिवारिक जनों द्वारा उसके परिवार के साथ उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता हैं।

नारी संवेदना के विविध रंगों को लिये उपन्यास नारी के प्रति समाज की विकृत मानसिकता को बदलना चाहता है। उपन्यासकार का मूल उद्देश्य

सामाजिक कुव्यवस्था में जकड़ी नारी को मुक्त कराकर समाज की बुराई को दूर कर नई चेतना का प्रवाह एवं नैतिकता का पाठ देना है। नारी का अहित चाहने वाले समाज का कभी हित नहीं हो सकता, क्योंकि नारी समाज का अभिन्न अंग है। नारी अपने मौन प्रतिकार को ज्वलंत प्रतिशोध में बदलने का अदम्य साहस रखती है।

InHk %&

(1) राकेश कुमार, नारीवादी विमर्श, आधार प्रकाशन, हरियाणा 2011 पृ. 103
(2) हिमांशु जोशी, कगार की आग, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली 2014 पृ. 13
(3) वही, पृ. 80
(4) वही, पृ. 100
(5) जयशंकर प्रसाद, कामायनी (लज्जा) पृ. 114
(6) डॉ0 घनश्यामदास भूतड़ा, समकालीन कहानियों में नारी के विविध रूप पृ. 06
(7) हिमांशु जोशी, तुम्हारे लिये, किताबघर प्रकाशन, दिल्ली 2010 पृ. 142

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

Lokeh foodkun d fopkjk dh iklfxdrk % vkt d ;okvk d fo'k"k lnHk e ,d v/;;u

vukfedk drjkfy;k
शोधार्थी, PhD,NET

प्रस्तुत शोधपत्र में आज के युवाओं के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगगिकता का अध्ययन किया गया है। स्वामीजी ने युवाओं के लिए कहा है ''उठो, जागों और तब तक रूकों नहीं, जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। उन्होने यह भी कहा है कि शक्तिमान, उठो तथा सामर्थ्यशाली बनों। कर्म, निरंतर कर्म, संघर्ष, निरंतर संघर्ष, पवित्र और निःस्वार्थी बनने की कोशिश करो।'' गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा कि ''यदि आप भारत को जानना चाहते हैं, तो विवेकानंद को पढ़ियें। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पायेंगे, नकारात्मक कुछ भी नही।'' उनके प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम स्वामीजी के अमद संदेशों पर अमल करें।

Hkkfedk :– ''जीवन में हमेशा अच्छे आदर्शो को चुनों और उसी पर अमल करो।''

''समुद्र को देखों न कि उसकी लहरों को।''

स्वामी विवेकानंद वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरू थे। एक युवा संन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य दर्शन और इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान थे। युगांतरकारी आध्यात्मिक गुरू जिन्होने हिन्दू धर्म को गतिशील तथा व्यवहारिक बनाया और सुदृढ सभ्यता के निर्माण के लिए आधुनिक मानव से पश्चिमी विज्ञान व भौतिकवाद को भारत की आध्यत्मिक संस्कृति से जोड़ने का आग्रह किया।

स्वामी जी का आदर्श : ''उठो जागों और तब तक न रूका जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए।'' अनके युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी शिक्षा में सर्वोपरि शिक्षा है – ''मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।''

जीवन वृत्त : श्री विश्वनाथदत्त पाश्चात्य सभ्यता में आस्था रखने वालें व्यक्ति थे। श्री विश्वनाथदत्त के घर में उत्पन्न होने वाला उनका पुत्र नरेन्द्रदत्त पाश्चात्य जगत को भारतीय तत्वाधान का संदेश सुनाने वाला महान विश्व गुरू बना। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6 बजकर 33 मिनट सेकण्ड पर हुआ। उनके पिता श्री विश्वनाथदत्त कलकत्ता के एक प्रसिद्ध वकील थे तथा उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और वह धार्मिक विचारों वाली महिला थी। सन् 1884 में पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार के भरण – पोषण का भार स्वामी जी पर आ पड़ा।

16 वर्ष की आयु में उन्होने कलकत्ता से 1879 में एंट्रेस की परीक्षा पास की। अपने शिक्षा काल में वे सर्वाधिक लोकप्रिय और एक जिज्ञासु छात्र थे। हर्षर्ट स्पेंसर के नास्तिकवाद का उन पर पूरा प्रभाव था। उन्होने स्नातक उपाधि प्राप्त की और ब्रम्ह समाज में शामिल हए, जो हिन्दू धर्म में सुधार लाने तथा उसे आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहा था। कुछ समय बाद रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर स्वामी जी तर्क करने के विचार से उनके पास गए लेकिन उनके विचारों और सिद्धातों से प्रभावित हो कर स्वामी जी ने उन्हे अपना गुरू मान लिया परमहंसजी की कृपा से इन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ, जिसके फलस्वरूप कुछ समय बाद वह परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए।

25 वर्ष की अवस्था में नरेन्द्रदत्त ने काषायवस्त्र धारण किये। अपने गुरू से प्रेरित होकर नरेन्द्रदत्त ने सन्यासी जीवन बिताने की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए तथा स्वामी जी ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। 4 जुलाई 1902 में बैलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरू के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केन्द्रो की स्थापना की।

विवेकानंद : युवाओं के आदर्श एवं प्रेरणा स्त्रोत : दुनिया में हिंदू धर्म और भारत की प्रतिष्ठा

स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद ने एक आध्यात्मिक हस्ती होने के बावजूद युवाओं के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। ये कहना अतिश्योक्ति न होगा, कि भारतीय संस्कृति को वि" वस्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, तो वो है, स्वामी विवेकानंद जी।

रामकृष्ण आश्रम दिल्ली के सचिव स्वामी शांतात्मानंद का कहना है, कि स्वामी विवेकानंद को देश और युवाओं से काफी प्रेम था और उन्होने युवकों को प्रेरित करने के लिए काफी कुछ कहा। विवेकानंद जी का मानना था, कि विश्व मंच पर भारत की पुर्नप्रतिष्ठा में युवाओं की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। दरअसल स्वामी विवेकानंद जी में मेघा, तर्कशीलता युवाओं के लिए प्रासंगिक उपदेश जैसी कुछ ऐसी बाते है, कि युवा प्रेरणा लेते है।

नीलमणि दुबें के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, कि युवकों को गीता पढ़ने के बजय फुटबॉल खेलना चहिए। विवेकानंद जी कहते थे, कि युवाओं की स्नायु फौलादी होनी चाहिए, क्योकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है।

स्वामीजी 1893 में शिकागों विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए। किंतु उस समय यूरोपी भारतीयों को हीनदृष्टि से देखा करते थे। वहां के लोगो के विरोध के बावजूद एक अंग्रेजी प्रोफेसर के अथक प्रयासों से स्वामी जी को बोलने का अवसर प्रदान हुआ और स्वामी जी ने बहिनों एवं भाईयों कहकर श्रोताओं को संबोधित किया। स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर श्रोता मंत्र मुग्ध होकर उनका भाषण सुनते गये। अध्यक्ष गिबन्स के अनुरोध पर स्वामी जी आगे बोलना शुरू करें तथा 20 मिनट से अधिक बोले। उनसे अभिभूत होकर हजारों युवक, युवती उनके शिष्य बन गये। आलम ये था, कि जब कभी सभा में शोर होता तो उन्हे स्वामी जी के भाषण सुनने का प्रलोभन दिया जाता तो सारी जनता शांत हो जाती।

''अध्यात्म – विद्या और भारतीय दर्शन के बिना अनाथ हो जाएगा।'' यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्रम्हाणवाद, धार्मिक कर्मकाण्ड और रूढ़ियों की खिल्ली भी उड़ायी और लगभग आक्रमणकारी भाषा में ऐसी विसंग्रतियों के खिलाफ युद्ध भी किया। उनके इन सभी प्रयासों से भारत वर्ष में एक नयी जागृति आई व ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग उनसे प्रभावित हुआ। शिक्षा का स्तर बड़ा व राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। विवेकानंद जी के ओजपूर्ण भाषणों द्वारा युवाओं में नई जन शक्ति का प्रसार हुआ व उन्होने अपने ओज पूर्ण भाषणों से जनता और युवाओं को अवचेतन अवस्था से चेतन अवस्था के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया।

स्वामी जी केवल संत ही नहीं अपितु देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक एवं मानव प्रेमी थें। विवेकानंद जी के जीवन की अन्तर्लय यही थी कि वे इस बात से आश्वस्त थे, कि धरती की गोद में यदि ऐसा कोई देश है, जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदार कोशिशें की है, तो वह भारत ही है।

स्वामी विवेकानंद जी ने देश और दुनिया का काफी भ्रमण किया। वह नर सेवा को ही नारायण सेवा मनाते थे और उनके इन्ही विचारों ने युवाओं में जोश भर दिया। स्वामी के यही आदर्श आध्यात्मिक हस्ती होने के बावजूद युवाओं के लिए एक बेहतरीन प्रेरणा स्त्रोत साबित करते है। आज भी कई ऐसे लोग है, जो केवल उनहे सिद्धातों को ही अपना मार्गदर्शक मानते है।

प्रेरक प्रसंग और युवाओं के संदर्भ में विचार : ''स्वामी विवेकानंदजी'' ने अपने जीवन काल में बहुत सी प्रेरणादायक व आर्दशनात्मक उक्तियां प्रस्तुत कि उसी में से कुछ आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक व प्रेरणास्त्रोत बनी, जो इस प्रकार है :

(1) ''उठो जागो और तब तक रूकों नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाये।''

(2) मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मैं जितना उन्नत बन सकता था, उससे सौगुना उन्नत बने। तुम लोगों में से प्रत्येक को महान शक्तिशाली बनना होगा – मैं कहता हूं, अवश्य बनना होगा। आज्ञा – पालन, ध्येय के प्रति अनुराग तथा ध्येय को कार्यरूप में परिणत करने के लिए सदा प्रस्तुत रहना – इन तीनों के रहने पर कोई भी तुम्हे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता।

(3) शक्तिमान, उठों तथा सामर्थ्यशाली बनो। कर्म निरंतर कर्म, संघर्ष, निरंतर संघर्ष, अलमिति पवित्र और नि : स्वार्थी बनने की कोशिश करों। सारा धर्म इसी में है।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S. & Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

(4) ''जब तक जीना, तब तक सीखना'' – अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

(5) लक्ष्य पर ध्यान लगाओ : स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बन्दूक से नि" ााना लगाते देखा, किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था, तब उन्होने ने एक लड़के से बन्दूक ली और खुद निशाना लगाने लगे, उन्होने पहला नि" ााना लगाया और वो बिलकुल सही लगा .... फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाये और सभी बिलकुल सटीक लगे, ये देख लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, ''भला आप ये कैसे कर लेते है ?''

स्वामी जी बोले, ''तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम मैं लगाओं, अगर तुम निशाना लगा रहे तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचों, मेरे देश में बच्चों को ये करना सिखाया जाता है।''

(6) डर का सामना : एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे, कि तभी वहां मौजूद बहुत सारे बंदरों न उन्हें घेर लिया। वे उनके नजदीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़ कर भागने लगे, पर बन्दर तो मानों पीछे ही पड़ गए और वे उन्हे दौड़ाने लगे। पास खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, ''रूकों! उनका सामना करो।''

स्वामी जी तुरंत पलटे ओर बंदरों के तरफ बढ़ने लगे, ऐसा करते ही सभी बन्दर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होने एक संबोधन में कहा भी – ''यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागों मत, पलटो और सामना करो।''

fu"d"k :– विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जिसमें धर्म या जाति के अधार पर मनुष्य – मनुष्य में कोई भेद न रहे। उन्होंने वेदान्त के सिद्धातों को इसी रूप में रखा। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना भी यह कहा जा सकता है, कि समता क सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद जी ने दिया उससे सबल बौद्धीक आधार शायद ही खोजा जा सकें। विवेकानंद जी को युवकों से बड़ी आशाएं थी। आज के युवकों के लिये इस ओजस्वी सन्यासी का जीवन एक आदर्श है।

शिकागों में धर्म संसद के मंच से उन्होंने मानवता के इस शा" वत संदेश की घोषणा की थी, कि ''मदद करो, लड़ों नहीं'' ''निर्माण करो विनाश नहीं'', असहमति नहीं सद्भाव और शांति को अपनाओ''।

गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था– ''यदि आप भारत को जानना चाहते है, तो विवेकानंद को पढ़िये। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पायेंगें, नकारात्मक कुछ भी नहीं।'' उनके प्रति राष्ट्र की उपर्युक्त श्रद्धांजलि यही होगी कि हम स्वामी जी के अमर संदेशों पर अमल करें।

lnHkZ %&

(1) विवेकानंद चरित्र (1989) : मजूमदार, सत्येन्द्र नाथ।
(2) रोलां, रोमा (1968) : विवेकानंद, लोक भारतीय प्रकाशन।
(3) ''युग नायक विवेकानंद'' तीन खण्ड : गंभरनंद स्वामी (1986), रामकृष्ण मठ, नागपुर।
(4) ''स्वामी विवेकानंद (संक्षिप्त जीवनी)'' : तेजासानंद, स्वामी (2008), अद्वैत आश्रम मायवति, उत्तराखण्ड।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

e/;dky e lxhfrd fo/kk /kin vx d lj{kd ,o vkJ;nkrk

verk pkjfl;k
शोध छात्रा (एस.आर.एफ.), संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

मुगलपूर्व तथा हर्षवर्धन के पश्चात् के भारत में कलाओं का जो विकास हुआ, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण था। संगीत और स्थापत्य ने उस काल में विशेष उन्नति की। मुस्लिम सुल्तानों ने भी संगीत के विकास में विशेष योग दिया। चित्तौड़, जौनपुर, माँडू और ग्वालियर इसके केन्द्र बने। परन्तु उनका वास्तविक विकास ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर में उस समय जिस भाषा का परिमार्जन हुआ, उसे देश ने टकसाली माना। उसी को आधार बनाकर आगे ब्रज–साहित्य का निर्माण हुआ। ग्वालियर का संगीत आगे चलकर भारतीय संगीत के उन्मेश का आधार बना।[1]

दसवीं शताब्दी के अन्त में आचार्य अभिनवगुप्त ने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका की रचना की। वे स्वयं कुशल वीणा वादक थे। जाति एवं मूर्च्छना पद्धति प्रचार में थी किन्तु ग्यारहवीं शती का प्रारम्भ होते ही देश के पश्चिमोत्तर भाग से मुसलमानों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये। इतिहासकार अलबेरूनी ने लिखा है कि महमूद ने इस देश की समृद्धि को पूर्णतया समाप्त कर दिया तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया कि हिन्दू जाति चारो ओर बिखरे हुए धूलकणों के समान हो गई। इस जाति के लोगों में मुसलमानों के प्रति घोर घृणा की भावनाएँ पलने लगी। यही कारण है कि भारतीय विद्याएँ उन स्थानों से बहुत दूर हट गई जिनको हमने जीत लिया। वे ऐसे स्थानों में पलायन कर गई, जहाँ तक हमारे हाथ नहीं पहुँचे।[2]

प्राचीनकाल में मन्दिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र हुआ करते थे। यहीं पर सभी सांगीतिक विधाओं की साधना की जाती थी। संगीत को राजागण आश्रय देते थे तथा मन्दिरों में संगीत को आश्रय मिलता था।

बौद्ध राजाओं के पास उनके राज्यकाल में संगीत के दरबारी व शाही संरक्षण के बहुत से अभिलेख थे। स्टिक जेथेयर ने पूर्व ऐतिहासिक व पूर्व मध्यकाल के सांगीतिक सभाओं में अहम् भूमिका निभाई।

तेरहवीं शताब्दी के लगभग उत्तर भारत में तुर्क–अफगान सल्तनत की स्थापना से दिल्ली एक महत्वपूर्ण इस्लामिक व धार्मिक संस्कृति का केन्द्र बन गया।[3]

ट्यूब जिथर्ड ने भी 14 वीं शताब्दी के लगभग मुस्लिम दरबार में प्रवेश किया और जल्द ही पर्शियन और सेन्ट्रल एशियन वाद्यों के साथ एक नवीन वाद्यों की परम्परा बनाई जो कई शताब्दीयों तक बरकरार रखी गई।[4]

दिल्ली के शासकों के राजनीतिक पतन के बाद देश के प्रायः कई प्रान्त स्वतन्त्र हो गये। इस्लामिक धर्म को मानने वाले अपनी राजधानी के बाहर तक बीन का समर्थन कर रहे थे। कश्मीर के राजा जैन आबिद्दीन संगीत के प्रशंसक थे। इन्होंने आदेशित किया कि रबाब और बीन को सोने से सुसज्जित किया जाये। सिकन्दर लोधी संगीत के प्रेमी और इस्लामिक नियम को मानने वाले थे। इन्होंने दरबार में जितने भी संगीतकारों को नियुक्त किया उनमें से तीन वादकों पर मुख्य रूप से प्रतिक्रिया देते थे जो तुर्क–पर्शियन वाद्य और वीणा बजाते थे।[5]

---

[1] द्विवेदी हरिहर निवास, मानसिंह और मानकुतूहल, मुरार विद्यामंदिर, संस्करण प्रथम 1954 ईसवी, पृ. सं. 10

[2] प्राचीन मध्ययुग का इतिहास, ईश्वरीप्रसाद,–मानचित्रों द्वारा संगीत की ऐतिहासिक यात्रा ग्यारहवीं से बीसवीं शताब्दी, कालेकर भारयू, अभिषेक पब्लिकेशन चण्डीगढ़, संस्करण प्रथम 2005, पृ. सं. 102

[3] अनुवाद–Hindustani Music Thirteen to Twentieth Centuries, Bor Joep.Delvoye Francoise. Harvey Jane.Nijenhuis te Emmie, New Delhi Mahohar Publishers & Distributors, First Published 2010, Pg No.415

[4] अनुवाद–Hindustani Music Thirteen to Twentieth Centuries, Bor Joep.Delvoye Francoise. Harvey Jane.Nijenhuiste Emmie, New Delhi Mahohar Publishers & Distributors, First Published 2010, Pg No.416

[5] अनुवाद–Hindustani Music Thirteen to Twentieth Centuries, Bor Joep.Delvoye Francoise. Harvey Jane.Nijenhuis te Emmie, New Delhi Mahohar

उत्तर भारत में जब शासकगण मुसलमान आक्रमणकारियों से पराजित हुए और मन्दिरों को नष्ट कर दिया गया, तब कलाकारों व संगीतज्ञों को विवश होकर आश्रय की तलाश में इधर–उधर सुरक्षित स्थान ढूँढने के लिए भागना पड़ा। उल्लेखनीय है कि जिस समय उत्तर भारत के राजाओं को जीता एवं मन्दिरों को नष्ट किया जा रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में मन्दिर संस्कृति उन्नति की अपनी चरमावस्था में थे।[6] चोल राजाओं के समय में गंगैकोण्ड चोलपुरम् और तंजौर आदि स्थानों में अनेक भव्य मन्दिरों का निर्माण किया गया, जिनकी भित्तियों में सांगीतिक दृश्यों को अधावधि देखा जा सकता है। ग्यारहवीं बारहवीं शती के सभी ग्रन्थों का आधार 'नाट्य शास्त्र' माना गया। सुल्तान महमूद का साम्राज्य एक तरफ मेसोपोटामिया और कैस्पियन सागर से लेकर सतलुज तक फैला हुआ था तो दूसरी तरफ अरब सागर तथा वक्षु नदी से भारतीय सिन्धु तक। भारत में उसने थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर, कालेजर आदि पर आक्रमण किया था। महमूद की मृत्यु अप्रैल 1030 में हुई।[7] सन् 1180 में मुहम्मद गोरी ने लाहौर पर आक्रमण किया और देश के अन्दर तक घुसपैठ कर पृथ्वीराज से युद्ध किया। सन् 1191 एवं 1192 में तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया।[8] अजमेर में उसने लूटमार, हत्या, मन्दिर आदि की तोड़–फोड़ मनमाने ढंग से की। उन्हीं दिनों चिश्तियों का प्रवेश प्रारम्भ हुआ।

कैकुबाद की मृत्यु के साथ ही तुर्क वंश के भाासन का अन्त हुआ। सन् 1290 में जलालुद्दीन खिलजी राजसिंहासन पर बैठा। इनके दरबार में दुख्तरखासा, नुसरत बीबी और मेहर अफरोज जैसी अनेक अभिनय कुशल गायिकाएँ एवं सुन्दरीयाँ थीं। अलाउद्दीन खिलजी (1296–1361) को गुजरात विजय में मलिक काफूर जैसे सुन्दर कुशल और योग्य दास की प्राप्ति हुई जो गुजराती दक्खिनी भाषा में निपुण था। इसके साथ ही गुजरात से 'पवार' नामक एक नीच परन्तु अत्यन्त सुन्दर संगीतजीवी वर्ग के असंख्य लोगों को बन्दी बनाकर दिल्ली लाया गया, जहाँ देश के हर भाग से कलाकार एकत्र हो गये। फलतः अलाउद्दीन की राजधानी भारतवर्ष के संगीत की केन्द्रस्थली बन गई। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग बीस वर्षों तक शासन किया। निजामुद्दीन चिश्ती ने अपने प्रचारक समस्त भारत में भेजे। समस्त भारत के कोने–कोने से सहस्त्रों संगीतजीवी दिल्ली लाये गये।

उल्लेखनीय है कि इन दिनों सूफी गायन व ख्याल के साथ प्रबन्ध व ध्रुपद भी अस्तित्व में आ चुका था और वाद्यों में वीणा और रबाब बजाये जाते थे जो ध्रुपद अंग के ही वाद्य माने गये।

अलाउद्दीन ने अपने दरबारी संगीतज्ञों–नज़ीर खाँ, बहरोज, चांगी और अमीर खुसरो द्वारा संगीत को आगे बढ़ावा दिया। इनके पश्चात् कुतुबुद्दीन खिलजी, नसीरूददीन (खुसरो खाँ) हुए। इनके पश्चात् गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक परम्परा को आगे बढ़ाया।[9] मुहम्मद तुगलक के दरबार में 1200 गायक ऐसे थे जो गाते भी थे और गाने की शिक्षा भी देते थे। एक सहस्त्र गायक 'दास' थे। ये सम्भवतः हिन्दू थे इसलिए इनका कार्य केवल गाना था, सिखाना नहीं। सुल्तान की यात्रा के समय केवल संगीतज्ञों, वादकों एवं नर्तकों को ही सवार होकर चलने का आदेश था। वर्तमान समय में जो भी संगीत प्रचलित है, वह अरबी–ईरानी और हिन्दुस्तानी संगीत के सम्मिश्रण की देन है। अलग–अलग आयोजनों में अलग–अलग प्रकार की राग–रागिनियाँ गायी जाती थी। जैसे–धार्मिक गोष्ठियों में राग भैरवी, पीलू और सोहनी और दरबार में शहाना, दरबारी और मालकौंस राग गाये जाते थे। यद्यपि तैमूर के आक्रमणों के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश में क्रान्ति फैल गई। हजारों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। दिल्ली को पूर्णरूप से नष्ट कर दिया गया। मुस्लिम साम्राज्य भी छिन्न–भिन्न हो गया। प्रान्तों के शासक स्वाधीन होने लगे। राज्य की एकता कमजोर

Publishers & Distributors, First Published 2010, Pg No.416

[6] मानचित्रों द्वारा संगीत की ऐतिहासिक यात्रा ग्यारहवीं से बीसवीं शताब्दी, कालेकर भारयू, अभिषेक पब्लिकेशन चण्डीगढ़, संस्करण प्रथम 2005,पृ. सं. 1

[7] बृहस्पति, भरत का संगीत सिद्धान्त, पृ.सं.300–301;– मानचित्रों द्वारा संगीत की ऐतिहासिक यात्रा ग्यारहवीं से बीसवीं शताब्दी, कालेकर भारयू, अभिशेक पब्लिकेशन चण्डीगढ़, संस्करण प्रथम 2005,पृ. सं.2

[8] ईश्वरीप्रसाद, भारतीय मध्ययुग का इतिहास, पृ.सं. 96–132;–मानचित्रों द्वारा संगीत की ऐतिहासिक यात्रा ग्यारहवीं से बीसवीं शताब्दी, कालेकर भारयू, अभिषेक पब्लिकेशन चण्डीगढ़, संस्करण प्रथम 2005,पृ. सं.2

[9] तुगलककालीन भारत, मार्ग 9, पृ. सं. 189–मानचित्रों द्वारा संगीत की ऐतिहासिक यात्रा ग्यारहवीं से बीसवीं शताब्दी, कालेकर भारयू, चण्डीगढ़ अभिशेक पब्लिकेशन, संस्करण प्रथम 2005 ईसवी, पृ. सं. 7

होने लगी। हिन्दू जनता भी मुस्लिम शासकों से दुखी एवं परेशान थी। ऐसे में प्रान्तीयता की भावना से नये–नये स्वाधीन राज्यों का जन्म हुआ। इन राज्यों में बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजपूताना के राज्य और दक्षिण में उड़ीसा, बहमनी तथा विजयनगर के राज्य अधिक प्रसिद्ध थे।

सन् 1526 तक मुहम्मदशाह द्वितीय गुजराती का शासन गुजरात पर रहा। वह न्यायप्रिय एवं विद्वान शासक थे। साथ ही उनकी रूचि संगीत के क्षेत्र में अधिक थी। वह स्वयं एक अच्छे शासक थे। इन्होंने अपने इन्हीं गुणी आचरण से गुजरात को संगीत का प्रमुख केन्द्र बना लिया। स्वतन्त्र गुजरात का अन्तिम प्रसिद्ध शासक बहादुरशाह हुए। उन्हें संगीत से बड़ा प्रेम था। बैजू और गोपाल जैसे महान कलाकार उनके दरबार की शोभा थे। बहादुरशाह की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात पर चढ़ाई करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी समय दिल्ली पर सिकन्दर लोदी का शासन था, जो संगीत से लगाव रखते थे। इनके दरबार में महान–महान संगीतज्ञों का जमाव होता था। रात्रि को संगीत सभाओं का आयोजन करते थे जिसमें रूपवती गायिकाएँ आती थीं। लोदी ने 1500 दीनार में चार दास खरीदे थे–उनमें से एक 'चंग', दूसरा 'कानून', तीसरा 'तानपूरा' और चौथा 'वीणा' बजाते थे। आधी रात के बाद चार शहनाई वादक शहनाई बजाते थे। ये क्रमशः केदारा, अड़ाना, हुसैनी और रामकली बजाकर अपना वादन समाप्त करते थे। मालवा में इसी समय गयासुद्दीन का शासन था, जो स्वयं संगीत मर्मज्ञ थे। गुजरात में महमूद बीगड़ के पुत्र मुजफ्फरशाह संगीत के महान ज्ञाता थे जो वीणा वादन में अत्यन्त निपुण थे। उपर्युक्त परिस्थितियों में तैमूर के आक्रमण के 28 वर्षों के बाद ग्वालियर के सिंहासन पर 1486 में राजा मानसिंह तोमर आसीन हुए। ग्वालियर के तोमर वंश का वैभव, शौर्य, श्री, कलाप्रियता और सहृदयता महाराज मानसिंह में निखरकर आयी।[10]

मुगलकाल में गुजरात के सुल्तान हुसैन बहादुर भी भारतीय रागों को ईरानी रूप में ढाल रहा था। सूफियों ने अपने धर्म का प्रचार भी भारतीय अपभ्रंश भाषा में करना प्रारम्भ कर दिया था। भारतीय छोटे–छोटे नरेशों ने भी मुस्लिम शासकों के अधीन रहना स्वीकार किया। साथ ही शासकों का जनता पर सांस्कृतिक एवं धार्मिक दबाव भी था। ऐसे में पुराने शास्त्रीय संगीत को पकड़े रहने से उनका लोप होना अनिवार्य हो रहा था।[11]

मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अन्तर्गत् संस्कृति और समाज के बीच एक सामन्जस्य स्थापित किया गया। इतना तो है कि जो भी विचार उसमें लिये गये, उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई थी। यह प्रक्रिया बहुत धीरे–धीरे व शोध के फलस्वरूप हुई। जो भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप थे वह राजदरबार तक ही सीमित था। अमीर खुसरो व अमीर देहलवी ने विदेशी भाषा और संस्कृति को अपनाया। ये लोग धीरे–धीरे नींव मजबूत करना चाहते थे। ये लोग भारतीय विचार व विदेशी चीजों का मिश्रण कर रहे थे। प्रारम्भ में सभी लोग इसके विरोधी हुए। कालान्तर में सब ठीक हो गया। इनका राजनीतिक प्रभाव अच्छा नहीं था। युद्ध भी इनके खतरनाक थे, जिससे ये लोग सांस्कृतिक चीजों पर ध्यान नहीं दे पाये। ललितकला की जो चीजें मुगलकाल में थीं, सल्तनत काल में दोबारा से आयीं, जिसका कोई प्रमाण नहीं। उस समय के पुरातात्विक प्रमाण ही मिलते है। जब मुस्लिम भारत आये तो इन्होंने संगीत की परम्परा को तोड़ा नहीं वरन् संगीत को एक अहम स्थान दिया। सल्तनत ने न सिर्फ अपनी कला को बढ़ाया वरन् पूरे भारत की कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसमें मुगल शासक का प्रमुख योगदान रहा जो बाद तक चलता रहा। जिससे यह काल मध्यकाल का 'स्वर्णयुग' कहलाया। इस समय उत्तर भारतीय संगीत में शास्त्र और प्रयोग दोनों को ही बढ़ावा मिला। यही समय ध्रुपद का काल रहा। यह काल ध्रुपद संगीत में एक नई सुबह लेकर आया। ध्रुपद का मूल्य और उसकी गरिमा बढ़ गयी। जिससे यहाँ के लोगों में संगीत परम्परा को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में जागरूकता आ गई। उस काल में जो विजयी राजा थे वो स्मारक बनवाने में व्यस्त थे और जो हिन्दू राजा थे वो संगीत को बढ़ावा दे रहे थे। उस काल में राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद से जुड़े हुए थे। इन्होंने ध्रुपद के द्वारा संगीत की प्रोन्नति की। ये राजा जो भी कर रहे थे, उनका ग्वालियर व आसपास के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिला। सामान्यतः अकबर के दरबार में ध्रुपद शैली का अभ्यास किया जाता था और ज्यादातर जो कर रहे थे वो

[10] मानचित्रों द्वारा संगीत की ऐतिहासिक यात्रा ग्यारहवीं से बीसवीं भाताब्दी, कालेकर भारयू, अभिशेक पब्लिके" न चण्डीगढ़, संस्करण प्रथम 2005, पृ. सं. 12

[11] बांगरे अरूण महादेवराव, ग्वालियर की संगीत परम्परा, नई दिल्ली कनिश्क पब्लि" र्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, संस्करण प्रथम 1995 ईसवी, पृ. सं. 48

संगीतज्ञ ग्वालियर के थे और तानसेन को अपना प्रमुख मानते थे।[12] अबुल फजल ने अकबर के दरबारी संगीतज्ञों का विवरण भी दिया जिनमें से पन्द्रह लोग ग्वालियर के थे, एक स्वरमण्डल, दो वीणा और ग्यारह ध्रुपद के थे।

lUnHk lph %&

- द्विवेदी हरिहर निवास, मानसिंह और मानकुतूहल, मुरार विद्यामंदिर, संस्करण प्रथम 1954 ईसवी
- Bor Joep.Delvoye Francoise. Harvey Jane.Nijenhuis te Emmie, Hindustani Music Thirteen to Twentieth Centuries, New Delhi Mahohar Publishers & Distributors, First Published 2010
- मानचित्रों द्वारा संगीत की ऐतिहासिक यात्रा ग्यारहवीं से बीसवीं शताब्दी, कालेकर भारयू, अभिषेक पब्लिकेशन चण्डीगढ़, संस्करण प्रथम 2005
- बांगरे अरूण महादेवराव, ग्वालियर की संगीत परम्परा, नई दिल्ली कनिष्क पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, संस्करण प्रथम 1995 ईसवी
- विभिन्न पत्र–पत्रिकाएँ।

[12] ''वही'' पृ. सं. 2

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

iqjkrkfRod egRo] jkeuxj

exi nkl pnyy
शोधार्थी, एम.ए. (नैट), प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र.

आर्य सभ्यता का विकास सर्वप्रथम नर्मदा तट मे ही हुआ। यदि नर्मदा तट में आर्य सभ्यता न होती तो द्रविण सभ्यता के समर्थक रावण को आर्य सभ्यता के समर्थक सहस्त्रबाहु कान्तिवार्य पर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आर्य लोग उत्तर तट पर बसे थे, जबकि द्रविण लोग दक्षिण तट पर बसे थे।

पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा जी का उद्गम महादेव जी के शरीर से हुआ है।(1) प्राचीन काल में आर्य सभ्यता वालों के लिये, विन्ध्य पर्वत के कारण, दक्षिण मे जाना अगम्य माना जाता था। अगस्त मुनि ने आर्य सभ्यता का प्रचार करने दक्षिण गये। क्योंकि दक्षिण में अनार्य सभ्यता जिन्हें हम (गोंड) जाति कहते हैं, के लोग निवासरत थे।

रामनगर के दक्षिण में गौंड जाति के लोग रहते थे। आजकल तो जिले के सभी हिस्सों में रह रहे है। रामनगर मण्डला से 12 मील पूर्व में है। रामनगर मण्डला से बस के द्वारा पहुॅचा जा सकता है। नाव के द्वारा भी रामनगर पहुॅचा जा सकता है। रामनगर भी नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। राम नगर भी नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। रामनगर नर्मदा के आस पास बहुत से अवशेष दबे पडे है। कुछ अवशेष ऊपर स्तर से प्राप्त होते हैः– जैसे भवन शिलालेख, मूर्तियॉ, यत्र–तत्र सिक्के, नर्मदा के आस पास पाषाण उपकरण इनका अपना एक अलग महत्व है।

गौड शासकों के हाथों से चौरागढ का किला मुगल शासकों के आधीन हो गया। सिंगौरगढ, गढा और चौरागढ तीनों ही दुर्गम और सुरक्षित सिद्ध नहीं हुई थी। अतः हिरदेशाह ने अधिक दुर्गम स्थान की खोज करने लगा। जब हिरदेशाह देवगांव की यात्रा की तब उसे सतपुडा के सघन वनों मध्य नर्मदा नदी के किनारे रामनगर[2] को राजधानी के लिये चुना। राजा ने उसे अपनी राजधानी बनाया इसके ऐतिहासिक प्रमाण है। रामनगर का शिलालेख और रामनगर में विद्यमान मत्य भवन, उसके राजधानी के साध्य तो हैं ही साथ ही गजेन्द्र मोक्ष[3] काव्य और गणेश नृप वर्णननम[4] मे रामनगर को राजधानी बनाये जाने का उल्लेख है। रामनगर के प्रमुख महत्व इस प्रकार है।

jkeuxj :– गौंड राजवंश के सम्पूर्ण निर्माणों में रामनगर के भवन सर्वाधिक आकर्षक और महत्वपूर्ण है। हृदय शाह ने 17वीं शती के मध्य में रामनगर को अपनी राजधानी बनाया। रामनगनर गढा राज्य की राजधानी के रुप में लगभग आधी शती तक रहा। नरेन्द्र शाह ने 1698 ई. के लगभग रामनगर से राजधानी हटाकर मण्डला को अपना केन्द्र बनाया था।[5] उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण मे सघन वन है। एक और काला पहाड नाम का ऊॅचा पर्वत है। रामनगर में जो वन है वे हृदयशाह के समय के है।

ekrh egy :– मोती महल आयताकार है, यह महल बाहर से 63 मीटर लम्बा, 60 मीटर चौडा है और मध्य का ऑगन 50 मीअर लम्बा तथा 46 मीटर चौड़ा है। आंगन के मध्य में एक12 मीटर वर्ग का सरोवर है, जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। भवन के सामने की भुजा चार मंजिल की है, जबकि शेष तीन भुजाऐं तीन मंजिल की है। इस भवन में अनेक कमरे हैंजो भुल–भुलैया जैसे भागों से जुड़े हुए है। महल के दाहिनी ओर हाथी खाना है। इस महल की दीवारें बहुत मोटी है और उन पर गारे का प्लास्टर है। दरवाजे हिन्दु शैली के है। कलश युक्त गुम्बद आनुपातिक और प्रभावशाली है। भवन में किसी प्रकार की सजावट नहीं है। प्रत्येक मंजिल में द्वारों के ऊपर पानी की बौछार रोकने के लिए बरसाती है। रामनगर का प्रख्यात शिलालेख अब इसी भवन में लगा हुआ है। इस भवन के सामने नदी में एक बांध के अवशेष है। बांध जलप्रदाय व्यवस्था से सम्बद्व था।

fo".k efnj :– मोती महल के 30 मीटर दक्षिण में स्थित है। 16.8 मीटर वर्ग के इस वर्गाकार मंदिर को रानी सुन्दरी ने 1667 ई. में निर्मित कराया था।[6] और रामनगर के शिलालेख के अनुसार इसे विष्णु को समर्पित किया। इसमें शिव, गणेश, दुर्गा, और सूर्य की मूर्तियां प्रतिष्ठित कराई गई थी।[7] रामनगर का शिलालेख इसी मंदिर में था, किन्तु सुरक्षा के लिए बाद में उसे मोती महल में रख दिया गया।[8] भवन के मध्य

में 5.7 मीटर वग्र का एक प्रकोष्ठ है जो धारीदार गुम्बद से अच्छादित है। कमरे के चारों कोंनों में चार धारीदार गुम्बद वाली कोठरियों में एक–एक खुला बरामदा है दरवाजे भारतीय शैली के है। बाहर से देखने में यह मंदिर मुस्लिम मकबरे के समान था। इमारत में गारा बहुत अच्छी प्रकार का प्रयुक्त हुआ है।

Hkkxor jk; dk egy :– यह महल मोती महल के पीछे निकट ही स्थित है। हृदयशाह के मंत्री भागवतराय का यह महल तीन मंजिल है। और इसमें ईंट की अपेक्षा पत्थर का प्रयोग अधिक किया गया है। आकार में यह मोतीमहल से लगभग आधा है। कहा जाता है कि पहले यह मोती महल से उंचा बना किन्तु बाद में तोप से इसकी उंचाई गिरा दी गई।[9] इस भवन में सामने के भाग में श्वेत पत्थर का प्रयोग और बाहरी दीवाल के कंगूरे उल्लेखनीय है। ब्रेकेटयुक्त मुख्य प्रवेशद्वार के ऊपर बनी मंजिलें प्रभावोत्पादक है। भवन के चारों कोनों में धारीदार गुम्बद और बरसाती वाले प्रकोष्ठ है।

c?kyk jkuh dk egy :– मोती महल से लगभग ढ़ाई कि. मी. पूर्व की ओर स्थित है। यह एक प्रभावशाली और सुन्दर निर्माएा है। इसमें एक विशाल प्रकोष्ठ है, जिसके चारों ओर कुछ कमरे और मेहराबदार गलियारें हैंमूख्य विशाल प्रकोष्ठ के ऊपर जो कमरा बना है उसकी छत राजपूत शैली की अर्द्व चन्द्राकार है। चारों कानों कें कमरों की दूसरी मंजिल भी है। जो धारीदार गुम्बद वाले है। गुम्बदों के चारों ओर बरसाती निकली है। भवन से लगी एक गहरी बावली है। जिसके प्रवेश द्वार की छत अर्द्वचन्द्राकार है। इमारत के निकट सुन्दर उद्यान होने के चिन्ह है। कहा जाता है कि हृदयशाह ने इसे अपनी बघेल वंशी रानी के लिए बनवाया था।[10]

ny&ckny egy :– रामनगर (मण्डला) से चौगान के रास्ते पर विस्तृत समतल मैदान पर दो अलग–अलग महलों के खण्डहर पड़े है। जनश्रुति के अनुसार इन्हें दलमहल और बादल महल के नाम से जाना जाता है।

दल और बादल महल प्रसिद्व आल्हा ऊदल के वंश में बनाफर जाति के सैनिक सरदार थे। ये दोनों रामनगर में राजा हिरदेशाह के प्रमुख सैनिक थे। हिरदेशाह ने इन दोनों के रहने के लिए दो अलग–अलग महल बनवाये थे।

दल महल अब बिल्कुल खण्डहर हो चुका है बादल महल के खण्डहर शेष है। बादल महल चार मंजिला था। लगभग 100X100 वर्ग फुट के क्षेत्र में निर्मित है। सामने एक बड़ा सा आंगन है, जिसमें पर कोटे की दीवाल बनी हुई है। ऊपर की मंजिल की छत गिर गई है। पर कोटे की दीवाल के सहारे सैनिकों के आवास तथा अस्तबल के अवशेष हैं।

दोनों महल गौड काल के है। हिरदेंशाह ने सन् 1637 से 1678 तक यहॉ पर राज्य किया है। रामनगर में एक सर्वसुविधा युक्त पूर्ण राजधानी का निर्माण कराया गया था, उसी के अवशेश है। इन महलों में अनगढ़ पत्थर तथा चूना रेत के गारे का उपयोग किया गया है।

pkSxku] vkfnoklh 'kfDrihB :– मण्डला से रामनगर चंदवारा मार्ग पर, रामनगर से 5 कि. मी. दूर चौगान में आदिवासी जाति का उपासना स्थल है। इसे रामनगर चौगान की मढ़िया के नाम से जाना जाता है।

इस वर्गाकार अहाते के भीतर एक बांस की झोपड़ी में सदा अग्नि प्रज्जवलित होती रहती है। धुनी के आस–पास सैकड़ों की तादाद में त्रिशूल गड़े हुए है। अहाते में लगभग 1500 वर्गफुट में देवी का सथान है, तथा इसी से संलग्न लगभग 2000 वर्ग फुट में पण्डा का निवास स्थान है। धुनी के बाजू में प्रागंण में एक लगभग 25" ऊंची लोहे की नैसेनी गड़ी है। जिसमें मोटी लाहे की सांकले लटक रही है। रामनगर की मढ़िया आज से लगभग 130 वर्ष पूर्व मोहगांव के पास खीसी की पहाड़ी से स्थानान्तरित होकर यहां आई है।[11]

Hkjk efUnj :– यह मन्दिर मोती महल से पूर्व लगभग 150 फुट की दूरी पर है। इसमें एक गुम्बज है। भैरव देव के नाम से जाना जाने वाला यह मन्दिर वर्गाकार है, जिसका प्रत्येक पार्श्व 18 फुट है। मन्दिर का छप्पर अब नहीं है। मन्दिर के भीतर मिटटी के एक चबूतरे पड़े रहते है। भैरव या अनय किसी भी देवता की वहां कोई मूर्ति नहीं है जो कभी रही होगी।

efr x.k'k ¼fo".k jkeuxj½ :– वक्रतुण्ड गणेश की यह मूर्ति कणाश्म (ग्रनाइट) की बनी है। मूर्ति का आकार 1.8X 0.68X 0.28मीटर है। मूर्ति में गणेश चौकी पर ललितासन में बैठे है। उनकी चार भुजाऐं हैं, उनके ऊपर वाले दाहिने हाथ में पाश है तथा निचले दाहिने हाथ में कपित्थ है। हाथी को कपित्थ बहुत प्रिय होत

है। वाम भाग के ऊपर वाले हाथ में अंकुश है तथा निचले में मोदक है। मोदक प्रिय होले के कारण उनका तुंड मोदकों की ओर वक्र दिखाया गया है। उनके शरीर पर यज्ञोपवीत है। चौकी के अधोभाग में गणेश का वाहन मुशक बना हुआ है। मूर्ति बहुत सुन्दरता के साथ गढ़ी गयी है, तथा अलंकरण भी सुन्दर है।[12]

l;] :– सूर्य की मूर्ति कणाश्म (ग्रेनाइट) की बनी है। इसका आकार 1.10X 0.73X 0.17 मीटर है। मूर्ति में सूर्य रथ पर विराजमान है। रथ में सात घोड़े है। सूर्य का एक नाम सप्ताश्व है, जो प्रकाश के सात रंग दिखते हैं, उनके प्रतीक समर्य के ये सात अश्व माने जा सकते हैं। प्रकाश से संबंद्व सात रंगों की चर्चा उपनिषद में भी है। मूर्ति में सूर्य के दो हाथ है और दोनों में सनाल कमल है। उनके दाहिने कुछ ऊपर ब्रह्मा विकसित कमल पर विराजमान है। दाहिने कुछ नीचे चाबुक लिये सारथि अरुण है। मूर्ति की भुजा में केयूर है, कानों में कुण्डल लक्षित होते है पर कुण्डल मकर कुण्डल है, या और कोई इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मूर्ति के गले में हार भी है। कंधे पर यज्ञोपवीत भी है। सूर्य का एक नाम हरिदश्व है, क्योकि कि उनके अश्व हरे रंग के है।[13]

dkyk igkM :– रामनगर के दक्षिण पूर्व में काला पहाड़ है, जहां काले पत्थरों की चतुष्काणीय, पंचकोणीय, षटकोणीय शिलाऐं है। स्थानीय बोली में इन्हें 'म्यांर'' कहा जाता है। रामनगर के राजमहलों में लकड़ी के स्थान पर इन म्यांरों का उपयोग किया गया है। शिलाखण्डों की अधिकता के कारण पर्वत काला दिखाई देता है।[14]

jkeuxj dk f'kyky[k :– शिलालेख से बहुत पहिले का लिखा ग्रन्थ, महाराजा संग्रामशाह का ''रासरत्नमाला'' नामक ग्रन्थ का पता चलता है।[15]

शिलालेख में साहित्य की दृष्टि से बहुत ऊंची और रसमय कविता है। शिलालेख के शदाकार जयगोविन्द है। उनके पिता का मण्डन कवि था। उनने अपने आश्रयदाता हिरदेशाह की तथा उनकी रानी सुन्दरी देवी की बहुत प्रशंसा की है। जय गोविन्द ने शिलालेख में यह कहीं नहीं उल्लेख किया है कि राजा हिरदेशाह ने चौरागढ़ की राजधानी को खोया है। शिलालेख के श्लोक नं. 14 और 15 में महाराज संग्रामशाह की बहुत प्रशंसा की गई है।[16] रानी दुर्गावती की प्रशंसा श्लोक नं. 18,20,26 में की गई है।[17] श्लोक नं. 22 में वीर रस का अपूर्वप्रदर्शन है, शिलालेख में टंकन तिथि लिखी है। ज्येश्ठ शुक्ल एकादशी शुक्रवार, संवत सत्रह सौ चौबीस। विद्वानों ने उस तिथि को पांच जून सन सोलह सौ अड़सठ माना है।[18] रानी दुर्गावती के नरईयुद्व के एक सौ तीन वर्ष बाद इस शिलालेख का टंकन किया गया है।

दिनांक 18.05.1967 रविवार के दिन ज्येश्B शुक्ल एकादशी संवत बीस सौ चौबीस को इस शिलालेख की अवस्था पूरे तीन सौ वर्ष की हो चुकी है।

शिलालेख काले पत्थर में दो टुकडों में है। प्रत्येक टुकडों की ऊॅचाई 34'' और चौडाई 29'' है। काले पत्थर में चिकनी पालिस है। पत्थर बिल्कुल काला नहीं है। उसमें सर्वत्र क्षीट के से सफेद छीटे से है। ऊपर वाले में पत्थर में तीस लाइनें है, नीचे वाले में 35 लाइने है। हर अक्षर 3/4'' का है। नीचे वाले टुकड़े में नीचे की ग्यारह लाइनों में अक्षर 1/2'' के है। शिलालेख दो बड़ी दरारें है। परत मिलाकर जमाई हुई है। सन् 1920.22 में किसी अंग्रेज पे गोली मारी थी। श्लोक नं. 32 का कुछ अंश है ही नहीं।

ckoyh] jeijh ¼jkeuxj½ :– रामनगर से चार किलोमीटर दूर घुघरी मार्ग पर सड़क के किनारे, ग्राम रमपुरी के पास गौंड़कालीन बावली (बीहर) स्थित है। यह बीहर पार्श्व में बहते एक नाले के किनारे बनी है। बीहर में बारहों महीना पानी भरा रहता है।

बावली के जेल तक पहुॅचने के लिये दोनों तरफ दीवाल तथा सीढ़ियॉ बनी है। बावली से लाकर सड़क के किनारे एक मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की सुन्दर प्रतिमा स्थापित है। सड़क के दोनों ओर विशाल वृक्षों का जंगल है।[19]

lUnHkZ xzUFk %&

1. कूर्म पुराण के अन्तर्गत, ब्राम्ही संहिता उत्तरार्ध के 28 वें अध्याय में।
2. मण्डला (मध्यप्रदेश) से 20 कि. मी. उत्तर पूर्व में।
3. क्रमबेलकर ज0 ए0, सो0 ब0 19 दो 1953 पृष्ठ–142
4. गणेशनृपवर्णन संग्रह श्लोका पृष्ठ–191
5. स्लीमेन पृष्ठ–634
6. रामनगर शिलालेख श्लोक 46

7. रामनगर शिलालेख श्लोक 40 हाल पृष्ठ–12
8. आ0 स0 रि0 सत्रह पृष्ठ 46–47
9. जी0व्ही0 भावे, भ.ओ. रि. इ. 28 श्लोक,43 पृष्ठ–267
10. रामभरोसे अग्रवाल, गौड़ जाति का सामाजिक अध्ययन पृष्ठ–622
11. वही पृष्ठ
12. रामनगर शिलालेख, श्लोक 46
13. वही पृष्ठ
14. डॉ. नरेश ज्योतिशी, मण्डला एवं डिण्डौरी जिले का पुरातत्व पृष्ठ–35
15. करमबेलकर ज0 ए0 सो0 बं0 19 क्रमांक–2 पृष्ठ–138
16. रामनगर शिलालेख, श्लोक 14–15
17. रामनगर शिलालेख, श्लोक 18,20,26
18. रामनगर शिलालेख, श्लोक 52
19. हमारी विरासत, जिला मण्डला, इण्टेक भारतीय सांस्कृतिक निधि मण्डला पृष्ठ–138

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

tuuh lqj{kk ;kstuk l efgyk LokLF; ij izHkko

txnh'k eoy
शोधार्थी, एम.फिल. अर्थशास्त्र

जननी सुरक्षा योजना माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलायी जा रही एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इसका लक्ष्य मातृ मृत्युदर को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक प्रसव के समय कुशल प्रसव परिचारकों द्वारा ही कराया जाये।

izLrkouk :– भारत में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है लेकिन सेंट्रल ब्यूरों ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त किए गए बमुश्किल 33 प्रतिशत डॉक्टर ही वहां काम करते है। उनमें भी ज्यादातर कस्बों में करते है। इसकी वजह में महिलाओं को प्राथमिक सुविधा भी नहीं मिल पाती है इसलिए तमाम कार्यक्रमों के बावजूद आज गांवों में स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बेहद कम है और उनमे गुणवता तो दिखती ही नहीं है। देश में 2015 में पांच वर्श से कम आयु के लगभग 10.8 लाख बच्चों की मौत हुई थी। यह आंकड़ा प्रतिदिन 2,959 मृत्यु या प्रत्येक मिनट में दो मृत्यु का है। मध्यप्रदेश में भी महिलाओं व नवजात शिशुओं की स्थिति अच्छी नहीं है। महिलाओं की स्वास्थ्य से संबंधित सही देखभाल व सुविधाएं नहीं होने के कारण मातृ–मृत्यु दर निराशाजनक बनी हुई है। राज्य में लगभग 58 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एवं पांच वर्ष से कम के 70 प्रतिशत बच्चे एनीमिक है। बाल मृत्यु दर व मातृ–मृत्यु दर को स्वास्थ्य और देश के कल्याण के लिए एक बड़ा संकेत माना जाता है क्योंकि शिशु मृत्यु दर व मातृ–मृत्यु दर पर प्रभाव डालने वाले कारण पूरी जनसंख्या के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते है। जननी सुरक्षा योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाया जा रहा है। इससे माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी भी हुई है लेकिन कहीं न कहीं इस योजना से महिलाओं को पूरी तरह लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए एक अथक प्रयास की जरूरत है।

tuuh lqj{kk ;kstuk :– केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 से इस योजना को पूरे भारत वर्ष में शत–प्रतिशत लागू कर दी गई है। इसके अन्तर्गत प्रसव तथा प्रसव के उपरान्त देखभाल के साथ नकद सहायता भी दी जाती है। यह योजना उन राज्यों तथा क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई थी जहां उनकी मांग बहुत कम है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत माता एवं शिशु मृत्यु दर को घटाना प्रमुख लक्ष्य रहा है। इस योजना की वजह से संस्थागत प्रजनन में काफी वृद्धि हुई है और इसके तहत हर साल एक करोड़ महिलाएं लाभ उठा रही है।

mnns'; :–

1. जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य डिलेवरी और गर्भावस्था के दौरान सही और सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है।
2. बच्चे और माँ को पूरी सुरक्षा देना उनकी सेहत का पूरा और सही ध्यान रखना है। जननी सुरक्षा के अंतर्गत बच्चे को जन्म के प्रथम 6 महीने तक माँ से ब्रेस्ट फीड़िग कराने के लिए प्रेरित किया जाता है।
3. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला को कुछ राशि दी जाती है जिससे वह अपनी और अपने बच्चे के लिए उपयोग कर सकती है।

tuuh lqj{kk ;kstuk dh ykHk :–

1. जननी सुरक्षा योजना में गर्भवती महिला को पहली राशि 1500 रूपये की दी जाती है जिन्होने–

- अपना रजिस्ट्रेशन गर्भावस्था के प्रथम 4 महीनों में किसी नजदीकी आगंनवाडी केन्द्र में कराया है।
- कम से कम 1 parental care session और TT attend किया हो तथा IFA की दवाईयां ली हो।
- कम से कम 1 से 3 session हेल्थ केयर सेंटर पर या AWC पर counselling ली हो।

2. दूसरी किस्त 1500 रू. डिलवरी के 3 महीनों के बाद दी जाती है यह राशि उन महिलाओं को दी जाती है जिन्होनें–

- बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन कराया हो।
- बच्चे को 6 और 10 हफ्तों के बाद BCG और OPV से प्रतिरक्षित किया हो।
- कम से कम 2 session बच्चे की देखभाल के लिए attend किये हो ।

3. बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद तीसरी किस्त 1000 रू. दी जाती है यह उन महिलाओं को दी जाती है जिन्होनें–

- कम से कम 6 महीने तक अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीड़िग कराई हो तथा इससे अधिक ब्रेस्ट फीड़िग कराने पर महिलाओं को सर्टिफिकेट दिया जाता है।
- कम से कम 2 session बच्चे की ग्रोथ के लिए दी गयी जानकारी पर attend करने पर ।

tuuh lqj{kk ;kstuk dk egRo :– 12 अप्रैल 2005 को गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है जो कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाता है। यह केन्द्र प्रायोजित योजना है और प्रसव एवं प्रसव के बाद देखभाल करने के लिए नकद सहायता करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करना है। जब गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देने के लिए किसी अस्पताल में पंजीकृत कराती है तो महिलाओं को प्रसव के लिए प्रोत्साहन व भुगतान के लिए नकद सहायता दी जाती है।

tuuh lqj{kk ;kstuk d vrxr ixfr :– मध्यप्रदेश महिलाओं और नौनिहालों के कल्याण एवं उन्हें और अधिक मजबूती देने वाला राज्य बन चुका है। अनेक ऐसी अनुठी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जो न सिर्फ सीधे–सीधे तौर पर महिलाओं का हित साध रही है बल्कि उनके पक्ष में मध्यप्रदेश में एक नया वातावरण भी बन रहा है। सरकार इस बात के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है कि मध्यप्रदेश में महिलाओं और बच्चों की जीवनस्तर न सिर्फ सुधरे बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का निरंतर मौका भी मिले।

ekr eR;q nj e deh :– प्रदेश में लगातार किये गये प्रयासों के फलस्वरूप मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। राष्ट्रीय औसत प्रति हजार पर 56 के विरूद्ध मध्यप्रदेश में यह घटकर 45 हो गया। सर्वाधिक गिरावट वाले राज्यो में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है। मातृ मृत्यु दर वर्श 2003 में 379 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर वर्श 2010–11 में 310 तथा 2016–17 में 221 हो गई।

f'k'kq eR;q nj e fxjkoV :– शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आई है वर्ष 2004 में यह दर 79 प्रति हजार जीवित जन्म थी जो 2013 में 54 और 2015–16 में पुनः घटकर 51 तथा 2016–17 में 41 प्रति हजार हो गई । राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 16 राज्यो की रिर्पोट जारी हुई जिनमें मध्यप्रदेश में सर्वाधिक सुधार हुआ है। प्रत्येक जिले में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना कर लगभग 5 लाख शिशुओं का उपचार किया गया साथ ही समुचित देखभाल क 1364 न्युबोर्न कार्बन रोगों को रोकने के विशेष प्रयास किये गये है।

fu"d"k :– निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि जननी सुरक्षा योजना महिला स्वास्थ्य पर एक वरदान साबित हुई है। इससे न केवल मातृ मृत्युदर व शिशु मृत्युदर में कमी आई है बल्कि महिला स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है तथा एक राष्ट्र शक्ति का विकास हुआ है और यह सब केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अथक प्रयासों के कारण हुआ है क्योंकि जब एक महिला स्वस्थ होगी तो एक परिवार और एक परिवार स्वस्थ होगा तो समाज और पूरा देश स्वस्थ होगा।

lanHkZ :–

1. डॉ.ए.एन अग्रवाल (1999) भारतीय अर्थव्यवस्था विकास एवं आयोजन, विश्व प्रकाशन नई दिल्ली।
2. डॉ.एस. श्रीवास्तव (2015) भारत में मातृत्व मृत्युदर नई दिल्ली।
3. डॉ. के.सी. चौधरी (2014), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नई दिल्ली।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2009), पत्रिका
5. महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश (2008), पत्रिका।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

xkfoUn feJ d miU;klk e ik=&ifjdYiuk

NkVs yky ;kno
शोधार्थी, हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में पात्र परिकल्पना की अपनी विशिष्टता है। उन्होंने अनगिनत सुन्दर, जीवन्त और शाश्वत पात्र हिन्दी साहित्य को दिए है। उनके पात्रों का एक भरा–पूरा संसार है जो हमेशा संवाद की स्थिति में रहते हैं। मिश्र जी ने अपने सभी उपन्यासों में उन्हीं पात्रों की परिकल्पना की है जिनको वे गाँवों और शहरों में देखा था।

'वह अपना चेहरा' मिश्र जी का प्रथम उपन्यास है, जिसका नायक 'मैं' है। मैं एक सरकारी अफसर है, कहानी उसी के विभाग के वरिष्ठ अफसर केशवदास के प्रति जो अनिश्चित और दोतरफा दृष्टिकोण है, उसी के इर्द–गिर्द घूमती है। उपन्यास के प्रारम्भ में वह सरकारी कार्यालय में होने वाले अत्याचारों के विरूद्ध विद्रोह करता है परन्तु उपन्यास के अन्त में वह उस भ्रष्ट व्यवस्था का अभिन्न अंग बन जाता है। इस उपन्यास का प्रत्येक पात्र अपने ढंग से चीजों को स्वाभाविक रूप से लेते हुए सही लगता है।

'उतरती हुई धूप' विश्वविद्यालयी जीवन के खट्टे–मीठे रोमांस के अनुभवों का इसमें कच्चा चिट्ठा है। नायक अरविन्द उपन्यास के पहले हिस्से में संतुलित, आत्मकेन्द्रित और किंचित जटिल मालूम पड़ता है– लड़की बेहद भावुक, कमजोर और समर्पिता लगती है, किन्तु आधी मंजिल तक पहुँचते हुए दस वर्षों का दाम्पत्य जीवन नायिका को आश्चर्यजनक रूप से सर्द बना देता है। अपनी समर्पिता प्रेमिका को इस रूप में पाकर नायक अत्यन्त निरीह और छोटा बन जाता है। डॉ0 चन्द्रकान्त वांदिवडेकर जी के शब्दों में– ''पुरुष और स्त्री के बीच का शायद यह स्थायी अन्तर है पहले जैसे प्यार की ताजगी और दूसरों द्वारा झुठलाए प्यार के मुर्दा रूपों के बीच की मानसिकता के हिलकोरों का बडा अच्छा चित्रण गोविन्द मिश्र ने इस उपन्यास में किया है।''[1]

'लाल पीली जमीन' उपन्यास में एक अंचल की कहानी है। इसके लिए मिश्र जी ने एक छोटे शहर की छोटी बस्ती को चुना है। इसीलिए उपन्यास के समस्त पात्र पिछड़े लोग है। इसके अनेक पात्र धार्मिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से जकड़े हुए हैं। इसमें पात्रों की संख्या भी अधिक है। केशव इसका नायक है लेकिन इसमें अन्याय एवं अत्याचारों के विरूद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, जिसके जिम्मेदार स्वयं उसके माता–पिता थे। डॉ0 चन्द्रकान्त वांदिवडेकर के शब्दों में– ''केशव के अकेलेपन में निःशक्त और दयनीय पिता की मजबूरियों का जितना हाथ है उससे कहीं अधिक उसकी माता की व्यभिचारिणी वृत्ति का भी है।''[2] इसके अतिरिक्त शिवमंगल, कल्लू, कैलाश, मास्टर, कंठी, शैलजा, बिट्टी, छवि, शन्नो, मौसी, शान्ति, मालती जैसे अन्य पात्र भी हैं। इस उपन्यास के लगभग सभी पात्र परिवेशगत विवशता अनुभव करने वाले हैं। अधिकांश पात्र अशिक्षित एवं नौकरीविहीन हैं। उपन्यास की नारियां अभिशप्त जीवन बिताने के लिए विवश हैं।

'हुजूर दरबार' की कथावस्तु का समय सन् 1930 से 70 के बीच में है। रियासत, राजमहल और मठ के त्रिकोण में बधा हुआ यह उपन्यास राजदरबारों की कहानी है। इसमें पात्रो की एक भीड़ ही है। इसमें दो प्रकार के पात्र हैं– एक वे जिनके पास अधिकार, सम्पत्ति तथा सारी सुख–सुविधाएँ हैं, दूसरे वे पात्र है जो पहले के हाथों की कठपुतलियाँ हैं। उपन्यास का प्रमुख पात्र हरीश है जो शिक्षित युवा है लेकिन संत्रास का शिकार है, उसे राजसी कोप के कारण यातनापूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। अन्य पात्रों में राजा है, खरे जैसे ईमानदार नेता है और दीवान छोटे लाल जैसे क्रूर व्यक्ति भी। नारी पात्रों में नेपाल सरकार उपन्यास की सबसे शक्तिशाली पात्र है। वह महलों में रहते हुई भी महलों के बाहर के जीवन की खबर रखती थी। महाराज की मृत्यु के बाद नेपाल सरकार ने राजनीति में रूचि ली और अपना नया दरबार जमा लिया। उसने अपने कर्म से सिद्ध कर दिया कि दरबार कभी टूटता नहीं। वह हरीश को मंत्री बनाना चाहती थी पर हरीश ने उससे समझौता नहीं किया। इसलिए उसे संत्रास भोगना पड़ा। डॉ0 राजमल बोरा के शब्दों में– ''आधुनिक युग का संत्रास इस उपन्यास में मूर्त हो उठा है। राजनीतिक क्रूरता की झाँकी उपन्यास में बड़े ही मार्मिक रूप में अंकित हुई है। लोकतंत्र में भी हुजूर

दरबार मौजूद है। इसे पहचानने की आवश्यकता है।''[3] यह उपन्यास हरीश नामक युवक के व्यक्तित्व के विघटन की शोकापूर्ण और शोकांत कथा है।

'तुम्हारी रोशनी में' उपन्यास के समस्त पात्र शिक्षित एवं मध्यवर्ग के हैं। उपन्यास की प्रमुख पात्र सुवर्णा नामक युवती है जो शिक्षित एवं नौकरी प्राप्त है। वह रमेश की पत्नी और दो बच्चों की माँ होने पर भी अन्य पुरुषों के साथ मनचाहे रूप से घूमना–फिरना पसंद करती है। राजकुमार गौतम के अनुसार– ''उपन्यास की नायिका पर्याप्त तार्किक हमले के साथ प्रेम में इस्तेमाल होने वाली 'नारीमयता' के साथ निर्जीव शो–पीस की तरह नहीं, बल्कि बाकायदा फिफ्टी–फिफ्टी के हिस्सेदार होने का अधिकार चाहती हुई, हमारे सामने उभरकर आती है।''[4] सुवर्णा घर और बाहर दोनों जगह सफल होना चाहती है। इसलिए वह एक स्थान पर कहती है– ''मेरी राय में हर औरत को बाहर भी कोई न कोई काम करना चाहिए। तभी उनका पूरा विकास हो पाता है। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी पर शादी के बाद मैंने नौकरी की जरूरत महसूस की।''[5] सुवर्णा प्यार की अपेक्षा दोस्ती को अधिक महत्व देती है। वह कूप मंडूक वृत्ति की अपेक्षा स्वतंत्रता के साथ जीना चाहती है। सुवर्णा के इस चिन्तन के कारण दोनों का वैवाहिक संबंध बिखर जाता है। इसमे सुवर्णा और रमेश को छोड़कर श्याम, अनन्त, अरविन्द आदि पात्र भी हैं जो वर्तमान समाज में निरन्तर दिखाई पड़ने वाले हैं।

'धीर समीरे' में ब्रजयात्रा पर निकले पात्रों की कथा है। उपन्यास की प्रमुख पात्र 'सुनन्दा' है जो गुजरात के किसी स्थान पर टीचर है, जो अपने खोये हुए नन्हें किशोर को ढूँढ़ने के निमित्त इस यात्रा में आयी है। इसका पति नंदन लेखक बनने के चक्कर में उसे छोड़कर चला जाता है। इस यात्रा के दौरान सुनंदा में भी परिवर्तन आता है। वह आयी थी अपने किशोर को ढूँढ़ने लेकिन चालीस दिनों में धीरे–धीरे खुद को ढूँढ़ने लगती है। अन्य पात्रों में सत्येन्द्र, नरेन्द्र, रघु भैय्या, रमाजीजी, निर्मला, शैलजा आदि हैं। उपन्यास इनके वैयक्तिक सुखों, दुःखों का चित्रण है। इस उपन्यास में पात्रों से अधिक यात्रा ने छुआ है। उपन्यास का असली पात्र लगती है–यात्रा। नहीं तो पात्रो की परिकल्पना में तो जमनालाल पूरा बनिया है, सत्येन्द्र पूरा वकील, सुनन्दा टीचर–सी, रघु बौद्धिक जैसे। यह सब चरित्र अपनी अवधारणात्मक स्थिति से जरा भी आगे–पीछे नहीं जाते।

'पाँच आँगनों वाला घर' उपन्यास में तीन पीढ़ियों के लोग हमारे सामने आते हैं। उपन्यास के तीन भाग है। उपन्यास के प्रमुख पात्रों में जोगेश्वरी अपनी कर्मनिष्ठा, प्रबन्ध कौशल, दायित्व चेतना, ममत्व, सहारा, धैर्य, सांस्कृतिक निष्ठा की दृष्टि से भारतीय नारी का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। उनके व्यक्तित्व में गंगा की पवित्रता है। मुंशी राधेलाल कर्मठ सदाचारी, उदार, कला–प्रेमी और व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति है। मोहन ईमानदार सरकारी अधिकारी है और अवकाश प्राप्त करने पर सन्नी के साथ देश सेवा में लग जाता है। शांति देवी, नइकी चाची और ओमी पर बड़े घर के उदात्त वातावरण की स्पष्ट छाप है। सन्नी आरम्भ में कुछ निष्क्रिय और विपथ दिखाई पड़ते हैं, किन्तु सांरगी से शुरू होने वाला उनका जीवन संन्यास की सीढ़ियों से होता हुआ संघर्ष की उदात्त भूमि पर पहुँच जाता है। राजन भी संयुक्त परिवार में ही पला है। रम्मो के प्रभाव से वह परिवार से विमुख होने के लिए विवश होता है। बाँके और रम्मो के विपरीत आचरण एक औपन्यासिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। कमलाबाई पेशे से तवायफ है। कोठा चलाती है किन्तु उनकी चरित्र निष्ठा, प्रेम, त्याग और मानवीय बोध हमारे मन में उनके प्रति आदर उत्पन्न करते हैं। गोवर्धन मन वाणी और कर्म से गाँधीवादी समाजसेवी है। बंटू, बिट्टो, और छोटू, पारम्परिक मूल्यों से अलग आत्मकेन्द्रित मनोवृत्ति वाले, नई पीढ़ी के प्रतिनिधि है। ये मानवीय संबंधों को उतना महत्व नहीं देते। ''यही बहुत है कि वे मम्मी–पापा की थोड़ा बहुत इज्जत करते हैं..... तो वह शायद इसलिए कि पापा खर्च चलाते हैं और मम्मी घर चलाती है।''[6] उन्होंने 'पाँच आँगनों वाला घर' नहीं देखा है। वे परिवर्तित माहौल और भिन्न प्रकार की परवरिश के परिणाम हैं।

'फूल.....इमारतें और बन्दर' उपन्यास का केन्द्रीय पात्र गोपीकृष्ण मोहन्ती सरकारी विभाग में सीनियर अफसर है और वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनना चाहता है। अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया में कई लोग उसके करीब आते हैं। व्यापारी मोहित, नेता पृथ्वीराज, पत्रकार दीनदयाल, एक्टर अविनाश कपूर, सचिव समर सिंह जैसे कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि वे उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वे आत्मीय होने का दावा करते हैं।

मोहन्ती नेक और ईमानदार है यह सब जानते हैं पर फिर भी वे उसे घेरे रहते हैं। मोहन्ती की आत्मा बेचैन है, कई बार वह यह पद ठुकराना चाहता है। कारण कि वह विचौलियों की नियत को वह जान गया है। अपनी पैतीस साल की बेदाग सर्विस, साजिश के तहत वह लांक्षित होते देखता है। अध्यक्ष पद के लिए प्रधानमंत्री से लेकर अनेक बड़े अधिकारियों तक वह ऐसी बेचारगी से मिलता है जैसे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल अध्यक्ष बनना चाहता है। हिन्दी में सबसे पहली बार सचिवालय की कमजोरियों पर खुलेआम, निडर होकर गोविन्द मिश्र जी ने प्रहार किया है।

'कोहरे में कैद रंग' उपन्यास की पृष्ठभूमि में बुंदेलखण्डी जनमानस है। इस उपन्यास में जिंदगी के विविध रंगों की छटा बिखरी है। हर व्यक्ति का अपना अलग रंग है। कई बार हम उसके रंग को नहीं जानते, कारण कोहरे से वह ढक जाता है। उपन्यास में नायक ही प्रमुख पात्र के रूप में मौजूद दिखाई देता है। कई बार लगता है कि यह उपन्यास नहीं मिश्र जी के आत्मकथा के पन्ने है। गाँव की प्राथमिक पाठशाला के एक मात्र शिक्षक थे नायक के पिता, जिनकी पूरी जिंदगी दो धोती, एक लाल गमछा, दो कुर्ते, आटा–दाल की कुछ पोटलियाँ और कुछ डिब्बों में सिमटी थी। नायक ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। रामेश्वर, नाना, मुल्लू मामा, चट्टो बाबू, रघुवर दयाल दीक्षित अनेक पुरुष पात्रों के चरित्र अधखुले ही रह जाते है। पुरुष पात्रों की तुलना में यहाँ स्त्री पात्रों की संख्या अधिक है। स्त्री चरित्रों में नानी, सविता, सावित्री, सरस्वती, माँ, टूटू मौसी, रेवा ध्यान खींचती है। नानी का चरित्र अपने आप में अलग है। कद की तीन फुट दुबली–पतली सींक सी, ऊपर से गरीब है। तिस पर गजब की स्वाभिमानी। सरस्वती जो बचपन से लेकर यौवन तक प्रेम में प्रगल्भ थी, विवाह के बाद पूरी तरह से विवाह को ही समर्पित हो जाने की साधना में जीवन होम कर देती है। रेवा को एक केस–हिस्ट्री बनाकर पेश किया गया है। वह पारम्परिक विवाह प्रथा की क्रूरता का शिकार हुई थी। सविता का चरित्र भी मन को बाँधता है और सावित्री का चरित्र तो मन बींधता है। पात्र परिकल्पना की दृष्टि से यह एक उच्चकोटि का उपन्यास ठहरता है।

'धूल पौधों पर' उपन्यास नारी संघर्ष की दास्तान प्रस्तुत करने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। इस उपन्यास में मिश्र जी ने नारी को केन्द्र में रखकर दिन–प्रतिदिन होने वाली पारिवारिक कलहों का जीवंत चित्रण किया है। उपन्यास की नायिका विश्वविद्यालय में एम0फिल0 की छात्रा है जो विवाहित है। प्रो0 प्रेमप्रकाश को व्याख्यान के लिए निमंत्रण देने आयी छात्रा की सुन्दर देह और आँखों ने उसका ध्यान खींचा और वे उसकी ओर खिंचते चले जाते हैं। नायिका का विवाह ऐसे व्यक्ति से कर दिया गया था जो उसकी बराबरी में कहीं नहीं ठहरता था। वह उस कुरूप पुरुष को न मानसिक स्तर और न ही शारीरिक स्तर पर अपना पति स्वीकारती है। परिवार में वह दबाई और पति के अधिकारों तले दब्बू बनाकर रखी जाती है जिससे उसके अहम् को चोट पहुँचती है। 'धूल पौधों पर' की नायिका इक्कीसवीं सदी की नायिका है। वह पति से प्रतिवाद करती है– ''क्यों, क्या मैं अपनी मर्जी की किसी जगह नहीं जा सकती'' ''पर तुझे बताना होगा'' ''क्यों?'' ''मैं तेरा पति हूँ।'' ''पति..... या मालिक! मैं जायदाद हूँ और आप इस जायदाद पर मिल्कियत का रोब जमाने वाले..... वह भी पति की एक भी जिम्मेदारी न निभाकर.....।''[7] अन्य पात्रों में प्रो0 प्रेम प्रकाश समाजशास्त्री हैं जो किताबों के आधार पर ही समाज और संबंधों की व्याख्याएँ करता है। वह किताबों के बाहर सीधे जीवन से निर्देश लेता है, अपने और युवा स्त्री के बीच एक नया ही सम्बन्ध गढ़ता है– जो भले ही समाज में मान्य न हो पर वह एक जीवन को नष्ट होने से बचाता है। नायिका के जीवन में प्रेमप्रकाश क्या हैं? का उत्तर उपन्यासकार ने इस प्रकार दिया है– ''जीवन ने मुझे तुम्हारा जो बना दिया है, मैं वही हूँ। माँ हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ..... जो–जो तुमसे छिनता चला गया, जो तुम्हे मिला नहीं– प्रेम भी, वह सब मैं हूँ। मैं तुम्हारा मायका हूँ– जो तुम्हें नसीब नहीं हुआ। ऐसी जगह जहाँ लड़की तकलीफ के समय पहुँच जाती है।..... .....इसलिए उठो, संभलों और चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।''[8] नायिका के पति और निशा नामक एक लड़की का चक्कर चलने लगता है। दफ्तर न जाने से वह निलंबित हो जाता है। यह उपन्यास पुरुष की विकृत मानसिकता का चित्रण करता है। नारी जाति के लिए परम्परागत पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता और उसके दोहरे चरित्र को दर्शाने के लिए यह उपन्यास प्रकाश की एक किरण ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा सूर्य है।

'अरण्य–तंत्र' उपन्यास एक सरकारी क्लब के इर्द–गिर्द घूमता है। यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें प्रथम बार मानवीय पात्र अपनी पशुवत प्रवृत्तियों से

रेखांकित किए गए। सामान्य गधे के अलावा इस जंगल में दुर्लभ बारहसिंगा, हाथी–एक चिंघाडू एक शान्त, चिंपाजी, लम्बे छरहरे कुलांचे भरते युवा हिरने और एक सेवानिवृत्ति के करीब उनका बुजुर्ग भी, काले भैंसे, एक ऊँट भी है, वह चरता भी है और अपने कारनामे का बखान भी करता है– 'छिपाना क्या..............सारा देश इसी काम में लगा हुआ है, कहा भी है–'चरैवेति'। पेशे से वह इंजीनियर है। जानवर भले रेगिस्तान का हो, पर हिन्दुस्तान की हर बस्ती में दिख जाता है। कुछ बतौर अपवाद स्वरूप ईमानदार भी हैं। एक चीफ इंजीनियर स्तर का गैंडा, वन विभाग का जिर्राफ जैसे या उसी विभाग का ज्ञानी नीलगाय। प्रशासनिक सेवा का एक घायल तेंदुआ भी हैं, जो टेनिस ऐसे खेलता है जैसे लाठी भांजे। बंदर, चालू सियार, खच्चर शिक्षक, केन्द्रीय सरकार का भालू, सब इस जंगल में विद्यमान हैं। लेखक ने विधिवत अरण्यतंत्र उपन्यास में हर प्रमुख पात्र का चरित्र विस्तार से जीवंत किया है। उनकी उछल–कूद, क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, सियासी संरक्षण को बखूबी उकेरा है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गोविन्द मिश्र अपने उपन्यासों में पात्रों के माध्यम से महानगरीय परिवेशों और भारत के पिछड़े इलाकों, गाँवों आदि का चित्रण किया है। उनके लगभग सभी उपन्यासों में कुछ ऐसे विशिष्ट जीवन्त पात्र हैं जो ईमानदार और चरित्रवान हैं। संक्षेप में मिश्र जी के पात्र समाज के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। अतः सम्पूर्ण सामाजिक यथार्थ के चित्र को प्रस्तुत करने में उनकी पात्र परिकल्पना अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि की ठहरती है।

lUnHkZ %&

1. डॉ0 चन्द्रकान्त वांदिवडेकर–गोविन्द मिश्र का औपन्यासिक संसार, पृ0–20
2. डॉ0 चन्द्रकान्त वांदिवडेकर–गोविन्द मिश्र का औपन्यासिक संसार, पृ0–31
3. डॉ0 राजमल बोरा–गोविन्द मिश्रः सृजन के आयाम, पृ0–132
4. राजकुमार गौतम–गोविन्द मिश्र :सृजन के आयाम, पृ0 –146
5. गोविन्द मिश्र– तुम्हारी रोशनी में, पृ0–21
6. गोविन्द मिश्र– पाँच आँगनों वाला घर, पृ0–185
7. गोविन्द मिश्र– धूल पौधों पर, पृ0–102
8. गोविन्द मिश्र– धूल पौधों पर, पृ0–156

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S. & Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

vfyjktiqj ftys dk vkS|kfxd fodkl esa lw{e ,oa y?kq m|ksxksa dh Hkwfedk

fdj.k pkS/kjh, शोधार्थी अर्थशास्त्र, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
Mkö deyk xqIrk, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र भोपाल, हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल।

lkjka'k& अलिराजपुर जिला मध्यप्रदेश का प्रमुख जिला है जो कि मालवा क्षेत्र का हिस्सा है। कुछ सालों पहले यह जिला झाबुआ जिले से पृथक एक जिला बनाया गया है। अलिराजपुर जिला प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण होने पर भी आज भी औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्यप्रदेश के जिलों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से अलिराजपुर जिले में व्याप्त औद्योगिक विकास में सहायक महत्वपुर्ण प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाना है, तथा औद्योगिक विकास में बाधक समस्याओं को ज्ञात किया जाना है। इससे यह लाभ होगा कि उन समस्याओं का दूर कर अलिराजपुर जिले के औद्योगिक विकास को बढ़ाया जा सकता है।

izLrkouk& वर्तमान युग का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण विषय है, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से किसी भी स्थान विशेष का तीव्र आर्थिक विकास किया जा सकता है। भारत देश ने भी औद्योगिक विकास भी ओर अपने कदम बढ़ाने की शुरूआत बहुत पहले ही कर दी थी। जिसके फलस्वरूप भारत देश के बहुत से राज्यों ने अपना अधिक विकास किया है। भारत देश के मध्यप्रदेश राज्य के भी अधिकत्तर जिले ऐसे है जहां पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है परन्तु कुछ जिले अभी भी ऐसे है जहां औद्योगिक विकास के लिए समस्याएं विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उन संभावनाओं को पहचान कर उस जिले विशेष को औद्योगिक विकास में उनका उपयोग किया जाये। मध्यप्रदेश राज्य का अलिराजपुर जिला भी एक ऐसा जिला है जहां पर्याप्त औद्योगिक विकास नही हो पाया है।

mís';&

- मध्यप्रदेश के अलिराजपुर जिले के औद्योगिक विकास की स्थिति को ज्ञात करना।
- अलिराजपुर जिले में स्थापित उद्योगों में पुंजी निवेश एवं रोजगार की स्थिति को ज्ञात करना।
- अलिराजपुर जिले के औद्योगिक विकास में बाधक समस्याओं को ज्ञात करना।

vfyjktiqj ftys dk ifjp;& मध्यप्रदेश राज्य का एक प्रमुख जिला अलिराजपुर है जिसकी स्थापना 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से पृथक होने के बाद हुई। अलिराजपुर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2165.24 वर्ग किमी हैं। इस जिले की सीमाओं में शामिल राज्यों में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य प्रमुख रूप से अति है जो कि इसके पड़ोसी राज्य है इस जिले की अधिकांश जनसंख्या आदिवासी है। अलिराजपुर जिला प्रशासनिक मुख्यालय के रू' में कार्य करता है। इस जिले की कुल जनसंख्या 7.29 लाख (2010 की जनगणनाओं है) अलिराजपुर जिले की भौगोलिक स्थलाकृति पहाड़ी रूप में है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य से कृषि पर निर्भर करती है। यहां की कृषि में विशेष प्रकार के आम शामिल है जिसका नाम नूरजहां है। मध्यप्रदेश राज्य का अलिराजपुर जिला मालवा क्षेत्र का हिस्सा है अतः यहां पर मोरम, स्टोन गिट्टी और रेत बहुतायत में पाये जाते है, इस जिले वनों से प्राप्त उत्पादों में साल, बांस, नीम, आँवला महुआँ आदि पाये जाते है।

rkfydk Øekad&1

lw{e m|kx dh fLFkfr 2010&11 ls 2014&15 rd

Ok"kZ	LFkkfir m|kxks dh la[;k	izfr'kr	iwath fuos'k ¼yk[k #i;s esa½	izfr'kr	jkstxkj izkIr O;fDr;ksa dh la[;k	izfr'kr
2010–11	04	11.11	13	8.13	14	9.52
2011–12	01	2.77	1	0.63	02	1.36
2012–13	02	5.55	25	15.63	16	10.88
2013–14	04	11.11	28	17.5	31	21.09
2014–15	25	69	93	58.13	84	57.14
dqy	36		160		147	

fo'ys"k.kkRed v/;;u&

उपरोक्त तालिका क्रमांक–1 का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 2010–11 से लेकर 2014–15 तक के वर्षों में कुल 36 सूक्ष्म उद्योग मध्यप्रदेश के अलिराजपुर जिले में स्थापित हुए है। जिनमें कुल 160 लाख रुपये का पूंजी निवेश हुआ है इन स्थापित हुए 36 सूक्ष्म उद्योगों में कुल 147 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में अर्थात् 2010–11 में 04 सूक्ष्म उद्योग स्थापित है परन्तु उसके बाद के वर्ष में कुछ कम हुए है फिर धीरे–धीरे बढ़ना प्रारंभ होकर वर्ष 2014–15 में कुल 25 सूक्ष्म उद्योग अलिराजपुर जिले में स्थापित हुए है। इससे यह ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश सरकार की उद्योग संवर्द्धन नीतियों का उद्योगों का विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा हैं।

rkfydk Øekad&2

y?kq m|kx dh fLFkfr 2010&11 ls 2014&15 rd

Ok"kZ	LFkkfir y?kq m|kxks dh la[;k	izfr'kr	iwath fuos'k	izfr'kr	jkstxkj izkIr O;fDr;ksa dh la[;k	izfr'kr
2010–11	–	–	–	–	–	–
2011–12	01	14.29	100	22.57	30	16.95
2012–13	02	28.57	200	45.15	37	20.90
2013–14	02	28.57	115	25.96	57	32.20
2014–15	02	28.57	28	6.32	53	29.94
dqy	07		443		177	

L=ksr& m|kx foHkkx] foU/;kpu Hkou Hkksiky ¼e-iz-½

तालिका क्रमांक–2 के अध्ययन से स्पष्ट हो रहा है, कि मध्यप्रदेश राज्य के अलिराजपुर जिले में वर्ष 2010–11 से लेकर 2014–15 तक केवल 07 लघु उद्योग ही स्थापित हो पाये है। इन लघु उद्योगो में 443 लाख रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। तथा 177 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। तालिका को देखने से स्पष्ट हो रहा है, कि अलिराजपुर जिले में अभी भी बहुत कम औद्योगिक विकास हुआ है तभी तो इन 5 वर्षों में केवल 07 लघु उद्योग ही स्थापित हो पाये हैं।

leL;k,¡& मध्यप्रदेश के अलिराजपुर जिले में औद्योगिक विकास में आने वाली समस्याएं निम्नलिखित है–

- i¡th dk vHkko& अलिराजपुर जिले के औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्या पुंजी का अभाव होना है क्योकि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है।
- vk/kkjHkwr lajpuk dk vHkko& मध्यप्रदेश के आलिराजपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में आने वाली समस्याओं में आधारभूत संरचना का अभाव भी एक प्रमुख समस्याएं है क्योंकि उद्योगों में कार्य करने वाले श्रामिकों से लेकर तैयार माल को बाजार तक लाने ले जाने के लिए भी अच्छी आधारभुत संरचना का होना बहुत आवश्यक है।
- lLrs o dq'ky Jfedksa dk vHkko& मध्यप्रदेश अलिराजपुर जिले मे उद्योगो के लिए सस्ते व कुशल श्रमिकों का अभाव होना भी अतिराजकर जिले के औद्योगिक विकास की एक प्रमुख समस्या है।
- e/;izns'k ljdkj dh vkS|ksfxd uhfr& मध्यप्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति का भी अलिराजपुर जिले के औद्योगिक विकास पर अनुकुल प्रभाव नही पड़ रहा है क्योकि सरकार उद्योग संवर्द्धन नीति के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए विभिन्न रियायतें एवं घूर निपेशकों को प्रदान करती है। परन्तु यह रियायतें एवं छूट देने के लिए सर्वप्रथम जिलों को श्रेणियों में बांट दिया जाता है। जिसमें कुछ जिलें पिछड़ी हुई श्रेणी में आते हैं।

fu"d"kZ& निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया तो प्रारम्भ हो चुकी है। परन्तु फिर भी अभी तक कुछ जिले इस विकास की प्रक्रिया से अछुते रह गये है। ऐसा नही है कि वहां उद्योगों की स्थापना बिल्कुल नहीं हुई हैं। बात केवल इतनी है कि अन्य जिलों की तुलना में वे जिले बहुत पिछड़े हुए है। उन्ही में से एक जिला अलिराजपुर है जो झाबुआ से अलग कर बनाया गया है। उस जिले में खनिज संसाधनों के साथ कई प्राकृतिक संसाधन भी है जिनको प्रयोग कर विभिन्न उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलो में उद्योगों की स्थापना हो सके इसके लिए सभी जिलों को समान रूप से रियायतें एवं छूट ही जानी चाहिए। तभी समस्त जिलों का एक समान औद्योगिक विकास हो सकेगा।

LkUnHkZ xzUFk lwph&

1. उद्योग विभाग, विन्ध्याचन भवन भोपाल (मध्यप्रदेश)। 2. इन्टरनेट

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

Hkkjrh; 'kkL=h; lxhr dk lLFkkxr f'k{k.k dh leL;k;sa

Lkt ; nc
शोध छात्र -रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

milgkj % आजकल संगीत शिक्षण स्कूल व कॉलेज शिक्षण का विषय बन चुका है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में संगीत अन्य विषयों के समान स्वीकार कर लिया गया है । आधुनिक युग की यह एक अच्छी पहल है । पर संस्थागत शिक्षण में जहाँ कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी हैं । संगीत की शिक्षा से ही नहीं वरन् सभी विषयों में संस्थागत शिक्षण के तीन मुख्य अंग होते हैं ।

(1) विद्यार्थी (2) शिक्षक (3) शिक्षा पद्धति

संगीत शिक्षा में भी यही तीन बिन्दु रहते हैं इसके साथ दो बिन्दु और भी हैं जो ध्यान देने योग्य हैं – परीक्षा पद्धति एवं प्रशासक वर्ग उक्त पांचों बिन्दुओं में कहीं गड़बड़ी होने पर पूरे सिस्टम में दोष उत्पन्न हो जाता है । अतः प्रस्तुत लेख में पहले समस्यायें रखी जायेंगी फिर उनके लिये कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे ।

वैदिक युग में एवं प्राचीन ऐतिहासिक काल में संगीत गुरु मुख से सीखने वाली विद्या थी, उस समय में संगीत सीखने वाला विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर या गुरु के सानिध्य में पूर्ण समर्पित होकर संगीत कला सीखता था । दूसरा गुरु भी सभी विद्यार्थी को नहीं लेते जो जिस कला में प्रवीण होता था उसे उसी क्षेत्र में निपुण बनाते थे । जैसे यदि कोई विद्यार्थी सुर ताल का आरंभिक ज्ञान सहज ही रखता हो तो वह यह प्रयास करते थे कि ऐसे शिष्य को संगीत की पूर्ण व अच्छी शिक्षा दी जाये जिससे वह विषय विशेषज्ञ बनकर विषय की व अपने गुरु की कीर्ति दूर–दूर तक फैलाये और खुद का उत्थान करे साथ ही समाज को भी कुछ दे ।

संगीत शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ–साथ शिक्षण की समस्यायें भी बढ़ती जा रही हैं इसके अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं – संगीत शिक्षा का केन्द्र गुरु के घर से विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित होना, निष्प्रयोजन शिक्षा, छुट्टियों की अधिकता, शिक्षकों में योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा व परिश्रम की कमी छात्रों में लगन और श्रम का अभाव सबके लिये एक ही प्रकार की संगीत शिक्षा, पाठ्य पुस्तकों का व अन्य आवश्यक सामग्री का अभाव, अपूर्ण व दोषयुक्त परीक्षा प्रणाणी, शिक्षण स्थलों, विद्यालयों का वातावरण, परम्पराओं का मोह आदि ।

संगीत शिक्षण के लिये आवश्यक है कि योग्य पक्ष को अधिकारी व्यक्ति द्वारा उचित रीति से शिक्षा दी जाये । योग्य पक्ष अर्थात् जिसे संगीत शिक्षा देनी हो उसमें संगीत सीखने की योग्यता यानि स्वर ताल के संस्कार हों । अधिकारी व्यक्ति से तात्पर्य है शिक्षक में संगीत संबंधी आवश्यक ज्ञान और अभ्यास तथा सिखाने की योग्यता हो ।

उचित रीति से अर्थ है कि अच्छी शिक्षा पद्धति इन तीनों में कहीं कोई कमी होती है तभी समस्यायें उत्पन्न होती हैं । आजकल पहली बात तो यह देखने मिलती है कि छात्र विषय समूह का चयन तो कर लेते हैं जिसमें संगीत विषय रहता है पर संगीत का अर्थ दूर–दूर तक नहीं जानने या जानते हैं तो वह भी सामान्य गाने बजाने से । विषय की गहराई की तरफ उनकी समझ ही नहीं रहती ऐसे विद्यार्थी संगीत के लिये बोझ बन जाते हैं । शिक्षण पद्धति की समस्याओं पर विचार करें तो पहले गुरुकुल पद्धति थी, संगीत की शिक्षा का केन्द्र गुरु के घर से विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरित होना मूल समस्या की जड़ है । गुरु शिष्य परम्परा में ऐसे चुने हुये व्यक्ति ही संगीत सीखते थे जिनमें संगीत की प्रतिभा, योग्यता और संगीत के प्रति आकर्षण होता था । उनके सामने कलाकार बनने का लक्ष्य होता था, उसे प्राप्त करने के लिये गुरु पर श्रद्धा रखकर वे परिश्रम और साधना करते थे । दिन रात साथ रहने से संगीत के संस्कार पुष्ट होते थे, हर समय संगीतमय वातावरण रहता था । सीखने, सुनने और अभ्यास करने का पर्याप्त अवकाश तथा मार्गदर्शन प्राप्त होता था । गुरु भी सिद्ध कलाकार होते थे । छात्र को अपनी कला मुक्त हृदय से देते थे और उनके रहन–सहन खान–पान अभ्यास आदि का पूरा ध्यान देते थे । इस कारण दोनों ओर से किये जाने वाले परिश्रम के अनुपात में परिणाम कहीं अधिक प्राप्त होता था । इस पद्धति में न परीक्षा प्रणाली थी न उपाधियाँ न विशेष साधन और सुविधायें न आज की तरह शिक्षित स्टाफ, कम खर्चीला और फिर भी ज्यादा

प्रभावशाली जिसमें शिष्य कलाकार बनकर निकलता था। आज की शिक्षा प्रणाली अत्यधिक खर्चीली है सारे साधन सुविधाओं से लैस है फिर भी कलाकार तैयार नहीं होते । यहाँ तक कि छात्रों की संख्या के अनुपात में अच्छे शिक्षक भी तैयार नहीं कर पाती । कारण यह है कि स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में भी सभी विद्यार्थी संगीत सीख सकते हैं उनमें से अनेकों में प्रतिभा नहीं होती । अधिकांश में संगीत के आवश्यक संस्कार तक नहीं होते, न रूचि होती है और सामान्य बौद्धिक स्तर भी नहीं होता है । संगीत सीखने का कोई लक्ष्य भी नहीं होता वे यह विषय इसलिये ले लेते हैं कि या तो अन्य विषय में प्रवेश नहीं मिल पाता या यह सोचते हैं कि इसे कम पढ़ना पड़ता है और फिर भी पास हो जाते हैं । इसलिये वे न परिश्रम करते और न कुछ सीख पाते हैं । जो विद्यार्थी अच्छे गाने वाले व सीखने वाले होते हैं उन्हीं के साथ ये भी सीखते हैं तो होशियार विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है ।

संगीत सीखने की शुरूआत ही स्वर साधना से होती है पर स रे ग म प ध नी अलंकार का नीरस अभ्यास कराया जाता है जिससे विद्यार्थियों को अरूचि हो जाती है। स्कूल स्तर पर 10–12 राग करा दिये जाते हैं पर वह भी न ठीक से गाते बनते हैं न ही ताल का ही पक्का ज्ञान होता है फिर ऐसे विद्यार्थी 12वीं पास कर कालेज में बी.ए. में प्रवेश ले लेते हैं वहाँ भी दया, धरम पर ये पास हो जाते हैं और वे एम.ए. तक में प्रवेश लेकर मास्टर ऑफ म्यूजिक बन जाते हैं ।

बी.ए., एम.ए. की कक्षाओं में महाविद्यालय स्तर पर छुट्टियाँ मिलती हैं और पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है तथा जैसे तैसे सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना ही उद्देश्य रह जाता है । अभ्यास का तो समय ही नहीं मिलता । एम.ए. म्यूजिक पास विद्यार्थी स्वतंत्र गायन प्रस्तुत नहीं कर पाता अब ऐसा विद्यार्थी शिक्षण कार्य करेगा तो संगीत शिक्षण में कहाँ तक गुणवत्ता रहेगी ।

कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में प्रवेश कोटा को पूरा करने के चक्कर में अपात्र विद्यार्थी भी प्रवेश ले लेते हैं और फिर उन विद्यार्थी का स्तर काफी कम होता है । प्रबंधन या विभाग ने प्रवेश इसलिए दे दिया कि संख्या नहीं बढ़ रही है । ऐसे में विषय की कोई महत्ता नहीं रह जाती तथा संगीत जैसी महान कला की उपेक्षा लगती है।

संगीत की लक्ष्यहीन शिक्षा भी एक बड़ी समस्या है । वर्तमान में न ही शिक्षक येजानते हैं कि विद्यार्थी को किस लक्ष्य को पाना है न ही विद्यार्थी स्वयं जानता है कि उसका लक्ष्य क्या है? कलाकार बनना है, संगीत शिक्षक बनना है, वाग्येकार बनना है, आलोचक बनना है, संगीत के क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं यह उद्देश्य साफ होना चाहिये । ज्यादातर विद्यार्थी बस यही चाहते हैं कि आज संगीत सीखकर मंच प्रदर्शन करने लग जायें, आकाशवाणी में गाने लग जायें और अच्छा पैसा कमाने लग जायें परन्तु थोड़ा बहुत संगीत सीखकर यह सब करना संभव नहीं । संगीत में साधना की जरूरत है, आपको वर्षों तपस्या करके ख्याति व संगीत ज्ञान प्राप्त होता है । यह इतना सहज नहीं है जितना आजकल की पीढ़ी समझती है ।

संगीत के संस्कार बनाने और समझदारी पैदा करने के लिये संगीत शिक्षा की कोई व्यवस्था हमारे देश में अभी तक नहीं हुई है, जिस प्रकार मनुष्य के बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सामान्य शिक्षा आवश्यक है उसी प्रकार संगीत के प्रति समझदारी पैदा करने के लिये भी संगीत की सामान्य शिक्षा का महत्व है । पश्चिमी देशों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है । हमारे यहाँ प्रौढ़ों या उच्च स्तर के विद्यार्थियों में संगीत के प्रति समझदारी पैदा करने के लिये सुनियोजित व्यवस्था नहीं है। न तो बच्चों में संगीत के प्रति रूचि पैदा करने का कोई ध्यान रखा जाता है और न बाल मनोविज्ञान के आधार पर संगीत की सामान्य प्रारंभिक शिक्षा का कोई आदर्श क्रम सामने होता है । कहने का अर्थ यह कि संगीत के प्रति समझ पैदा करने के लिये एकवर्षीय या द्विवर्षीय छोटे–छोटे पाठ्यक्रम संचालित करना चाहिये जिससे बच्चे व बूढ़े सभी लाभान्वित हो सकें । भले ही यह पाठ्यक्रम करने वाले आगे संगीत शिक्षा ग्रहण न करें परन्तु यदि जो संगीत की शिक्षा लेना चाहेंगे तो उन्हें सहूलियत हो जायेगी जब रागदारी की कठिन शिक्षा उनके सामने आयेगी तो उन्हें यह समझ में आयेगी, रूचिकर लगेगी । आजकल सीधे राग या संगीत की सारहीन शिक्षा देने से, सिखाने से लोगों में संगीत के प्रति अरूचि हो जाती है ।

संगीत लेखन में अभी जो पद्धतियाँ चल रही हैं, वे विष्णु दिगम्बर पद्धति या विष्णु नारायण भातखण्डे पद्धति है । दोनों पद्धतियों के पक्षधर हैं । अपनी अपनी पद्धति को सही मान रहे हैं लेकिन मेरा कहना है कि पद्धतियों से चिपक कर नहीं रहना चाहिये । कोई नई या वैज्ञानिक और सरल व विद्यार्थियों के

समझ वाली कोई और नई पद्धति खोज ली गई है तो उसे भी सहर्ष अपनाना चाहिये । रूढ़िवादी नहीं रहना चाहिये जैसे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की नई संगीत लेखन पद्धति एक अनुकरणीय पहल है।

प्रायः पाठ्यक्रम इस प्रकार के बने हैं कि जिनमें पुस्तकों की आवश्यकता अनिवार्य है । लेकिन पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं, यहाँ तक कि ऐसे ग्रंथ अध्ययन के लिये रख दिये जाते हैं जो स्वयं शिक्षक को ही उपलब्ध नहीं होते उस स्थिति में छात्र तो अध्ययन कर ही नहीं सकते । शिक्षकों के लिये भी अध्यापन कठिन हो जाता है। जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें से अधिकांश में या तो अधूरी, गलत व अप्रमाणिक सामग्री है या वे छात्रों के स्तर की न होकर विद्वानों के स्तर की हैं । परिणाम यह होता है कि छात्र परिश्रम न करके कुजियों और स्तरहीन पुस्तकों की सहायता लेते हैं और छात्र भी सही जानकारी से वंचित रह जाते हैं ।

एम.ए. तक की शिक्षा के बाद संगीत विषय में शोध कार्य भी आजकल हो रहे हैं लेकिन अधिकांश थीसिसों में न नवीन निर्वचन होता है न स्पष्टीकरण, केवल सामग्री का संकलन होता है । वास्तव में यह शोध कार्य नहीं है । दुर्भाग्य से प्रवक्ता को नये वेतनमान देने के लिये पी.एच–डी की उपाधि का जो नया नियम बनाया गया है वह भी इस स्तर के शोध कार्य को बढ़ावा देता है । हर व्यक्ति में शोध करने की क्षमता नहीं होती है । संगीत में शोध के लिये केवल गाना बजाना ही शोध के लिये पर्याप्त नहीं है बल्कि उसमें गंभीर स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ होकर सोचने की विचार शक्ति अभिव्यक्ति क्षमता सामान्य समझदारी व्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो होना ही चाहिये साथ ही संस्कृत और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान शास्त्रीय शब्दावली से परिचय दर्शन साहित्य और इतिहास का ज्ञान भी होना चाहिये ।

छात्रों के सामने संगीत शिक्षा का लक्ष्य न होने के कारण वे यह निश्चय नहीं करते या नहीं कर पाते कि उन्हें संगीत के किस क्षेत्र की शिक्षा लेनी है । बी.ए. के पाठ्यक्रम तक संगीत के अतिरिक्त और भी अनेक विषयों का अध्ययन करना पड़ता है । अधिकांश छात्रों में अध्ययन के प्रति रूचि नहीं होती और परिश्रम भी नहीं करना चाहते लेकिन बहाना यह रहता है कि दूसरे विषय भी पढ़ने होते हैं इसलिये ज्यादा अभ्यास नहीं कर पाये । दूसरी ओर शिक्षकों को यह शिकायत रहती है कि छात्र अपेक्षित अभ्यास और अध्ययन नहीं करते । छात्रों की कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य न होने पर समस्या और गंभीर हो जाती है क्योंकि नियमित रूप से सीखे बिना न तो संगीत का क्रियात्मक पक्ष सीखना संभव होता है न ही शास्त्र पक्ष में ही पारंगत हो पाते हैं । ऐसी स्थिति में शिक्षक के लिये दोहरी समस्या पैदा हो जाती है । छात्रों को रागों का अथवा शास्त्रीय विषयों का अच्छा अभ्यास और ज्ञान तो कराया ही नहीं जा सकता । पाठ्यक्रम फिर भी पूरा कराना पड़ता है इस प्रकार नींव भी कच्ची रह जाती है और ऊपर की बिल्डिंग भी कमजोर रहती है ।

अक्सर देखा गया है कि योग्य शिक्षक प्राप्त नही होते अथवा प्राप्त होने पर भी निजी स्वार्थों और वैमनस्य के कारण उनकी नियुक्ति नहीं होती है जहाँ योग्य शिक्षक हैं वहाँ अध्यापन के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधायें नहीं होती है ऐसी स्थिति में योग्य व निष्ठावान शिक्षक निराश होकर रह जाते हैं ।

छात्र, शिक्षक व शिक्षा पद्धति के त्रिकोण में एक घटक प्रबंधन भी है जो मुख्य भूमिका रखता है । प्रबंधन नये–नये नियम कानून बनाकर शिक्षकों पर थोप देता है या किसी विद्यार्थी का पक्षधर हो जाता है या किसी विद्यार्थी से वैमनस्यता रखता है । इस प्रकार प्रबंधन मैनेजमेन्ट दोनों को प्रभावित करता है । छात्रों को भी व शिक्षकों को भी। प्रबंधन की एक जरा सी भी गलती दोनों के लिये नुकसानदायक बन जाती है । पर आजकल यह भी हो रहा है कि मैनेजमेन्ट अपने लाभ के लिये किसी भी स्तर तक जा रहे हैं । इससे संस्था का स्तर भी गिर जाता है । मैंने स्वयं देखा है कि संगीत की शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन ऐसे व्यक्ति के हाथों में होता है जिसे संगीत की विशेषतायें, शिक्षण कार्य, अभ्यास व समस्याओं से दूर–दूर तक नाता नहीं होता है । अब ऐसा प्रबंधन क्या संस्था को ऊँचाईयों पर ले जायेगा ।

एक समस्या और आती है परीक्षा प्रणाली की । परीक्षा से विद्यार्थी का मूल्यांकन तो करना है और मूल्यांकन ऐसा होना चाहिये कि उसने पूरे वर्ष में क्या प्रगति की परन्तु ऐसा नहीं होता है । ऐसे परीक्षक नियुक्त कर दिये जाते हैं जिन्हें न तो क्रियात्मक पक्ष का ज्ञान होता है न ही शास्त्र का ऐसे परीक्षक प्रबंधन से कहीं अपनी उचित व्यवस्था बनाकर परीक्षक बन जाते हैं । ऐसे में परीक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान लग जाता है । छात्रों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है अच्छे छात्र जो गाने व शास्त्र दोनों में निपुण हैं पीछे रह जाते हैं और निम्न स्तर के छात्र अब्बल नम्बर ले आते हैं इससे अच्छे छात्र हतोत्साहित हो जाते हैं ।

संगीत शिक्षण की समस्यायें जो बहुत हैं पर मैं अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहूँगा ।

संगीत के लिये क्लास रूम पद्धति अनुपयुक्त है जहाँ तक शिक्षण पद्धति का संबंध है किसी न किसी रूप में गुरू शिष्य परम्परा को अपनाना होगा ।

परम्पराओं और पद्धतियों का मोह त्याग कर निष्पक्ष भाव से शिक्षा देना होगा। शिक्षा में सरल वैज्ञानिक व छात्र हित यह गुण शामिल होना चाहिये ऐसे गुणों को रखने वाली शिक्षा पद्धति होना चाहिए ।

संगीत शिक्षा लेने वाले छात्र की योग्यता, रूचि, संगीत के ज्ञान का पहले अच्छे से परीक्षण होना चाहिए ताकि यह जान सकें कि छात्र को किस तरह से संगीत शिक्षा दी जाये यदि स्वर संस्कार नहीं हैं तो संगीत की शिक्षा न दें।

शिक्षा का क्रम भी होना चाहिये जैसे– प्रायमरी या छोटे बच्चों को बाल गीत कवितायें गाकर संगीत की शिक्षा दें उनके स्वर ज्ञान व ताल ज्ञान दें । माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक में राग के सुर व रागदारी की अल्प शिक्षा देना चाहिये । उसके बाद कालेज स्तर पर शास्त्री रागों को वृहद् व क्षेत्र विशेष (ठुमरी दादरा ख्याल) आदि की शिक्षा देना चाहिये ।

पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिये । अच्छी प्रमाणिक व सरल भाषा की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिये । पाठ्यक्रमों के अनुरूप अच्छी किताबों का संग्रह संस्था में उपलब्ध होना चाहिए ।

मूल्यांकन का आधार भी वर्ष भर में सीखा गया ज्ञान होना चाहिये कितना अभ्यास विद्यार्थी द्वारा किया जा रहा है यह परीक्षक को स्वर लगाने के ढंग से समझना चाहिये तथा विद्यार्थियों को इस बात के लिये प्रेरित करना चाहिये कि ज्यादा अभ्यास व उचित ढंग से स्वर लगाकर आप संगीत में बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं । परीक्षक को निष्पक्ष होना चाहिये ।

पढ़ाने वाले शिक्षकों का रवैया हमेशा सहयोगात्मक होना चाहिये एवं शिक्षकों के नया ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिये ।

शिक्षा पूर्ण करने के बाद उचित रोजगार उपलब्ध कराने चाहिये ।

शोध की अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को दी जानी चाहिये जो शोध की योग्यता रखते हों ।

संगीत शिक्षण कराने वाले शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होना चाहिये । अच्छे–अच्छे कलाकारों के बीच उनको ट्रेनिंग दिलाना चाहिये जिससे वे भी उच्च ज्ञान को सीखकर छात्र तक पहुंचा सके ।

छात्रों व शिक्षकों के लिये शैक्षिक भ्रमण का प्रावधान होना चाहिये । वर्कशाप या कोई सेमीनार आदि में भाग लेने भी उच्च स्तर के विद्यार्थियेां को भेजना चाहिये ।

lanHkZ %

1. संगीत पत्रिका जून 1976 प्रकाशक संगीत कार्यालयहाथरस, सम्पादक लक्ष्मीनारायण गर्ग ।

2. संगीत निबंध माला 2004 लेखक जगदीश नारायण पाठक (संगीत मार्तण्ड) पाठक पब्लिकेशन ।

3. भारतीय संस्कृति शास्वत जीवन दृष्टि एवं संगीत, डॉ. रूचि गुप्ता, कनिष्क पब्लिशर्स 2006

4. आधुनिक काल में शास्त्रीय संगीत डॉ. हुकमचंद, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, 1989 रोहतक ।

5. संगीत शोध लेख अंक जनवरी–फरवरी 1995 हीरक जयंती वर्ष प्रकाशक संगीत कार्यालय, हाथरस उ.प्र.।

^^e/; izns'k ds vkS|ksfxd fodkl esa lhesaV m|ksx ds Jfed la?kksa dh Hkwfedk ¼dVuh ftys ds fo'ks"k lanHkZ esa½

Jherh Mk- cchrk oekZ

i:Lrkouk ½ किसी भी औद्योगिक संस्थाओं की समस्त गतिविधियों केन्द्र बिन्दु श्रम हैं। के बिना किसी भी औद्यौगिक संस्थाएँ को प्रारंभ करना एवं उद्योग की गतिविधियों का कुशल संचालन करना संभव नहीं हैं। लघु शोध एक निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य को लेकर किया जा रहा है। प्रस्तुत लघु शोध प्रदेश क्षेत्र के औद्योगिक विकास में सीमेंट उद्योग के श्रमिकों संघों की भूमिक (कटनी जिले के संदर्भ) विषय पर अन्वेषिका ने इससे संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक पद्धति द्वारा इस शोध प्रबंध में प्रस्तुत करने का प्रयास किया हैं। बदलते हुये औद्योगिक परिवेश के फलस्वरूप वर्तमान श्रमिक संघ के समक्ष कुछ नई समस्यायें आई हैं, इन्हीं में श्रमिक व श्रमिक संघो के संचालन से संबंधित समस्यायें औद्योगीकरण की तीव्र प्रक्रिया का प्रयुत्तर हैं।

औद्योगीकरण की प्रक्रिया सामाजिक उत्पादन प्रणाली एवं कार्यों में क्रमबद्ध एवं निरन्तर परिवर्तन से संबंधित है। इसके अन्तर्गत वे आधारभूत परिवर्तन सम्मिलित किये जाते है जो किसी उपक्रम के पंजीकरण नवीकरण, नवनिर्माण, नये बाजार की स्थापना तथा किसी अछूते क्षेत्र के विदोहन के साथ–साथ घटित होते रहते है। इस प्रकार औद्योगीकरण को पूंजी गहन एवं विस्तृत बनाने वाली प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता हैं।

v/;;u dk उद्देश्य : कार्लमार्क्स व एंजिल्स जैसे भौतिकवादी विचारक श्रमिक संघों को कान्ति के एजेन्ट के रूप में और वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में इन्हें एक दल के रूप में स्वीकार करते है। जो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। वेष ने श्रमिक संघों का उद्योग के क्षेत्र में प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के विस्तार के रूप में स्वीकार किया हैं।

''एक श्रमिक संघ एक नगरपालिका के सदृश्य है। जीसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन सुधारना है।'' जे. आई. रोपार एवं आर्थर गोल्ड ने भी कहा है– ''संघ सदस्यों का वह कर्त्तव्य हैं कि वे राजनैतिक अधिकारों के निश्चित राष्ट्रीय कार्यक्रम को आश्रय प्रदान करें तथा अपने संघ को देश के राष्ट्रीय जन संघो के सदस्य वर्गो के साथ चलने के लिये दृढ़ता से कहे।''

औद्योगिक शोध एक निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य को लेकर किया जाता है, प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि कटनी स्थित ''एसोसिऐटड सीमेंट कम्पनी में श्रमिक संघों की भूमिका क्या है,'' ''मध्य प्रदेश क्षेत्र के औद्योगिक विकास में सीमेंट उद्योग के श्रमिक संघों की भूमिका कटनी जिले के संदर्भ में वि" ाय पर एक लघुशोध प्रबंध अन्वें" ाका ने उपरोक्त औद्योगिक समस्या को ध्यान में रखकर विश्ले" ाणात्मक एवं विवरणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है, जिसके अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया हैं।''

1. एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी का प्रबंध व प्रशासन किस प्रकार का हैं।
2. वर्तमान समय में श्रमिक की जागरूकता तथा अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने के बावजूद वे वास्तव में कितनी सुविधायें पा रहें हैं।
3. अध्ययन का यह भी उद्देश्य है कि क्या श्रमिक संघ ''प्रबंधक एवं श्रमिक'' के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है एवं अपना दायित्व सही ढंग से निभा पाता है या नहीं।

midYiuk ½ प्रस्तुत शोध में मैनें निम्नलिखित उपकल्पना से संबंधित रूपरेखा का निर्माण किया हैं–

1. श्रमिक संघ केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करता है।
2. अन्य क्षेत्रों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की समस्यायें अधिक होती हैं।
3. सीमेंट उत्पादन में श्रमिक संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा वे प्रबंध में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
4. श्रमिकों का आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से शोषण किया जाता है।

l>ko% भारत में श्रम–संघों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सामान्यता निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैः–

1- **एकता की आवश्यकता** :– भारत में श्रम–आन्दोलन को सशक्त बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता श्रम–संघो में एकता की है। इस समय राष्ट्रीय स्तर के अनेक श्रम–संगठन हैं। वस्तुतः यह श्रम–संघ आन्दोलन की कमजोरी का परिचायक है। इस समय यदि श्रम संघों को सशक्त बनाना है तो राष्ट्रीय स्तर का केवल एक श्रम संगठन होना चाहिए और उद्योग स्तर पर पी.वी. गिरि के सुझाव एक उद्योग एक श्रम–संघ को स्वीकार करना चाहिए।

2- **राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता** :– सशक्त श्रम–आन्दोलन के लिए श्रमिक जाति, धर्म, भाषा, प्रान्तीयता आदि के आधार पर विभाजित नहीं होने चाहिए। श्रमिकों को शिक्षा देनी चाहिए कि अनेक विभिन्नता के बावजूद भी उनका एक वर्ग है और उसमें एकता नहीं टूटनी चाहिए।

lnL;rk dk foLrkj %& श्रम–संघो की शक्ति उनकी सदस्यता पर निर्भर होती है। इसलिए श्रमिक नेताओं का प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक श्रमिक श्रम–संघ का सदस्य बने। प्रायः जिस श्रमिक की स्थिति अच्छी होती है और जिसे अपने मालिक से सामान्य रूप से कोई शिकायत नहीं होती, वह अपने वर्ग हित को न समझकर श्रम–संघ कर सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं होता। इसी प्रकार काफी संख्या में श्रमिक केवल उदासीनता के कारण श्रम–संघों के सदस्य नहीं बनते। इसलिए श्रमिकों में वर्ग चेतना पैदा की जानी चाहिए। इस प्रकार श्रम–संघों की सदस्ता बढ़ा सकना सम्भव होगा।

vkfFkd fLFkfr e lq/kkj %& अधिकांश भारतीय श्रम–संघों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सदस्यता कम होने के कारण आर्थिक साधन भी थोड़े होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त श्रम–संघों के सदस्य भी नियमित रूप से चन्दा नहीं देते। इस स्थिति में सुधार आवश्यक है। जिन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनमें वर्ग चेतना जाग्रत कर उन्हें यह समझाया जाना चाहिए कि श्रम संघ को दिया जाने वाला चन्दा किसी भी अन्य व्यय से कम आवश्यक नहीं हैं।

leL;k % किसी भी औद्योगिक संस्थान में दो चार श्रमिकों के द्वारा कार्य को पूरा करना असंभव है। संस्थान में कार्य एवं उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो चार श्रमिकों नहीं बल्कि बहुलता की आवश्यकता होती है। श्रमिकों की बहुलता के कारण ही संस्थान ने कार्यो के मूर्त रूप दिया जा सकता है। अतः संस्थान में श्रम सघों की बहुलता के कारण अनेक समस्याए उत्पन्न होती है जिन्हें सेवायोजक, नियोक्ता या सरकार को सुलझाना पड़ता है। श्रमिकों की बहुलता में यह आवश्यक है कि उनके बीच कोई एक श्रमिक, उनका प्रतिनिधित्व करें तथा उनकी बातों एवं समस्याओं को नियोक्ता तक पहुंचाये। इसलिए नियोक्ता को जानकारी रखना आवश्यक है कि जैन सा श्रम संघ बड़ी संख्या में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे नियोक्ता या प्रबंधक उसी श्रम संघ का चुनाव करते हैं। जो संस्थान में उनके प्रति सहानुभूति रखे है इस प्रकार के श्रम संघ केवल अपने स्वयं के लाभ और नियोक्ताओं के लाभों के लिए कार्य करते है उनका उद्देश्य स्वार्थ सिद्ध करना होता है श्रमिकों का भला करना नहीं।

निष्कर्ष : iLrqr y?kq 'kks/k – मध्य प्रदेश के औद्योगिकम विकास में सीमेंट उद्योग के श्रमिक संघों की भूमिका विषय पर केन्द्रित है तथा इसका अध्ययन एसोसिएटेड ''सीमेंट कम्पनी निजी संयंत्र कैमोर जिला कटनी के संदर्भ में किया गया हैं।'' यह शोध कार्य औद्योगिक विकास में श्रमिक की भूमिका के अध्ययन की दिशा में एक प्रयास है। इस अध्ययन का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि उन कारकों का पता लगाया जा सके और विश्लेषित किया जा सके जो औद्योगिक विकास में श्रमिक संघों की भूमिका को दर्शाते है। प्रस्तुत अध्ययन में जिन तथ्यों का संकलन किया गया उसका विश्लेषण करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं।

कार्यरत श्रमिकों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत कर्मचारियों में कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक 72 प्रतिशत है, इनमें मिलर, टर्नर, मशीनिष्ट, सुपरवाइजर, चार्जमैन है। द्वितीय स्थान श्रमिक एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों का 18 प्रतिशत है तथा तृतीय स्थान प्रबंधक वर्ग का 10 प्रतिशत है। पद की गरिमा तथा मासिक आय के आधार पर प्रबंधक वर्ग (40,000–45000रू.) प्रथम स्थान पर अतिकुशल तथा कुशल श्रमिक (35,000रू.) द्वितीय

स्थान पर तथा श्रमिक एवं अर्द्धकुशल श्रमिक (15000–10000रू.) तृतीय स्थान पर आते है। इन कर्मचारियों का पद संयंत्र में योग्यता एवं अनुभव कुशलता के आधार पर निर्धारित होता है क्योंकि प्रशिक्षण द्वारा न केवल श्रमिकों को कार्य के प्रति सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है अपितु कार्य में रूचि भी उत्पन्न होती हैं।

fu"d"k & यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एवं 1904 से स्थापित एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी म.प्र. के औद्योगिक विकास में मध्य भूमिका निर्वाह कर रही है लेकिन यह औद्योगिक जिस बिना श्रय संघ के संभव नही है। श्रमिक संघ के यूनियन प्रमुख जी भी श्रमिकों को संगठित कर उन्हें एवं उन्हें अपने हितों व अधिकारों के प्रति जाग्रत कर रहे है। कम्पनी में मालिक एवं श्रमिक संघ के बीच बन्धुत्व एवं सहकारिता की भावना का विकास अपने सफल प्रयास से कर रहें हैं। जो मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं उसके प्रबंध हेतु तथा श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, के सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आवश्यक सिद्ध हुये हैं।

lk{kkRdkj vuqlph

1. सीमेन्ट उद्योग में कार्य करने की प्रेरणा किससे मिली?
2. आपको एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी में नौकरी किस आधार पर मिली?
   1. शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा 2. किसी परिचित के माध्यम से 3. अनुभव 4. अन्य कारण है। 5. केवल आवेदन करने से
3. सीमेन्ट प्लाण्ट में आप क्या काम करते है?
4. आय जो कार्य कम्पनी में करते है उसे थकान महसूस होती है?
5. क्या आप श्रमिक संघ के सदस्य है?
   यदि हाँ तो श्रमिक संघ का नाम.....
   यदि नही तो कारण बताइये

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

Xkkeh.k efgykvk d jkstxkj dk ek/;e & lIrkfgd gkV ckt kj

डॉ- Jherh vujk/kk 'kekl
सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार, ऑल्टियस इन्स्टिट्यूट ऑफ यूनिवर्सल स्टडीस
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

dh oMl & ग्रामीण महिलाओं, आर्थिक सुधार, हाट बाजार।

lkjrRo %& हाट बाजार शहरों ,कस्बों और गांवो में भी होते है। शहरो में स्थायी बाजार होते है, कस्बों और गांवो के बाजार अस्थायी होते है। गांवो के हाट बाजार सप्ताह में एक दिन लगते है ,जो ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का अच्छा माध्यम है। इन बाजारों में महिलाएं अपने द्वारा बनाया सभी सामान बिक्री हेतु लाती है। इसके अतिरिक्त शहरों के बाजार से खरीदकर लाया सामान भी वे यहां विक्रय करती है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुएं खरीदनें आसपास के गांव वाले भी हाट बाजार में आते है। दिन विशेष पर अपराह्न लगने वाले ये बाजार सायंकाल तक समाप्त हो जाते है। एक सप्ताह में महिलाएं फिर तैयार रहती है अपने उत्पाद के साथ हाट बाजार में दुकान लगानें के लिए, वह भी बिना किसी आर्थिक मदद के।

Hkfedk %& गांव जो विकास व बुनियादी सुविधाओं से आज भी महरूम दिखते है। सड़कें बनाई गई ताकि शहर से विकास यहां तक पहुचें, लेकिन एसा हुआ नही बल्कि गांव के लोग शहर की ओर कूच करने लगे। मकसद था रोजगार प्राप्त करना। महेश्वर क्षेत्र के गांवों के साथ भी ऐसा ही हुआ। हजारों की संख्या में ग्रमीण अन्य राज्यों में जाकर मेहनत मजदूरी करते है ।खरगोन जिले की महेश्वर तहसील में लगभग 202 ग्राम है। प्रमुख बाजार के रूप में महेश्वर का स्थान है। ग्रामीण यंहीं से खरीदी एवं अन्य जरूरी चीजों का इन्तजाम करते है। आसपास के क्षेत्रों के लिए महेश्वर प्रमुख आर्थिक केन्द्र है। लेकिन ये क्षेत्र इतना विकसित भी नही है, कि क्षेत्र में बेरोजगारी को कम कर सके। इन परिस्थितियों में भी कुछ सकारात्मक बातें हैं जो गांवों को आज भी मूल्यवान बनाते है। जहां रोजगार जैसे मामले भी सफल साबित हो रहे है। ये है सप्ताहिक हाट बाजार।

mís'; %& हाट बाजार से महिलाओं को मिलने वाले विभिन्न रोजगारों के बारे में जानना। हाट बाजार से परिवार के आर्थिक सुधार का आंकलन करना।

v/;;u infr %& शोधपत्र के लिए शोध सामग्री के संकलन के लिए प्राथमिक स्रोतों के रूप में मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की महेश्वर तहसील में दस 10 स्थानों पर लगने वाले हाट बाजारों में घूमकर अवलोकन विधि के साथ सर्वे कर साक्षात्कार अनुसूची से आकंड़ों का संग्रहन किया गया। मण्डलेश्वर और नान्द्रा में सोमवार हाट, महेश्वर और कवड्या में मंगलवार को, कतरगांव और पाडल्या में बुधवार को, धरगांव में गुरूवार, पिपल्या में शुक्रवार, बवलाई‘ में शनिवार और करही में रविवार के दिन हाट बाजार लगता है। यहां लगभग 125 अस्थाई दुकानें लगती है। जिसमें लगभग 40 से 45 दुकानें महिलाओं द्वारा संचालित होती है। दुकान संचालित करने वाली इन्ही महिलाओं में से 80 महिलाओं से ये आकंड़ें इकठ्ठा किए गए।

ifj.kke :– साक्षात्कार अनुसूची से संग्रहित आकंड़ों का विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सामान्यत% गांव के लोगों की आजीविका का साधन कृषि है और वे वर्ष भर इसी कार्य में लगे रहते है। कुल 80 उत्तरदाताओं में से 74 % उत्तरदाताओं के पास खेती की भूमि कम या बिल्कुल उपलब्ध नही थी, वे बड़े किसानों के खेत में मजदूरी करके आजीविका चलाते है। जबकि 12% उत्तरदाता अपने खेतों मे काम करते है तथा‘ शेष 14 % ऐसे मिले जिनके दस्तकारी इत्यादि आजीविका के परम्परागत साधन उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, महिला कृषकों के जीवनयापन में सुधार कर उसमें स्थायित्व लाने के उद्देश्य के लिए मापवा योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सिर्फ 12 % महिलाएं है। शेष महिलाएं अपने पारम्परिक ज्ञान से ही कृषि संबंधित कार्य सम्पन्न करती है।

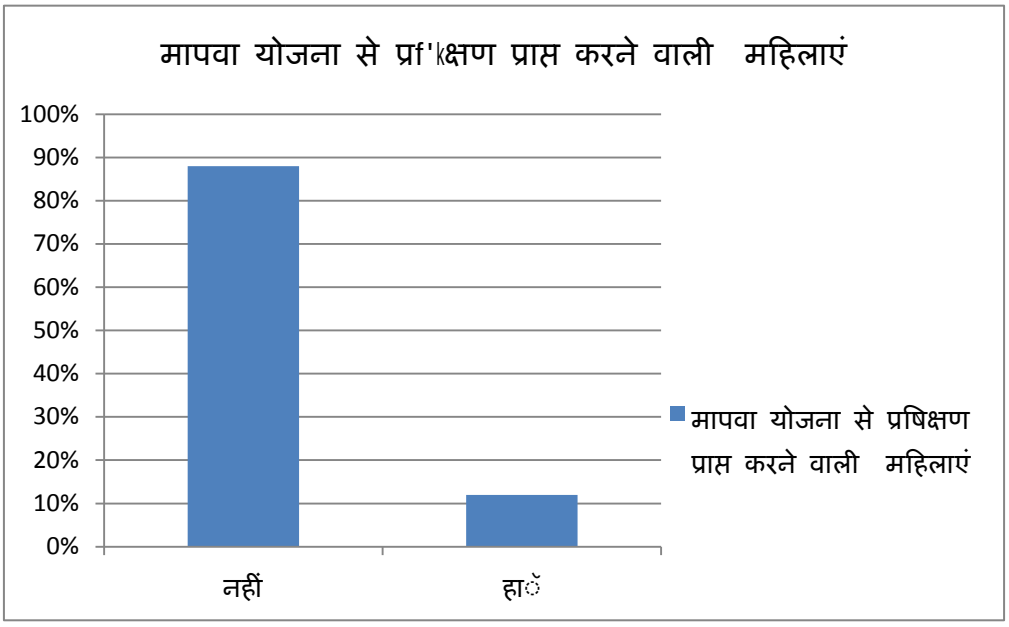

हाट बाजार में दुकानें लगाने वाली महिलाओं से जब ये पूछा गया कि कृषि कार्यो से वर्ष भर रोजगार मिलता है या नही ?, तो इससे संबंधित जानकारी में केवल 08 % महिला उत्तरदाताओं को ही खेतों में वर्ष भर काम मिलता है।

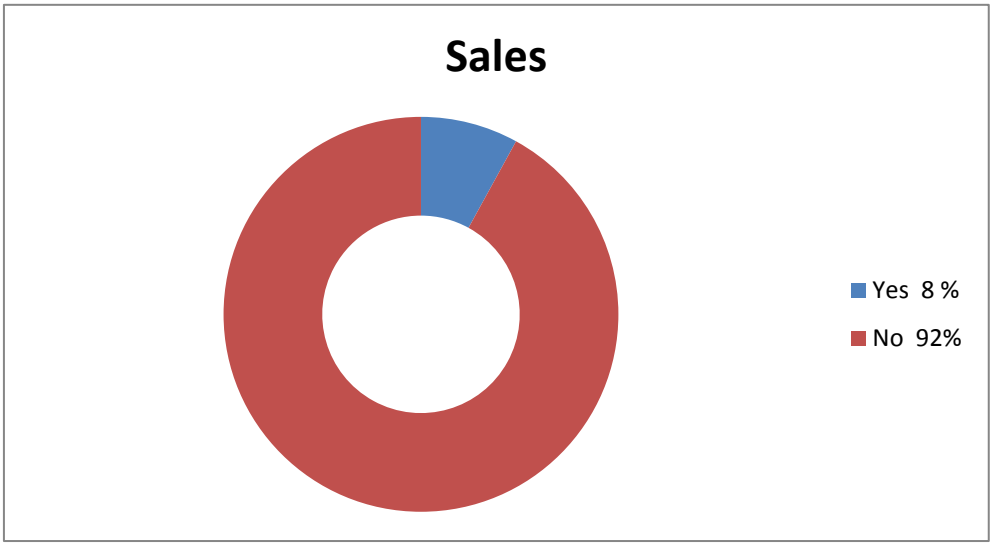

अपने खेतों से बाहर सड़क किनारे बैठकर खेत से निकली ताज़ी सब्जियों को बेचने वाली महिलाएं हाट बाजारों में भी सब्जियां बेचती है, जो 12 % लगभग है। वहीं 4 महिलाएं ऐसी भी थी जो सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी न किसी बाजार में सब्जी लेकर जाती है।

चने फुटाने, और मक्का ज्वार की धानी भाड़ में फोड़कर बेचने वाली कहारनें हाट बाजार में दुकानें लगाती हैं, जो लगभग 33 % है। हाथ की कुटी मिर्च और धनिया के अलावा घर की बनी तुअर दाल, चना दाल तैयार कर बेचने वाली 27 % महिलाएं है। हाथ से बनाए पापड़ और बड़ी भी ये महिलाएं ही बेचती है।

40 प्रतिशत महिलाएं मिट्टी के बर्तन और मटके आदि बेचती है। जबकि 'झाड़ू, टोकनी, सुपड़े, चटाई और शादी की छाबड़ी' के अतिरिक्त बड़े टोकने बनाकर बेचने वाली 23 प्रतिशत महिलाएं मिली। वहीं 48 प्रतिशत महिलाएं चकला बेलन के साथ ही चौके में काम आने वाले लोहे के बर्तन जैसे तवा, सन्डसी, दराती बेचती है।

चूड़ी और कड़े की दुकानें लगभग 80 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ही संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर के बाजारों से खरीदकर लाया गया श्रृंगार का सामान 40 प्रतिशत महिलाएं हाट बाजार में बेचती है।

लक्ष्मीबाई कहती है कि बाजार से कम दाम पर सामान मिलने से हर सप्ताह घर का सामान खरीदने वाले लोग बड़ी दुकानों पर न जाकर हाट बाजार का इन्तजार करते है। जिससे वे हमारे नियमित ग्राहक बन जाते है। इसका हमें फायदा मिलता है। ऐसा कहने वाली 72 % महिलाएं मिली।

क्या यहां दुकान लगाना जोखिम का काम है ? इस बात पर 36 % महिलाएं मानती है कि पूरा काम जोखिम का है, बरसात हो गई तो बाजार नही लगेगा, कभी कभी त्यौहारों के पहले पुलिस के पास कोई संवेदनशील सूचना होने पर भी बाजार नही लगता है।

76 प्रतिशत महिलाएं मानती है कि अपनी पैठ या बैठक का निश्चत शुल्क स्थानीय निकाय यानी नगर निगम या ग्राम पंचायत में जमा करने के बाद भी उनको हाट में दुकान लगाने से फायदा होता है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है।

fu"d"k %& ग्रामीणों को जरूरत की बड़ी चीजों के लिए महेश्वर आना पड़ता है। परन्तु कई ग्रामों के पास के गांव में हाट बाजार लगने से राहत है, साथ ही ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। गांव के पास ही रोजी रोटी का इन्तजाम हो गया है वे अब अन्य हाट बाजारों में भी दुकान लगा रही है। कई अन्य महिलाएं भी है, जिन्होने स्वयं का रोजगार शुरू कर आर्थिक संकट पर जीत दर्ज की है साथ ही वे दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। अब तो घर के पुरूष भी कामकाज में मदद कर रहे है और कई अन्य व्यवसाय भी वे अपना रही है। चूड़ी, बैग सजावटी सामान। हाट बाजार जैसी छोटी सी सहुलियत से ही रोजी़ रोटी की बेहतर व्यवस्था होने लगी है।

हाट बाजार में दुकान लगाने वाली महिलाओं का अभी तक कोई सर्वेक्षण हुआ नही, लेकिन अनुमान है कि पूरे देश में इनकी संख्या लाखों में होगी। इसके बावजूद न तो इनको कोई स्वास्थ्य सुविधा मिली है न ही बैंक से कर्ज या ऐसी कोई बीमा की सुविधा। परन्तु अब तक हजारों महिलाओं ने स्वरोजगार अपनाकर भाग्य की रेखा बदली है। सप्ताह के किसी एक दिन सड़क के किनारे गांव के भारी चिल्लपों वाले बाजार की रौनक कभी कम नही होगी और आगे आने वाले समय में गांव के ये हाट बाजार महिलाओं के लिए और अधिक रौनक लेकर आयेंगे।

lnHk xzFk lwph %&

1 दिवाकर, वैशाली फेमिलियर एक्सप्लायटेशन % एन एनालिसिस आफ डोमेस्टिक लेबर, वूमेंस स्टडीस सेंटर, पूणे युनिवर्सिटी, 1916
2 सिंह,डी .पी .,वूमेन वर्कर इन अन आर्गनाइज़्ड सेक्टर, दीप एन्ड दीप पब्लिकेशन प्रा .लि . नई दिल्ली ,2005
3 त्रिपाठी, एस . एन ., अन आर्गनाइज़्ड वूमेन लेबर इन इन्डिया डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1996
4 हर्समेन, ई .एस .एन्ड चौमस्के, एन .मेनुफेक्चरिंग कनसेन्ट %द पोलिटिकल इकोनोमी आफ छ मास मीडिया, 2010 books .google.com
5 जी. आर. मदन, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली, 2010
6 तिवारी, जवाहरलाल, ग्रामीण महिलाओं के बेरोजगारी उन्मूलन में मनरेगा योजना की भूमिका ISSN No.2321&5828 , Vol.6 ,2015

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S. & Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

Hkkjrh; xkeh.k Nk=kvk dh ikfjokfjd ,o lkekftd & vkfFkd fLFkfr dk mudh 'k{kf.kd miyfC/k ij iHkko dk v/;;u

Jherh vt yh voLFkh
सहा. प्रा. शिक्षा सेन्टर फॉर हायर स्टेडीज, बी.एड./एम.एड. कॉलेज जबलपुर

lkj %& भारत के भाग्य का निर्माण इस समय कक्षाओं में हो रहा है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है जो उनके भावी जीवन को सजग, समृद्ध और सार्थक बना सकें।

वास्तव में संसार के विशिष्ट व्यक्तियों में जिन्होंने अपने–अपने क्षेत्रों में विशिष्ट ख्याति प्राप्त की ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा तो थी ही परंतु प्रतिभात्मक योग्यताओं के विकास में शिक्षा तथा वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

iLrkouk %& आज का युग वैज्ञानिकी, औद्योगिकरण, व्यावसायीकरण, वैज्ञानिक तकनीकी और ऐसे ही कितने अन्य आयामों से मिलकर बना है। यह सत्य है कि विद्यार्थी राष्ट्र के कर्ण धार है। वे राष्ट्र की प्रगति के सशक्त संबल है। यही छात्र–छात्राएं अपनी योग्यता के आधार पर आगे चलकर शोध, वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियरन वकील, शिक्षक एवं शिक्षाविद बनेंगे।

iLrqr 'kks/k dh vko';drk ,o egRo %& विद्यार्थियों के लिए कक्षा में अर्जित प्राप्तांक विशेष महत्व रखते है, क्योंकि परीक्षा में प्राप्त अंक उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के स्तर को प्रदर्शित करते है। आज भी विद्यार्थियों का प्रगति का निर्धारण परीक्षाओं से किया जाता है। यह सत्य है विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर समाज तथा परिवार के वातावरण का अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। विशेषताः ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा तो उनके पारिवारिक वातावरण पर ही निर्भर करती है यदि पारिवारिक वातावरण अच्छा है सामाजिक संबंधों पर आधारित व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तो ऐसे परिवार की छात्राओं का विकास तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत जिन छात्राओं को यह सुविधायें प्राप्त नहीं होती उन छात्राओं के विकास की गति धीमी हो जाती है। साथ ही कुछ परिवार ऐसे भी होते है जहाँ ग्रामीण छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने की उपेक्षा की जाती है, जिसे उचित नहीं समझा जाता। जिन ग्रामीण छात्राओं की पारिवारिक, सामाजिक – आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, उन्हें अच्छी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाती है।

'kks/k dk;Z ds mn~ns'; %&

1. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की पारिवारिक स्थिति का उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की सामाजिक – आर्थिक स्थिति का उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।
5. ग्रामीण विद्यालय की छात्राओं की पारिवारिक स्थिति उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में अंतर का अध्ययन करना।
6. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में अंतर का अध्ययन करना।

iLrqr 'kks/k dk;Z dh ifjdYiuk,¡ %&

1. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की बहुत अच्छी पारिवारिक स्थिति एवं उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
2. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की अच्छी पारिवारिक स्थिति एवं उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
3. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की उच्च सामाजिक – आर्थिक स्थिति एवं उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

5. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की निम्न सामाजिक – आर्थिक स्थिति एवं उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
6. ग्रामीण विद्यालयों की बहुत अच्छी पारिवारिक स्थिति का प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर पाया जाता है।
7. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की अच्छी पारिवारिक स्थिति का प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर पाया जाता है।
8. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर पाया जाता है।
9. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की मध्य सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर पाया जाता है।
10. ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर पाया जाता है।

fof/k %& प्रस्तुत शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण विधि को अपनाया है।

midj.k %&

1. परीक्षण – 1) पारिवारिक संबंध मापनी – डॉ. (श्रीमती) ए. डेविड
   2) सामाजिक– आर्थिक स्थिति मापनी – प्रो.एल. एन. दुबे एवं निगम
2. शैक्षणिक उपलब्धि – छात्राओं की कक्षा 8वीं एवं कक्षा 10वीं का परिणाम।
   पारिवारिक – संबंध मापनी परीक्षण का विवरण
   सामाजिक – आर्थिक स्थिति मापनी परीक्षण का विवरण

U;kn'kZ %& विद्यालयों का यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया।

p;u fd;s x, fo|ky;ksa dh lwph

क्र.	विद्यालय का नाम	छात्राएं
1.	शासकीय कन्या उच्चतर शाला (बरेला)	25
2.	शासकीय नवीन शाला (रैगवां)	25
3.	शासकीय नवीन उ.मा. शाला (करमेता)	25
4.	मानकुँवर हंसा हाई स्कूल (बरेला)	25
5.	शासकीय आदर्श उचतर मा. शाला (बरेला)	25
6.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला (पनागर)	25
7.	शहीद विक्रम आयर सेकेण्डरी शाला (करमेता)	25
8.	न्यू आकांक्षा हायर सेकेण्डरी स्कूल (करमेता)	25
	dqy ;ksx &	200

iznÙkksa dk ladyu o lkaf[;dh; fo'ys"k.k %& प्रदत्तों के संकलन का मुख्य उद्देश्य परिकल्पना को प्रमाणित या उचित रूप से सिद्ध करना है।

- प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण।
- प्रदत्तों का सारणीयन व्याख्या व ग्राफ।
- परिकल्पनाओं का सत्यान।

fu"d"kZ %& ग्रामीण विद्यालयों की छात्राओं की पारिवारिक स्थिति एवं सामाजिक – आर्थिक स्थिति का ज्यादा प्रभाव शैक्षणिक उपलब्धि पर नहीं पड़ता, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करनी होती है, वह किसी भी स्थिति में अपनी शैक्षणिक उपलब्धि को उच्च बनाएं रखते है।

lq>ko & v/;kidksa ds fy, lq>ko %&

1. विद्यार्थी स्वभाव से जिज्ञासु होते है अतः अध्यापकों को उनके प्रश्नों का उचित समाधान करना चाहिए।

2. अध्यापकों को करके सीखों विधि को अपनाकर क्रियात्मक कार्यों द्वारा विद्यार्थियों की विषय के प्रति रूचि विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

fo|kfFk;ksa ds fy, lq>ko %&

1. विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए।
2. विद्यार्थियों को किसी भी कार्य में असफल होने पर असफलता का कारण समझकर पुनः उस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पादित करने का प्रयास करना चाहिए।
3. विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों के व्यवसाय में सहयोग देकर परिवार की आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाना चाहिए।
4. विद्यार्थियों को शाला पुस्तकालयों में अध्ययन का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिये।

vfHkHkkodksa ds fy, lq>ko %&

1. अभिभावकों को अवकाश के समय अन्य व्यवसाय द्वारा अपने आर्थिक स्तर को बढ़ाना चाहिए।
2. अभिभावक और बालक में पारस्परिक संबंध दृढ़ और सहयोगात्मक तथा मैत्रीपूर्ण होना चाहिए।
3. अभिभावक अपने बालकों के प्राप्तांकों पर ध्यान देकर आवश्यकतानुसार अपने बालकों को आगे बढ़ने में पूर्ण सहयोग दें।

lanHkZ xzUFk %&

1. कपिल एच.के. – सांख्यिकीय में मूल तत्व
2. शर्मा आर.ए. – शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व
3. सक्सेना डॉ. सरोज – शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार

e/;izn'k dk vk|kfxd ifjn'; ,o fodkl dh ie[k lLFkk;

Mk- शैलेन्द्र कुमार बसेड़िया

आर्थिक विकास, मानवीय आशाओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति का एक साधन होता है, तथा औद्योगिक विकास आर्थिक विकास का मूल आधार माना जाता है। आज विश्व का प्रत्येक विकासशील देश औद्योगीकरण के लिए प्रयत्नशील है। सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए, औद्योगीकरण एक बुनियादी आवश्यकता है। किसी देश, प्रदेश के स्थानीय संसाधनों के विदोहन एवं मानवीय श्रम शक्ति के उत्पादक उपयोग की दृष्टि से भी, औद्योगीकरण प्रभावी सिद्ध होता है। औद्योगीकरण, आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है, जो किसी परंपरागत अर्थव्यवस्था में व्याप्त अवरोधों को समाप्त करके, किसी राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को नयी दिशाएँ प्रदान करती है। श्री मुरे के अनुसार ''आर्थिक विकास के किसी भी सुदृढ़ कार्यक्रम में, औद्योगिक विकास को अनिवार्यतः एवं अंततः एक व्यापक भूमिका का निर्वाह करना होता है।''

औद्योगीकरण की उत्पत्ति उद्योग शब्द से हुई है, जिसका सरल शब्दों में आशय किसी वस्तु अथवा सेवा के सृजन से है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि मानव किसी नितांत नवीन पदार्थ का सृजन नहीं करता है, बल्कि वह अपने कला–कौशल, बुद्धि चातुर्य से, उपलब्ध पदार्थों में ऐसे अनेक रूपान्तरण कर सकता है, जिससे कि उनकी उपयोगिता में वृद्धि हो सके एवं इस तरह नवीन मूल्यों का निर्माण हो सके। उद्योगों की यह श्रृंखला जब व्यापक स्तर पर अपना स्वरूप धारण कर लेती है, तो इसे ही हम औद्योगीकरण कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में जब यंत्रीकरण के द्वारा देश के प्राकृतिक साधनों (कृषि, वन एवं खनिज पदार्थों) का अधिकतम उपयोग किया जाए, तो यह औद्योगीकरण है।

औद्योगिक विकास के महत्व को समझते हुए, योजना आयोग ने कहा था– ''औद्योगिक विकास हमारे विकास की व्यूह रचना में संरचनात्मक विविधीकरण, आधुनिकीकरण एवं स्वावलंबन के उद्देश्यों की पूर्ति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।''

किसी भी देश की आर्थिक जीवन दशा को सुधारने के लिए, औद्योगीकरण रामबाण औषधि है। औद्योगीकरण से पूँजी के नए साधनों की उत्पत्ति होती है, पूँजी की बचत को बढ़ावा मिलता है, सरकार की आय में वृद्धि होती है, साथ ही जीविकोपार्जन के साधनों की संख्या बढ़ती है। इस प्रकार औद्योगिक विकास संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणादायी होता है। इसके द्वारा ही एक राष्ट्र, जहाँ एक ओर बेरोजगारी की समस्या को हल करता है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हुए, देश का संतुलित विकास करता है।

e/;izn'k dk vk|kfxd ifjn'; :– मध्यप्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। प्रदेश में पूँजी निवेश के लिये, गत दस वर्षों से सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही साथ, प्रदेश में निवेशकों को आमंत्रित करने हेतु, मुम्बई एवं बैंगलोर में रोड शो भी आयोजित किये गये हैं। विदेशी पूँजी निवेश के लिये भी, देश के बाहर रोड शो किये गये हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने, विदेशों में निवेशकों और उद्योगपतियों को, मध्यप्रदेश में पूँजी निवेश के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। इन बहुआयामी प्रयासों के सार्थक परिणाम निकले एवं अनेकों एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। पिछले पाँच वर्षों में ही कुल 89 बड़े उद्योगों में किये गये 4,792 करोड़ रूपये के निवेश से 75,000 व्यक्तियों को सीधे रोजगार मिला है। प्रदेश में इस अवधि में 87,000 से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित हुये हैं, जिनमें 1,100 करोड़ रूपये की पूँजी निवेशित हुई है एवं 2,12,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। इन इन्वेस्टर्स समिट के फलस्वरूप मध्यप्रदेश, इंडस्ट्रियल इन्टरप्रेनियर्स मेमोरेण्डम दाखिले में, प्रस्तावित निवेश की दृष्टि से, ग्यारहवें स्थान से बढ़कर आठवें स्थान पर आ गया है।

मध्यप्रदेश सरकार, राज्य में उद्योगों के विकास, व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार एवं रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये, प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। प्रदेश को समृद्ध एवं विकसित

राज्य बनाने और राज्य की विकास दर को, अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष करने के उद्देश्य से वर्ष 2004 में, उद्योग नीति एवं कार्य योजना घोषित की गई। वर्ष 2010 में नई उद्योग संवर्द्धन नीति की घोषणा की गई। इसके तहत, प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण करने में, राज्य सरकार को भारी सफलता मिली है। प्रदेश में भारी एवं गतिशील औद्योगीकरण की दिशा में, राज्य शासन द्वारा औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना एवं उनके संचालन को सुचारू बनाने की दृष्टि से, सिंगल एजेन्सी क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया गया है। जिससे कि पूर्व में होने वाली कठिनाईयों से उपक्रमों को निजात मिली है।

प्रदेश में उद्योगों की स्थिति का अध्ययन करने पर, हम पाते हैं कि, वैसे तो राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना 20वीं शताब्दि के आरंभिक काल में हुई थी, परंतु वास्तविक वृद्धि द्वितीय योजनाकाल से ही मानी जाती है, जब प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना हुई। औद्योगिक दृष्टि से मध्यप्रदेश, अन्य कई विकसित राज्यों की तुलना में एक पिछड़ा प्रदेश है। जहॉ प्रति एक लाख व्यक्तियों पर कारखानों की संख्या 5.24 है, जबकि देश में कारखानों की यह औसत 14.23 है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी, इस क्षेत्र का योगदान मात्र 28.26 प्रतिशत है। प्रदेश के विभिन्न भागों में, उपयुक्त दशाओं के आधार पर भिन्न–भिन्न उद्योगों की स्थापना की गई है। उद्योगों में प्रयुक्त किये जाने वाले कच्चे माल के आधार पर, प्रदेश में स्थापित उद्योगों को 3 भागों में बॉटा जा सकता है–

(d) df"k ij vk/kkfjr m|kx :– प्रदेश में, सर्वप्रथम कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना ही हुई। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में, सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता थी, जो 80 के दशक तक रही। परंतु वर्तमान में गन्ना आधारित चीनी मिल, सोयाबीन आधारित वनस्पति तेल आदि की प्रधानता है। राज्य के कृषि उपज पर आधारित प्रमुख उद्योग हैं :

ouLifr ?kh@rsy % वर्तमान समय में तो, राज्य को सोयाबीन प्रदेश के नाम से, जाना जाने लगा है। यह इस बात का संकेत है, कि यहाँ पर व्यापक मात्रा में सोया की पैदावार होती है। तिलहन का उत्पादन भी राज्य में अधिक मात्रा में होता है। परिणामस्वरूप राज्य में तेल मिलों की स्थापना तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में, प्रदेश में, 83 तेल मिलें एवं 6 वनस्पति घी के कारखाने हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है।

phuh@'kDdj % जावरा (रतलाम) में, सन् 1934 में प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में प्रदेश में स्थापित चीनी मिलों की संख्या 18 है। जिनकी गन्ना पेरने की क्षमता लगभग 4,000 टन प्रतिदिन है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अधिक मात्रा में चीनी मिलें स्थापित की गई हैं, क्योंकि प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले इसी क्षेत्र में स्थित हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी कारखाना बरलाई (सीहोर) में स्थित है।

lwrh diMk m|kx % बुरहानपुर में, सन् 1906 में प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में, प्रदेश में सूती मिलों की संख्या लगभग 500 है। प्रदेश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक जिला इंदौर है। सूती वस्त्र उद्योग, राज्य के पश्चिमी कपास उत्पादक जिलों पर आधारित है।

df=e j'ks dk diMk m|kx % कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का उद्योग, प्रदेश के नवीन उद्योगों में से है। वर्तमान समय में, सूती कपड़ा उद्योग की जगह, कृत्रिम रेशे के कपड़ा उद्योग ले रहें हैं, क्योंकि इनका कच्चा माल सस्ता एवं सर्वसुलभ है। इस उद्योग के लिए रेशा मुम्बई, देवास व ग्वालियर की कृत्रिम रेशा उत्पादक मिलों से प्राप्त होता है। मध्यप्रदेश के प्रमुख कृत्रिम रेशा कपड़ा उत्पादक केंद्र इंदौर, उज्जैन, देवास तथा नागदा हैं।

rkfydk &1 % df"k m|kx fodkl fuxe }kjk LFkkfir df"k vk/kkfjr m|kx

Ø-	m|kx	e[;ky;	ieq[k mRikn
1.	जीवाणु खाद संयंत्र	भोपाल	जीवाणु खाद तैयार की जाती है जिसके प्रयोग से ज्वार, चावल, मक्का, बाजरा आदि फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।
2.	कीटनाशक	बीना	प्रतिवर्ष 10 हजार टन कीटनाशक पाउडर एवं 1 लाख लीटर कीटनाशक औषधि का निर्माण
3.	आयल मिल	मुरैना	25 लाख टन सरसों की वार्षिक पिराई
4.	दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र ;एम. पी.एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर	होशंगाबाद	60 हजार टन मिश्रित खाद का प्रतिवर्ष उत्पादन
5.	फल, सब्जी प्रक्रिया इकाइ	भोपाल	100 टन फलों एवं सब्जियों का संरक्षण तथा उनसे मेग्फा नाम से, विभिन्न खाद्य सामग्रियों का उत्पादन ;मैंगो जेम, टमाटो केचप, आरेंज तथा लेमन स्कवैश आदि

स्त्रोतः मध्य प्रदेश दिग्दर्शन, जबर सिंह परमार, अरिहंत पब्लिकेशन (इ.) लि.पेज 105

([k) ouk ij vk/kkfjr m|kx :– मध्यप्रदेश में प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 30: भाग पर वन पाए जाते हैं। वन संरक्षण को प्रदेश में अत्याधिक महत्व देने के कारण, यहाँ वन आधारित उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। प्रदेश के वन आधारित प्रमुख उद्योग हैं–

dkxt m|kx % वर्ष 1956 में, खण्डवा के नेपानगर में, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल की स्थापना के साथ ही, मध्यप्रदेश में कागज उद्योग की शुरूआत हुई। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के कागज एवं स्ट्रा बनाने वाले, 9 कारखाने राज्य में पंजीकृत हैं। मध्यप्रदेश में सलाई की लकड़ी की बहुतायत व अन्य कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण, कागज उद्योग का विकास संभव हुआ है। शहडोल जिले के अमलाई में, निजी क्षेत्र (बिड़ला ग्रुप द्वारा स्थापित ओरिएन्ट पेपर मिल, कागज उद्योग में अपना प्रमुख स्थान बनाए हुए है। इस कारखाने में 90 प्रतिशत कागज, पुस्तक छापने व लिखाई योग्य बनता है। इंदौर में महीन कागज एवं होशंगाबाद में नोट बनाने का कागज, तैयार किया जाता है। इसके अलावा भोपाल, रतलाम व ग्वालियर में भी कागज बनाया जाता है।

chMh m|kx % देश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पन्न करने वाला राज्य, मध्यप्रदेश है। बीड़ी बनाने के लिए, इसी तेंदुपत्ते का प्रयोग किया जाता है। तेंदूपत्ते की सर्वाधिक उपलब्धता वाले जिलों में ही, इस उद्योग का विकास हुआ है। ये हैं– जबलपुर, कटनी, सतना, दमोह एवं सागर। वर्तमान में, प्रदेश में बीड़ी बनाने की 260 इकाईयाँ विद्यमान हैं। तेंदुपत्ते का संग्रहण, कई परिवारों के लिए, जीविकोपार्जन का साधन है। संग्रहण से खाली समय में ये मजदूर इन पत्तों से बीड़ियां बनाते हैं। इसका मुख्य केंद्र जबलपुर है। यहाँ

की शेर छाप बीड़ी का इंग्लैण्ड, हालैंड आदि देशों को निर्यात भी किया जाता है।

ydMh m|kx % मध्यप्रदेश में लकड़ी चीरने का व्यवसाय भी, बहुत बड़ी मात्रा में है। वर्तमान में 113 कारखाने, इस उद्योग में लगे हुए हैं। इमारती लकड़ी के बड़े–बड़े लट्ठों को कारखानों में लाया जाता है, जहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार के उपयुक्त आकारों में चीरा जाता है। इसके कारखाने मुख्यतः जबलपुर, मण्डला, बालाघाट, सतना एवं छिंदवाड़ा में हैं। लकड़ी चिराई का मुख्य केंद्र जबलपुर है।

(x) [kfutk ij vk/kkfjr m|kx :– खनिज बाहुल्य छत्तीसगढ़ अंचल के पृथक हो जाने के बावजूद भी, मध्यप्रदेश, खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। वर्तमान में भी प्रदेश के अनेक जिलों में खनिज संपदा बहुतायत में उपलब्ध है। खनिज संपदा की इस सुलभ उपलब्धता से, यहाँ कतिपय उद्योगों का विकास हुआ है। मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिज आधारित उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में खनिजों पर आधारित प्रमुख उद्योग हैं–

lhesUV m|kx % प्रदेश में चूना–पत्थर के भण्डार, बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, जिससे प्रदेश में सीमेण्ट उद्योग की स्थापना में प्रगति हुई है। राज्य में पहला सीमेण्ट कारखाना ए.सी.सी. द्वारा सन् 1922 में बानमोर जिला मुरैना में स्थापित किया गया, तत्पश्चात् कैमोर जिला कटनी में भी इसी कंपनी द्वारा वर्ष 1923 में दूसरा कारखाना स्थापित हुआ। वर्तमान में राज्य में 50 सीमेण्ट कारखाने कार्यरत हैं। बड़े पैमाने के संयंत्रों में बानमोर, कैमोर, मैहर, सतना, रीवा, नीमच, छिंदवाड़ा हैं, शेष लघुस्तरीय संयंत्र हैं। प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 300 लाख मीट्रिक टन सीमेण्ट का उत्पादन किया जाता है। सतना जिले का प्रदेश के सीमेण्ट उत्पादन में अग्रणी योगदान है।

phuh feV~Vh m|kx % चीनी मिट्टी की पर्याप्त उपलब्धता जबलपुर, कटनी, रतलाम, ग्वालियर, निमाड़ आदि जिलों में होने से, यहाँ चीनी मिट्टी के कारखाने स्थापित किए गए हैं। यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। फायर क्ले से ईंट, टाइल्स तथा बेसिन आदि कटनी एवं जबलपुर जिले में निर्मित किए जाते हैं। इस उद्योग के लिए, कटनी जिले का प्रदेश में अग्रणी योगदान है। वर्तमान में, चीनी मिट्टी के प्रयोग को प्राथमिकता देने वाले अनेक कारखाने इस जिले में कार्यरत हैं।

eSaxuht m|kx % मध्यप्रदेश भारत का प्रमुख मैगनीज उत्पादक प्रदेश है। देश द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मैगनीज में, 50% भाग की हिस्सेदारी, केवल मध्यप्रदेश राज्य की है। राज्य के दो जिले बालाघाट एवं छिंदवाड़ा प्रमुख मैगनीज उत्पादक जिले हैं। इसलिए यहाँ पर ही मैगनीज आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं। बालाघाट जिले में स्थापित हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजक्ट (मलाजखण्ड) का, इस उद्योग हेतु प्रदेश में अग्रणी योगदान है।

ftyk dk vk|kfxd oxhZdj.k :– प्रदेश के विभिन्न भागों में, उपयुक्त दशाओं के आधार पर, भिन्न–भिन्न उद्योगों की स्थापना की गई है। फलस्वरूप, प्रदेश के भिन्न–भिन्न भागों में, औद्योगीकरण भिन्न–भिन्न स्तर का रहा है। औद्योगीकरण के इस प्रकार के स्वरूप को समझने के लिए, इसका वर्गीकरण किया गया है। इस हेतु, मध्यप्रदेश राज्य के कुल 50 जिलों में से, 5 को ;औद्योगिक दृष्टि से विकसित एवं शेष को पिछड़ा हुआ माना जाता है। पिछड़े जिलों को भी 'अ', 'ब' एवं 'स' तीन वर्गों में बाँटा गया है। 'अ' वर्ग में 11, 'ब' वर्ग में 10 एवं 'स' वर्ग में शेष जिले सिम्मिलित किये गए हैं। इसे आगे तालिका क्रमांक 2 में दिखाया गया है।

rkfydk& 2 % ftyk dk vk|kfxd oxhZdj.k

fodfIr ftys	J.khokj fiNMs ftys		
	v J.kh	*c* J.kh	*I* J.kh
भोपाल	देवास	बालाघाट	अलीराजपुर
इंदौर	होशंगाबाद	सिवनी	भिण्ड
उज्जैन	हरदा	छिंदवाड़ा	धार
ग्वालियर	खण्डवा	बैतूल	छतरपुर

जबलपुर	मंदसौर	दमोह	झाबुआ
	मुरैना	सागर	खरगौन
	रतलाम	सीहोर	पन्ना
	विदिशा	नीमच	रायसेन
	शहडोल	गुना	राजगढ़
	कटनी	नरसिंहपुर	रीवा
	सतना		सिंगरौली
			सीधी
			शिवपुरी
			श्योपुर
			शाजापुर
			बड़वानी
			टीकमगढ़
			डिण्डौरी
			उमरिया
			मण्डला

स्त्रोतः मध्यप्रदेश विस्तृत अध्ययन, पूर्णेंदु कुमार, अरिहन्त पब्लिकेशन, मेरठ, पेज 101

e/; ink'k e vk|kfxd fodkl dh iei[k lLFkk;
:– वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, किसी भी राज्य का आर्थिक विकास, मुख्यतः उद्योगों के विकास पर निर्भर है तथा औद्योगिक विकास वित्त की समुचित उपलब्धता पर निर्भर करता है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश, भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ विभिन्न नैसर्गिक संसाधन उपलब्ध हैं। प्रदेश में उपलब्ध खनिजों की मात्रा से यह एक धनी प्रदेश है, किंतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। मध्यप्रदेश के अधिकांश उद्योग खनिज, वन तथा कृषि उत्पादों पर आधारित हैं। अविभाजित म.प्र. में, पूर्वी मध्यप्रदेश जहां प्राकृतिक संपदा से संपन्न क्षेत्र था, वहीं इन संसाधनों की औद्योगिक इकाईयाँ, पश्चिमी मध्यप्रदेश में अवस्थित थीं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय, अवश्य ही यह कहा गया कि शेष म.प्र. अब प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से विपन्न हो गया है, परंतु यह पूर्ण रूपेण सत्य नहीं था।

प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से उद्योग विभाग द्वारा अनेक प्रकार की योजनायें बनाई गई हैं। नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाती है। स्वरोजगार कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाता है। त्वरित गति से उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से, विभागीय तथा अन्य संबंधित अनुमतियाँ तथा अनुज्ञप्ति आदि जारी करने के लिए, विभागीय अधिकारियों के साथ–साथ, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। राज्य के सभी जिलों में इन केन्द्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश के समग्र विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से, मध्यप्रदेश आर्थिक विकास नीति को लागू किया गया है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए, आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ–साथ, उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराने वाली, अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया है। जो औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में, अपनी महती भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थाओं की भूमिका का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है :

e/; ink'k y?k m|kx fuxe % निगम की स्थापना, मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1969 में की गई। निगम का प्रमुख कार्य शासकीय विभागों एवं अन्य लघु उपक्रमों को सुचारू रूप से गुणवत्ता सुधार एवं उनके मानकीकरण में परामर्श देने के साथ, लघु इकाईयों के उत्पादों के विपणन में मदद करते हुए, उन्हें प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित भण्डार गृहों के माध्यम से, अनुपलब्ध कच्चे माल की, आपूर्ति कराना है। इस हेतु शासकीय खरीदी भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत 149 वस्तुएँ, लघु उद्योग निगम के माध्यम से ही क्रय करने

हेतु आरक्षित की गई हैं। इस प्रकार निगम, जहाँ एक ओर मध्यप्रदेश शासन की क्रय संस्था के रूप में कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इस प्रकार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, राज्य की लघु औद्योगिक इकाईयों के संरक्षण एवं प्रसार में मदद करते हुये, राज्य के विकास में अपना योगदान प्रदान कर रहा है।

e/; izns'k jkT; vkS|ksfxd fodkl fuxe % मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का गठन किया गया। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, औद्योगिक प्रोत्साहन एवं अधोसंरचानात्मक सुविधायें विकसित कर, चयनित आधार पर अंश पूँजी विनियोजन करना है। इसके द्वारा चयनित जिलों में परिधान पार्क, स्टोन पार्क, खाद्य प्रसंस्करण पार्क, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क से संबंधित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में नवीन उदार औद्योगिक नीति के तहत, निगम को राज्य में मध्यम तथा वृहद् उद्योगों के विकास हेतु, ''नोडल एजेंसी'' के रूप में कार्य करने का दायित्व भी सौंपा गया है।

e/; izns'k pekZ fodkl fuxe % प्रदेश में चर्म व्यवसाय में लगे चर्मकारों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के चर्मकारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार की दृष्टि से वर्ष 1981 में, मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम की स्थापना की गई। निगम के द्वारा इस क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों के अंतर्गत, चर्म उपक्रमों की नयी तकनीकों का ज्ञान एवं प्रशिक्षण, नवीन किस्म के उपकरणों एवं औजारों का उपयोग, कच्चे माल की उपलब्धता, चर्म उद्योग परिसरों की स्थापना, विपणन सुविधा का विकास, आदि प्रमुख कार्य संपादित किये जाते हैं। व्यापारिक गतिविधियों के अंतर्गत, निगम द्वारा टेनरी की स्थापना कर, कच्ची खालों का प्रशोधन तथा तैयार चमड़े का विक्रय करना एवं विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थाओं में उनकी आवश्यकतानुसार चर्म सामग्री उपलब्ध कराना एवं मेला, प्रदर्शनी, सह विक्रय केन्द्रों के माध्यम से चर्म सामग्री का विक्रय शामिल है।

e/; izns'k gLrf'kYi fodkl fuxe % मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की सहायक कंपनी के रूप में, राज्य शासन द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, वर्ष 1981 में मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम का गठन किया गया। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य, हस्तशिल्प के विस्तार एवं विकास द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, साथ ही उत्पादित वस्तुओं की विपणन व्यवस्था करना, बाजार की माँग के अनुरूप हस्तशिल्प उत्पाद में, गुणात्मक सुधार के प्रयास करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीनों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

e/; izns'k [kknh ,oa xzkeks|ksx cksMZ % मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमुख ध्येय, ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास एवं संवर्धन कर, ग्रामीण रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के साथ–साथ, उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, व्यक्ति/संस्थागत वित्त पोषण के माध्यम से, परिवार मूलक इकाईयों की स्थापना करना है। उत्पादन/विपणन में कारीगरी एवं दस्तकारों की निरंतर भागीदारी, खादी उत्पादन इकाईयों को उत्पादन अनुदान, सूत कातने वाली महिलाओं को उचित मजदूरी तथा विशेष रोजगार कार्यक्रम एवं हितग्राहियों को वित्त पोषित कर, ग्रामोद्योग की स्थापना, इत्यादि बोर्ड के कार्यों के ही भाग हैं।

e/; izns'k jkT; oL= fuxe % मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र विकास निगम, वर्ष 1976–77 से हाथकरघा वस्त्रोद्योग के विकास, उत्पादन एवं संवर्धन हेतु प्रयासरत है। निगम द्वारा बुनकरों के लाभ हेतु अनेक विकासात्मक एवं व्यावसायिक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उन्हें प्रशिक्षण देना, ट्रायसेम योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दिलाना, बैंक से ऋण स्वीकृत कराते हुए उन्हें कच्चा माल उपलब्ध करवाना, उत्पादित वस्त्रों के विपणन की व्यवस्था करना आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। निगम जहाँ करघों के आधुनिकीकरण का कार्य करता है, वहीं हाथकरघों का निर्माण व विक्रय भी करता है, ताकि अच्छी डिजाइन के वस्त्रों का निर्माण कम लागत पर किया जा सके। निगम अपने शो रूम्स (प्रदर्शन गृहों) के माध्यम से इन वस्त्रों का विक्रय भी करता है।

e/; izns'k fu;kZr fuxe % मध्यप्रदेश निर्यात निगम की स्थापना वर्ष 1977 में की गई। इसके गठन का

मुख्य उद्देश्य, प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं का निर्यात, उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल का आयात एवं स्थानीय व्यापार वृद्धि है। निगम की अधिकृत पूँजी 2 करोड़ रूपये एवं प्रदत्त पूँजी 1 करोड़ रूपये है। कपास गठान, सिले सिलाये वस्त्र, कृत्रिम आभूषण, सोयाबीन की खली, ग्रेनाइट पत्थर एवं हीरा आदि के निर्यात में निगम का सराहनीय योगदान रहा है।

मध्यप्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने तथा निर्यातकों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से, विभिन्न उत्पादन समूहों के लिए, प्रदेश सरकार ने 8 राज्यस्तरीय निर्यात संवर्धन परिषदों का गठन किया है। इन परिषदों में क्रमशः हस्तशिल्प उत्पाद एवं कारपेट रत्न उद्योग, ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल, यांत्रिक वस्तुएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सॉफ्टवेयर, चर्म उत्पाद आदि शामिल किए गए हैं।

ftyk m|kx dsUnz % मध्यप्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई है। ये केंद्र एक ओर तो नये–नये उद्योगों को जिलों में लगाने का प्रयास करते हैं, वहीं दूसरी ओर इन उद्योगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता एवं कच्चे माल का प्रदाय भी सुलभ बनाते हैं। ये केंद्र स्वयं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं/सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु, लघु उद्योग सेवा संस्थान के माध्यम से संगोष्ठियों का आयोजन भी करते हैं। इसके साथ ही साथ, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों में लगाये जाने वाले मेलों, शिविरों आदि में भी अपना स्टॉल लगाकर, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के संबंध में जानकारी के साथ–साथ, उन्हें वित्तीय सुविधा प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाती है।

e/;izn'k foÙk fuxe % मध्यप्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अधीन की गई। निगम का उद्देश्य नए उद्योगों को एवं वर्तमान में चल रही योग्य औद्योगिक संस्थाओं को, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि के लिए औद्योगिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, राज्य में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन के अतिरिक्त सेवा क्षेत्र की इकाईयों जैसे– अस्पताल, नर्सिंग होम, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, होटल आदि के साथ–साथ आवासीय कालोनियों के विकास हेतु भी निगम द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। निगम, लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों को, विशेषतः पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को, बढ़ावा देने हेतु अधिक प्रयत्नशील है। निगम द्वारा नियमित ऋण भुगतान करने वाले उद्यमियों के लिए ''रिप्लेसमेण्ट ऑफ टर्म लोन'' नामक योजना आरंभ की गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निगम को प्रथम श्रेणी का मर्चेंट बैंकिंग का लाइसेंस प्रदान किया है। निगम का मुख्यालय प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में स्थित है।

औद्योगीकरण आधुनिक युग का एक नया धर्म बन चुका है, जिसका पालन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प विश्व के किसी देश के पास नहीं है। औद्योगीकरण की इसी अपरिहार्यता एवं सार्वभौमिकता को देखते हुए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने औद्योगीकरण को, राष्ट्रों के देवता की संज्ञा प्रदान की थी। उन्हीं के शब्दों में ''समस्त राष्ट्र जिस देवता की पूजा करते हैं। वह देवता है औद्योगीकरण, वह देवता है मशीन, वह देवता है वृहद् उत्पादन तथा अधिकाधिक लाभ के लिए प्राकृतिक शक्तियों एवं साधनों का अधिकाधिक उपयोग।''

''किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मापदण्ड वहॉ का औद्योगिक विकास होता है। यदि आप मुझे बता दें कि किस देश में कितना औद्योगिक विकास हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि वह देश आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से कितना संपन्न है, कितना विकसित है।'' औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने मानव जीवन को एक नई दिशा दी है। इस नवीन दिशा का जन्म, अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, इंग्लैण्ड में हुआ। इस तरह इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति की जो दीपशिखा प्रज्जवलित हुई, उसका प्रकाश इग्लैण्ड की सीमाओं को लांघता हुआ, अन्य देशों में पहुँच गया। इन देशों में पश्चिमी यूरोप के देश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख रहे। इतिहास इस बात का गवाह है, कि औद्योगीकरण के द्वारा केवल कुछ दशकों में ही ये देश विकास एवं संपन्नता के ऊँचे शिखरों को छूने लगे। अतः कहा गया कि, विकास के किसी भी सुदृढ़ कार्यक्रम में, औद्योगिक विकास को अनिवार्यतः एवं अंततः एक व्यापक भूमिका का निर्वाह करना होता है।

उद्योगों की स्थापना और विकास में, पूँजी की उपलब्धि एक महत्त्वपूर्ण कारक है। वर्तमान में, विशेष रूप से बड़े उद्योगों में, पूँजी प्रधान तकनीकों के द्वारा ही उत्पादन होता है, ऐसी स्थिति में औद्योगीकरण की प्रक्रिया तभी तेज की जा सकती है, जब विभिन्न स्त्रोतों से भारी मात्रा में वित्तीय साधन जुटा पाना संभव हो। अतः सरकार द्वारा औद्योगिक इकाईयों को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से, समय–समय पर अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। इन्हीं वित्तीय संस्थाओं में से एक है, राज्य वित्त निगम। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान किया गया, कि वे अपने राज्यों में वित्त निगम की स्थापना कर सकें व उद्योगों हेतु पर्याप्त अर्थ प्रबंधन कर, देश की प्रगति में हिस्सेदार बन सकें।

मध्यप्रदेश वित्त निगम की स्थापना, राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अधीन, भूतपूर्व मध्य भारत शासन द्वारा, वर्ष 1951 में की गई। दिनांक 1 नवबंर 1956 को नए मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना होने पर, इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश कर दिया गया एवं निगम का नाम ''मध्य प्रदेश वित्त निगम'' रखा गया। इस प्रकार यह निगम, हमारे प्रदेश के औद्योगिक विकास में पिछले 57 वर्षों से अपनी अमूल्य भूमिका का निर्वहन करते चला आ रहा है। इसका उद्देश्य, विशेषतः मध्यम एवं छोटे उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है।

अधिनियम के अनुसार, यह निगम अपने क्रिया कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत करता रहा है, परंतु जैसा कि सर्वविदित है, कि ये प्रतिवेदन केवल सूचनात्मक जानकारी प्रदान करते हैं, विश्लेषणात्मक नहीं। या यूँ कहें कि निगम अपने किए कार्यों को बताता है, परंतु जो कार्य हो सकते थे परंतु नहीं हो पाये उनके बारे में कुछ भी बताने में अपने आपकों पीछे पाता है। यदि इन अप्रकाशित कमजोरियों को भी नजरअंदाज न किया जाए, तो निगम सामाजिक दृष्टिकोण से भी अपने आपको उच्च श्रेणी में रख सकेगा। इसी हेतु इस शोध प्रबंध को, इन गतिविधियों के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से प्रकाशित किया जायेगा, ताकि इसका लाभ जहॉ एक ओर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को मिल सकेगा, तो दूसरी ओर निगम भी इन सुझावों को अपनाकर अपनी दक्षता में और भी वृद्धि कर सकेगा।

शैक्षणिक जगत का सदा से ही समाज, राष्ट्र, और संपूर्ण मानव जाति के लिए विशेष महत्व एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व रहा है। विश्व में होने वाले नित नये परिवर्तनों की जानकारी एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, उनके मानव जाति पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना, नित नये शोधों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हुए सरकार व समाज को अवगत कराना, शैक्षणिक जगत का मानव सभ्यता के लिए महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व रहा है।

''औद्योगीकरण से, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ढॉचे में, व्यापक परिवर्तन आता है। इसके प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तनों का तांता लगा रहता है। फिर, इन परिवर्तनों की सफलता के लिए परिवहन, चालन शक्ति, बैकिंग, प्रबंध व्यवस्था आदि अनेक क्षेत्रों में विकास लाया जाना आवश्यक बन जाता है। साथ ही औद्योगीकरण से, सामाजिक मूल्यों तथा तौर तरीकों में आवश्यक परिवर्तन लाने, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाओं की व्यवस्था तथा शहरीकरण की दिशा में विशेष सहायता मिलती है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज के बहुमुखी विकास में, औद्योगीकरण का योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण ठहरता है।''

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

[kk| lqj{kk ,oa Hkkstu dk vf/kdkj

Mk- lfurk JhokLro
एसो.प्रोफेसर सेज विश्वविद्यालय, इन्दौर

ifjp; %& भोजन मानव की कई मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और इसी कारण भोजन के मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राट्रीय कानून (1999) के विभिन्न अभिकरणों में मान्यता दी गई है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अन्तर्राट्रीय प्रतिज्ञापत की धारा 11 भूख और कुपोषण से मुक्ति के मौलिक अधिकार को मान्यता प्रदान करती है।

वैश्विक स्तर पर ब्राजील प्रथम देश है, जिसने भोजन के अधिकार को कानूनी जामा पहनाया। यह ब्राजील सरकार के चर्चित 'फोम जीरो' या 'जीरो हंगर प्रोग्राम' का हिस्सा था, जो विश्व में खाद्य सुरक्षा कायम करने के प्रयासों के रूप में काफी सराहा गया। 2010 में संविधान संशोधन के जरिए ब्राजील संविधान के सामाजिक अधिकारों की सूची में भोजन के अधिकार को जोड़ा गया और इससे जीरी होर प्रोग्राम को स्थायी कानूनी आधार मिल गया।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में जहाँ भारत बच्चों के कुपोषण के मामले में सबसे ऊँचे पायदान पर है और स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की स्थिति सबसे नीचे है, वहीं अन्तर्राट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान के वैश्विक भूख सूचकांक के 88 देशों में भारत का 66 वाँ स्थान है। भारत के पडोसी देश पाकिस्तान, नेपाल एवं मालदीव की स्थिति इस सूचकांक में भारत से कहीं बेहतर है। राट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वक्षण के अनुसार भारत में 3 साल से कम उम्र के 46 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जहाँ तक भारत में गरीबी का प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट (2011) के अनुसार भारत की एक–तिहाई आबादी (32.7 प्रतिशत) अर्न्तराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे है। इनकी प्रति व्यक्ति आमदनी क्रय शक्ति के आधार पर 1.25 डॉलर प्रतिदिन से कम है। ऐसी दशाओं में भारतीयों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार अपरिहार्य ही नहीं वरन अनिवार्य है, ताकि वंचित वर्ग ससम्मान जीवन–यापन कर सके। भारत में गरीबों एवं कुपोषितों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती दरों पर चावल, गेहूँ व मोटा अनाज, केरोसिन आदि उपलब्ध कराया जाता रहा है, किन्तु संसद द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा कानून 2013 द्वारा लाभार्थियों में 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत तक की शहरी आबादी तक इसका विस्तार कर दिया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा कानून ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाली 44 फीसदी आबादी का दायरा बढाकर 67 प्रतिशत कर दिया है। इसके फलस्वरूप लाभार्थियों को पाँच किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से आगामी तीन साल तक स्थिर कीमतों पर चावल, गेहूँ और मोटा अनाज क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मुहैया कराया जाएगा। ध्यातव्य है कि निर्धनतम परिवारों के लिए अंत्योदय योजना को जारी रखा गया है। इसके तहत प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज लाभार्थियों को दिया जाता है। देश में 2.47 करोड़ परिवार इस श्रेणी में आते है। अब अंत्योदय परिवारों को 35 किलो ग्राम अनाज उपरोक्त दरों से देय होगा।

mi;qDr [kk| lqj{kk dkuu e dN vkj Hkh ljkguh; dk;Z fd, x, g] tk fuEuor g &

1. स्तनपान कराने वाली (माताओं को एक अवधि तक मुफ्त आहार एवं 6 महीने से लेकर 6 वर्ष के उम्र तक के बच्चों की आयु अनुसार आंगनवाडी के माध्यम से मुफ्त आहार। वस्तुतः यह कार्यक्रम पूर्व से ही बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्रालय की और से सार्वभौमिक रूप से चलाया जा रहा है।
2. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को छुट्टियों को छोड़कर प्रत्येक दिन दोपहर में एक बार मुफ्त भोजन। यह भी मध्याह्न भोजन योजना के रूप में पूर्व से ही संचालित है।
3. गर्भवती महिलाओं को मुफ्त आहार और प्रसूति सुबिधाओं के लिए 6 महीने की अवधि में 6000 रुपये के नकद सहायता।
4. विपन्न व्यक्तियों को दिन में एक बार मुफ्त आहार।
5. बेघर लोगों को सामुदायिक रसोई से आहार।
6. विपदा एवं आपातकाल के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को 3 महीने तक दिन में 2 बार निशुल्क भोजन।

उपर्युक्त तथ्यों के अलावा खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए अन्न उत्पादन, विपणन, भण्डार, छोटे और सीमान्त कृषकों के हितों को सुरक्षित करने के उपायों के माध्यम से कृषि सुधार, फसल बीमा, अनुसंधान एवं विकास की लगातार प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में भी उल्लेख किए गए हैं। कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार आदि शामिल है। खाद्य सुरक्षा कानून में शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था है। राज्य एवं जिला स्तर पर निवारण तंत्र स्थापित किए जाएँगे, जिसमें नियत अधिकारी तैनात होंगे।

खाद्य सुरक्षा कानून की महत्वपूर्ण पहल महिला सशक्तिकरण की है। प्रत्येक पात्र गृहस्थी में वैसी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, राशनकार्ड जारी करने के लिए गृहस्थी की मुखिया मानी जाएगी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उचित दर दुकानों का प्रबंधन महिलाओं को या उनके समूहों को देने की प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

सरकारी अनुमान के मुताबिक इस कार्य हेतु 6. 12 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होगी एवं 1 लाख 24 हजार 724 करोड़ रुपये सरकारी खर्च का अनुमान है। यह लगभग 1 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के करीब होगा। यह व्यय आयकर योजनाओं में उद्यमियों को दिए जाने वाली छूटों की अपेक्षा कहीं कम है एवं इसके प्रति रोजगार सृजन की संभावना भी अति व्यापक है। मोटे अनाजों, जिनका उत्पादन 2011–12 में 32.5 मिलियन टन से घटकर 2012–13 में 28.5 मिलियन टन रह गया है। इसके प्रति व्यापक सरकारी खरीद से इस न्यूट्रीप सीपिलस का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सकेगा।

वस्तुतः खाद्य सुरक्षा कानून ने संविधानिक उपबन्धों यथा अनुच्छेद 42 मातृत्व राहत अनुच्छेद 47 सभी के पोषण एवं रहन–सहन को उठाना एवं लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने, अनुच्छेद 21 जिसमें ससम्मान गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार समाहित है, आदि के प्रति सरकारी वचनबद्धता को दृढ़ता प्रदान करता है।

fu"d"k %& हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा एक जटिल प्रश्न है, परन्तु किसी भी देश को उन्नति पहला स्तम्भ यही है। अतएव् खाद्य सुरक्षा कानून इस दिशा में दुनिया का सबसे बडा अभियान है। राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं सतर्क नौकरशाही से प्रत्येक व्यक्ति के भोजन के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

InHk Iph %&

- एस.के. जैन – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं नियम
- राम नरेश चौधरी – उपभोक्ता विधि
- इन्द्रजीत सिंह – उपभोक्ता संरक्षण विधि
- डॉ. जे.एन. पाण्डे – भारतीय संविधान

tcyiqj ftys ds fodkl[k.M dq.Me ds ckjs esa lkekU; tkudkjh

Mk- izhfrckyk feJk
निर्देशक, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य, स्वाशासी महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)
ek/koh yrk
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

म.प्र. के जबलपुर जिले में कुण्डम ग्राम को विकासखण्ड, जनपद पंचायत और ब्लॉक का दर्जा प्राप्त हैं। विकासखण्ड कुण्डम राज्यमार्ग क्रंमाक 22 पर जबलपुर से 45 कि.मी. की दुरी पर स्थित हैं। जिसकी स्थापना 20/10/1959 को में हुई, जो कि 970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण आदिवासी बाहुल्य रमणीय स्थल है।

कुण्डम विकासखण्ड 970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण आदिवासी बाहुल्य में स्थित हैं। कुण्डम को पहले ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त था क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार की जनसंख्या 7,159 थी जो बढ़कर अब 1,28,804 हैं। इसकी जनसंख्या को बढ़ते हुवे देखते हुवे इस ग्राम पंचायत को जनपद का दर्जा प्राप्त हुआ। इस विकासखण्ड में कुल 68 ग्राम पंचायत को शामिल किया गया हैं, जिसके अंतर्गत कुल 199 गावं शामिल हैं। इस विकासखण्ड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 90,222 हैं, जिसमें बैगा जनजाति की जनसंख्या 11052 हैं। कोल जनजाति की जनसंख्या 981 है। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग 28524 है। इस विकासखण्ड में प्राथमिक शाला की संख्या 233 है। माध्यमिक शाला संख्या की संख्या 71 हैं। हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूल की संख्या 12 हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या 1 हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या 4 हैं। वाणिज्य बैंकों की संख्या 8 हैं। पशु चिकित्सालय की संख्या 2 हैं। इस प्रकार से कुण्डम विकासखण्ड की सामान्य जानकारी उपलब्ध हैं।[13]

प्रस्तुत अध्ययन में कुण्डम विकासखण्ड में निवासरत अनुसूचित जनजाति में कोल जनजाति जिस गॉव में निवासरत हैं उसकी जानकारी इस प्रकार हैं। जमुनिया गॉव में इस जनजाति की जनसंख्या 256 हैं जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या 0 हैं, अनुसूचित जनजाति की संख्या 221 हैं, कोलजनजाति की संख्या 132 हैं। इसी प्रकार से बघराजी गांव की जनसंख्या 4788 हैं जिसमें कोलजनजाति की संख्या जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या 575 हैं, अनुसूचित जनजाति की संख्या 523 हैं, कोलजनजाति की संख्या 225 हैं। इसी प्रकार से सुनावल गांव की जनसंख्या 778 हैं जिसमें कोलजनजाति की संख्या जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या 43 हैं, अनुसूचित जनजाति की संख्या 192 हैं, कोलजनजाति की संख्या 189 हैं। इसी प्रकार से डबराकला गांव की जनसंख्या 309 हैं जिसमें कोलजनजाति की संख्या जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या 0 हैं, अनुसूचित जनजाति की संख्या 258 हैं, कोलजनजाति की संख्या 25 हैं। इसी प्रकार से तौरी गांव की जनसंख्या 276 हैं जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या 0 हैं, अनुसूचित जनजाति की संख्या 242 हैं, कोलजनजाति की संख्या 230 हैं। इसी प्रकार से सहजपुरी गांव की जनसंख्या 742 हैं जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या 218 हैं, अनुसूचित जनजाति की संख्या 192 हैं, कोलजनजाति की संख्या 18 हैं। इसी प्रकार से इमलई गांव की जनसंख्या 1297 हैं, जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या 0 हैं, अनुसूचित जनजाति की संख्या 610 हैं, कोलजनजाति की संख्या 18 हैं।

(अ) HkkSxksfyd fLFkfr :– जबलपुर जिला 22.49^0 और 24.08^0 उत्तर अक्षांश और 79.21^0 से 80.53^0 पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं। वह मध्यप्रदेश के मध्य में स्थित जिलों में से एक हे। कर्क रेखा जिले के मध्य से जाती है और उसे लगभग दो संभाग भागों में विभाजित करती हैं। उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व की ओर देखने से जिले का आकार पंख फैलाई हुई तितली के समान प्रतीत होता है। यह लगभग सम–चतुष्कोण है। दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर उसकी अधिकतम लम्बाई 120 मील (193.1 किलो मीटर) है और पश्चिम में पूर्व की ओर उसकी अधिकतम चौड़ाई 72 (115.87 किलो मीटर) है। यह जिला उत्तर में पन्ना जिले से उत्तर–पूर्व में सतना जिले से, पूर्व में शहडोल जिले से, दक्षिण–पूर्व में मंडला जिले से, दक्षिण में मंडला और सिवनी जिलों से, दक्षिण–पश्चिम में नरसिंहपुर जिले से,

और पश्चिम और उत्तर–पश्चिम में दमोह जिले से घिरा हुआ है। जिले का क्षेत्रफल 5211 वर्ग किलोमीटर हैं। जबलपुर जिले में कुल सात तहसीलें आती हैं, जिसमे जबलपुर, कुन्डम, सिहोरा, पाटन, मझौली, शहपुरा और पनागर तहसीलें शामिल हैं इसके अतिरिक्त जबलपुर जिले में कुल सात ही विकासखण्ड हैं जिनके नाम पनागर, कुन्डम, बरगी (जबलपुर), सिहोरा, पाटन, मझौली और शहपुर आते हैं।[14]

(ब) tul[;k :– 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनंसख्या 24,60,714 है। इसमें पुरूषों की आबादी 12 लाख 78 हजार 448 और महिलाओं की आबादी 11 लाख, 82 हजार, 266 हैं। जिलों में साक्षरता का प्रतिशत 82.5 हैं। पुरूष साक्षरता की दर 89.1 और महिला साक्षरता की दर 75.3 हैं। नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत 88.5 और ग्रामीण क्षेत्रों में 73.7 हैं। जिले में स्त्री पुरूष का अनुपात 925 हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा कुण्डम विकासखण्ड की 2011 की जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार की जनसंख्या 7,159 थी जो बढ़कर अब 1,28,804 हैं। इसमें पुरूषों की जनसंख्या 107337 हैं वहीं महिलाओं की जनसंख्या 53785 हैं। इसी आधार पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 8400 हैं। जिसमें पुरूष की संख्या 4265 हैं और महिलाओं की संख्या 4132 हैं। इसी आधार पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 75185 हैं। जिसमें पुरूष की संख्या 37862 हैं और महिलाओं की संख्या 37823 हैं। इसमें जनसंख्या के आधार पर इस विकासखण्ड को तीन वर्गो में विभाजित किया गया हैं। जिसमें आबाद ग्रामों की संख्या 199 हैं, राजस्व ग्राम की संख्या 191 हैं। वन ग्राम की संख्या 2 है, विरान ग्राम की संख्या 8 हैं। इसी तरह से राजस्व निरीक्षण सर्किल ग्रामों की संख्या 8 हैं जिसमें पटवारी हल्का नम्बर 68 हैं, ग्राम पंचायत 68 हैं। इसके अंतर्गत मुख्यकार्यशील जनंसख्या 33855 हैं। जिसमें कृषि में कार्य करने वाले कृषक 17272 हैं तथा खेतीहर मजदूर 9927 हैं, पारिवारिक उद्योग से संबंधित व्यक्ति 1407 हैं तथा अन्य कार्यशील व्यक्ति 5249 हैं। इसके अलावा कुल साक्षारता का प्रतिशत 45768 हैं। जिसमें कुल पुरूष साक्षर पुरूष 29462 हैं जिसमें महिला साक्षरत 16306 हैं। इसके अलावा इस विकासखण्ड में 233 प्राथमिक शालाएँ हैं। जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 13717 हैं और इनको अध्ययन कराने के लिए कुल 432 शिक्षक हैं। इसके अलावा 73 माध्यमिक शालाएॅ हैं, जिसमें 7873 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और उनको अध्ययन कराने के लिए कुल 142 शिक्षक हैं। इसके अलावा इस विकासखण्ड में उच्च माध्यामिक शालाएॅ/हाईस्कूल 15 हैं जिसमें विद्यार्थीयों की संख्या 7423 हैं और शिक्षकों की संख्या 79 हैं। इसके अलावा इस विकासखण्ड में 1 महाविद्यालय हैं जिसमें 320 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं इसके अलावा 6 शिक्षक इन विद्यार्थीयों को अध्ययन कराते हैं। इसके अलावा इस विकासखण्ड में 1 व्यावसायिक संस्थाऐं जिसमें 8 विद्यार्थी हैं और इनको पढ़ाने के लिए 1 शिक्षक हैं। इस अलावा इस क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पुनतः बंद हो गया हैं। पुलिस थाना 1 है, विश्राम गृह 3 शामिल हैं। इसके निकटतक रेल्वे स्टेशन कुण्डम विकासखण्ड से 48 किलोमीटर की दुरी पर स्थित है।

शोधार्थी का अध्ययन क्षेत्र जबलपुर के कुण्डम विकासखण्ड में ''शिक्षा एवं जनजातीय स्त्री सशक्तिकरण के संदर्भ में लिया गया हैं, इसलिये कुण्डम विकासखण्ड के बारे में सामान्य जानकारी शोधार्थी के द्वारा स्वयं अध्ययन क्षैत्र कुण्डम में जाकर वहाँ की महिलाओं, पुरूषों, व अन्य विभागों में जाकार वहाँ की सामान्य जानकारी हासिल की हैं जिसका उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा हैं।

lanHkZ xzUFk lwph%&

1. प्रेमनारायण श्रीवास्तव, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर प्रथम संस्करण 1939 पृ. 145–150
2. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, जबलपुर 2016
3. विकासखण्ड सांख्यिकीय पुस्तिका कुण्डम के अनुसार
4. कुण्डम के सरपंच व सचिव के आधार पर दिये गये लेखों के आधार पर
5. स्थानीय व्यक्तियों से लिये गये साक्षात्कार के आधार पर

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

1857 e gkYdj fjlk;r d lfud vf/kdkfj;k dh Økfr e Hkfedk

Mk- ch-, y- pkgku
निर्देशक, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय सरदारपुर, राजगढ़ जिला धार
lkuy fl g okLdy
शोधार्थी

उस समय होल्कर की सेना में सभी दलों के कुल 7500 सैनिक थे, किंतु उसकी संपूर्ण सेना इंदौर में ही नही थी और उसकी कार्यक्षमता या राजनिष्ठा में महाराजा का विश्वास नहीं था। वास्तव में उसकी अस्थायी सेना पर उसका नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश सेना इंदौर से 16 मील दूर महू में तैनात थी। महू स्थित गैरिसन में एक ब्रिटिश तोपखाना, जिसके चालक भारतीय थे 26 बीं बंगाल देशी पैदल सेना का एक रेजीमेंट और प्रथम बंगाल रिसाले का एक विंग था। यद्यपि महू स्थित गैरिसन में भारतीयों की संख्या अधिक थी तथापि बंगाल तोपखाना जिसमें योरपीय तोपचीं थे भारतीय सेना को कुछ समय तक रोक रखने में सफल रहा।

अप्रैल के अंत में ड्यरेड को समाचार मिला कि 36 वीं बंगाली देशी पैदल सेना का एक सिपाही रीवा दरबार का संदेश ले जाते हुए पकड़ा गया है। 13 मई 1857 को उसे आगरा से तार प्राप्त हुआ कि मेरठ तथा देहली में विद्रोह भड़क उठा है। इसके बाद ही देश के अन्य भागों में भी विद्रोह फैलने लगा। दूर–दूर तक फैले विद्रोह के समाचार ने ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के हृदयों में विद्रोह के प्रति सहानुभूति की भावना जागृत की। महू स्थित गैरिसन ने मई के दूसरे सप्ताह में इंदौर रेसीडेंसी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होनें इंदौर स्थित सैनिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनमें गुप्त चर्चाऐं की। विद्रोह किसी दिन भी भड़क सकता था और मई के तीसरे सप्ताह में इंदौर शहर तथा रेसीडेंसी में बहुत ही आंतक छाया हुआ था।

अतः ड्यरेंड ने रेसीडेंसी तथा खजाने की सुरक्षा करने की व्यवस्था करने का निश्चिय किया, जिससे उस समय सिक्कों के रूप में 1,30,000 पौंड तथा शासकीय पत्रों के रूप में 2,40,000 पौंड थे। वह विद्रोह की आग को स्थायी सेना के जवानों से सैन्यदल के सिपाहियों में फैलने से रोकना चाहता था। रेसीडेंसी तथा खजाने की रक्षा के लिए इंदौर में स्थित एकमात्र टुकड़ी मालवा सैन्यदल की एक रेजीमेंट थी, जिसमें 200 सिपाही थे और वे रेसीडेन्सी की रक्षा करने के लिए अपर्याप्त थे। इसलिए ड्यूरेंड ने इंदौर के लगभग 40 मील दूर सरदारपुर से 260 भीलों की एक सैन्य टुकड़ी तथा भोपाल सैन्यदल के मुख्यालय सीहोर से रिसाले की 2 टुकड़ियों 260 पैदल सैनिक तथा 2 तोपों द्वारा अपने गैरीसन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। यह कुमक 20 मई 1857 को इंदौर पहुंची। इस बीच 15 मई को रेसीडेंट महाराजा से मिलने गया और अनुरोध किया कि आपात् स्थिति में महाराजा की सेना आवश्यक सहायता करें महाराजा ने सभी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया।

अगले दिन यह समाचार मिला कि 23 कि 23 वीं बंगाल देशी पलटन के अधिकारियों को अपने सिपाहियों पर संदेह है। अतः ड्यूरेंड मीर मुंशीस्वरूप नारायण को महाराजा के पास भेजा और कहलाया कि वे तत्काल अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भेज दे। इन (अफवाहों) का तत्काल खंडन किया गया किंतु तब तक महाराजा ने आदर्श जारी कर दिये थे। निःसंदेह इससे शहर में भारी अशांति फैल गई।

16 मई को महू में इंदौर पत्र भेजना बंद कर दिया गया। यह संदेह किया गया था कि पत्रों में ऐसी जानकारी है जिससे इंदौर के नागरिक भड़क सकते है। रेसीडेंसी के प्राधिकारियों को इन्दौर में विद्रोह भड़कने की आंशका थी अतः उन्होनें भोपाल सैन्यदल के कमान अधिकारी को आदेश दिया कि वह अपना रिसाल लेकर इंदौरी की ओर बढ़े। किंतु पत्र वहाँ तक नहीं पहुंचा। अतः ब्रिटिश सैनिक स्थान सरदारपुर को तुरंत यह संदेश भेजा गया कि मालवा भील सेना तथा उसकी दो तोपें भेज दी जांए।

भोपाल सैन्यदल तथा मालवा भील सेना विवश होकर मार्च करते हुए 20 मई को सुबह इंदौर पहुची। उनके आ जाने पर मूह से पत्रों का भेजा जाना अनुमत कर दिया गया। इस प्रकार मई माह चिंता और संदेह के वातावरण में बीता। इस प्रकार मई माह चिंता और संदेह के वातावरण में बीता। इन सभी सावधानियों के

बावजूद इंदौर में अंग्रेजों के विरूद्ध असंतोष की भावना तेजी से फैल रही थी। अजमेर से 15 मील दूर स्थित राजपूताना क्षेत्र सेना के मुख्यालय नसीराबाद में विद्रोह भड़क उठने का समाचार इंदौर में पहली जून को पहुँचा।

नीमच स्थित गैरिसन 3 जून की रात को नौ बजे एकत्र हुई और मध्यभारत में विद्रोह के श्री गणेश के प्रतीकास्वरूप प्रथम गोली चलाई और छावनी के बंगलों में आग लगा दी और नीमच के किले पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। नीमच में विद्रोह फैलने का समाचार इंदौर तथा महू 6 जून की पहुँचा। नीमच अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण सैन्य स्थान था, जो सिंधिया के प्रदेश की सीमा पर स्थित था, और इंदौर तथा महू के सिपाहियों का नीमच के विद्रोही नेताओं के निकट संपर्क बना हुआ था। अतः नीमच विद्रोह की कहानी ने सिपाहियों तथा सवारों में नई उत्तेजना का संचार किया।

उसी दिन इंदौर में यह अफवाह फैली कि महू की टुकड़ियां विद्रोह करने के पश्चात् रेसीडेंसी की ओर बढ़ रही है। तुकोजीराव ने अपने वचनानुसार रेसीडेंसी को महाराजा पलटन तथा बजरंग पलटन नामक सिपाहियों की दो कंपनियाँ तथा तीन तोपें और कुछ सवार भी भेजे कितु कुछ समय पश्चात् वर्षा हो जाने के कारण उन्हें वापस बुला लिया गया। रेसीडेंसी की सुरक्षा की ड्येरेंड ने व्यवस्था की। रेसीडेंसी के पश्चिमी द्वार पर नीमच क दिशा में भोपाल सैन्यदल की दो तोंपे लगाई गई। उसने रेसीडेंसी घुड़साल चौंक में भोपाल सैन्यदल का रिसाला तथा इंदौरं रेसीडेंसी डाकघर के पास तैनात की गई थी और उसका रिसाला रेसींडेंसी के उत्तरी पश्चिम में जाबरा के नवाब के अहाते में तैनात किया गया।

महीदपुर की यूनाइटेंड मालवा कंटिजेंट रिसाले द्वारा विद्वोह किए जाने की सूचना इंदौर में 9 या 10 जनू की प्राप्त हुई। उन्होने अपने कमान अधिकारी कैप्टन बोर्डो तथा उसके एड्जुटेन्ट लेफ्टिनेन्ट हंट की भी हत्या कर दी थी। चूंकि महिदपुर अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण सैन्य स्थान था अतः उस स्थान पर विद्रोहियों की सफलता ने इंदौर और टुकड़ियों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया। महीदपुर के विद्रोह के समाचार से महाराजा भी अत्यधिक विक्षुब्ध थे। ड्यूरेंड ने महाराजा से शहर में उनके महल में भेंट की। ड्यूरेंड को यह सुझाव दिया गया कि रेसीडेंसी के समस्त खजाने तथा महिलाओं और बच्चों का सुरक्षा की दृष्टि से महू भेज दिया जाए।

11 जून को इंजीनियर अधिकारी कैप्टन लूडले तथा कोव के कर्नल ड्यूरेन्ड को सलाह दी कि खजाना, जो पृथक भवन में है, वहाँ से रेसीडेंसी भेज दिया जाए जिससे कि उन्हें केवल एक ही स्थान की रक्षा करनी पड़ी। किंतु ड्यूरेड ने यह स्वीकार नहीं किया। रेसीडेंसी के चारों ओर खाई खोदने का उनका प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया गया। ड्यूरेंड का यह विचार था कि रेसीडेन्सी की मोर्चाबंदी करने से सिपाहियों के मन में संदेह तथा भय की भावना बढ़ेगी। महू स्थित गैरिसन में इस समाचार से पहले ही भय तथा आशंका की भावना पैदा हो गई थी कि बम्बई के गवर्नर लार्ड एलफिस्टस्न ने बम्बई प्रेसीडेंसी से मेजर जनरल बुडवर्न के अधीन सेना की एक टुकड़ी भेज दी है। यदि सेना की वह टुकड़ी ही आ जाती तो सेन्ट्रल इंडिया एक बड़े संकट से बचाया जा सकता था। किंतु सेना की वह टुकड़ी अचानक औरंगाबाद के विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ भेज दी गई। ड्यरेंड ने लॉर्ड केनिंग के निजी सचिव को वुडवर्न को औरंगाबाद का विद्रोह दबाने में सफलता मिली और वह महू आ सकता था किंतु वह उस ओर नहीं आया और औरंगाबाद में ही पड़ा रहा।

24 जून को महू के कर्नल लेट ने एक ऐसा भेदिया पकड़ा, जिस पर सिपाहियों के लिए कोई क्रान्तिकारी समाचार ले जाने का संदेह था। उसने उसे आवश्यक कार्यवाही की जाने के लिए कर्नल ड्यरेन्ड के पास इंदौर भेज दिया। तीन दिन बाद इंदौर की ब्रिटिश टुकड़ियों के बीच अनेक भेदिये देखे गए। 4 जून के अंतिम सप्ताह में इंदौर रेसीडेंसी की सुरक्षा के लिए खान नदी के पास तैनात इंदौर राज्य रिसाले के 300 सैनिक होल्कर सेना के कमान अधिकारी बख्शी खुमानसिंह द्वार चतुराई से' शहर में उनकी लाईनों में वापस भेज दिए गए। वुडवर्न की टकड़ियों के महू की ओर अग्रसर न होने का समाचार सिग्नल कार्यालय में गुप्त न रह सका और शहर के बाजारों में सभी को ज्ञात हो गया। उसी समय इंदौर शहर के एक महाजन को यह समाचार प्राप्त हुआ कि दिल्ली का पतन नहीं हुआ है।

होल्कर सेना द्वारा सुबह लगभग 8–40 पर रेसीडेंसी पर आक्रमण किया गया। इस विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता सआदत खान, वंश गोपाल अर्स रावसिंह, भागीरथ, नवाब वारिस मोहम्मद खान, मौलवी अब्दुल

समद तथा अन्य व्यक्ति थे। इस विद्रोह का नेतृत्व सआदत खान और वंशगोपाल कर रहे थे, जिससे प्रकट होता है कि विद्रोह अन्य स्थानों की तरह राष्ट्रीय स्वरूप था। आठ घुड़ सवारों के साथ सआदत खान इंदौर की ओर से अपने घोड़े पर चिल्लाता हुआ चला आ रहा था। ''तैयार हो जाओं, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो यह महाराजा का आदेश है।'' दरबार की टुकड़ियों ने तुरन्त ही इसका उत्तर दिया और तोपचियों ने अपनी तीनों तोपें निशाने पर साधी। तब उन्होने रिसाले की टुकड़ी पर गोले बरसाये। आक्रमण करने वाली पहली टुकड़ियों में स्थाई पैदन सेना की 2 कंपनियों और तीनों पौंड का गोला दागने वाली तोंपे थी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उन्होने भोपाल सैन्यदल के रिसाले पर गोले बरसाये। पैदल सेना और नागरिकों ने मिलकर 29 अंग्रेजों की, जिसमें यूरोपियन, यूरेशियन पुरूष तथा महिलाऐं तथा बच्चे थे, की हत्या की। कर्नल ट्रेवर्स ने रेसीडेंसी को बचाने का प्रयन्त किया, किंतु केवल पांच व्यक्तियों ने जो सभी सिक्ख थे, उसका साथ दिया और वे होल्कर के तोपचियों के बीच घुस गए। उन्होनें तोपेचियों को भगा दिया, सआदत खान को घायल कर दिया तथा कुछ क्षणों के लिए तोपों पर अधिकार कर लिया। किंतु शीघ्र ही होल्कर की पैदन सैना आ गई और उसने तोपों पर पुनः कब्जा कर लिया। विद्रोही नेता अब अपनी तोपें रेसीडेंसी के सामने के स्थान पर ले गए और उन्होनें पुन गोला बारी प्रारम्भ कर दी। ट्रेवर्स ने खुले स्थान पर पड़े हुए तोपखाने पर कब्जा करने का पुनः प्रयास किया किंतु सफल नही हो सका। उसके सैनिकों ने उसका साथ नहीं दिया।

lanHk xFk lph :–

1) फजेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन मध्यभारत, 1857, पृष्ठ 3
2) जी.डब्ल्यू. फारेस्ट, ए हिस्ट्री ऑफ दि इंडियन म्युटिनी, जिल्द तीन, पृष्ठ 141
3) एनाल्स ऑफ दि इंडियन रिबेलियन, एन.ए. चिक द्वारा संकलित, पृष्ठ 842
4) विक्रम यूनिवर्सिटी जर्लन, जिल्द दो, क्र. 2, पृष्ठ 104
5) इंदौर स्टेट गजेटियर, 1908, पृष्ठ 141
6) इंदौर नगर–एक झलक, 1952, पृष्ठ 13–14

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

vf[ky Hkkjrh; lEeyu o lxhr vf/ko'ku e v..kk lkgc ¼Hkkr[k.M th½ dk ;kxnku rFkk nf"Vdk.k

vtyh dukft;k
(नेट) (एस0आर0एफ) संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

पं0 भातखण्डे जी द्वारा दिए गये संगीत के उत्थान हेतु कार्यो मे सभी अधिवेशनो का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन्होंने भारतीय संगीत के घरानेदार कलाकारों में पनपती हुई संकीर्णताएं दूर की तथा नवीन शिक्षा पद्धति का प्रचार किया, भारतीय संगीत में अधिवेशनों की परम्परा पं0 भातखण्डे जी की ही देना है।

i0 Hkkr[k.M th }kjk vk;kftr lxhr vf/ko'kuk dh lph

	vf/ko'ku	o"k	LFkku
1	प्रथम अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन	1916	बड़ौदा
2	द्वितीय अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन	1918	दिल्ली
3	तृतीय अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन	1919	बनारस
4	चतुर्थ अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन	1922	हरिद्वार
5	पांचवाँ अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन	1924	लखनऊ
6	छठवाँ अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन	1925	लखनऊ

(1) i0 th }kjk fd;k x;k iFke vf[ky Hkkjrh; lxhr vf/ko'ku :

महाराजा बड़ौदा ने जब पं0 भातखण्डे जी को बुलाया और बड़ौदा में संगीत विद्यालय पुनर्गठन करने की बात कही, उसी समय ही भातखण्डे जी ने प्रथम संगीत अधिवेशन 1916 की योजना लिखकर श्रीमन्त बड़ौदा नरेश को बताई। इसके फलस्वरूप सन् 1916 के मार्च मे पहला अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन बड़ौदा में वहाँ की सरकार के संयोजन से कराया गया। इस अधिवेशन में बहुत विद्वानों ने हिस्सा लिया।

स्वतनत्रता के पश्चात् सांस्कृतिक विकास के प्रति जन–साधारण मे जागरूकता तो अवश्य उत्पन्न हुई और धीरे–धीरे इसे संस्कार ने भी इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। परन्तु इसके पूर्व में पंडित भातखण्डे जी द्वारा आयोजित किए थे। संगीत अधिवेशनों से भारतीय शास्त्रीय संगीत की हालत में अत्यन्त सुधार आया था। इसी तरह पं0 भातखण्डे जी के बताये हुये मार्ग पर पुनः यदि इसी तरह के संगीत अधिवेशन होना शुरू हो जाये तो संगीत विषयक बहुत सी बाते निश्चित एवं सर्वमान्य होकर सब झगड़े मिट जायेगे। संगीत अधिवेशनों की यह बहुत बड़ी कल्पना संगीत क्षेत्र में पं0 भातरखण्डे जी की ही देन है।

Hkkr[k.M th }kjk fd;k x;k f}rh; vf[ky Hkkjrh; lxhr vf/ko'ku :

सन् 1916 में बड़ौदा की अखिल भारतीय संगीत परिषद हुई थी। इसके पश्चात् 1918 मे दिसम्बर के माह के अंतिम सप्ताह में द्वितीय अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन दिल्ली में आयेाजित किया गया था। इस संगीत अधिवेशन

के अध्यक्ष हिजहाई नेस नवाब साहब रामपुर थे। इसमे रामपुर के छम्मन साहब, ठाकुर नवाब अली खाँ एवं स्वयं पं0 भातखण्डे जी जिसके परिश्रम से यह अधिवेशन किया गया। यह सब मौजूद थे। पं0 भातखण्डे जी ने हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति की एक केन्द्रीय शिक्षण संस्था दिल्ली मे ही स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक पं0 भातखण्डे जी के प्रस्ताव का समर्थन किया पर किन्ही कारणों से परिस्थितियाँ अनुकूल न होने के कारण इस केन्द्रीय संगीत संस्था के लिए बनाये गये विचार सफल नही हो पाये। इस केन्द्रीय संगीत संस्था के लिए रामपुर नरेश का पूरा समर्थन था। साथ ही उन्होंने पर्याप्त धन राशि देने का आश्वासन भी दिया था। यह केन्द्रीय संगीत संस्था खुलने मे सबसे ज्यादा श्री छम्मन साहब सहयेाग कर रहे थे। इसके अलावा दत्तात्रेय केशव, स्व0 श्री वाणीलाल जी पं0 जी के साथ हमेशा रहते थे। पं0 भातखण्डे जी की इस कोशिशों से भारतीय संगीतज्ञो को एक नवीन दिशा प्रस्फुटित हुई। सभी नवीन संगीत प्रणाली में शिक्षण प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। डॉ0 मधुबाला सक्सेना अपनी पुस्तक ''भारतीय संगीत शिक्षण प्रणाली एवं उसका वर्तमान स्तर'' के पृष्ठ क्रमांक 90 पर लिखती है कि दूसरा अधिवेशन पं0 भातखण्डे जी ने सन् 1918 मे दिल्ली में नवाब रामपुर नरेश की अध्यक्षता मे सम्पन्न किया था। उन्होंने अपनी लगन, तपस्या तथा संगीत प्रचार के उत्साह से प्रेरणा लेकर बहुत सी संगीत बैठकें आयोजित की। इन संगीत बैठकों से अब्दुल करीम खाँ, जयपुर के अल्लादिया खाँ, ग्वालियर के शंकर राव पंडित, इटावा के इनायत खाँ आदि ने भी संगीत का प्रशिक्षण देना आरम्भ कर दिया। यह पं0 भातखण्डे जी के ही परिश्रमों का फल हैं।

इस अधिवेशन में विशेषतया पं0 जी ने विवाद ग्रस्त राग जैसे सारंग और तोड़ी के प्रकारों पर ही विद्वानों से चर्चा की थी। उनका यह पहले से ही दृढ़ निश्चय था कि जितने भी हमारी संगीत पद्धति मे विवाद ग्रस्त राग है उसे सर्व सम्मति से उनके रुप निर्धारित किए जाऐं।

i0 th }kjk fd;k x;k r`rh; vf[ky Hkkjrh; laxhr vf/kos'ku %

दिल्ली अधिवेशन के पश्चात् सन् 1919 दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में तीसरा अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन बनारस में हुआ। इस संगीत अधिवेशन के तथा भारतीय परिषद मण्डल के स्थाई सचिव पं0 भातखण्डे जी ही स्वयं थे, और बनारस अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन के अस्थाई तत्कालीन सचिव स्व0 श्री शिवेन्द्र नाथ बसु उर्फ सन्तु बाबा थे। श्री सन्तु बाबू बनारस के ही निवासी एक रईस थे। श्री शिवेन्द्र नाथ ही पं0 भातखण्डे जी के इन अधिवेशनों के लिए मार्ग दर्शक थे।

इस विशाल सभा के दौरान विवाद ग्रस्त अनेको रागों के मतभेद मिटाऐं गये। एवं उनके अधिकृत स्वरूप निश्चित किए गये। बनारस के संगीत अधिवेशन में भी पं0 जी ने गायकों–वादको के भी संगीत संबंधी झगड़े मिटाना उनका परम ध्येय था। प्रत्येक विवाद ग्रस्त राग के एक निश्चित स्वरूप को निर्धारित भी किया गया और स्वयं रचित हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के चारो भागों में समझाया हैं। इसके अलावा अधिवेशन मे गायक–वादकों के संगीत कार्यक्रम भी हुये। जिन संगीतज्ञों को अपने–अपने क्षेत्र विधा मे महारथ हासिल थी पं0 भातखण्डे जी ने उन महारथी गायको–वादकों को इस अधिवेशन में मंच प्रदान किया।

i0 Hkkr[k.Ms th }kjk fd;k x;k prqFkZ vf[ky Hkkjrh; laxhr vf/kos'ku %

पं0 भातखण्डे जी ने चतुर्थ अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन हरिद्वार में आयोजित किया था। जनता के सामने प्रमाणिक जानकारी रखने की उन्हें इतनी तीव्र आकांक्षा थी कि सन् 1922 में गीतों के पाठ भेदो पर विचार करने के उद्देश्य से हरिद्वार में अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन बुलाया था। पं0 भातखण्डे जी ने ग्वालियर महाराज श्री माधवराव सिंधिया को भी इस संगीत अधिवेशन में बुलाया था। महाराज ग्वालियर ने पर्याप्त सहयोग किया इसके अलावा देश के संगीत शास्त्रकार एवं संगीतज्ञो को भी बुलाया था। ग्वालियर के सात–आठ गायक–वादको को पं0 जी ने इस अधिवेशन मे व्यवस्था एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निर्माण हेतु बुलाया था। जो श्री राजा भैया सहित सभी नामी संगीतज्ञ अपने–अपने पत्र एवं फायलो सहित तुरन्त हरिद्वार पहुँच गये। अधिवेशन हेतु पं0 भातखण्डे जी का सहयोग करने मे लगे थे इस

अधिवेशन में मारीफुन्नगमात ग्रन्थ के लेखक पं0 भातखण्डे जी के परम मित्र राजा नवाब अली अत्यन्त व्यस्त होते हुये भी उनका सहयोग करने पहुँचे।

i0Hkkr[k.M th }kjk fd;k x;k ikpok vf[ky Hkkjrh; laxhr vf/kos'ku :

पं0 भातखण्डे जी की विस्तृत योजना के अनुसार इस अखिल भारतीय संगीत अधिवेशन में भी सम्पूर्ण उत्तर संगीत पद्धति के अनुयायी एवं दक्षिण पद्धति के अनुयायी गायक–वादक तथा संगीत पंडित आऐ हुऐ थे। इसमे विभिन्न रागो के स्वरूपों पर चर्चा हुई। संगीत संस्था लखनऊ मे खोलने हेतु इस अधिवेशन के समय पर्याप्त धन इकट्ठा नही हो पाया, इससे संगीत संस्था का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित नही हो सका।

पं0 भातखण्डे जी का लक्ष्य संगीतम् नामक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका था, इसमें उन्होंने प्राचीन संगीत सिद्धान्तों का खंडन करके नवीन पद्धति से संगीत श्रवण कराना एवं संगीत प्रेमियों को संगीत प्रदान होना, यह निश्चित कर दिया था। पर 1924 के लखनऊ अधिवेशन मे आऐ कुछ संगीत विद्वानों ने पं0 भातखण्डे जी के सिद्धान्तों का विरोध किया। पं0 ने कहा कि हमारे देश में हजारो वर्षो से प्रचलित भरत, शांरग देव एवं पं0 अहोबल जैसो के सिद्धान्तो से निर्धारित यह संगीत हम कैसे हटा सकते है, उनके अनुसार तो हमें चलना ही होगा तथा उनके नियमों को भी मानना होगा। परन्तु पं0 भातखण्डे जी ने अपना सुझाव रखते हुये कहा कि तो यह केवल ऐतिहासिक घटनाओं के विवरण के अतिरिक्त उनका और कुछ उपयोग नही होगा, और आप लोग हमारे लक्ष्यसंगीतम द्वारा प्रतिपादित किया हुआ संगीत सिद्धान्त मिलकर पुनः प्राचीन सिद्धान्त रूढ़ करना चाहते हैं। यह मुझे ठीक नही लगा, हमारा उद्देश्य लक्ष्य संगीत प्रकाशित करवाने का यही था कि प्राचीन पद्धति से प्रचलित संगीत का लोप होकर नया संगीत हमारे देश में स्थापित हो। एवं संगीतम् का स्पष्टीकरण अत्यन्त सुबोध एवं सरल है इसलिए यही हमारा प्रयास है कि यह स्पष्टीकरण सभी को समझ मे आ जाये। इसके अतिरिक्त अधिवेशन मे और भी बाते स्पष्ट हुई।

i0 Hkkr[k.M th }kjk fd;k x;k NBok vf[ky Hkkjrh; laxhr vf/kos'ku:

श्री उमानाथ बली द्वारा पं0 भातखण्डे जी के सहयोग से लखनऊ में संगीत संस्था खोलने का प्रस्ताव सन् 1924 के लखनऊ संगीत अधिवेशन मे सफल नही हो पाया तो पुनः पं0 भातखण्डे जी एवं राय उमानाथ बली ने सन् 1925 के दिसम्बर माह में एवं अखिल भारतीय परिषद बुलाई। यह बहुत बड़ा संगीत अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की योजना तो पं0 भातखण्डे जी एवं राय साहब की जनवरी 1925 से ही बनकर चल रही थी। उनके प्रत्यन्त पूरे वर्ष इसके सफल आयोजन के लिए चलते रहे, जो सन् 1925 दिसम्बर मे पूरे हुये। लखनऊ के इस अधिवेशन मे समस्त संयुक्त प्रदेश की संगीत प्रेमी जनता उपस्थित थी। लगभग पाँच हजार श्रोता आऐ थे। इस प्रदेश की जनता के लिए तो संगीत परिषद एक नवीन वस्तु थी। संगीत की इतनी बड़ी महफिल इतना बड़ा सेमिनार उन्होंने अपने प्रदेश मे पहले कभी नही देखा था। इस अधिवेशन में रागदारी संगीत के गायन–वादन एवं नृत्यों के बड़े विशाल कार्यक्रम हुये। इससे पूरी जनता का खूब मंनोरजन हुआ। संयुक्त प्रदेश के लोग भाव प्रधान एवं उदार अन्तःकरण के जनता से पूछे जाने पर उनकी तारीफ से उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि जो संगीत अभी तक राग प्रसादो में हुआ था हम सभी ने उसके वैभव का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया है। उसके प्रति हमारी अच्छी भावनाएं जागृत हुई है। हम लोग इस संगीत रसानुभूति से अत्यधिक तृप्त हुऐ है।

इस संगीत अधिवेशन में प्रस्तुत संगीत विद्यालय संबंधी प्रस्ताव का सभी ओर से बड़े उत्साह के साथ स्वागत हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्य को आरम्भ करने भर के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया था।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

ifyl vf/kdkjhx.k d dk; 'kfDr;k ,o drO;

Mk- Jherh m"kk frokjh
पूर्व प्राचार्य सांदीपनि कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.)
j[kk pUniky
शोधार्थी राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

321 lkekU; drO;

पुलिस कर्मचारी द्वारा उनके दैनिक कार्य में कर्तव्य जो करना पड़ता है वह असंख्य एवं विभिन्न दोनों हैं उनमें से अपराधों का रोकथाम एवं अन्वेषण प्रमुख है। किंतु पहरा एवं रक्षा दण्डाधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का निष्पादन और शासन के अन्य विभागों की सहायता करनी भी कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं है।

322 vijk/kks dh jksdFkke

दिन और रात दोनों में शहरों का नियमित गश्त और ग्रामों का नियम दौरा करना सामान्यता अपराध के रोकथाम का मारू मार्ग है। आदतन अपराधियों एवं संदेही व्यक्तियों पर सतर्कतापूर्ण निगरानी करना नियंत्रण के लिये आवश्यक है। अपराधियों एवं घुमक्कड़ वर्ग का पर्यवेक्षण उनके साथियों को उनकी निर्धारित योजना के अनुसार अपराध घटित करने से रोकने में बल देता है।

324 fuxjkuh ,o j{kk

शहरों में दिन और रात के दौरान बस्ती वाले क्षेत्र में सतत परंतु अनियमित मध्यान्तरों में गश्त के द्वारा निगरानी एवं रक्षा की जाती है। इस माध्यम से सम्पत्ति को खतरा, सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र कम से कम में घटा देते है।

325 n.Mkf/kdkjh d vkn'kk dk ikyu

दण्डाधिकारियों के द्वारा जारी सभी वैधानिक आदेशों का शीघ्रतम अवसर में पालन किया जाना चाहिये। समंस तामील किया जाना चाहिये और वारंट बिना देरी किए और दिए गए निर्देशों के अनुसार विस्थापित किया जाना चाहिए।

326 'kkfrHkx dh jksdFkke

शांतिपूर्ण की रोकथाम पुलिस के कर्तव्य का दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है। जब यह स्पष्ट हो कि दखलन्दाजी न करना बलवा में परिणित हो सकता है तब जमीन या अन्य सम्पत्ति के विवादग्रस्त कब्जे के सभी मामलों में जांच की जाती है। महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वों और सार्वजनिक सम्मेलनों के अवसर पर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव के रोकथाम के लिये उचित प्रबंध किया जाता है।

328 ;krk;kr dk fu;=.k

नगरों और शहरों में जहाँ वाहन गत यातायात अधिक है। यातायात का नियंत्रण पुलिस पर निर्भर है। पुलिस का यह भी कर्तव्य है कि वह देखे कि सड़क के नियम उचित रूप से प्रभावशील किये जाते हैं। नगरपालिका क्षेत्रों में बहुत से नगरपालिका कानून को प्रभावशील करना और समिति को सहायता देने के लिए भी पुलिस से अपेक्षा है।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S. & Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

vU; foHkkxks dh lgk;rk

शासन के अन्य विभागों के द्वारा सतत सहायता मांगी जाती है और दी जानी चाहिये। यह रखना चाहिये कि वन एवं आबकारी जैसे विभाग उतना अधिक अधिनस्थ स्टॉफ नहीं रखते हैं जैसा कि पुलिस का है। और इसलिये उन्हें ऐसी सहायता जैसी कि उचित रूप से मांगी जाय, प्रदान किया जाना आवश्यक है। जब कभी संभव है और स्पष्ट मांग पर आबकारी विभाग को बड़े पैमाने पर तलाशियाँ लेने के लिये यथेष्ठ बल अवश्य ही प्रदान किया जाना चाहिये, और वन विभाग को वन अधिनियम के अन्तर्गत संगठित अपराधों के रोकथाम के लिये यथेष्ठ बल अवश्य ही प्रदान किया जाना चाहिये। अन्य विभागों के मामले में नये प्रवेशकों के चरित कि जांच समिति एवं भवनों की सुरक्षा या कोषालयों एवं पोस्ट आफिसों के मामलों में शासकीय जमा ;त्मउपजजंदबमद्ध के लिये पहरेदार देना आदिकाल रूप से सहायता ले सकती है। रक्षक एवं पहरेदार उन कैदियों के लिये भी दिये जाते हैं जो एक जेल से दूसरे जेल स्थानान्तरण कर दिये जाते हैं। कोई निश्चित नियम सीमा विनियमित करने के लिये जिस पर सहायता दी जानी चाहिये नहीं दी जा सकती है। जब कभी संभव हो और यदि पुलिस के कर्तव्य के विरूद्ध न हो तो अन्य विभाग से सहायता सहमति एवं पूर्ण दृढ़ होना चाहिये।

ofj"B vf/kdkfj;ks dh fLFkfr vkj drO; egkfujh{kd dh 'kfDr;k

महानिरीक्षक पुलिस विभाग का तथा प्रशासन की इस शाखा से सम्बन्धित सभी विषयों में सरकार का विशेष परामर्शदाता है। पुलिस अधिनियम की धारा 5 के अधीन वह सम्पूर्ण राज्यों में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की समान शक्तियों का उपयोग करता है।

miegkfujh{kd ds drO;

उप महानिरीक्षक के कर्तव्य प्रशासकीय और कार्यपालन दोनों ही प्रकार के है। अपने परिक्षेत्र में प्रशासकीय रूप से पुलिस दल के नियंत्रण और पर्यवेक्षण (सुपरवीजन) के लिए महानिरीक्षक के कार्यालय का एक अंग है और वह राज्य सरकार द्वारा उचित नियमों के प्राधिकार पर शक्तियों का प्रयोग करता है जो आगामी अध्यायों में स्पष्ट की जावेगी।

vk;Dr ftyk ,oa mi[k.Mh; eftLVsV

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट जिले के कार्यालय प्रशासन को मुख्य प्रभारी अधिकारी और अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता में पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों व नियंत्रण के अधीन निहित है। अपने प्रभार में जिला मजिस्ट्रेट शांति और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है और विधान तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा अपराध का पता लगाने और दमन करने के लिए पुलिस अधीक्षक उसके आदेशों तथा निर्देशों का पालन करेगा जैसा कि वह प्रचलित करे। जिला मजिस्ट्रेट आदेश या निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ किसी अधिकारी को सीधे प्रचलित नहीं करेगा। आकस्मिक प्रसंगों को छोड़कर जबकि तत्काल कार्यवाही अपेक्षित हो और जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित करने का समय नहीं ऐसे प्रकरणों में जिला मजिस्ट्रेट सीधे आदेश प्रचलित कर सकता है और जिला पुलिस अधीक्षक को अपने द्वारा ऐसे किए जाने की सूचना दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट का पुलिस बल के आन्तरिक अनुशासन या प्रबंध से कोई संबंध नहीं है।

ftyk eftLVªV }kjk vxf"kr fooj.k

जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस के कार्य के बारे में सम्पर्क रखने में निम्नलिखित विवरणिकाएँ तथा रिपोर्ट उसके द्वारा प्रेषित की जाती है।

1. जघन्य अपराधों की विशेष रिपोर्ट
   जिला पुलिस अधीक्षक की साप्ताहिक डायरी (दैनिन्दनी)
   अपराधों का मासिक विश्लेषण
   निरीक्षण, विवरणिकाएँ तथा टिप्पणियाँ
   जिले के पुलिस अधिकारियों के बारे में गोपनीय टिप्पणियाँ
   गोपनीय डायरियाँ (विशेष शाखा)
   वार्षिक रिपोर्ट

ftyk eftLVªV Fkkuk dk fujh{k.k

जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण भाग जिले के थानों का निरीक्षण करना है। जब कभी ऐसा अवसर स्वतः आ जावे, उदाहरणार्थ जब वह किसी थाने के पड़ोस में दौरा कर रहा हो। किंतु ऐसा निरीक्षक मुख्यतः पुलिस की विधि और व्यवस्था के संरक्षण, अपराध के निरोध और खोज तथा सामान्य प्रशासकीय रूचि के प्रसंगों, उदाहरणार्थ जन्म–मरण के आंकड़ों से अभिलेख और उन पर अंकुश उसका प्रशासन अपराधों की सामान्य स्थिति दण्ड प्रक्रिया संहिता की निरोधात्मक धाराओं का उचित उपयोग यदि कोई हो तो साम्प्रदायिक विवादों के रखे गए अभिलेखों की और निर्दिष्ट होना चाहिए। थाना अधिकारी की दक्षता, स्थानीय जानकारी तथा उसका प्रभाव और पुलिस के सामान्य जनता के सम्बन्ध में ऐसे प्रसंग है जिनके बारे में जिला मजिस्ट्रेट को स्वयं निर्णय करने के अवसर का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई हो तो निरीक्षण टिप्पणी के ऐसे भाग की एक प्रति, जैसा जिला मजिस्ट्रेट निर्देशित करे, थाना अधिकारी द्वारा महानिरीक्षक को सामान्य परिपाटी द्वारा प्रेषित करना चाहिए।

ifyl dk dk;Z

1. अपराधनिरोध एवं अपराधों का विवेचन
2. यातायात नियंत्रण
3. राजनीतिक सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा

गृहरक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाला विभाग होने से देश की कानून व्यवस्था को संभालने का काम पुलिस के हाथ ही होता है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने अपराधियों को पकड़ने, अपराधियों के द्वारा किये जाने वाले अपराधों की खोजबीन करने देश की आन्तरिक सम्पत्ति की रक्षा करने और जो अपराधी है और उसका अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटाना ही पुलिस का कार्य है। अपराधी घोषित करने के बाद पुलिस सम्बन्धित व्यक्ति को अदालत को सौंपती है। यह न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती है। लेकिन किसी अपराधी को सजा देना पुलिस का काम नहीं होता है। सजा देने के लिये अदालतों की और जानकारी पर निर्भर रहना होता है। साथ ही इसी जानकारी और सबूतों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा सकता है।

अलग–अलग देशों की पुलिस के पास अलग प्रकार की कानूनी धारायें हैं और प्रत्येक धारा अलग–अलग दण्ड घोषित करती है।

अपराधनिरोध के अन्तर्गत न केवल व्यक्ति एवं सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों का निरोध होता है। वरन्

मादक द्रव्यों का तथा गांजा भांग अफीम कोकीन के तस्कर व्यापार का निरोध और वेश्यावृत्ति सम्बन्धी अधिनियम को लागू कराने की कार्यवाहियाँ भी सन्निहित है। यातायात सम्बन्धी स्थापन में ट्रेफिक पुलिस द्वारा नियंत्रण एवं मोटर संबंधित अधिनियम का परिपालन कराने की कार्रवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में अमेरिका आदि में राष्ट्रीय मार्गों मोटर साईकल अथवा मोटर गाड़ियों पर कारों से सुसज्जित पुलिस अधिकरियों द्वारा गश्त कराए जाते है। राजनीतिक सूचनाओं के एकत्रीकरण का कार्य देश के भीतर एवं अन्र्राष्ट्रीय स्तर पर गुप्तचरों द्वारा होता है। इसके निमित्त देश के भीतर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों की राजनीतिक प्रवृत्तियों गतिविधि एवं नीतियों से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र की जाती है। प्रत्येक युग में राजनीतिक षड़यंत्र एवं हत्याकांड होते हैं और पिछले कुछ वर्षों में विश्व में इस बाहर के महत्व वाले व्यक्तियों की सुरक्षा का आयोजन प्रत्येक राष्ट्र की पुलिस द्वारा किया जाता है। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मित्र अथवा शत्रु राष्ट्रों की नीतियों के संबंध में सूचनाएँ भी एकत्र की जाती है।

lanHk xzFk lph

1. भार्गव घनश्यामशरण म.प्र./छत्तीसगढ़, पुलिस अधिनियम एवं विनियम, पूजा लॉ हाउस खेत्रपाल पब्लिकेशन सन् 2014
2. लम्बोली ल. प्र. झा. सी. एन. म.प्र./छत्तीसगढ़ पुलिस मेनेयुअल एवं रेगुलेशन्स, सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. भोपाल
3. शर्मा प्रेमचन्द्र, अपराध–अन्वेषण, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स जयपुर (भारत) सन् 1988

i=&if=dk,¡

1. दैनिक भास्कर
2. नई दुनिया
3. क्रांनिकल
4. प्रतियोगिता दर्पण

ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

xkM tutkfr dh lkekU; tkudkjh

Mk- l/khj 'keki'kk/k (निर्देशक)

d- dYiuk fclUn ¼शोधार्थी)

सहायक प्राध्यापक शास. हमीदिया स्नात. महाविद्यालय, भोपाल

गोंड जनजाति भारत की बहुसंख्यक जनजातियों में से एक हैं यह जनजाति अति प्राचीन हैं। जिसका उल्लेख रामायण एवं महाभारत में भी मिलता है। आर. बी. रसेल तथा हीरालाल का मत हैं 9वीं से 13 सदी के बीच गोंड लोग मध्यप्रदेश एवं दक्षिणी भाग में बसे होंगे। 1981 की जनगणना के अनुसार, मध्यप्रदेश में गोंडों की जनसंख्या 53.49 लाख थी। वर्तमान में इनकी संख्या अनुपात 65 लाख से अधिक हो चुकी है। गोंडों की अधिक संख्या के कारण ही इस क्षेत्र को गोंडवान कहा जाता था। गोंडों का स्थानीय इतिहास में उल्लेखनीय नाम है। छत्तीसगढ़ और मण्डला क्षेत्र में कभी गोंडो का शासन भी रहा था। गढ़ा मण्डला के गोंड शासक संग्राह शाह तथा उसके पुत्र दलपत शाह इस क्षेत्र के प्रसिद्ध शासकों में से है। दलपत शाह ने महोबा के चन्देल राजा की पुत्री दुर्गावती से विवाह किया था। जो रूपवती एवं बहादुर शासक भी थी। उसने मुगल सम्राट अकबर से भी युद्ध किया था। गोंडवान पर मुगलों एवं मराठों का भी शासक रहा। गोंड लोग परिश्रमी, बहादुर एवं योद्धा थे। वैसे तो गोंड लोगों का बिखराव थोड़ा बहुत सारे मध्यप्रदेश में हैं, किंतु सीधी, शहडोल, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, छिन्दवाड़ा सिवनी, बालाघाट, बैतूल, चांदा, होशगाबाद, निमाड़, नरसिंहपुर आदि क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या अधिक है। गोंड जनजाति की लगभग दो तिहाई जनसंख्या केवल मध्यप्रदेश में रहती है और शेष अन्य प्रान्तों में भी निवास करती हैं।

मध्यप्रदेश में रहने वाली अनेक जनजातियों में गोंड जनजाति का एक विशेष स्थान है। प्रदेश के अधिकांश जिलो में इस जनजाति के परिवार एवं सदस्य निवास करते है। यद्यपि यह जनजाति मध्यप्रदेश के बाहर भी जैसे देवगढ़, चांदा, मिर्जापुर, कोरापुर, आलिदाबाद, आदि क्षेत्रों में निवास करती है, परन्तु मध्यप्रदेश के ये प्रमुख जनजाति के रूप में इसका अपना अलग ही पृथक ही महत्व है। 1981 की जनगणना के अनुसार पुरे देश में गोंड जनजाति की जनसंख्या 73,88,463 लाख थी। मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) सन् 1981 की जनगणना में गोंड जनजाति की जनसंख्या 53,49,883 लाख थी। वर्तमान में इनकी संख्या अनुमानतः 65 लाख से अधिक हो चुकी हैं।[1]

गोंड जनजाति को गोंड नाम सभ्य समाज द्वारा दिया गया है। यह अपने आप को कोइतूर अथवा कोई कहते है। गोंड जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक धारणायें प्रचलित है। जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान छिंदवाड़ा के तत्वाधान में आयोजित शोध–प्रबंध के एक लेख में श्री माजरीकर का कथन हैं कि गोंड विध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के निवासी रहे हैं। गोंड जनजाति में एक विशेष प्रकार का सामाजिक स्तरण पाया जाता है। जिसका कि आधार प्रायः व्यावसायिक होता है। यह जनजाति अगरिया, प्रधान, कोईलाभूतिस, ओझा तथा सोलाहस आदि जातियों में बंटी हुई होती है। प्रधान उच्च जाति के लोग होते है। ये मंदिरों में पूजा पाठ का कार्य करते है। अगरिया जाति के लोग लोटे का काम करते है। कोईलाभूतिस लोग नाचने गाने का कार्य, ओझा लोग पंडिताई का कार्य, सोलाइस लोग बढ़ई गीरी का कार्य करते है तथा मारा या मरिया उप" शाखा के लोग काफी पिछड़े माने जाते है। इसके अतिरिक्त सफाई आदि के कार्मो के लिए कुछ अन्य उपजातियाँ पाई जाती है। इसी प्रकार निवास स्थान के आधार पर भी गोंड जनजाति में विभिन्नताएँ है। इस प्रकार इनके दो प्रमुख स्वरूप स्पष्ट किये जा सकते हैं

1. jktxkM & ये मध्यप्रदेश के सागर, होशंगाबाद, दमोह आदि जिलो के निवास राजगोंड कहे जाते है। इन लोगों के पास काफी भूमि है यहाँ तक की कुछ राजगोंड़ परिवार जमींदार भी हैं।
2. /kjxkM & ये छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। इनको साधारण गोंड कहा जाता है। ये लोग गोंड तथा राजपूतों के मिश्रण से उत्पन्न हुए है। मण्डला में गोंडों के चार वर्ण पाये जाते हैं। ये चार वर्ण हिन्दू वर्ण व्यवस्था से प्रभावित हैं।

3. noxkM & यह गोंड एकदम निराभिश भोजन करते हैं।
4. **सुर्यवंशी राजगोंड** – ये अपनी उत्पत्ति सुर्य से मानते है। राजपूत क्षत्रियों में सबसे पुराने वंश ''सुर्यवंश'' और ''चंद्रवंश'' ही हैं।
5. **सुर्यवंशी देवगड़ी गोंड** – ये भी सुर्यवंशी गोंड ही है किंतु इनकी उत्पत्ति का स्थान, देवगढ़ माना जाता है। यह संभव हैं कि इन गोंड के पूर्वजों का हिन्दूकरण या क्षत्रीकरण देवगढ़ में किया गया हो, जब ये उस क्षेत्र के शासक थे। यह ''क्षत्रीकरण'' उनके यज्ञ कराने से हुआ होगा।
6. **रावण वंशी गोंड** – रावणवंशी गोंड गोमॉस का सेवन करते है। सुअरों का बलिदान करते है तथा मद्यपान करते है। उपरोक्त दो आधारों के अतिरिक्त टोटम के आधार पर भी इस जाति में सामाजिक स्तरण देखने को मिलता है। टोटम के वर्ग है – नेतम (कुत्ते का नाम) वाकरा (एक जंगली बिल्ली), टीकम (टीका पेंड़) इरापत्री (महुए का पेड़) मरकम (आम का पेंड) तुमरची (टेंडू का पेंड) गोंड के सर्वाधिक प्रचलित गोत्र मारकम, मराबी, नेताम और टेकाम है। ये सभी गोत्र गोंड की उपजातियों में भी पाये जाते है, सभी गोत्रों के नाम VkVefVd हैं।

गोंड अपने क्षेत्रीय समाज को अधिक ऊँचा उठाने सामाजिक स्तर दिलाने के लिए जिन बातों का पालन करता हैं वे है हिन्दू त्योहार और उत्सवों को स्वीकार करना, पवित्र रहना और शुभ अवसरों पर हिन्दू पुजारियों द्वारा संस्कार करवाना। मण्डला जिले के गोंडो के विपरीत बस्तर के गोंड है। जिनमें आदिवासी परंपराएं विश्वास एवं जीवन पद्धति आज भी कायम हैं।

गोंड स्वयं को गोंड नहीं अपितु ''कोयतोर'' कहते हैं। गोंडो की अनेकों उपजातियों है। यदि इन उपजातियों के सदस्यों से यह पूछा जाय की वह कौन हैं तो वह अपनी उपजाति का नाम बतलाएगा। किंतु यदि और विवरण पूछा जाए तो वह अपनी जाति के साथ कोयतोर शब्द का प्रयोग करेगा। उदाहरण के लिए इंतेवाड़ा, डंडामी, मारिया या नारायणपुर के मुड़िया से और आगे पूछने पर वह अपने को डंडाभी मारिया या मुडिया कोयतोर ही कहेंगें।[2]

गोंड शब्द का प्रयोग वस्तुतः गैर आदिवासी जनता के द्वारा ही किया जाता है। हिसलप की राय में गोंड या गुण्ड शब्दा कोंड या कुण्ड का ही विकृत रूप है। कोंड शब्द तेलगू के लोज से निकला है। जिसका अर्थ पर्वत होता है। इस प्रकार गोंड शब्द को पर्वत में रहने वाले का पर्यायवाची माना गया है। घनश्याम गुप्त (1678) इस उत्पत्ति को तर्क शून्य मानते है और लिखते है कि अनेक अन्य शब्द जैसे गेंडा जंगल गरिया, पत्थरों के ढेर के रूप में पूजे जाने वाले देवी देवता और गुडा सुअर वाड़ा या सुकर बलिये तीनों ऐसे प्रतिकात्मक शब्द है जो जंगल के लिए प्रयुक्त होते है। भारत में असंख्य वन है तथा उतनी ही वनवासी जनजातिया जो प्रकारतः गेंडा निवासी हैं और देवी, देवताओं को गरिया रूप में पूजते हैं तथा सुअर पालते है या उसकी बलि देते हैं अर्थात् गुडाधारी है और इसी कारण गोंड कहते जाते हैं।[3]

जलवायु के परिवर्तन या जनसंख्या के दबाव के कारण भूमध्य सागर की एक द्रविण भाषी जनजाति बलूचिस्तान व सिन्धू घाटी को पार करती हुई गुजरात से होकर मध्यप्रदेश के जनपदों में 500 ईसा पूर्व में आकर बस गयी थी। प्राचीन आधारों से यह प्रतीत होता है कि संस्कृत भी द्रविण से अत्यधिक प्रभावित हुई है, ऐसा लगता है कि द्रविड़ भाषियों ने सर्वप्रथम गंगा के मैदान में बस्तियाँ बनायी होगी। विंध्य के अवरोध के कारण गंगा के मैदानी क्षेत्रों में व मध्यप्रदेश की ओर न आ सके होंगे। कहा जा सकता है कि प्राग्द्रविण ही सिन्धघाटी से गुजरात होते हुए मध्यप्रदेश की ओर आए होंगे यदि शिव या महादेव को सिन्धुघाटी की सभ्यता की देन माना जाए तो कहना होगा कि मध्यप्रदेश की सभी मुण्डा तथा द्रविण जनजातियाँ अपनी उत्पत्ति भीम या लिंगों या महादेव से मानती हैं।

द्रविण जनजातियाँ में मध्यप्रदेश की गोंड, परजा, ओरॉव आदि की चर्चा विशेष रूप से की जा सकती है। क्योंकि ये द्रविण भाषा परिवार की ही विभाशाओं का व्यवहार करती है इनका आव्रजन ओराव (उत्तर–द्रविण गोंडवाना वग्र (गोंड) तथा परजा (मध्य द्रविड) के इतिहास क्रम में हुआ है।

गोंड तथा इन्हीं के समाज द्रविड़ परिवार की अन्य विभाषाओं को बोलने वाली जनजाति का इतिहास समस्या मूलक है। गोंड द्रविड़ परिवार को भाषा का व्यवहार करते हैं, किंतु उन्हें द्रविड़ प्रजाति का ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि बैगा तो आर्य परिवार की बघेलखण्डी का प्रयोग करता हैं तथापि उसे आर्य के अंतर्ग वर्गबद्ध नहीं किया जाता। चंद्र चक्रवर्ती

(दप्रिहिस्ट्री) आफ इंडिया पृ. 128) का अनुमान हैं गोंड मोन खमेर प्रजाति के भूमध्य सागरी जन है जो अपने साथ नवपाशाणीय संस्कृति लेकर आए उन्हें उड़ीसा में खोंड, आंध्रप्रदेश में कोंड या कोया, बंगाल में चराल तथा संस्कृत में चाण्डाल तथा प्राकृत में गोंड कहा गया है। गण्डकी नदी संभवतः इनकी पुरानी स्मृतियों को आज भी संजोए हुए है। खोंड या गोंड का महाभारत काल में निवास मध्यप्रदेश के पाण्डव वन में या और उसी आधार पर कालांतर में गोंडवान नाम पड़ गया। पूर्व अनुसंधानकार्ताओं का यह मानना हैं कि गोंड पुराणों में वर्णित नागों तथा उरांव रामायाण में वर्णित वानरों की संताने हैं। इस गत के समर्थन में अधोलिखित प्रमाण लिये जाते हैं।[4]

किठिकन्धा के निवासियों को महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में किकंधक कहा गया है तथा इसी से कंध शब्द बना हैं जिसके परवर्ती विकास खोंड, गोंड तथा उराव मूलक हैं।

कंधों का जातीय प्रतीक वानर है इसलिए कोई भी गोंड वानर का मॉस नहीं खाता कंध के अन्य पर्यायवाची खोंड, कोंठा, कुवि, प्रभृति, है जो इन्हें कोयतूर (गोंड) जनजाति सिद्ध करते है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार किया जा सकता है कि आधुनिक उरांव तथा खोंड रामायण युगीन वानरों की संताने हैं जो प्राचीनकाल में किठिकन्धा क्षेत्र में रहने के कारण किन्ध कहलाती थी। शायद यह जनजाति काकीनाडू (पूर्वी गोदावरी) कोरापुर तथा कालाहांडी से संलग्न क्षेत्र में निवास करती है जिसे कंधिस्तान कहा जाता है तथा यही से इसका मध्य प्रदेया में प्रसाढ़ हुआ होगा। मध्यप्रदेया के गोंड नर्मदा से गोदावरी के बीच में बीहड़ क्षेत्र में बसे हुए है जिसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशास्ति में आटविक राज्य कहा गया है। मुसलमान इतिहासकारों ने इस क्षेत्र को गोंडवान नाम से संबोधित किया था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र (वदेव) में इन आटविक जनों को सीमान्त क्षेत्रों का प्रहरी निरूपित किया था और यह निर्देश दिया था कि इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौति न दी जाए। पूर्व मध्यप्रदेश तक नर्मदा से लेकर गोदावरी की तलहटी तक के विस्तृत क्षेत्र में इन्हीं गोंडों का शासन था।[5]

I nHkZ xzaFk I wph

1) कर्मा सीता : कोइतूर गोंड जनजाति का संक्षिप्त मानव शास्त्रीय अध्ययन मध्यप्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान 1994 ए. 95 प्रकाशन क्र. 171

2) वैष्णव टी.के. : गोंड जनजाति में आहार एवं पोशण एक अध्ययन (म.प्र. आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान) वर्श 1994–95 प्रकाशन क्र. 161

3) भलावी जी.एस. : राज गोंड जनजाति का संक्षिप्त मानव शास्त्रीय अध्ययन (म.प्र. आदिज जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान) प्रकाशन क्र. 225, 1997–98

4) के.एस. सिंह, पीपुल ऑफ इण्डिया, जिल्द तीन, द शिडयूल्ड ट्राइब्स, 1994, पृष्ठ 118–23

5) रसेल और हीरालाल, द ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स आफ द सेन्ट्रल प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, जिल्द 1 और 2, 1997, पृष्ठ 293–95

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

;qokvksa esa lkbcj vijk/k lEcU/kh tkx:drk dk v/;;u

Mk- vjfoUn dqekj flag
असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, बीबीए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

l{ksi :– वर्तमान में साइबर अपराध एक विशिष्ट प्रकार का अपराध बन चुका है। समाचारपत्र एवं अन्य माध्यमों में तो अब इस श्रेणी के अपराध के बारे में नियमिततौर पर समाचार दिये जाने लगे हैं। विविध प्रकार के रिपोर्ट से अब यही परिलक्षित होता है कि यह अपराध पिछले कुछ वर्षो से लगातार बढ़ ही रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि लोगों में साइबर अपराध के बारे में अधिक से अधिक समझ हो, जिससे कि वे इस अपराध से बचने का उपाय कर सके। साइबर अपराध को रोकने के लिए कई प्रकार के कानून भी बने हुए हैं,। इसी के साथ इस अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के उपाय भी किये गये हैं। विभिन्न संगठनों एवं कम्पनियों द्वारा भी इससे बचने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। युवा वर्ग साइबर तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करता है। अतः स्वाभविक है कि उन्हे इससे जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत अध्ययन में साइबर अपराध के सन्दर्भ में युवाओं में किस प्रकार की जागरूकता है, उसके बारे में अध्ययन किया गया है। इस शोध में सर्वेक्षण विधि अपनाई गयी है। प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि युवाओं में साइबर अपराध के बारे में जानकारी तो है, किन्तु वे इससे जुड़े विभिन्न प्रकार के उन पक्षों से अनभिज्ञ हैं जो कि साइबर अपराध से निपटने में उन्हे सहायक हो सकता है। उनमें साइबर अपराध के प्रति बेहतर समझ पैदा करने की आवश्यकता है। इस विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अभी भी युवाओं में साइबर अपराध के विविध पहलूओं के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। युवाओं में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द %& युवा, साइबर अपराध, जागरूकता, आदत।

izLrkouk %– समाज में विभिन्न प्रकार से अपराध होते हैं। तकनीकों के विकसित होने के साथ ही अपराध करने के तौर तरीके में भी बदलाव होते गए हैं। तकनीकों ने जहॉ एक तरफ मानव के जीवन को सुगम बनाने में मदद की है, वहीं पर वह लोगों द्वारा दुरूपयोग किए जाने कारण अपराध करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती रही है। सूचना तकनीक के विकास के साथ ही इस क्षेत्र में भी अपराधियों द्वारा बृहद् स्तर पर अपराध किये जाने लगे हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ करके किए जाने वाले अपराध ही साइबर अपराध के अंतर्गत परिभाषित किए जाते हैं। हाल के वर्षों में साइबर अपराध में काफी अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रिपोर्ट साइबर अपराध के प्रकार एवं संख्या में वृद्धि को ही दर्शा रहे हैं। साइबर बुलिंग इसमें बहुत ही सामान्य साइबर अपराध हो गया है और यह ऑनलाइन जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। इस प्रकार के अपराध के कारण से लोगों में विविध मनोवैज्ञानिक समस्या, अवसाद, तनाव अत्यधिक अकेलापन एवं आत्महत्या करने की मनःस्थिति बन जाती है।[1] (Hinduja S, Patchin JW, 2010) ऑनलाइन हरासमेंट को प्रायः साइबर बुलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किंतु यह एक दूसरे प्रकार का अपराध है। यद्यपि यह संख्या ऑफलाइन हरासमेंट से कम होती है।[2] (Lenhart A , 2010)

lkbcj vijk/k dh leL;k :– साइबर अपराध के सन्दर्भ में क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में 11,592 साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए थे और यह संख्या वर्ष 2006 में रिपोर्ट किए गए 453 की तुलना में लगभग 26 गुना अधिक रही है। वर्ष 2015 में जो 11592 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए थे, उनमें से 8045 मामले इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट के अंतर्गत आते हैं और 3422 मामले इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत तथा 125 मामले स्थानीय कानून के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2015 में 8121 लोगों को साइबर अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह संख्या 2014 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक रही। इसी प्रकार से 2006 से लेकर 2015 के बीच जो मामले दर्ज किए गए, उसमें 24140 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2016 तक गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2006 की तुलना में 14 गुना बढ़ गई है। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि साइबर अपराध किस प्रकार से तेजी से फैलता गया।[3, 4]

भारत में 31 मार्च 2015 को इंटरनेट के उपभोक्ताओं की संख्या 30 करोड़ और 24 लाख थी। किन्तु 31 मार्च 2016 तक यह संख्या बढ़ करके 34 करोड़ 27 लाख हो गई। इस प्रकार से इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में एक वर्ष के दौरान कुल 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साइबर अपराध का सबसे बड़ा कारण लालच रहा है। 2015 के दौरान साइबर अपराध के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए कुल मामलों में से इस प्रकार के मामलों की संख्या लगभग एक–तिहाई रही और यह वास्तविक संख्या में 3855 के बराबर थी। इसी तरह, अन्य प्रकार के मंतव्य को ध्यान में रख करके किये जाने वाले अपराधों की संख्या 3008 थी। इसमें धोखा सम्बन्धी अपराध की संख्या 1119 थी, जबकि महिलाओं के साथ किसी प्रकार से अभद्रता करने संबंधी अपराधों की संख्या 606 और यौन उत्पीड़न संबंधी साइबर अपराध की संख्या 588 रही। इसी तरह से मानहानि संबंधी अपराधों की संख्या 387 रही।[5]

भारत में साइबर अपराध की प्रवृत्ति					
वर्ष	केस दर्ज	गिरफ्तारी संख्या	वर्ष	केस दर्ज	गिरफ्तारी संख्या
2005	481	569	2011	2213	1630
2006	453	565	2012	3477	2071
2007	556	583	2013	5693	3301
2008	464	373	2014	9622	5752
2009	696	551	2015	11592	8121
2010	1322	1193			
स्रोत– नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो साइबर क्राईम ट्रेंड्स इन इंडिया [6]					

dEifu;k e: lkbcj lqj{kk %& भारत में विभिन्न कंपनियों के समक्ष वर्तमान में साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर के सामने आई है। दूसरी तरफ, अब सभी कंपनियां वर्तमान में डिजिटल तकनीक को अपना रही हैं अथवा अपनाने की योजना बना रही हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस कंपनियों को यह बात भी सुनिश्चित करना है कि साइबर अपराध से उत्पन्न किसी भी खतरे के प्रति हर प्रकार से सुरक्षा की जाए। साइबर हमला वर्तमान में काफी लक्षित करके किया जाना संभव हो गया है। अब साइबर अपराधी किसी खास कंपनी, संगठन या व्यक्ति को लक्षित करके हमला करने की क्षमता रखता है। इस कारण से साइबर हमले के परिणामस्वरूप एक तरफ आर्थिक हानि होती है, वहीं, दूसरी तरफ, कंपनियों के क्रिया कलापों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है[7]। (Cyber crime survey report , 2017)

विविध साइट पर किये गये हमले			
कसं	साइट	वर्ष	यूजर ने समझौता किया
1	याहू	2013–14	3 बिलियन
2	जेपी मार्गन	2014	76 मिलियन
3	इबे	2014	145 मिलियन
4	इक्वीनॉक्स	2017	143 मिलियन
5	उबर	2016	57.6 मिलियन
6	द होम डिपॉट	2016	56 मिलियन
7	फेसबुक	2018	87 मिलियन
8	अंडर आर्मर	2018	150 मिलियन
9	प्ले स्टेशन	2011	77 मिलियन
साइबर क्राइम सांख्यिकी 2018 [4]			

tuek/;ek e: lkbcj vijk/k lekpkj :– वर्तमान में साइबर अपराध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध समाचार बन गया है। इस प्रकार के अपराध के समाचार को सभी जनमाध्यमों में अलग ढंग से स्थान देना आरंभ कर दिया है। अपने अपने पोर्टल पर साइबर अपराध कानून के अंतर्गत सभी इसे अलग वर्ग में प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों से संबंधित अपराध समाचार सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा अपने पोर्टल पर विविध प्रकार के साइबर अपराधों को एक जगह दिया जाता है। जनमाध्यमों में इसके बारे में लगातार इससे बचने के लिए मार्गदर्शन भी किया जा रहा है।[8]

Lkkbcj vijk/k d: i:dkj :– विविध प्रकार के साइबर अपराध करना साइबर अपराधी के तकनीकी कुशलता पर निर्भर करता है। साइबर अपराध करने के लिए वह अपने ढंग से नये नये प्रकार के खोज करता रहता है। यहॉ पर साइबर अपराध करने के कुछ प्रमुख खास तरीके होते हैं। साइबर अपराध के सन्दर्भ में यह भी कहा जाता है कि जितनी संख्या में हैकर हैं, उतनी ही संख्या में साइबर अपराध भी होते हैं। लॉजिक बम, वेब जैकिंग, इन्टरनेट स्टॉकिंग, कम्प्यूटर स्टॉकिंग, डेटा डिड्लिंग, फीशिंग, ई मेल बमिंग एवं स्पैमिंग, वेब जैकिंग प्रमुख साइबर अपराध हैं।[9]

Lkkbcj vijk/k d: dkj.k :– साइबर अपराधी हमेशा वे आसान रास्ते ही अपनाते हैं, जिससे आय प्राप्त किया जा सके। इसके लिए भी विभिन्न ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों को निशाना बनाते हैं, जहॉ से उनके यह उद्देश्य पूरा हो सकते हो। एक तरफ, साइबर अपराध को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ, इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के बढ़ने का कुछ खास कारण हैं। इसमें कंप्यूटर के जटिल तकनीक के कारण से उसे हर प्रकार से सुरक्षित रखना मुश्किल होता है और हैकर बहुत से ऐसे रास्ते अपनाते हैं, जिसके माध्यम से वहॉ पर वे पहुंच सके। इस प्रकार कंप्यूटर एवं इस प्रकार के अन्य उपकरणों में बहुत बड़ी मात्रा में विविध प्रकार की सूचनाएं एक ही जगह पर एकत्र हो जाती हैं और यह अपराधी के लिए आसान हो जाता है कि वह उन तक पहॅुच करके आवश्यक जानकारी हासिल कर ले । साइबर अपराध होने के पीछे एक कारण यह भी है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में इतने तरीके के और इतनी बड़ी संख्या में प्रोग्राम कोड होते हैं कि उन्हें ऑपरेट करते समय किसी न किसी प्रकार की त्रुटि हो ही जाती है। कई बार यह त्रुटि इस ढंग की होती है कि साइबर अपराधियों को अपराध करने में सहूलियत हो जाती है। साइबर अपराध से बचने के संदर्भ में व्यक्ति हमेशा बहुत सतर्क नहीं रह सकता है और उसकी अपराध से बचने के प्रति जो सजगता होनी चाहिए, वह नहीं रह पाती है। इसी प्रकार, साइबर अपराध के संदर्भ में एक बात यह है कि इसमें जो भी आंकड़े होते हैं, उन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इस तरह से वह प्रमाण ही समाप्त हो जाता है, जो कि अपराधी को अपराध करने के संदर्भ में साबित करने के लिए आवश्यक होता है। एक अन्य बड़ा कारण साइबर अपराध के संदर्भ में समाज में लोगों के बीच में जागरूकता की काफी कमी भी है। वे इस बात को नहीं जानते हैं कि किस प्रकार की लापरवाही के कारण से वे साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं। उसका परिणाम यही होता है कि वे किसी न किसी लापरवाही के कारण साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं।[10]

Lkkbcj vijk/k d: ckj: e: Tkkx:drk ,o: l:j{kk :– भारत में साइबर अपराध के संदर्भ में लोगों की जागरूकता बहुत ही कम है। लोग इसके प्रति सचेत नहीं रहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऐप्स जो कि वह मोबाइल पर डाउनलोड करते हैं, उसमें मालवेयर, हाईवे आदि कई प्रकार के ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जो कि उनकी फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइलों को बहुत आसानी के साथ, दूसरे को भेज सकते हैं। इससे उनका कई प्रकार से नुकसान हो सकता है। इस सन्दर्भ में यह सलाह दी जाती हैं कि जब कभी भी जरूरत हो तो सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि हैकर किसी प्रकार का नुकसान न कर सके। कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहने की आवश्यकता होती हैं, जिससे कि कोई भी हैकर उसे ट्रैक न कर सके। परमार एवं अन्य (2016) द्वारा किये गये अध्ययन से ज्ञात हुआ कि साइबर कानूनों के बारे में भी लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है।[11]

lkbcj vijk/k l: l:j{kk :– वर्तमान में साइबर अपराध की समस्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि उससे बचने के लिए यथा lHkko ç;kl fd;k tk,। इस संदर्भ में विfHkUu çdkj d: mik; viuk, tkr:

gS। जैसे–जैसे साइबर अपराध की मात्रा बढ़ रही है, उसी के साथ उपाय किए जाने वाले नये सुरक्षात्मक lk/ku Hkh viuk;s tk jgs gS। इसमें सुरक्षk lEcU/kh lkQVos;j dk bLrseky किया जाना आवश्यक है। सम्बन्धित साफ्टवेयर को अपडेट किया जाना चाहिए। सभी जगह पर मजबूत पासवर्ड का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया का काफh vf/kd bLrseky fd;k tkrk gS। किन्तु इसकी सेटिंग को काफी मजबूत करके रखना चाहिए। होम नेटवर्क में सुरक्षा के संदर्भ में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस तकनीक में बहुत ही मजबूत पासवर्ड का उपयोग किया जाता है और साइबर अपराध को उसे तोड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वह संपूर्ण क्रियाकलाप के दौरान पूरे ट्रैफिक के डेटा को इनक्रीप्ट कर देता है। साइबर क्राइम को लेकर के घर, परिवार में बच्चों से बातचीत किया जाना चाहिए और उन्हें इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि किस प्रकार से लोग साइबर क्राइम शिकार होते हैं, जिससे कि वह कभी कोई ऐसी गलती न करें। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को साइबर अपराध से निपटने के सन्दर्भ में आववश्यक उपायों की जानकारी अवश्य होना चाहिए। वर्तमान में साइबर अपराध के बढ़ते रहने के कारण साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर जागरूकता क्लिनिक की आवश्यकता है। कई जगहों पर ऐसे क्लिनिक की आवश्यकता है और बहुत से जगहों पर ऐसे क्लिनिक खोले भी जा चुके हैं।[12]

सुशील चन्द्र भट्ट एवं अन्य ¼2011½[13] द्वारा किये गये शोध से ज्ञात हुआ है कि सभी बैंक अपने सुरक्षा के लिए नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। किन्तु उसमें कई छोटे प्रकार की कमियॉ भी हैं। इनके अनुसार बैकों के सन्दर्भ में आम लोगों के बीच में भी जागरूकता अपनाने की आवश्यकता है। (Susheel Chandra Bhatt et al, 2011) भारत में साइबर अपराध को रोकने के लिए आईटी ऐक्ट बनाया गया है। इस ऐक्ट में विभिन्न प्रकार के किये जाने वाले साइबर अपराधों को स्पष्ट किया गया है। इस ऐक्ट के अन्तर्गत बने कानून की विभिन्न धाराओं से साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रयास किया गया है।[14]

leL;k dk o.kZu :– साइबर अपराध में किसी प्रकार के बल प्रयोग करने की आवश्यकता नही होती है। अपराध सम्बन्धी सभी प्रकार के कार्य तकनीकी ढंग से किया जाता है। इस प्रकार के अपराध करने का अवसर उस किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध है, जो कि किसी ढंग से गलत विचार रखता है। वर्तमान में सूचना तकनीक का सभी क्षेत्रों में लगातार इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। भविष्य में इसके लगातार बढ़ते रहने की ही उम्मीद है। इस कारण साइबर अपराध की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की आशंका की जाने लगी है। विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट से यही संकेत मिलता है कि यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 के बीच भारत में 22000 वेबसाइट हैक की गई है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा दी गई है। इस दौरान 493 वेबसाइट मालवेयर प्रोपेगेशन के द्वारा प्रभावित हुए हैं। इसमें 114 वेबसाइट गवर्नमेंट के भी हैं।[15] इस प्रकार के हमले का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क से दिए जाने वाले सर्विस और नेटवर्क उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि साइबर अपराध के सन्दर्भ में लोगों की क्या जागरूकता है ? क्या लोग इससे निपटने के लिए पूरी तरह से सजग रहते हैं और इस सम्बन्ध में सुरक्षा के सभी प्रकार के उपायों को जानते हैं ? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए साइबर अपराध के सन्दर्भ में शोध कार्य किये जाने का महत्व स्वतः ही साबित हो जाता है।

lkfgR; v/;;u :– साइबर अपराध की जागरूकता के सन्दर्भ में कई अध्ययन किये गये हैं। इन सभी अध्ययन में एक बात विशेषतौर पर उभर करके सामने आयी है कि साइबर अपराध के बारे में भारत में अभी काफी कम जागरूकता है। हाल के वर्षों में भी जो अध्ययन किये गय हैं, उससे तो यही तस्वीर उभर करके सामने आती है। सरोज मेहता एवं विक्रम सिंह (2013)[16] के अध्ययन से भी यह बात साबित होती है। एक अन्य अध्ययन जगविन्दर सिंह (2012) द्वारा किया गया है, जिसमें कि उन्होने बताया कि भारत में साइबर अपराध से निपटने में काफी पीछे हैं। इस अध्ययन में यह भी सामने आया कि स्त्री एवं पुरूष के बीच साइबर अपराध सम्बन्धी जानकारी में काफी अन्तर है। इसी प्रकार से जगविन्दर सिंह (2012)[17] द्वारा बारहवीं कक्षा के छात्रों के बीच किये गये अध्ययन से ज्ञात होता है कि साइबर अपराध के बारे में में छात्र एवं छात्रों की समझ एक समान है। इसी प्रकार से इस कक्षा के हर विषय के छात्रों के बीच जागरूकता स्तर में किसी प्रकार का कोई अन्तर नही है। (Jagvinder Singh, 2012)

हलधर एवं अन्य[18] (2010) द्वारा किये गये अध्ययन से ज्ञात होता है कि साइबर सुरक्षा के सन्दर्भ में भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोगों में अज्ञानता होने के साथ साथ उसके बारे में उचित फोरम पर रिपोर्ट करने के सन्दर्भ में भी जानकारी नही है। ogh ij] टीना जोसे, वाई. विजयलक्ष्मी एवं अन्य[19] (2017) द्वारा नेशनल साइबर क्राइम ब्यूरो एवं राज्य के साइबर साइबर क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ राज्य में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है। (Teena Jose et al, 2017)

विनीता (2012) द्वारा साइबर अपराध के बारे में अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इस अपराध के बारे में लोगों को बहुत ही सामान्य समझ है और सरकार की एजेंसियों को इसके बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। (Vineetha.P.K,2012) ogh ij] के पी सुकन्या एवं सीवी राजू (2017)[21] द्वारा मल्लपुरम जिले में युवाओं के बीच किये गये अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि युवा वर्ग आईटी ऐक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं, किन्तु वे इसके प्रति सजग नही हैं। इस अध्ययन से यह भी पता चला कि युवा साइबर अपराध से बचने की समझ रखते हैं। उनके अनुसार इस ऐक्ट के बारे में विद्यालयों में जानकारी दी जानी चाहिए। (Sukanya K.P and Raju C.V.,2017) अर्चना नरहरि एवं व्रजेश शाह [22] (2016) द्वारा किये गये अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि साइबर अपराध के बारे में लोगों में साइबर अपराध के बारे में सन्तोषजनक ढंग की जागरूकता नही है। उनमें इसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। (Archana Chanuvai et al, 2016)

एक अध्ययन हसन एवं अन्य[23] (2013) द्वारा किया गया, जिसमें कि यह पाया गया कि छात्राएं छात्रों की तुलना में साइबर अपराध के बारे में कही अधिक जागरूक हैं। (Hasan et al.,2015) मेहता एवं सिंह[23] (2013) द्वारा भारतीय समाज में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता के सन्दर्भ में किये गये अध्ययन से ज्ञात हुआ कि साइबर अपराध के बारे में महिलाओं की तुलना में पुरूष कही अधिक जागरूक हैं। (Mehta et al , 2013) अपर्णा एवं चौहान (2012) [24] द्वारा किये गये अध्ययन में यह पाया कि साइबर अपराध से निपटने के लिए इन्टरनेट इस्तेमाल करने वालों एवं सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे सही परिवेश का निर्माण करें। अग्रवाल (2015)[25] अपने शोधपत्र में इस बात पर जोर देती हैं कि सभी इन्टरनेट इस्तेमाल करने वालों को साइबर अपराध एवं साइबर कानून की अवश्य जानकारी होनी चाहिए। (Agarwal, 2015)

हेमराज सैनी (2012)[26] द्वारा किये गये अध्ययन से ज्ञात हुआ कि साइबर अपराध का समाज पर आर्थिक विघटन, मनोवैज्ञानिक असंतुलन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार के कई अन्य अध्ययन भी किये गये है। यबरा द्वारा (2008)[27] सोशल नेटवर्किंग से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी है। ए श्रीहरी एवं अन्य (2018)[28] द्वारा कालेज के छात्रों के बीच साइबर अपराध के बारे में जागरूकता का अध्ययन किया गया है। इस प्रकार का अध्ययन डा0 के मनीषा एवं अन्य[29] द्वारा भी किया गया है। शाजी एन राज[30] (2015) द्वारा साइबर अपराध की भारत में बढ़ोत्तरी के बारे में ऑकलन किया गया है। साइबर अपराध जागरूकता के सन्दर्भ में ही एक अन्य अध्ययन अवैश एम अबदुल्ला एवं अन्य (2014)[31] द्वारा भी किया गया है। इसी प्रकार से डेटा रक्षण के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच साइबर अपराध के बारे में जागरूकता हेतु अध्ययन किया गया है। साइबर अपराध जागरूकता के सन्दर्भ में ही उर्मिला गोयल (2014)[32] एवं मोहम्मद सैमूमूल हसन एवं अन्य[33] द्वारा भी अध्ययन किया गया है। इसी प्रकार से डी जामिल एवं अन्य द्वारा (2011)[34] भारत के डेटा प्रोटेक्शन ऐक्ट 2000 का यूरोपीयन संघ के देशों के बने कानून से तुलना की गयी है। कामिनी देशोरा ने अपने अध्ययन में बताया है कि साइबर अपराध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही समस्या बनता जा रहा है। (Kamini Dashora, 2011) इसी प्रकार से जिगर शाह[36] द्वारा साइबर अपराध से निपटने के सम्बन्ध में इन्टरनेट इस्तेमाल करने वालों के बीच जागरूकता लाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है। (Jigar shah, 2016) साइबर अपराध की भयावहता के बारे में जानकारी देते हुए नोहे [37] ने बताया है कि साइबर अपराध के माध्यम से अपराधियों की आय बढ़ती जा रही है। (Patrick Nohe, 2018)

उक्त साहित्य विश्लेषण से स्पष्ट है कि साइबर अपराध जागरूकता के बारे में शोध कार्य का अपना एक अलग ही महत्व है। इस तत्य को ध्ययन में रखते हुए वर्तमान अध्ययन को लिया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य :– इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध की वर्तमान स्थिति और युवाओं में साइबर अपराध सम्बन्धी जागरूकता के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इसके अन्तर्गत निम्न बातों को जानने का प्रयास किया गया है।

– साइबर अपराध के प्रति युवाओं में क्या जागरूकता है ?
– युवाओं में साइबर अपराध कानून की कहॉ तक जानकारी है ?
– साइबर से बचने के लिए कहॉ तब सतर्क है ?

v/;;u fof/k :– इस अध्ययन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों तरीको को अपनाया गया है। विविध प्रकार की तथ्यात्मक सूचनाओं को पाने के लिए द्वितीयक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसके माध्यम से साइबर अपराध की प्रवृत्ति, एवं उससे सम्बन्धित सूचनाओं को जानने के लिए द्वितीयक ऑकड़ों की मदद ली गयी है। प्राथमिक ऑकड़ों के लिए सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया है। सर्वेक्षण करने हेतु एक बन्द प्रश्नावली तैयार की गयी है। इसमें साइबर अपराध से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न' शामिल किये गये हैं, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि लोगों में साइबर अपराध के बारे में किस प्रकार की जागरूकता है।

Hkkxkfyd {k= :– इस अध्ययन के लिए लखनऊ शहर को लिया गया है। यह शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ उत्तर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या 2815601 एवं साक्षरता दर 72 प्रतिशत रही हैं।[38] इस शहर में केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ कई निजी विश्वविद्यालय भी हैं। अतः इस शहर के युवाओं के बीच किया जाने वाला सर्वेक्षण अपने आप में भारत के युवाओं में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता को दर्शाता है।

निदर्शन :– इस अध्ययन के लिए युवाओं के बीच सर्वेक्षण किया गया है। इस युवां के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर के छात्रों को लिया गया है। इस सर्वेक्षण के लिए कुल 184 छात्रों को लिया गया जो कि मुख्यतौर पर जनमाध्यम एवं सूचना तकनीक में रूचि रखने वाले थे। इस प्रकार से यह उद्देश्यपरक सुविधाजनक निदर्शन है।

प्रश्नावली :– इस अध्ययन के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गयी है। इसमें साइबर अपराध से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न शामिल किये गये हैं, जिससे कि उत्तरदाताओं को साइबर अपराध के बारे में जागरूकता सम्बन्धी जानकारी मिल सके। इसमें कुल 13 प्रश्न पूछे गये हैं। ये सभी प्रश्न बन्द प्रश्नावली रूप में बनाया गया और उत्तरदाताओं को उसमें दिये गये विकल्प में से उत्तर देना था।

विश्ले"k.k :– प्राप्त ऑकड़ों से ज्ञात होता है कि अधिकतकर युवाओं के पास साइबर अपराध से सम्बन्धित या तो सन्देश आये है अथवा वे किसी न किसी प्रकार से साइबर अपराध के शिकार हुए हैं। बहुत से युवाओं ने स्वीकार किया कि वे या उनके मित्र किसी न किसी प्रकार के साइबर अपराध के शिकार हुए हैं। ये सन्देश मोबाइल अथवा ई मेंल के माध्यम से आया है। हॉलाकि ई मेल पर साइबर अपराध सम्बन्धी सन्देश अधिकतर लोगों के पास आता है। किन्तु इस प्रकार के सन्देशों को लोग स्पैम के तौर पर लेते हैं। अतः यह आवश्यक नही है कि लोग उसे साइबर अपराध के रूप में पहचान ही ले।

1– मोबाइल पर साइबर अपराध सम्बन्धी सन्देश आना अब एक बहुत ही सामान्य बात हो गयी है। 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उनके पास ऐसे सन्देश आये जो कि साइबर अपराध से सम्बन्धित रहे हैं और सिर्फ 37 प्रतिशत लोगों ने ही इस बात से इंकार किया कि उनके पास किसी प्रकार का कोई सन्देश आया था।
2– साइबर अपराध के विविध रूप हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी ढंग से शिकार हो सकता है। प्राप्त उत्तर के अनुसार शिकार हुए लोगों की संख्या 20 प्रतिशत रही है। यदि सम्पूर्ण जनसंख्या को देखा जाये तो फिर यह अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। वहीं 80 प्रतिशत लोगों ने इस बात से इंकार किया कि वे कभी साइबर अपराध के शिकार हुए हैं।
3– सर्वेक्षण में शामिल आधे युवाओं में से कुछ ही कम ने अर्थात् 48 प्रतिशत ने यह स्वीकार किया है कि उनके मित्र कभी न कभी साइबर अपराध के शिकार हुए हैं या फिर उनके पास इस प्रकार के सन्देश आये हैं। जबकि 52 प्रतिशत लोगों ने इससे इंकार किया। इस उत्तर से इसकी संख्या के बारे में अनुमान लगाना

आसान नही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति कई लोगों के मित्र हो सकता है। किन्तु यह संख्या इस बात को अवश्य संकेत कर रही है कि साइबर अपराध का प्रसार काफी व्यापक हो गया है।

4– साइबर अपराध के बारे अच्छे ढंग से समझ रखने वालों की संख्या बहुत ही कम है। केवल 15 प्रतिशत लोगों ने दावा किया कि वे साइबर अपराध के बारे में अच्छी समझ रखते हैं। दूसरी तरफ, 24 प्रतिशत लोग साइबर अपराध के बारे में बहुत कम समझ रखते हैं। 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे कुछ ही हद तक इस अपराध के बारे में जानते हैं। अर्थात् वे इस अपराध के विविध पक्षों से भली भॉति परिचित नही हैं।

5– साइबर अपराध से निपटने की समझ केवल एक–तिहाई युवा ही रखते हैं। 33 प्रतिशत युवाओं ने दावा किया कि वे इससे निपटने के तौर तरीके से परिचित हैं। इससे स्पष्ट है कि साइबर कानून की जानकारी न होने के बावजूद वे इस अपराध से निपटने की समझ रखते हैं। 41 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनको इससे निपटने की कोई भी समझ नही है। वहीं पर, 26 प्रतिशत लोगों को इस बात की कोई आइडिया नही है कि वे इससे सही ढंग से निपट सकते हैं अथवा नही।

6– साइबर अपराध होने की स्थिति में भले ही सभी लोग साइबर अपराध सेल को रिपार्ट न करते हो, किन्तु ऐसा करने की इच्छा वे अवश्य रखते हैं। 91 प्रतिशत लोगों ने इसके पक्ष में अपने विचार रखे। केवल नौ प्रतिशत लोग इस विचार के थे कि वे किसी प्रकार के साइबर अपराध होने की स्थिति में कोई रिपोर्ट नही करना चाहते हैं।

7– साइबर अपराध से सम्बन्धित समाचारों को लोग ध्यान से पढ़ते हैं। 98 प्रतिशत युवाओं ने यह माना कि साइबर अपराध से सम्बन्धित समाचार उनके लिए रूचिकर होते हैं और यह साइबर अपराध सम्बन्धी जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। शायद इसका यही कारण है कि इसके माध्यम से उन्हे इसके बारे में जानकारी मिलती है।

8– साइबर अपराध लोगों के बीच चर्चा का एक विषय बन गया है। 98 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि वे साइबर अपराध के बारे में लोगों से चर्चा करते रहते हैं। केवल 2 प्रतिशत लोगों ने इस बात से इंकार किया कि वे साइबर अपराध के बारे में किसी प्रकार का कोई चर्चा करते हैं।

9– साइबर अपराध सेल के कार्यालय के बारे में अधिकतर उत्तरदातों की जानकारी नही है। वे अपने शहर के ही साइबर अपराध सेल के बारे में कोई जानकारी नही रखते हैं। शहर में रहने वाले युवाओं को यदि इसके बारे में जानकारी नही है तो फिर इस बात का आसानी के साथ अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इस अपराध के प्रति उनकी कितनी जागरूकता है।

10– साइबर अपराध के बारे में जनमाध्यम सबसे अधिक लोगों को जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आधे से अधिक उत्तरदाताओं का ऐसा मानना है। 57 प्रतिशत लोगों ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। समाचारपत्रों में साइबर अपराध से सम्बन्धित समाचार, लेख आदि से उन्हे इसके बारे में जानकारी मिलती है। 26 प्रतिशत लोगों के अनुसार साइबर अपराध के सन्दर्भ में उन्हे जानकारी मित्रों से प्राप्त होती है, जबकि 17 प्रतिशत लोगों के अनुसार साइबर अपराध के सन्दर्भ में उन्हे बाहर अन्य माध्यमों से जानकारी मिलती है।

11– साइबर अपराध से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत करने हेतु पोर्टल बने हुए हैं, किन्तु यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक है कि इसके बारे में सिर्फ 30 प्रतिशत युवा लोगों को ही पता है। जबकि 70 प्रतिशत लोग इससे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। उन्हे इस बात की जानकारी नही है कि सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर कि सीधे शिकायत की जा सकती है।

12– साइबर अपराध कानून के बारे में भी युवाओं को अच्छी तरह से जानकारी नही है। 87 प्रतिशत युवाओं ने यह बात स्वीकार किया है कि वे साइबर अपराध के बारे में जानकारी नही रखते हैं। 13 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि वे साइबर अपराध के बारे में जानते हैं।

13– साइबर अपराध से सुरक्षा सम्बन्धी नियम का पालन करने के सम्बन्ध में 70 प्रतिशत लोग दावेदारी करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की सुरक्षा वे अपने अनुभव के आधार पर ही करते हैं। 30 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे किसी प्रकार का कोई विशेष उपाय नही करते हैं।

14– साइबर अपराध से बचने के सन्दर्भ में समाज में एक दूसरे के बीच जानकारियों का आदान प्रदान होता रहता है। 89 प्रतिशत लोग एक दूसरे को साइबर अपराध के बारे में बतलाते रहते हैं। केवल 11 प्रतिशत ही लोगों ने इस बात से इंकार किया और कहा कि वे साइबर अपराध से सम्बन्धित जानकारियों का लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई आदान–प्रदान नही करते हैं।

15– इन्टरनेट पर कार्य करने के दौरान सावधानी बरतने के सन्दर्भ में पूछने पर 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं

ने बताया कि वे अपनी तरफ से सावधानी बरतते हैं। वहीं पर, 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में नकारात्मक उत्तर दिया। किन्तु 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे कभी कभी ऐसा करते हैं।

fu"d"k :– उक्त विश्लेषण से कुछ निष्कर्ष स्पष्ट तौर पर उभर करके सामने आते है। साइबर अपराध संबंधित संदेश अब सामान्य संदेश बनता जा रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं, जिनके पास साइबर अपराध संबंधित संदेश आते हैं और इसमें लोग साइबर अपराध के शिकार भी होते हैं। प्रत्येक पांचवा युवा साइबर अपराध का किसी न किसी रूप में शिकार हुआ है। लगभग आधी संख्या में युवाओं ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके मित्र भी साइबर अपराध के शिकार हुए हैं। किंतु साइबर अपराध के संदर्भ में लोगों की जानकारी एवं समझ अभी कम है। अधिकतर युवा साइबर अपराध के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं। यही कारण है कि वह इस अपराध से निपटने के तौर तरीकों के बारे में भी अच्छी तरीके से नहीं परिचित हैं तथा वे इसके शिकार हो जाते हैं।

हालांकि युवा इस बात के महत्व को समझते हैं कि साइबर अपराध होने पर इसे साइबर सेल में रिपोर्ट किया जाता है, अधिकतर युवा अपने शहर के साइबर अपराध सेल कार्यालय का पता और उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। साइबर अपराध जनमाध्यम का एक महत्वपूर्ण समाचार बन चुका है और युवा इसे रुचि लेकर के पढ़ते भी हैं। इससे उन्हें जानकारी भी मिलती है। अधिकतर युवाओं को साइबर अपराध के विविध पक्षों के बारे में जानकारी जनमाध्यमों से ही मिलती है। साइबर अपराध के बारे में आपस में काफी बातचीत भी करते हैं और इससे भी उनके इसके बारे में जानकारी मिलती है।

साइबर अपराध से निपटने के संदर्भ में युवाओं को साइबर पोर्टल की भी जानकारी नहीं है और इसी प्रकार से वे साइबर अपराध से संबंधित कानूनों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं रखते हैं। किंतु अपनी तरफ से साइबर अपराध से बचने के संदर्भ में जो कुछ भी उपाय होते हैं, वे उसका यथासंभव पालन करते हैं और यही नहीं, वे इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी दूसरे को भी उपलब्ध कराते हैं और उनका यह प्रयास रहता है कि जब कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए तो साइबर अपराध से निपटने या बचने के लिए जो कुछ भी आवश्यक तरीके हैं, उसका पालन करें।

v/;;u gsrq lq>ko :– समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों के बीच साइबर अपराध के सन्दर्भ में किस प्रकार की जानकारी है और इसे कैसे अधिक किया जा सकता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइबर अपराध रोकने के सन्दर्भ में विविध प्रकार से जागरूकता उत्पन्न करना आवश्यक है। साइबर अपराध के लगातार विस्तार की समस्या को देखते हुए इसके कारण एवं निवारण के विविध पक्षों एवं युवाओं में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी तरीके अपनाने के सन्दर्भ में शोध किये जाने की सख्त आवश्यकता है।

v/;;u dh lhek :– इस अध्ययन के ऑकड़े विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले युवाओं के बीच किये गये शोध पर आधारित है। अतः इसे इसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर के विभिन्न युवाओं की जानकारी एवं समझ अन्य वर्ग की तुलना में कही अधिक ही होती है। अतः इस ऑकड़ों का उपयोग करते समय इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

lUnHkZ lwph %&

1	Hinduja S, Patchin JW,. Bullying, cyber bullying, and suicide. Arch Suicide Res. 2010;14(3):206–221
2	Lenhart A,. Cyberbullying. Washington, DC: Pew Research Center; 2007.Available at:www.pewinternet.org/Reports/2007/Cyberbullying.aspx. Accessed July 16, 2010
3	Over 12,000 cases related to cyber crime registered in 2016: Alphons, The Economic Times, PTI, Updated: Mar 21, 2018, 05.13 PM IST
4	National crime record bureau report, 2016
5	Cyber Crimes, National crime record bureau report, 2016

6	Ibid
7	Cybercrime survey report , 2017 , 14 December, 2017
8	Live Hindustan.com , Last updated: Sun, 17 Feb 2019, 12:34 PM IST
9	The 12 types of Cyber Crime, https://www.digit.in/technology-guides/fasttrack-to-cyber-crime/the-12-types-of-cyber-crime.html
10	Adnan Riaz , Adeel Riaz, Causes and consequences of cybercrimes: An exploratory study of Pakistan, Published in 2015, First international conference on Anti – Cybercrimes(ICACC) held on November 10-12, 2015, Published-IEEE
11	Bhavya Venkatesh, India needs cybercrime awareness clinics, Hindu, April 29, 2018 19:00 IST, Updated: April 28, 2018 13:05 IST,
12	Parmar, Aniruddhsinh & Patel, Kuntal. (2016). Critical Study and Analysis of Cyber Law Awareness Among the Netizens. 409. 10.1007/978-981-10-0135-2_32.
13	(Susheel Chandra Bhatt, Durgesh Pant, Study of Indian Banks Websites for Cyber Crime Safety Mechanism, (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 2, No.10, 2011, 87 | P a g e www.ijacsa.thesai.org)
14	IT act 2000, Ministry of Information and Technology, Government of India
15	Over 22,000 Indian websites hacked between April 2017-Jan 2018, Livemint, https://www.livemint.com , Updated: 07 Mar 2018, 07:53 PM IST ,
16	Mehta, Saroj and Singh, Vikram (2013), A Study of Awareness aboutCyber laws in the Indian Society. International Journal of Computing and Business Research, January, Vol.4, Issue. 1
17	To analyze cyber crime awareness of class 12 students- Jagvinder Singh ISSN- 2278-8808 International Journal of Pure and Applied Mathematics Special Issue 1358 7 | P a g e
18	Halder, D., & Jaishankar, K. (2010). Cyber Victimization in India: A Baseline Survey Report. Tirunelveli, India: Centre for Cyber Victim Counselling
19	Teena Jose, Y.vijayalakshmi, Dr.Suvanam, Sasidhar Babu , Cyber crimes in Kerala: A study Advances in Computational Sciences and Technology ISSN 0973-6107 Volume 10, Number 5 (2017) pp. 1153-1159
20	Vineetha.P.K , Managing cyber crimes in India – issues and challenges, Journal of Exclusive Management Science –December 2012-Vol 1 Issue 11 - ISSN 2277 – 5684
21	Sukanya K P, Raju C V, Cyber Law Awareness among Youth of Malappuram District –IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 4, Ver. 5 (April 2017) , PP 23-30
22	Archana Chanuvai Narahari and Vrajesh Shah (2016).Cyber Crime and Security – A Study on Awareness among Young Netizens of Anand.International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education.Vol-2 Issue-6.
23	Hasan et al., (2015), Perception and Awareness of Young Internet Users towards Cybercrime: Evidence from Malaysia. Journal of Social Sciences, Vol. 11 (4): 395.404
24	Aparna and Chauhan, Meenal (2012), Preventing Cyber Crime: A Study Regarding Awareness of Cyber Crime in Tricity. International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, January, Vol 2, Issue 1.
25	Aggarwal, Gifty (2015), General Awareness on Cyber Crime. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering. Vol 5, Issue 8.
26	Hemraj Saini, Yerra Shankar Rao, T.C.Panda / International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) ISSN: 2248-9622 www.ijera.com Vol. 2, Issue 2,Mar-Apr 2012,

	pp.202-209
27	Ybarra ML, Mitchell KJ ,. How risky are social networking sites? A comparison of places online where youth sexual solicitation and harassment occurs. Pediatrics. 2008;121(2). Available at:www.pediatrics.org/cgi/content/full/121/2/e350
28	Sreehari A, K.J Abinanth, Sujith B, Unnikuttan P.S, Mrs.Jayashree; A study of awareness of cyber crime among college students with special reference to kochi, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 119, No. 16, 2018, 1353-1360
29	A Study of Cyber Crime Awareness for Prevention and its Impact- Dr. Manisha K, Dr. Vidya G, ISSN (Online) - 2455-1457
30	Shaji. N. Raj , Evaluation of cyber crime growth and its challenges as per Indian scenario ISSN (online): 2347-1697 Volume 2, Issue 9 , May 2015
31	Avais, M. Abdullah et.al. (2014), Awareness regarding cyber victimization among students of University of Sindh, Jamsharo. International Journal of Asian Social Science, Vol. 4(5): 632-641
32	Urmila Goel , Awareness among B.Ed teacher training towards Cyber-crime-A Study, Learning Community: 5(2 and 3): August and December 2014: 107-117
33	Perception and Awareness of Young Internet Users towards Cybercrime: Evidence from Malaysia - Md Shamimul Hasan, Rashidah Abdul Rahman, Sharifah Farah and Normah Omar
34	Jamil D. and Khan M.N.A. (2011), Data Protection Act in India with Compared To the European Union Countries. International Journal of Electrical and Computer Sciences, Vol: 11 No: 06
35	Kamini Dashora, Cyber Crime in the Society: Problems and Preventions, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences (2011) Vol 3, No 1, 240-259
36	Jigar Shah, A Study of Awareness About Cyber Laws for Indian Youth, International Journal of Trend in Scientific Research and Development, Volume 1(1), 2016 , ISSN: 2456-6470
37	September 27, 2018 4 Re-Hashed: 2018 Cybercrime Statistics: A closer look at the “Web of Profit” https://www.thesslstore.com/blog/2018-cybercrime-Statistics
38	Census report of India, 2011

ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

1951 ls 2011 tula[;k ledks es ifjoru % ,d v/;;u

Jherh vpuk pkcs
शोधार्थी, सहायक प्राध्यापक, हितकारिणी कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, देवताल गढ़ा, जबलपुर

Lkkjka'k :– भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई उसके बाद धीरे–धीरे इस का प्रचार प्रसार पूरे देश में क्रमिक रूप से किया जाता था। विभिन्न समस्याओं के बावजूद भारत में प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है।

जनगणना का शाब्दिक अर्थ है मनुष्यों की गणना, किन्तु आधुनिक अर्थ में जनगणना किसी क्षेत्र या देश के ग्राम, नगर या उपक्षेत्रों के निवासियों की संख्या तथा तत्संबंधी अन्य तथ्यों का समसामयिक विवरण प्रस्तुत करने वाली राष्ट्रीय संस्था हो गई है। जिस पर प्रशासनिक एवं आयोजना संबंधी सरकारी नीतियां निर्धारित होती है। जनगणना से प्राप्त आंकड़े के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी को केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न सांख्यिकीय कार्यालयों और सांख्यिकीय संगठनों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से ही देश की जनसंख्या के विविध पहलू जैसे व्यक्तियों के तौर तरीके प्रवृत्तियों तथा प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, शिक्षा आदि का पता चलता है।

प्रस्तुत शोध पत्र ''केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के कार्यों का मूल्यांकन''(जनसंख्या समंक के विशेष संदर्भ में) पी.एच.डी. शोध प्रबंध से संबंधित है जिसे शोधार्थी द्वारा अपने शोध कार्य से पूर्व निर्मित किया गया है।

iLrkouk :– सर्वप्रथम जनगणना का प्रचलन संसार के किस क्षेत्र या देश में हुआ, इसका ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किन्तु इतिहासकारों का मत है कि इसका प्रचलन अति प्राचीनकाल से संसार के विभिन्न विभागों में रहा है, यद्यपि इसका रूप अव्यवस्थित था। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में जब जातीय या पारिवारिक संगठन था, तब नेता को अपने वर्ग तथा पशुधन का पता रहता था। विपत्ति के दिनों में संपूर्ण वर्ग की गुहार होती थी और भोजादि के अवसरों पर सब निमंत्रित होते थे। पूर्व वैदिक काल में आर्य लोग अपनी जातियों, कुरू, यदु आदि में बंटे थे और राज्य को पूरी जाति का पता रहता था। महाभारत में कौरवों और पांडवों ने अपने सैन्यदल की गणना द्वारा अपनी शक्ति का आंकलन और युद्धायोजन किया था।

सेंसस (Census-जनगणना) शब्द रोम के प्राचीन शब्द (Censor) कहते थे, सरकारी निर्देशानुसार प्रति पांचवें वर्ष राज्य के परिवारों तथा प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या तथा आर्थिक और सामाजिक तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करते थे। इसका प्रारंभ सर्वियत टालियस नामक रोम के छठे राजा (578–534 ई.पू.) ने किया था। आंगस्टस ने ईसा से पांच वर्ष पूर्व इस रीति को संपूर्ण रोम साम्राज्य में प्रचलित कर दिया।

Lkkj.kh dekd&1

1951 ls 2011 rd Hkkjr es tula[;k of) ,o fyxkuikr es ifjoru

fofHkUu nkdks es Hkkjr es tula[;k of)		Hkkjr es fyxkuikr		Ckky fyxkuikr
n'kd	tula[;k es of) ¼ifrkr½	dkd	fyxkuikr ¼ifr gtkj i:"kks ij efgyk,½	0&6 o"k ds cPpks dk fyxkuikr
1951–1961	21.64	1951	946	–
1961–1971	24.80	1961	941	976
1971–1981	24.66	1971	930	964

1981–1991	23.87	1981	934	962
1991–2001	21.54	1991	926	945
2001–2011	17.5	2001 2011	933 940	927 914

भारत की कुल आबादी 1 अरब 21 करोड़ है जो जनगणना 2001 की जनसंख्या 1 अरब 3 करोड़ से अधिक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में 18 करोड़ 10 लाख लोग जुड़े परंतु 2001–2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 17.5 प्रतिशत रही जबकि 1991– 2001 के दशक में 21.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। इससे स्पश्ट होता है कि वृद्धि दर में गिरावट आई जितनी दर से राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संगठनों ने जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाया था, उससे कहीं ज्यादा 2011 की जनगणना के आंकड़े सामने आये। यदि ऐसा ही रहा तो 2030 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जायेगा।

जनगणना आयुक्त कार्यालय मे 0–6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात की गणना के साथ–साथ 1961–1971–50 वर्षों की प्रवृत्ति की विवेचना की। जैसा कि तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है। बाल लिंगानुपात में 1961 में जहां एक हजार बालकों के पीछे 976 बालिकायें थी वहीं उनके अनुपात में कमी आते हुए 2001 में 927 तथा 2011 में 914 बालिकायें प्रति एक हजार बालकों के पीछे रह गई। इस स्थिति ने पूरे संसार का ध्यान आकर्षित किया और इसके पीछे जो कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी है वह है भ्रूण लिंग परीक्षण की बढ़ती प्रवृत्ति।

fu"d"k ,oa lq>ko %& शोध के अध्ययन में यह पाया गया है कि राष्ट्रीय स्तर की अनेक संस्थाएं आंकड़ों का विश्लेषण करके सिर्फ जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। आम लोग व्यापक स्तर पर कानूनी एवं संस्थागत प्रावधानों से अनभिज्ञ है। लिंग आधारित गर्भपात लड़कियों के खिलाफ सामाजिक रूप से विमुखता एवं पुत्रों के प्रति प्राथमिकता का मुद्दा है।

निःसंदेह लड़कियों की घटती संख्या की समस्या जटिल एवं बहुतस्तरीय प्रकृति की है और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर कदम उठाये जाने चाहिए। इस राष्ट्रीय शर्म के निवारण के लिए सांख्यिकीय संगठनों को सिर्फ आंकड़े जारी करने का अधिकार न होकर इसके साथ–साथ ऐसी समस्याओं के निवारण के लिए मिशन की तरह संगठित प्रयास करने की जरूरत है।

lanHkZ xzaFk %&

1. भारत की जनगणना 2011
2. सांख्यिकीय एवं क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
3. योजना जुलाई 2011

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

सुमेदबादशाह मंदिर : वास्तु व मूर्ति कला

Mk- चौधुरी शिवव्रत महान्ति
महानिदेशक, कृष्णराव शोध संस्थान एवं मानद व्याख्याता–प्रा.शा.इतिहास, संस्कृति व पुरातत्त्व,रा.दु.वि.वि., जबलपुर

गढ़ा–मंडला में गोंड राजाओं का शासन था। इस वंश के शासक निजामसाहि के पश्चात् नरहरिसाहि शासक बना। नरहरिसाहि का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा को नर्मदा में स्नान के लिए जाते समय एक बालक प्राप्त हुआ, जिसका ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार राजा ने पालन–पोषण किया। नर्मदा जी की कृपा से प्राप्त इस बालक का नाम सुमेद रखा गया। यही बालक नरहरिसाहि का उत्तराधिकारी हुआ। सुमेद साहि ने मंडला में नर्मदा तट पर एक धर्मशाला और एक मंदिर का निर्माण कराया। इन निर्माणों के एक वर्ष पश्चात् उसने ग्वारीघाट में बादशाह हलवाई मंदिर का निर्माण करवाया। सुमेंद बादशाह हलवाई मंदिर के प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि सन् 1844 ई. में इस मंदिर का निर्माण हुआ। सुमेद जन्म से हलवाई और गोदनामें के अनुसार राजा हुआ। इस प्रकार यह स्वीकार किया जा सकता है कि नरहरिसाहि का दत्तक पुत्र सुमेद था जो जन्म से हलवाई था। उसी के नाम पर मंदिर का नाम सुमेद बादशाह मंदिर हो गया जो समयान्तर में केवल बादशाह हलवाई मंदिर के नाम से परिचित हो गया। यह मंदिर गोंड कालीन स्थापत्य का अनुपम उदाहरण है।

यह मंदिर जबलपुर पुराना बस स्टैण्ड से 5 किलोमीटर दूर ग्वारीघाट जाने वाले मार्ग पर दाहिंनी ओर छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुँचने के मार्ग में सोपानों की सुव्यवस्थित श्रेणी है। इस पहाड़ी पर अन्य छोटे–छोटे मंदिर भी है, जो संपूर्ण क्षेत्र को मंदिरों से परिपूर्ण कर कलात्मक वातावरण प्रदान करते हैं। नगर में स्थित यह छोटी सी पहाड़ी मंदिर के सौंदर्य को अद्वितीय बना देती है। नगर का कौलाहल यहाँ से बहुत दूर प्रतीत होता है। यही इस मंदिर की विशेषता एवं निर्माता की दूरदर्शिता का प्रमाण है।

okLrq&dyk %& बादशाह हलवाई मंदिर गोंड कालीन एक सुसंगठित, विशाल और भव्य वास्तु रचना है। मंदिर तक पहुँचने के लिए सात सोपान चढ़ने होते है जिसके पश्चात 85 से.मी. चौड़ा तथा 5 मीटर लंबा मुखमंडप है, जिस पर चार–चार स्तंभों की दो पंक्तियाँ है। इस मुखमंडप के पश्चात 2.27 मीटर चौड़ा एक और मंडप है जिसके दोनों छोरों पर 1.75 मीटर के वर्गाकार लघुकक्ष (रेखाचित्र क्रमांक– 1,2) हैं। इन कक्षों में से बाईं ओर के कक्ष में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, इसके विपरीत दाईं ओर के कक्ष में संगमरमर से निर्मित शिव–पार्वती की एक प्रतिमा स्थापित है। इस कक्ष को मध्य से दीवार उठाकर दो भागों में विभाजित किया गया है तथा इसी कक्ष से ऊपर वाले प्रथम तल में जाने के लिए सोपानों की व्यवस्था है। इन कक्षों के द्वार मंदिर के अंदर वाले मंडप में खुलते है। लघु कक्षों के पश्चात् 4. 12 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर लंबा सभामंडप है, जिस पर बारह स्तंभों की व्यवस्था वितान को आधार प्रदान करने के लिए है। सभामंडप के दोनों पार्श्वों में 1.78 मीटर चौड़े तथा 4.12 मीटर लंबे दो बरामदे हैं (रेखाचित्र में क्र. 3,4) जो सभामंडप के स्तंभों और एक पीछे की पंक्ति के स्तंभों से निर्मित है। सभामंडप और पार्श्व बरामदों की समाप्ति पर पुनः दो वर्गाकार लघु कक्ष है जो 1.75 मीटर के हैं। इन कक्षों के प्रवेश द्वार गर्भगृह के सम्मुख अंतराल में खुलते है। इन कक्षों में से बाईं ओर के कक्ष में कल्चुरि कालीन नृत्यरत गणपति की प्रतिमा स्थापित है। दाईं ओर के कक्ष में नरसिंह अवतार की प्रतिमा स्थापित है। इन पार्श्व कक्षों से ही

एक–एक द्वार एक छोटे बरामदे में खुलते हैं। (रेखाचित्र क्र. 5,6) ये बरामदे 1.75 मीटर चौड़े तथा 2.72 मीटर लंबे हैं, इसके पश्चात् एक–एक लघु कक्ष वर्गाकार है जो 1.75 मीटर के हैं। इन कक्षों में पुनः पार्श्व में द्वार हैं जो गर्भगृह के पीछे के बरामदे में खुलते हैं। लघु कक्षों (रेखाचित्र 5,6) के पहले तथा गर्भगृह के पीछे के बरामदे आधे–आधे दीवारों से बंद हैं, जो मंदिर के शेष भाग से भिन्न प्रतीत होते हैं। मंदिर मुख्य गर्भगृह तीन बरामदों और चार लघु कक्षों से घिरा है। सभामंडप के पश्चात् लघु कक्षों के मध्य अंतराल है जिसके बाद 2.75 मीटर चौड़ा तथा 2.93 मीटर लंबा गर्भगृह है। गर्भगृह में जाने के लिए सोपानों की व्यवस्था है। इस प्रकार यह मंदिर आठ बरामदों, छः लघुकक्षों एवं एक मुख्य गर्भगृह, एक सभामंडप, 28 स्तंभों से युक्त है। मंदिर दो तलों में निर्मित है– प्रथम तल का विन्यास भी भूतल के विन्यास के समान है। प्रथम तल पर निर्मित लघु कक्षों में द्वार हैं जिससे पूरे मंदिर में आया–जाया जा सकता है, भूतल के विन्यास में जहाँ बरामदे हैं वहाँ प्रथम तल में खुली छत है और लघु कक्षों के ऊपर ही कक्ष हैं। यह संपूर्ण मंदिर 11.52 मीटर चौड़ा एवं 19.17 मीटर लंबे भू–भाग में निर्मित है।

मंदिर का सर्वाधिक आकर्षक भाग स्तंभ हैं। जिस पर बरामदे की छत आधारित है इन बरामदों की छत सपाट व मंदिर से बाहर निकले छज्जे के रूप में हैं। मंदिर के स्तंभ वर्गाकार हैं। इन स्तंभों का आकार वर्गाकार है जो आधार पर 48 से.मी. तथा यष्टि भाग पर 42 से.मी. है। स्तंभों की ऊँचाई 1.62 मीटर है। यष्टि भाग पर चारों ओर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, ये मूर्तियाँ 23 सेमी. चौड़े तथा 51 सेमी. लंबे आलों पर निर्मित हैं। स्तंभ का शीर्ष भाग वर्गाकार खंड तथा उनके कोनों पर पुष्प अलंकरण से युक्त है। मंदिर के स्तंभ संगमरमर और बलुआ पाषाण दोनों के ही है ये स्तंभ एक–दूसरे से अर्धवृत्तों से मिलकर बने मेहराब द्वारा जुड़े हैं। मेहराब के ऊपर और वितान के मध्य की दीवार पर बड़ी ही आकर्षक पुष्प वल्लरी उत्कीर्ण हैं। सभामंडप का वितान श्रीयंत्र पर आधारित है। इसमें षडकोणों को काटते हुए और ऊपर की ओर आकार में छोटे होते हुए निर्मित किया गया है। मंदिर के प्रथम तल पर गुंबद का निचला भाग क्षैतिज है जिस पर पत्र अलंकरण हैं, गुंबद के इस भाग पर गर्भगृह के अंदर आलों की आकृति चारों ओर निर्मित है। इस भाग से ही वृत्ताकार भाग प्रारंभ होता है, गुंबद के शीर्ष पर उल्टे पुष्प आकृति पर आमलक और कलश की व्यवस्था है। गुंबद के चारों ओर मंदिर की लघु आकृतियाँ हैं जो वृत्ताकार भाग तक ऊँची है। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर का यह भाग अत्यंत आकर्षक एवं भव्य है।

efr;dyk %& बादशाह हलवाई मंदिर शिव को समर्पित है, इसके गर्भगृह में अनगढ़ शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के प्रवेश द्वार जहाँ से मुखमंडप प्रारंभ होता है दोनों पार्श्वों पर विशाल गोंडकालीन द्वारपाल प्रतिमाएँ हैं जिनके हाथों में त्रिशूल और अक्षयमाला है। मंदिर की बाईं बाह्यभित्ति पर कलचुरिकालीन अप्सरा की प्रतिमा है, जिसका एक हाथ अभय मुद्रा में अंगूठे को छूती हुई तर्जनी के रूप में तथा दूसरे हाथ से उत्तरीय पकड़े प्रदर्शित है। दाईं की ओर की भित्ति पर एक युगल प्रतिमा है, देवता ललितासन में विराजमान है, उनके बाईं ओर गोद में बालक लिए देवी विराजमान है। देवता के हाथों में सनाल पद्म और चक्र जैसी रचना है परंतु स्पष्ट लक्षणों के आभाव में इस प्रतिमा के निश्चित पहचान संभव नहीं है। यह दोनों ही प्रतिमाएँ कलचुरिकालीन है।

मुखमंडप के पश्चात् बरामदा है जिसके दोनों छोरों पर लघु कक्ष हैं, बाईं ओर का कक्ष प्रतिमाविहीन है, दाईं ओर के कक्ष में शिव–पार्वती की संगमरमर से निर्मित गोंडकालीन प्रतिमा है। इसी कक्ष में कलचुरिकाल की उमा–महेश्वर की प्रतिमा है, यह युगल प्रतिमा पूर्व मध्यकालीन परंपरा को प्रगट करती आलिंगन मुद्रा की है। इसी कक्ष के द्वार पर बाईं ओर पूजा की थाली लिए साधिका तथा दाईं ओर एक नारी आकृति है ये दोनों ही प्रतिमाएँ गोंडकालीन है। इन्हीं कक्षों की दीवार जो सभामंडप की ओर अंदर है, में कुछ कथानक दृश्य दिवार पर लगाए है जो कलचुरि कालीन प्रतीत होते है। बाईं ओर के कक्ष का अंकन स्पष्ट नहीं है, चूने की पुताई के मोटे होने के कारण इसके लक्षण दब गए है। दाईं ओर के कक्ष की दीवार पर लगा कथानक शिव पार्वती के चौपड़ क्रीड़ा में शिव द्वारा नंदी को हार जाने तथा पार्वती के अनुचरों द्वारा नंदी को बलपूर्वक अपनी ओर ले जाने का चित्रण है। यह अंकन प्रतिमा के पादपीठ पर उत्कीर्ण किया जाता है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह अंकन मुख्य प्रतिमा से अलग हो गया जिसे मंदिर की दीवार पर लगा दिया गया। इन कथानकों के नीचे गोंड कालीन प्रतिमाएँ हैं जिनमें लक्षणों के आभाव के कारण स्पष्ट पहचानना कठिन है।

सभामंडप के पार्श्व बरामदों के अंत में दो लघु कक्ष हैं। दाईं ओर के कक्ष की बाह्य भित्ति पर कलचुरि कालीन उमा–महेश्वर प्रतिमा है जिसमें शिव ललितासन में विराजमान है, उनकी बाईं जंघा पर ललितासन में उमा विराजमान है। शिव चतुर्भुजी हैं, उनके दांए नीचे वाले हाथ में मातुलुंग और ऊपरवाले में त्रिशूल है। दाईं ओर का नीचे वाला हाथ उमा को आलिंगन पाश में भरते हुए उनके वक्ष पर स्थित है, ऊपर वाले हाथ में सर्प है, यह हाथ उमा के कंधे पर स्थित है। उमा भी चतुर्भुजी है, उनका दायां नीचे वाला हाथ शिव के कंधे पर है, ऊपर के हाथ में पुष्प है, यह हाथ ऊपर उठा हुआ है। बाईं ओर के नीचे वाला हाथ देवी के पैर पर स्थित है, ऊपर वाले हाथ में दर्पण है। प्रतिमा की पादपीठिका पर शिव के वाहन नंदी और उमा के वाहन सिंह का अंकन है। दाईं ओर के लघु कक्ष की भित्ति पर गोंड कालीन प्रतिमाएँ हैं। बांए लघु कक्ष के प्रवेश द्वार की देहरी पर मेष के समान श्रृंग वाला मानव अंकित है, उसके बांए हाथ में शंख और दांए हाथ में अक्षमाला है। इस कक्ष में कलचुरि कालीन नृत्यरत् गणपति की सोलह भुजाओं से युक्त आकर्षक प्रतिमा स्थापित है। गणपति के दाईं ओर के नीचे वाले हाथ में परशु है, एक में पुष्प, एक अनुचर के शीर्ष पर, एक पद्म लिए, एक डमरू, और इस ओर के दो हाथों में सर्प का अंकन है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में मोदक पात्र है जिस पर उनकी सूँड़ स्थित है। एक हाथ नृत्य मुद्रा में और एक हाथ से वह अपना उत्तरीय पकड़े हुए हैं। ऊपर के दो हाथों में पद्म है, एक हाथ में अंकुश तथा एक में सर्प की पूँछ है। सर्प का अंकन हाथों का ऊपर उठाए हुए नृत्य करते गणपति के शीश के ऊपर अंकित है। प्रतिमा के परिकर के ऊपर विद्याधर पुष्पमाला लिए और नीचे अनुचर वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाए गए हैं। इन अनुचरों में बाईं ओर ढोल और वीणा वादन करते हुए तथा दाईं ओर वेणु, वीणा बजाते हुए दिखाए गए है। गणपति के चरणों के मध्य उनका मूषक चित्रित है।

दाईं ओर की कक्ष की देहरी पर श्रृंग मानव आकृति शंख वादन करती हुई प्रदर्शित है। इस कक्ष में विष्णु के नरसिंह अवतार की कलचुरि कालीन आकर्षक प्रतिमा स्थापित है। नरसिंह आलीढ़ मुद्रा में बायां पैर मोड़कर खड़े हैं, जिस पर हिरण्यकश्यप का शीर्ष स्थित है, शेष शरीर बिना आधार के लटका हुआ है। देवता अष्टभुजी हैं, वे नीचे के दोनों हाथों से असुर का उदर विदारित कर रहे हैं, उनके दाईं ओर के हाथों में चक्र एवं पद्म हैं, बाईं ओर के नीचे के हाथ में दंड है। परिकर में शीर्ष की ओर विद्याधरों का पुष्पमाला लिए अंकन हैं। नरसिंह के मुड़े हुए पैर के पास एक आकृति ढाल व बरछी लिए हुए अंकित है। वह आयुध द्वारा देवता पर प्रहार करने को तत्पर है। इसके पार्श्व में भी एक आकृति युद्ध मुद्रा में चित्रित है। इसी कक्ष के दाईं ओर की दीवार पर एक पट्टिका लगी हुई है जिसके मध्य में एक पुरुष आकृति तथा दोनों ओर दो–दो नारी आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं, लक्षणों के आभाव में प्रतिमा की पहचान असंभव है, यह पट्टिका कलचुरि कालीन है।

मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर विशाल द्वारपालों की प्रतिमाएँ हैं, ये गोंड़कालीन हैं। प्रवेश द्वार की चौखट पर द्वारपाल की लघु प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। गर्भगृह की देहरी पर मेष के श्रृंग वाली मानव आकृति का मात्र शीश भाग उत्कीर्ण है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के पीछे संगमरमर से निर्मित पंचमुखी शिव–पार्वती की प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह में शिव के अतिरिक्त अन्य देवी–देवताओं की प्रतिमाएँ स्थापित हैं, शिवलिंग के बाई ओर सूर्य, नाग तथा गणेश की प्रतिमाएँ हैं। दांए ओर सर्वप्रथम गरूण पर आरूढ़ विश्णु–लक्ष्मी की प्रतिमा है, इसके पश्चात एक हाथ में पात्र तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए भैरव की प्रतिमा स्थापित है। भैरव के पश्चात अन्नपूर्णा तथा हंस पर विराजमान सरस्वती की प्रतिमा हैं। सरस्वती के पश्चात सिंह पर आरूढ़ दुर्गा का अंकन है। देवी चतुर्भुजी है उनके ऊपर के दांए हाथ में खड्ग और बांए में त्रिशूल है, नीचे का दायां हाथ अक्ष माला लिए हुए सिंह के शीर्ष पर स्थित है, बायां हाथ खाली है तथा सिंह की पीठ पर स्थित है। इस प्रकार गर्भगृह प्रतिमाओं से परिपूर्ण है।

बादशाह हलवाई मंदिर का सर्वाधिक आकर्षक भाग स्तंभ हैं, ये वर्गाकार यष्टि के हैं जिनके चारों ओर प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार वाले मुखमंडप के स्तंभों पर शंख, वेणु, वीणा, खरताल, ढोल आदि वाद्ययंत्र बजाते हुए मानव की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। इन वाद्ययंत्रों को बजाते हुए पुरुष आकृतियों के साथ ही दूसरी पंक्ति के दांए ओर के स्तंभ पर (स्तंभ क्र. 8) पश्चिम दिशा की ओर नृत्य करती आकर्षक नारी मूर्ति उत्कीर्ण है। इस नारी मूर्ति में सुंदर वेश–भूषा तथा अलंकरणों का चित्रण किया गया है। नारी पूरी तन्लीनता के साथ नृत्य कर रही है। सभामंडप के प्रारंभिक स्तंभों पर वीणाधारिणी सरस्वती और सरिता देवियों में गंगा, यमुना, नर्मदा की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं।

इसके पार्श्व बरामदों (स्तंभ क्र. 3,4) में नक्षत्रों की प्रतिमाएँ हैं। इन स्तंभों पर नवग्रह, अष्टदिग्पाल, सूर्य, नरसिंह आदि अनेक देवी–देवताओं की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं।

बादशाह हलवाई मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ गोंडकालीन और कलचुरिकालीन दोनों की प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं इन दोनों ही मूर्तिकला में पर्याप्त भिन्नता है। गोंडकालीन प्रतिमाएँ कम गहराई से कोर कर निर्मित की गई है साथ ही उनकी शारीरिक बनावट में ही तीक्ष्णता का आभाव है। इन कमियों के कारण ये प्रतिमाएँ उतनी आकर्षक और सुंदर प्रतीत नहीं होती जितनी कलचुरि काल की प्रतिमाएँ हैं। यही कारण है कि संख्या में कम होने के बाद भी ये प्रतिमाएँ अपना वर्चस्व बनाए हुए है।

बादशाह हलवाई मंदिर गोंड काल की महत्वपूर्ण कृति है। यह विशाल, भव्य व मनोरम स्थान पर निर्मित है। मंदिर वर्तमान में सुरक्षित प्रतीत होता है परंतु छत से वर्षा के जल के रिसाव से दिवारें बदरंग व कमजोर हो रही हैं, संगमरमर के स्तंभों की सफाई न होने के कारण उनका स्वरूप धूमिल हो रहा है। इसी प्रकार बलुआ पत्थर के स्तंभों पर चूने की पुताई ने इनके स्वरूप को प्रभावित किया है। इस भव्य मंदिर का शीघ्र संरक्षण किया जाना आवश्यक है जिससे वह अपने वैभवशाली स्वरूप में लंबे समय तक बना रह सके।

सुमेदबादशाह मंदिर का भग्नावशेष

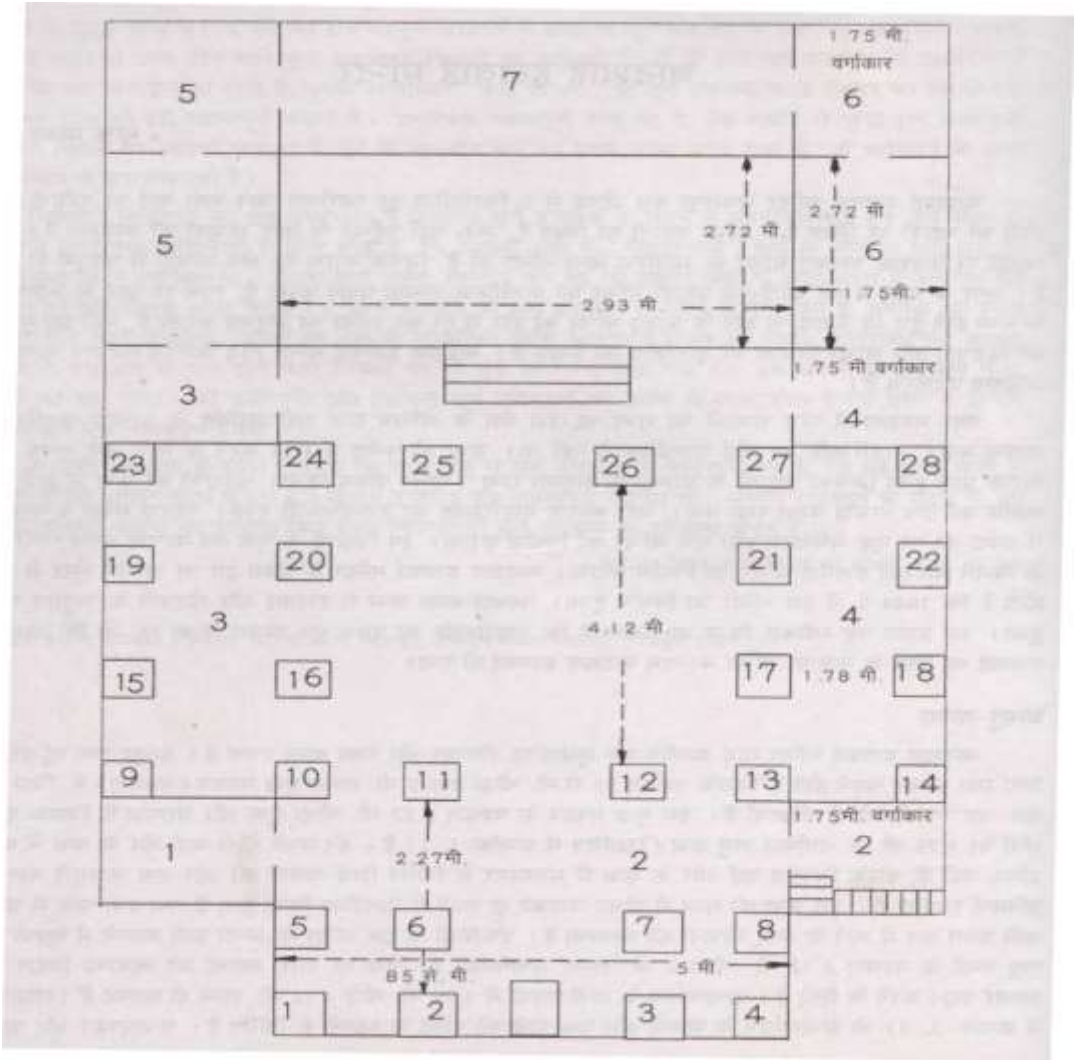

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान

डॉ ज्योति सुहाने

20 वीं सदी में भारत की राजनीति, स्वतंत्रता संग्राम, समाज और साहित्य को जिन व्यक्तियों ने प्रेरित व प्रभावित किया उनमें वीरांगना कवियित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का विशिष्ट स्थान है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात स्वाधीनता संग्राम में श्रीमती सुभद्रा का योगदान का आकलन सहज नहीं है। हम जब तक अपनी दृष्टि को क्षितिज की व्यापकता को नहीं सौंपेंगे तब तक सुभद्रा जी के अवदान का समुचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा क्योंकी सुभद्रा जी का स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय होना आकस्मिक नहीं था। गुलामी के प्रति अत्यंत नफरत और अंग्रेजी राज के प्रति विद्रोह उनके रक्त में था। अंग्रेजों ने सन् 1857 में सुभद्रा जी के पिता में ठाकुर महिपाल सिंह को लौहन्दा ग्राम की जमींदारी से अन्याय पूर्वक बेदखल कर दिया था। कालांतर में उसी विद्रोह का रूपांतरण सुभद्रा में हुआ।

स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनका विवाह देशसेवी युवा ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ।विवाहोपरांत भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। दोनों के भावों और विचारों में एकरूपता थी यही कारण है कि सन् 1920 में महात्मा गांधी के आवाहन पर उन्होंने पढ़ाई को तिलांजलि दे दी व राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। पंडित माखन लाल चतुर्वेदी के आमंत्रण पर जबलपुर को अपना कर्मक्षेत्र बनाया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता और गांधीजी के परम अनुयायी बन गए। उन्होंने अपने लक्ष्य के अनुरूप ही अपनी जीवनचर्या रखी और वैसा ही आचार व्यवहार अपनाया। राष्ट्र की सेवा में त्याग, तितिक्षा और बलिदान उन्हें वरदान जान पड़े। इसी कारण उनके जीवन में अविश्वास व निराशा का बीज अंकुरित नहीं हो पाया।

वैसे तो सुभद्रा जी सन् 1920 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हुए प्रत्येक आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुडी रहीं किंतु सन् 1923 में हुए उनके जीवन के उस पहले राष्ट्रीय आंदोलनने ही उनकी कीर्ति को देशव्यापिनी कर दिया,जिसे झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है अनेक लेखकों इतिहासकारों ने राष्ट्रीय महत्व के इस झंडा सत्याग्रह की अनदेखी कर दी है या फिर उसका वर्णन केवल रस्मी तौर पर करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी है।

मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक खंड 1 में श्री रामेश्वर प्रसाद गुरु एवं श्री जगदीश प्रसाद व्यास की पुस्तक स्नेह सेवा और संघर्ष, व्यवहार राजेंद्र सिंह अभिनंदन ग्रंथ आदि में भी घटना को वर्णित किया गया है। इतिहास में अंकित है कि श्री अजमल खान द्वारा नगर पालिका भवन पर जब झंडा फहराया गया वह घटना 18 मार्च 1923 की है, इस कार्यक्रम में पंडित सुंदरलाल, नाथूराम मोदी के साथ श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान भी थीं। डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर ना केवल झंडा उतरवाया गया वरन पुलिस के लोगों ने झंडे को रौंदा और कुचला भी, बस फिर क्या था लोग आक्रोशित हो गए आक्रोष बढ़ा जिसने एक आंदोलन का रूप ले लिया।

झंडे को प्रतिष्ठा दिलाने के के लिए 18 मार्च 1923 को कमिश्नर की अवज्ञा स्वरूप पंडित सुंदरलाल जी के नेतृत्व में एक जुलूस सदर की ओर चला, उसे रोका गया और पंडित सुंदरलाल जी पर अवज्ञा का मुकदमा चला कर उन्हें सजा दी गई। गिरफ्तार किए गए सत्याग्रहियों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान और ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ सर्वश्री गोपाल दास गुप्ता, तोड़ल सुनार, देवी प्रसाद शुक्ला 'नीमपत्ती', नाथूराम मोदी, शिव प्रसाद शर्मा 'वकील' और श्री अब्दुल रहीम भी थे। इस तरह झंडा सत्याग्रह का पहला पक्ष जबलपुर नगर पालिका भवन पर झंडा चढ़ाना और दूसरा पक्ष अवज्ञा आंदोलन करके जुलूस निकालना है। सुभद्रा कुमारी चौहान देश की पहली महिला आंदोलनकारी बनी जो जेल गई।

आगे चलकर झंडा सत्याग्रह का केंद्र नागपुर बना तथा श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान और ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बड़ा जत्था जबलपुर से झंडा सत्याग्रह में भाग लेने नागपुर गया। यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान सत्याग्रह करते हुए पुनः गिरफ्तार हो गई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक सभा में कहा -"कि मुझे आशा है, आप को यह ज्ञात है कि हमारी एक बहन आज गिरफ्तार हो गई। उसने अजनबियों और पुलिस सिपाहियों की गिरफ्त में जाना क्यों मंजूर किया, जबकि कोई भी हिंदू महिला मानसिक संतुलन रखते हुए ऐसा कर ही नहीं सकती। यदि आप विचार करें तो देखेंगे कि क्या यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आश्चर्यजनक प्रगति नहीं है। उनका यह वीर कृत्य भारत के प्रत्येक घर में चर्चित होगा और उसकी गुरुता अनुभव की जाएगी।" महात्मा गांधी व सरदार पटेल आदि अनेक दिग्गजों ने भी सुभद्रा जी के इस कृत्य की भूरि भूरि प्रशंसा की।

सुभद्रा जी के जीवन में साहित्य और राजनीति दोनों का सामंजस्य था आज की भांति पृथकत्व नहीं। वे झंडा सत्याग्रह में दो बार गिरफ्तार में पर सरकार ने बिना मुकदमा चला ही उन्हें छोड़ दिया ।क्योंकि उस समय सरकार के पास महिलाओं के लिए जेल में पर्याप्त व्यवस्था नहीं थीं।

सविनय अवज्ञा आंदोलन में वे अपने बच्चों को बहुत छोटे होने के कारण जेल नहीं गई परंतु उनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी ने कृष्ण मंदिर की यात्रा की । सन् 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया विरोध स्वरूप कांग्रेस ने सत्याग्रह प्रारंभ किया गांधीजी के आव्हान पर सुभद्रा जी सन् 1940-41में व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में एक बार फिर जेल गयीं। सन् 1942 में स्वाधीनता के अंतिम संघर्ष में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। गांधी जी के देश में करो या मरो के सिद्धांतों पर सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह चौहान आंदोलन में कूद पड़े परिणाम स्वरूप पति पत्नी दोनों ही जेल में गिरफ्तार कर लिए गए । इस प्रकार इस प्रकार सुभद्रा जी ने राष्ट्रीय आंदोलनों के सिलसिले में सन् 1923 40 और 42 में जेल यात्रा की। अन्य आंदोलनों में भी वे यथासंभव सक्रिय रहीं, उनकी ओजपूर्ण वाणी व काव्य और कृतित्व ने भी राष्ट्रीय आंदोलनों को गति प्रदान की। वीरों का कैसा हो बसंत और झांसी की रानी आदि कविता। उस समय आंदोलनकारियों के रक्त संचार को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी।

सुभद्रा जी कांग्रेस की नेत्री और गांधीजी के अनुगामिनी थी उस समय कांग्रेस का स्वरूप कुछ और ही था इसलिए सन् 1920 की नागपुर कांग्रेस के स्वागत में उन्होंने कांग्रेस मैया का संबोधन दिया था। उसे आकांक्षा की प्यारी मूर्ति माना था। चिरजीवी सात्विक यत्न कहा था। वास्तव में सुभद्रा जी क्रांति धर्मी थी, वह मन वचन और कर्म से क्रांतिकारी थीं। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने कहा था कि "जब नागपुर झंडा सत्याग्रह चल रहा था सुभद्रा जी ने सत्याग्रह किया और एक महान राजपूत नारी के आदर्श, गौरवपूर्ण साहस और उमंगों को संग लिए जेल गईं। उनकी प्रतिभा और गुणों में उन्हें अपार यश दिया गया"। आधुनिक समय में बहुत ही कम ऐसी प्रतिभा संपन्न महान नारियां हुई हैं जो यथार्थ में राष्ट्र का गौरव और निधि हैं। 15 फरवरी 1948 को एक मोटर दुर्घटना में मात्र 43 वर्ष 6 माह के जीवन में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए किंतु उनका सृजन, उनके आंदोलन, उनकी जेल यात्रायें, उनकी समाज सेवा आदि प्रत्येक कार्य राष्ट्र देवता को ही समर्पित रहे। उनका जीवन शताब्दियों की अमर अक्षय निधि है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पथ के साथी - महादेवी वमा
2. स्नेह, सेवा,संघर्ष - जगदीश प्रसाद व्यास
3. स्वतंत्रता संग्राम और जबलपुर नगर - रामेश्वर प्रसाद गुरु
4. मिला तेज से तेज - सुधा चौहान
5. आत्म निरीक्षण - सेठ गोविंद दास
6. बुंदेले हरबोलों के मुंह - ललिता प्रसाद जी

पत्र-पत्रिकाएं :-

प्रभा मासिक - मार्च-अप्रेल1923

प्रहरी - मार्च 1948

जनभारती - अंक-2संवत 2015

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S. & Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

çlkn dk ukVdk e a vfHkO;ä jk"Vªokn pruk

Mॉ- Hkkouk 'kqDy

आधुनिक हिंदी दृसाहित्य के प्रमुख साहित्यकरों में जयशंकर प्रसाद अग्रगण्य है,मूर्धन्य कवि होने के साथ प्रसादजी ने गद्य में भी लेखनी चलाकर नाटकों के क्षेत्र में युगांतर स्थापित कर दिया .अभी तक जो भी नाटक लिखे गये उनमे राष्ट्रीयता तो थी किन्तु प्रसाद जी के नाटकों में अधिक परिमाण में है . सबसे पहले हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी ने और बाद में प्रसाद जी ने नवीन प्रयोग किये .उन्होंने राष्ट्रीयता को नाटक का मुख्य तत्व मानते हुए भारतीय इतिहास के गौरवमय अतीत से कथानक लेकर नाटकों का प्रणयन किया जो हर दृष्टि से अदभुत है .

राष्ट्र एक ऐसी चेतना है जो मनुष्य में इच्छा शक्ति और संवेदना उत्पन्न होती है .

चेतना अवलोकन ही नहीं उनकी परख तथा मूल्यांकन भी करती है .राष्ट्रीयता के निर्माण में मुख्य रूप से भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता विद्यमान रहती है और इसका स्थूल और सुदृढ़ आधार देश की भूमि ही है . हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का जो स्वरुप हमारे सामने है.वह आधुनिक युग की देन है .

राष्ट्रीय चेतना मनुष्य के मन का परिष्कार करती है..

प्रसाद जी ने अपने नाटकों में प्रेम–भावना के साथ–साथ अतीत के गौरवगान द्वारा देश वासियों के प्रति प्रेम उत्पन्न करके लगातार संघर्ष की भूमिका बाँध दी है .

जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक "चन्द्रगुप्त" के प्रसिद्ध गीत "अरुण यह मधुमय देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा" में देश के प्रति आत्मभाव को ही अभिव्यक्ति मिली है।

राष्ट्रीयता का एक पक्ष है अपने अतीत की स्मृति। अतीत की स्मृति आत्मस्मृति है। आत्मस्मरण जीवन है और आत्मविस्मृति मृत्यु। निर्मल वर्मा ठीक ही लिखते हैं कि कोई भी जाति संकट की घड़ी में अपने अतीत, अपनी जड़ों को टटोलती है। संकट की घड़ी आत्म मंथन की घड़ी है और सही आत्ममंथन हमेशा अतीत में लिये गये फैसलों के आसपास होता है।... जिस तरह एक व्यक्ति अपनी स्मृति में दुनिया को परखता है, उसी तरह एक जाति अपनी परम्परा की आंखों से यथार्थ को छानती है। जो लोग अतीत की स्मृति या अतीत के मूल्यांकन को अतीत के प्रति सम्मोहन का दर्जा देते हैं, निर्मल वर्मा उसका प्रत्याख्यान करते हैं– "अतीत का बोध अतीत के प्रति सम्मोहन से बहुत भिन्न है। विगत के प्रति सम्मोहन उसी समय होता है जब हम परम्परा से विगलित हो जाते हैं... परम्परा का रिश्ता स्मृति से है सम्मोहन से नहीं।"

जयशंकर प्रसाद ने "चन्द्रगुप्त" और "स्कंदगुप्त" नाटक में स्वर्णिम अतीत को वर्तमान के लिए प्रेरणाप्रद बताया है। प्रसाद की निम्नांकित पंक्तियां गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाती हैं और वर्तमान में प्रेरणा भी देती हैं–

वही है रक्त वही है देह वही साहस वैसा ही ज्ञान।
वही है शांति वही है शक्ति वही हम दिव्य आर्य संतान।।

जियें तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष।

निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष।।

अपनी संस्कृति के प्रति गौरव बोध वस्तुतः राष्ट्रीय अस्मिता का हिस्सा है और राष्ट्रीय अस्मिता राष्ट्रबोध का अभिन्न हिस्सा है।

जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक "चन्द्रगुप्त" के प्रसिद्ध गीत "अरुण यह मधुमय देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा" में देश के प्रति आत्मभाव को ही अभिव्यक्ति मिली है।

इसी प्रकार ––– हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती
'अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़– प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो!'
असंख्य कीर्ति–रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाह–सी
सपूत मातृभूमि के– रुको न शूर साहसी!
अराति सैन्य सिंधु में, सुवाड़वाग्नि से जलो,
प्रवीर हो जयी बनो – बढ़े चलो, बढ़े चलो!

कवि ने स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानों एक सोये हुए देश को जागने की प्रेरणा दी जा रही थी।

वैदिक काल से ही राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता रहा है. राष्ट्र की परिभाषायें समय–समय पर बदलती रही हैं. किन्तु राष्ट्र और राष्ट्रीयता का भाव गुलामी के दौरान अधिक पनपा. जो साहित्य के माध्यम से हमारे समक्ष आया जिसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ.

साहित्य का मनुष्य से शाश्वत संबंध है. साहित्य सामुदायिक विकास में सहायक होता है और सामुदायिक भावना राष्ट्रीय चेतना का अंग है. समाज का राष्ट्र से बहुत गहरा और सीधा संबंध है. संस्कारित समाज की अपनी एक विशिष्ट जीवन शैली होती है.

जिसका संबंध सीधा राष्ट्र से होता है जो इस रूप में सीधे समाज को प्रभावित करती है.

प्रसाद जी ने देशवासियों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भारत के स्वर्णिम अतीत को नाटकों का विषय बनाया.प्रसाद जी ने एक दर्जन नाटक लिखकर हिंदी नाट्य साहित्य को समृद्ध किया 'सज्जन','कल्याणी परिणय','करुणालय','प्रायश्चित',' राज्यश्री','विशाख','अजातशत्रु', 'जनमेजय का नाग यज्ञ','स्कंदगुप्त','एक घूँट','कामना','चन्द्रगुप्त',तथा 'ध्रुवस्वामिनी',जैसे नाटक लिखकर हिंदी साहित्य का गौरव बढाया . इनके नाटकों में ऐतिहासिक ,सांस्कृतिक चेतना,इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य दार्शनिक गंभीरता और साथ ही काव्यात्मक सरसता ,वीरता और साहस व् प्रेम का रोमानी संघर्षपूर्ण वातावरण,देशकाल का सजीव चित्रण आदि विशेषतायें इनके नाटकों में दृष्टव्य होती है.

प्रसाद जी के नाटकों की प्रशंसा अनेक विद्वानों ने की डॉ.नगेन्द्र ने लिखा है 'कि प्रसाद की ट्रेजडी की भावना ,उनकी सांस्कृतिक पुनरुथान की चेतना,उनके महान कोमल चरित्र ,उनके विराट मधुर दृश्य ,उनका काव्य स्पर्श हिंदी में तो अद्वितीय है ही,अन्य भाषाओँ और नाटकों की तुलना में भी उसकी ज्योति मलिन नहीं पद सकती है .'

बच्चन सिंह की धारणा है कि प्रसाद जी की इतिहास की अप्रतिहत परिवर्तन शीलता में अटूट विश्वास था. अपनी मर्मस्पर्शिनी प्रतिभा द्वारा प्रसाद जी ने समझ लिया कि अंतर्विरोधी राजकीय सत्ता,सामन्तीय परिपाटी एवं सम्राज्यवाद की दीवारें टूट रही हैं.नवीन मानवतावादी भावना उग रही है.प्रसाद जी ने अपने नाटकों की अन्य विशेषताओं के साथ उनके नाटकों में अपने युग की समस्या का प्रतिबिम्ब भी है.प्रसाद जी की राष्ट्रीयता के सन्दर्भ में बच्चन सिंह जी कहते हैं कि इनकी राष्ट्रीयता राजाओं और सरदारों तक सीमित नहीं हैं,वह ऐसी राष्ट्रव्यापी चेतना है जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने में समाहित कर लेती है .दूसरी, इनकी राष्ट्रीयता में विश्वमैत्री समन्वित है .यही कारण है कि स्थान–स्थान पर मानव मैत्री का उद्घोष हुआ है .

अतः हम कह सकते है की भारतेंदु युग में जो नाटक रूप था ,प्रसाद ने उसे परिष्कृत और प्रौढ़ता प्रदान की ,प्रसाद के नाटकों में जो भावुकता ,जो राष्ट्रीयता का पक्ष था और जो ऐतिहासिक परिवेश का जो जीवंत और व्यवस्थित निरूपण रहा वह प्रसादोत्तर सृजन में भी रहा .अधेयताओं का मत है की प्रसाद बाद जो नाटककार हुए उनपर प्रसाद जी का प्रभाव भिन्न भिन्न रूप में परिलक्षित होता है.

प्रसाद जी ने अपने नाटकों के द्वारा भारत के गौरवशाली युगों के सजीव प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है,जिससे कि भारतवासियों में आत्मगौरव की भावना का संचार हो सके .

"जगे हम,लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक ."

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में नारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने और

राजनीतिक सक्रियता लाने हेतु महात्मा गांधी की भांति नाटककार जयशंकर प्रसाद ने यह स्पष्ट किया है कि नारियों को घर की चार दीवारी से बाहर लाना आवश्यक हैं। उन्होंने अपने नाटकों में आग से खेलने वाली राजनीतिक सूझबूझ से सम्पन्न अनेक नारियों का चित्रण किया हैं। चन्द्रगुप्त नाटक की 'अलका' वीर क्षत्राणी बनकर अपने स्वतंत्र नारी व्यक्तित्व का परिचय देती हैं। चन्द्रगुप्त और चाणक्य के साथ मिलकर देश की रक्षा के लिये वह नटी का रूप धारण करती है, पर्वतेश्वर के बंदीगृह में चाणक्य से संकेत पाकर वह पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनने की राजनीति खेलती हैं।

नाटककार प्रसाद के नाटकों का मूल उद्देश्य सांस्कृतिक चेतना जागृत करना नारी

अस्मिता को स्थापित करना और राष्ट्रीय भावनाओं को जन–जन तक पहुँचाना रहा है ।

उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं से पृथक राष्ट्रवादी सिद्धांतों की व्याख्या की हैं। नाटकों के नारी पात्रों के माध्यम से उन्होंने व्यापक रूप में राष्ट्रीय चेतना का संदेश दिया हैं। उनके सभी प्रमुख नाटकों में नारी के गौरवमय राष्ट्रीय स्वरूप के भव्य दर्शन होते हैं। 'चन्द्रगुप्त' नाटक की नारी पात्र 'अलका' सिल्यूकस के समक्ष अपने राष्ट्र प्रेम का परिचय देती हुई कहती है कि 'मेरा देश है, मेरे पहाड़ है मेरी नदियाँ और जंगल हैं, इस भूमि के एक–एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक–एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं से बने हैं। 'स्कंदगुप्त' की जयमाला 'अजातशत्रु' की मल्लिका, चन्द्रगुप्त की मालविका, स्कंदगुप्त की रामा, देवसेना आदि में राष्ट्रीयता की भावना नस–नस में व्याप्त हैं। जातीय गौरव, राष्ट्रीय प्रेम और विश्व कल्याण की कामना को स्थापित करने में प्रसाद के नाटकों की नारियाँ उल्लेखनीय हैं.

अतः कह सकते हैं कि प्रसाद के नाटकों में आदर्श और मर्यादा के साथ–साथ देश भक्ति की डोर पकड़कर गतिमान होने वाली गौण नारी पात्रों में भी आम जनमानस को प्रभावित करने की विशेष क्षमता हैं।

भारतेंदु और प्रसाद युगीन मुख्य नाटकाकारों ने देशवासियों को प्रेरित करके

नवजागरण के लिए जगाया। अपने "नाटकों" के पात्रों एवं संवादों से
जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। प्रायः इन नाटकों चरित्र देश की
आन, बान और शान की खातिर अपने प्राणों का बलिदान देते हुए नजर आते
हैं। व्यक्ति बड़ा नहीं है, महान नहीं है बल्कि राष्ट्र महान है, का संदेश देते हुए इनके नाटकों में अतीत गौरव एवं व्यंग्य के चित्रण में राष्ट्रीय चेतना एवं देश भक्ति का स्वर प्रधान हैं.

अन्ततोगत्वा हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते है के प्रसादजी तथा उनके समकालीन नाटककारों ने जिस राष्ट्रीय चेतना को अपनी कृतियों में समाहित और प्रकाशित किया है वह आदि कवि बाल्मीकि के जननी जन्म भूमिश्च....स्वर्गादपि गरियसी .....का ही विस्तार है दृ

I UnHk

1. साहित्यिक निबंध..डॉ.गंपतिचंद्र गुप्त ..पृष्ठ...७३७ ... ७३८
2. समीक्षात्मक निबंध...हरिचरण शर्मा....पृष्ठ..२६७ २६८
3. शोधगंगा..भारतेंदु और प्रसाद युगीन साहित्य में राष्ट्रीय चेतना
4. भारत के शक्ति के स्त्रोत
5. वृहत निबंध साहित्य
6. हिन्दी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा.

tcyiqj e.My d ikfylh/kkjdk d e/; Hkkjrh; thou chek fuxe dh dk;Zi.kkyh dh iHkko'khyrk d lc/k e vis{kk ,o vuqHkfr dk v/;;u

l|iHkk

शोधार्थी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

lkjka'k %& भारत में जीवन बीमा की शुरूआत 100 साल से भी पहले हो चुकी है। परन्तु आज भी हमारे देश में बीमा को उतना महत्व नहीं दिया जाता, जितना दिया जाना चाहिए। इस शोध–पत्र में जीवन बीमा निगम के विशेष संदर्भों के जरिए जीवन बीमा की अवधारणाओं तथा सेवा गुणवत्ता से अवगत कराने की कोशिश कर रहे है। जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जो उन घटनाओं के घटने पर, जिनके लिए बीमित व्यक्ति का बीमा किया जाता है, एक खास रकम अदा करने का वादा करता है। जीवन बीमा अनुबन्ध के तहत पॉलिसीधारक को नियत अन्तराल पर प्रीमियमों का भुगतान करना होता है। जीवन बीमा निगम सार्वभौमिक रूप से एक ऐसा संस्थान माना जाता है जो जोखिम को दूर करता है और अनिश्चितता की जगह निश्चितता लाता है। इस शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में विद्यमान जीवन बीमा निगम की सेवा गुणवत्ता का अध्ययन करना है।

ifjp;

thou chek dh vo/kkj.kk

मानव जीवन अनश्चितताओं से भरा हुआ हैं। कल किस व्यक्ति के साथ क्या घटना घटेगी, इसका पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन हैं। मानव जीवन में व्याप्त इसी अनिश्चितता ने जीवन बीमा के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया हैं। भारत में जीवन बीमा का जन्म 1871 में जाना जाता हैं। प्रारम्भ में विदेशी कंपनियों ने जीवन बीमा का भारत में विकास किया। बाद में सरकार के सकारात्मक योगदान से 19 जनवरी, 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

एक कहावत बड़ी मशहूर है कि *ßlkeku lk cjl dk iy dh [kcj ugh‑Aþ* मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है – पत्ता नहीं उसका अन्त कब आ जाए। जब यमराज का संदेश आता है तो ज्ञानी–अज्ञानी, गरीब–अमीर, बूढ़ा–जवान, स्त्री–पुरुष सब एक मिनट में संसार से चले जाते हैं।

thou chek vuqcU/k esa lqj{kk rFkk fofu;ksx rRo dh fo|ekurk

अग्नि बीमा, समुद्री बीमा तथा जीवन बीमा के इतिहास पर यदि हम नज़र डालें तो जीवन बीमा के विकसित रूप का जन्म, अग्नि तथा समुद्री बीमाओं के बाद हुआ है। लेकिन वर्तमान समय मे जीवन बीमा का विकास अन्य बीमा अनुबन्धों की तुलना में सबसे अधिक हैं। इसका मुख्य कारण जीवन बीमा अनुबन्ध में सुरक्षा तत्त्व के साथ–साथ विनियोग तत्व की विद्यमानता है, जबकि अन्य बीमाओं में केवल सुरक्षा तत्व ही विद्यमान है।

1. lqj{kk rRo

   जीवन बीमा में बीमित व्यक्ति एवं उसके परिवार की सुरक्षा निहित होती है। इसमें मनुष्य को विभिन्न प्रकार के जोखिमों व संकटों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की आय कम हो जाती है, ऐसे समय में बीमा उसकी सहायता एवं रक्षा करता है, जिसके सहारे उसकी शेष जिंदगी आराम से गुजर सकती है। यदि बीमाकर्ता की समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो जीवन बीमा से प्राप्त राशि उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

2. fofu;kx rRo

जीवन बीमा में विनियोग तत्व पाया जाता है जो कि अन्य किसी प्रकार के बीमों में नहीं पाया जाता है जीवन बीमा सुरक्षा के साथ–साथ विनियोग का सर्वश्रेष्ठ साधन भी हैं। विनियोग के अन्य साधनों में सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। जीवन–बीमा में सुरक्षा व विनियोग दोनों तत्व विद्यमान होते हैं तथा एक निश्चित अवधि के पश्चात् बीमा कंपनी जमा किया गया सम्पूर्ण धन वापस देती है तथा साथ में बोनस भी भुगतान करती है।

अतः जीवन बीमा एक और व्यक्तियों को सुरक्षा का साधन उपलब्ध कराता है तथा दूसरी और ये भविष्य में विनियोग के लिए बचत का सर्वोत्तम साधन भी है। इसमें बचत करना ऐच्छिक न होकर बचत के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कठिनाइयों के समय उसे सहायता प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए बंदोबस्ती पॉलिसी में एक निश्चित अवधि समाप्त होने पर बीमादार को जीवन बीमा निगम से धन प्राप्त हो जाएगा, चाहे उसकी मृत्यु भी न हुई हो।

mís';

जबलपुर मण्डल में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की गई। सेवा की गुणवत्ता का अध्ययन करना।

lkfgR; dk leh{kk

खान एम. के. जे 1978 में अपने शोध–पत्र में जीवन बीमा व्यवसाय के अवसरों और संभावनाओं को जानने का प्रयास किया है। उन्होंने इसमें बताया कि एक अच्छा व्यवसाय क्या है तथा कैसे अच्छा व्यवसाय जीवन बीमा उत्पादों को सही जगह तक पंहुचा सकता है। इन्होने सुझाव दिया कि जीवन बीमा व्यवसाय में बीमा ग्राहकों को सेवा देने के लिए एजेंट को सदैव तत्पर रहना चाहिए।

मिश्रा, एम. एन. ने 1987 में जीवन बीमा निगम की रणनीतियों के मूल्यांकन पर अध्ययन किया। रणनीतियों की समीक्षा करते समय उन्होंने महसूस किया कि 1960 से पहले जीवन बीमा निगम ने ग्राहकों के उद्देश्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था जबकि 1980 से निगम ने कई उपचारात्मक कदम उठाये हैं जिसमें ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने के उपाय किये गए।

आशीष देब राय ने 1987 में उनके शोध–पत्र में बीमा ग्राहकों की देखभाल के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने पॉलिसी धारकों को प्राप्त बेहतर ग्राहक सेवाओं की प्रकृति और महत्व की। जाँच की इसके साथ–साथ सेवा में गुणवत्ता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एक विस्तृत नोट भी दिया कि ग्राहक को बेहतर बनाने के लिए जीवन बीमा कंपनी द्वारा अपने एजेंटो को आयोजित परीक्षण कार्यक्रम जैसे सेवा कर्मचारी, नई शाखाएं और बीमा शाखा कार्यालय में कंप्यूटर का परिचय दिया जाना आदि कदम उठाये जाने चाहिए।

उपाध्याय और बदलानी ने 2011 में जीवन बीमा उद्योग में ग्राहक संतुष्टि के मामले में महत्वपूर्ण सफ़लता कारकों की पहचान करने का प्रयास किया हैं, ताकि तीव्र प्रतिस्पर्धा में और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हो सके। अध्ययन का उद्देश्य भारत में खुदरा जीवन बीमा में ग्राहक संतुष्टि के कारकों की पहचान करना और ग्राहक संतुष्टि को पूरा करने में प्रौद्योगिकी के महत्व का अध्ययन करना है। भारत में राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख शहरों से दस सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों के 206 बीमा ग्राहकों से डेटा एकत्रित किया गया है। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि उच्च संतुष्टि के स्तर के बावजूद, खुदरा जीवन बीमा केंपनियों के प्रबंधन द्वारा उनके ग्राहकों की संतुष्टि को अधिकतम करने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए।

ikfy lh/kkjdk dh vi{kk o vuHkfr e vrj

पालिसी धारकों की अपेक्षा से अभिप्रायः उस उम्मीद से है जो वे भारतीय जीवन बीमा निगम एवं उनसे जुड़े संगठन के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं से रखते है।

पालिसीधारकों की अनुभति से अभिप्रायः उस अनुभव से है जो उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़ने पर वास्तव में प्राप्त हुआ है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा गुणवत्ता जांचने के लिए पॉलिसीधारकों के बीमा निगम की प्रति अपेक्षा व अनुभूति के मध्य अन्तर को जानना अति आवश्यक है इसलिए जबलपुर मण्डल में पॉलिसीधारकों की अपेक्षा व अनुभूति जानने के लिए एक सर्वे किया गया जिसमें नमूना आकार 384 पॉलिसीधारकों का लिया गया। इन पॉलिसीधारकों को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर वर्गीगृत किया गया जिसमें 193 पॉलिसीधारक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 191 पॉलिसीधारक शहरी क्षेत्र से लिये गए। भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा गुणवत्ता जांचने के लिए पॉलिसीधारकों से 8 अलग–अलग पहलुओं पर उनकी अपेक्षा तथा अनुभूति से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई। इन सभी पहलुओं से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित करने के लिए 5 बिंदु स्केल का प्रयोग किया गया जो कि बिन्दु 1 बहुत कम, बिन्दु 2 कम, बिन्दु 3 मध्यम, बिन्दु 4 उच्च, बिन्दु 5 बहुत उच्च को दर्शाते है।

ikfy lh/kkjdk dh vi{kk dk v/;;u

पॉलिसीधारकों से 8 अलग–अलग पहलुओं जो कि कार्यालयों में विद्यमान सुविधाएँ, बीमा एजेंट का व्यवहार, जीवन बीमा उत्पादों की उपलब्धता, बीमा प्रीमियम भुगतान की सुविधा, दावें की राशि, दावें भुगतान की अवधि, जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का व्यवहार, शिकायत निपटारण की सुविधा से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई। इस जानकारी को निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है :

rkfydk 1

Hkkjrh; thou chek fuxe d tcyiqj e.My d vkoklh; fLFkfr d vk/kkj ij ikfy lh/kkjdk dh vi{kkvk d Lrj d ek/; o ieki fopyu

(Mean and Standard Deviation)

S.No.	Expectation (Aspects)	Respondents	N	Mean	Standard Deviation
1.	कार्यालयों में विद्यमान सुविधाएं	Rural	193	2.8083	1.19003
		Urban	191	2.7696	1.19178
2.	बीमा एजेंट का व्यवहार	Rural	193	3.0674	1.49326
		Urban	191	2.9738	1.50240
3.	जीवन बीमा उत्पादों की उपलब्धता	Rural	193	3.0000	1.41053
		Urban	191	3.0366	1.40440
4.	बीमा प्रीमियम भुगतान की सुविधा	Rural	193	3.1347	1.32385
		Urban	191	3.0995	1.36326
5.	दावें की राशि	Rural	193	2.67876	1.233396

		Urban	191	2.73822	1.250076
6.	दावें भुगतान की अवधि	Rural	193	2.8031	1.48345
		Urban	191	2.8220	1.50429
7.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का व्यवहार	Rural	193	2.8238	1.33855
		Urban	191	2.8429	1.32046
8.	शिकायत निपटारण की सुविधा	Rural	193	3.0933	1.37371
		Urban	191	3.1414	1.34396

Source : Primary Data

इस तालिका 1 में पॉलिसीधारकों या उत्तरदाताओं को ग्रामीण व शहरी के आधार पर बांटकर उनकी अपेक्षाओं के 8 पहलुओं के लिए अंकित किये गए बिन्दुओं के आधारों पर उनके माध्य (Mean) और प्रमाप विचलन (Standard Deviation) को ज्ञात किया गया है। 384 पॉलिसीधारकों में ग्रामीण पॉलिसीधारकों की संख्या 193 व शहरी पॉलिसीधारकों की संख्या 191 है। अपेक्षाओं के पहलुओं को अपेक्षा 1 से अपेक्षा 8 तक दिखाया गया है जो कि निम्नलिखित हैः अपेक्षा 1 (कार्यालयों में विद्यमान सुविधाएं), अपेक्षा 2 (बीमा एजेंट का व्यवहार), अपेक्षा 3 (जीवन बीमा उत्पादों की उपलब्धता), अपेक्षा 4 (बीमा प्रीमियम भुगतान की सुविधा), अपेक्षा 5 (दावें की राशि), अपेक्षा 6 (दावे भुगतान की अवधि), अपेक्षा 7 (जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का व्यवहार), अपेक्षा 7 (जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का व्यवहार), अपेक्षा 8 (शिकायत निपटारण की सुविधा)। सभी पॉलिसीधारकों की अपेक्षाओं के पहलुओं के Mean (माध्य) व S.D. (प्रमाप विचलन) ज्ञात किये गए है जो कि क्रमशः इस प्रकार है।

ग्रामीण पॉलिसीधारकों के Mean =2.8083, 3.0674, 3.0000, 3.1347, 2.67876, 2.8031, 2.8238, 3.0933

शहरी पॉलिसीधारकों के Mean = 2.7696, 2.9738, 3.0366, 3.0995, 2.73822, 2.8220, 2.8429, 3.1414

ग्रामीण पॉलिसीधारकों के S.D. = 1.19003, 1.49326, 1.41053, 1.32385, 1.233396, 1.48345, 1.33855, 1.37371

शहरी पॉलिसीधारकों के S.D. = 1.19178, 1.50240, 1.40440, 1.36326, 1.250076, 1.50429, 1.32046, 1.34396

ग्रामीण पॉलिसीधारकों का अपेक्षा 1 का पहलू कार्यालयों में विद्यमान सुविधाए, अपेक्षा 2 का पहलू बीमा एजेन्ट का व्यवहार तथा अपेक्षा 4 का पहलू बीमा प्रीमियम भुगतान की सुविधा के प्रति माध्य शहरी पॉलिसीधारकों की अपेक्षा के ज्ञात माध्य से ज्यादा प्रदर्शित हुआ है। जोकि एक आश्चर्य करने वाली बात है। शहरी पॉलिसीधारकों की इन पहलुओं के प्रति अपेक्षाएं ग्रामीण पॉलिसीधारकों से भी कम है। जो इस बात को इंगित करता है कि ग्रामीण पॉलिसीधारकों की निगम की सेवा गुणवत्ता के प्रति अपेक्षाएं शहरी पॉलिसीधारकों से अधिक है। शायद शहरी पॉलिसीधारकों की अपेक्षाएं इसलिए भी कम है क्योंकि वे इस यथार्थ से भलि–भांति अवगत है कि जीवन बीमा निगम एक सरकार संस्थान है। जब ग्रामीण पॉलिसीधारकों से बातचीत की और उनके पूछा कि

बीमा एंजेटों का व्यवहार कैसा होना चाहिए तो उन्होंने एजेंट के व्यवहार के बारे में कहा कि एजेंट उन्हें बीमे के बारे में अच्छे से जानकारी दें अर्थात् ग्रामीण पॉलिसीधारकों ने एजेंट के व्यवहार के बारे में मध्यम से भी थोड़ी कम अपेक्षा की। इससे यह तात्पर्य है कि एजेंट के बारे में ग्रामीण पॉलिसीधारक ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रहे थे और शहरी पॉलिसीधारकों की अपेक्षा ग्रामीण पॉलिसीधारकों से भी कम थी। अन्य अपेक्षाओं के पहलुओं के प्रति शहरी पॉलिसीधारकों की अपेक्षा, ग्रामीण पॉलिसीधारकों से थोड़ी ज्यादा पाई गई। सभी अपेक्षाओं के अलग–अलग पहलुओं के माध्य व प्रमाप विचलन ज्ञात किये गए।

rkfydk 2

Hkkjrh; thou chek fuxe d tcyiqj e.My d vkokl h; fLFkfr d vk/kkj ij ikfyl h/kkjdk dh vuHkfr;k d Lrj d ek/; o iekI fopyu

(Mean and Standard Deviation)

S.No.	Perception (Aspects)	Respondents	N	Mean	Standard Deviation
1.	कार्यालयों में विद्यमान सुविधाएं	Rural	193	3.0518	1.27370
		Urban	191	3.0052	1.26689
2.	बीमा एजेंट का व्यवहार	Rural	193	2.7254	1.01665
		Urban	191	2.7120	1.03406
3.	जीवन बीमा उत्पादों की उपलब्धता	Rural	193	2.6528	1.15862
		Urban	191	2.6492	1.15962
4.	बीमा प्रीमियम भुगतान की सुविधा	Rural	193	2.9378	1.23164
		Urban	191	2.9372	1.20797
5.	दावें की राशि	Rural	193	3.0259	1.28061
		Urban	191	2.9529	1.28263
6.	दावें भुगतान की अवधि	Rural	193	2.7565	0.97776
		Urban	191	2.7382	0.98117
7.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का व्यवहार	Rural	193	2.6580	1.18460
		Urban	191	2.6754	1.16500
8.	शिकायत निपटारण की सुविधा	Rural	193	2.9378	1.26502
		Urban	191	2.8901	1.27876

Source : Primary Data

इस तालिका 2 में पॉलिसीधारकों या उत्तरदाताओं को ग्रामीण व शहरी के आधार पर बांटकर उनकी अनुभूतियां के 8 पहलुओं के लिए अंकित किए गए बिंदुओं के आधारो पर उनके माध्य (Mean) और प्रमाप विचलन (S.D.) को ज्ञात किया गया है। इसमें नमूना आकार 384 है। जिसमें से ग्रामीण पॉलिसीधारकों की संख्या 193 व शहरी पॉलिसीधारकों की संख्या 191 है। अनुभूकि के पहलुओं को अनुभूति 1 से अनुभूति 8 तक दर्शाया गया है जोकि निम्नलिखित है: अनुभूति 1 (कार्यालयों में विद्यमान सुविधाएं), अनुभूति

2 (बीमा एजेंट का व्यवहार), अनुभूति 3 (जीवन बीमा उत्पादों की उपलब्धता), अनुभूति 4 (बीमा प्रीमियम भुगतान की सुविधा), अनुभूति 5 (दावे की राशि), अनुभूति 6 (दावे भुगतान की अवधि), अनुभूति 7 (जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का व्यवहार), अनुभूति 8 (शिकायत निपाटरण की सुविधा)।

ग्रामीण पॉलिसीधारकों की अनुभूतियों के पहलुओं के माध्य = 3.0518, 2.7254, 2.6528, 2.9378, 3.0259, 2.7565, 2.6580, 2.9378

शहरी पॉलिसीधारकों की अनुभूतियों के पहलुओं के माध्य = 3.0052, 2.7120, 2.6492, 2.9372, 2.9529, 2.7382, 2.6754, 2.8901

ग्रामीण पॉलिसीधारकों की अनुभूतियों के पहलुओं के प्रमाप विचलन= 1.2737, 1.0166, 1.1586, 1.2316, 1.2806, .9777, 1.1846, 1.26502

शहरी पॉलिसीधारकों की अनुभूतियों के पहलुओं के प्रमाप विचलन= 1.26698, 1.03406, 1.15962, 1.20797, 1.28263, 0.98117, 1.1650, 1.27876

उपरोक्त तलिका से ज्ञात होता है कि ग्रामीण पॉलिसीधारकों की अनुभूति का स्तर केवल दो पहलुओं के प्रति (कार्यालयों में विद्यमान सुविधाएं तथा दावे की राशि) मध्यम स्तर पर प्रदर्शित हुआ है। जब कि शहरी पॉलिसीधारकों की अनुीाूति का स्तर केवल एक पहलू के प्रति (कार्यालयों में विद्यमान सुविधा) मध्यम स्तर पर प्रदर्शित हुआ है। ग्रामीण पॉलिसीधारकों तथा शहरी पॉलिसीधारकों ने अनुभूति के अन्य सभी पहलुओं पर मध्यम से कम स्तर को प्रदर्शित किया है। जो इस बात की ओर इंगित करता है कि पॉलिसीधारकों को निगम की सेवा गुणवत्ता से अनुभूति कम स्तर पर प्राप्त हुई है। जब पॉलिसीधारकों से अनुभूति के पहुलओं पर जाना तो उन्होंने उनकी अनुभूति के स्तर को उनकी अपेक्षाओं से बहुत कम बताया। उन्होंने कहा कि वे पहले से ही निगम की सेवा गुणवत्ता के प्रति अपेक्षा बहुत कम रखते है फिर भी उनकी अनुभूति का स्तर बहुत कम रह जाता है तो वे अपेक्षाएं कैसे बढ़ाएं।

rkfydk 3

vkokl h; fLFkfr d vk/kkj ij dy vuHkfr dk ek/; o dy vi{kk dk ek/; rFkk dy vuHkfr dk ieki fopyu o dy vi{kk dk ieki fopyu e vUrj

Repondents	Difference of Mean (Precepation Mean – Expectation Mean)	N	Difference of Standard Deviation (Perception Standard Deviation – Expectation Standard Deviation)
Rural	-.0829	193	.85330
Urban	-.1080	191	.83708
Total	**-.0954**	**384**	**.84426**

उपरोक्त तालिका 3 में उतरदाताओं की आवसीय स्थिति के आधार पर 193 ग्रामीण पालिसीधारकों व 191 शहरी पॉलिसीधारकों की अनुभुतियों व अपेक्षा के सभी 8 पहलुओं के सम्पूर्ण माध्य के अन्तर को दर्शाया गया है। साथ में S.D. को भी

बताया गया है। ग्रामीण व शहरी दोनों पालिसीधारकों की अपेक्षाएं ज्यादा है तथा अनुभूति कम है। इसलिए इनके अनुभूति व अपेक्षाओं के माध्य के अन्तर नकारात्मक संख्या में ज्ञात हुए है क्योंकि जीवन बीमा निगम पॉलिसीधारकों की अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाए। जिससे इस बात का पता चलता है कि ग्रामीण व शहरी पॉलिसीधारकों की जीवन बीमा निगम के प्रति अपेक्षाओं का स्तर मध्यम से भी कम पाए जाने पर भी उनकी अनुभूति का स्तर उससे भी कम प्रदर्शित हुआ है। इस का अर्थ है जीवन बीमा निगम के द्वारा पॉलिसीधारकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है जो कि जीवन बीमा निगम के प्रति पॉलिसीधारकों का एक नकरात्मक दृष्टिकोण दर्शा रहा है। अतः जीवन बीमा निगम को पॉलिसीधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करना चाहिए ताकि पॉलिसीधारकों की अनुभूति का स्तर उनकी अपेक्षा के स्तर तक पहुंच सकें।

fu"d"k

जीवन बीमा निगम की सेवा गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि बीमा करने वाली संस्था पॉलिसीधारकों की अपेक्षाओं को किस स्तर तक पूरा करने में सफल होती है। इस अध्ययन में किए गए सर्वे से यह स्पष्ट है कि जीवन बीमा निगम पूर्णतः पॉलिसीधारकों को अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। जबलपुर मण्डल में जीवन बीमा निगम की सेवा गुणवत्ता जाँचने के लिए पॉलिसीधारकों से विभिन्न पहलुओं पर उनकी जीवन बीमा के प्रति अपेक्षा तथा अनुभूति से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई जिनका विश्लेषण करने पर पाया गया कि पॉलिसीधारकों की अपेक्षाएं उनकी अनुभूति से अधिक है ग्रामीण व शहरी पॉलिसीधारकों द्वारा जीवन बीमा निगम की सेवा गुणवत्ता के प्रति अपेक्षाओं का स्तर मध्यम प्रदर्शित होने के बावजूद भी इनकी अनुभूतियों का स्तर इनकी अपेक्षाओं के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। इससे प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं भारतीय जीवन बीमा निगम अपने पॉलिसीधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल हो रहा है। जीवन बीमा निगम को पॉलिसीधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तथा अपनी सेवा गुणवत्ता को अच्छा बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहना चाहिए। पॉलिसीधारकों की अपेक्षाओं को जानकर उनकी अपेक्षाओं को पूरा करके उनकी अनुभूतियों के स्तर को बढ़ाना चाहिए।

InHkh Iph

1. www.google.com
2. www.licindia.com
3. www.IRDAI.com
4. Khan, M.K., "Prospects of a Career in Life Insurance Business in India – An Analysis, Indian Journal of Marketing, Volume 7, No. 6, Feb., 1978, p. 23-31.
5. Mishra, M.N., "Appraisal of Marketing Strategies of the Life Insurance Corporation of India", Indian Journal of Marketing, Vol. XVII, No. 6, Feb. 1987, p. 25-31
6. Ashis Deb Roy, "We Care for our Customers", Yogak shema, April 1987, p. 4
7. Deepika Upadhyaya and Manish Badlani (2011), "Service Quality Perception and Customer Satisfaction in Life Insurance Companies in India" International Conference on Technology and Business Management.

dqVhj m|kx d vrxr dk;jr efgykvk dh lkekftd ,o vkfFkd fLFkfr dk v/;;u

lquhrk fo'odek
शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
Mk- Mh-ch- dk"Vk
वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), गोविन्दराम सेकसरिया अर्थवाणिज्य, महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर

çLrkouk %& भारत की पुरातन संस्कृति ग्रामीण परिवेश के कारण अपना प्रभाव बनाये हुए हैं। क्योंकि मीडिया (संचार माध्यम) के प्रभाव के कारण शहरों की संस्कृति का पाश्चात्य संस्कृति में आधुनिकीरण हो गया है। औधोगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आधुनिक विज्ञान की प्रगति में जहां एक ओर अतिविशिष्टीकरण पर जोर दिया है, वहीं दूसरी ओर नित नवीन उद्योगों के कारण देश के पुरातन उद्योगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। और यदि ऐसी स्थिति रही तो पुरातन उद्योग जो अप्रत्यक्ष रूप से कुटीर उद्योग के रूप में मिलते हैं। उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

भारतीय संस्कृति एवं उद्योगों की एक झलक ग्रामीण परिवेश एवं कुटीर उद्योगों के रूप में मिलती है ग्रामीण लोग भारतीय संस्कृति को वर्तमान में भी अक्षुण्ण बनाए हुए है। कुटीर उद्योग निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों को जहाँ एक ओर उनके जीवन–यापन का साधन प्रदान करते है। वहीं दूसरी ओर ये कुटीर उद्योग भारतवर्ष के उद्योगों की पुरातन परम्परा को सजीव बनाये रखने में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। निःसंदेह ये आधुनिक उद्योगों के दृष्टिकोण से उतने सक्षम नहीं हैं, परंतु परम्परागत उद्योगों को वर्तमान आधुनिक समय में जीवंत रखकर पुरानी भारतीय परंपरा को जीवित रखे हुए है।

भारत जैसे विकासशील देश के सामने मुख्य समस्या निर्धनता के कुचक्र को तोड़कर दीर्घकालीन आर्थिक विकास में गति को प्राप्त करना है। इसमें कुटीर उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुटीर उद्योग न केवल देश की बेरोजगारी को दूर करने में सहायक है वरन् कम पूंजी के सहयोग से रोजगार स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। भारत में कुटीर उद्योगों से जुड़े लोग वर्षों से परम्परागत ढंग से अपने काम को करते रहे हैं। आज भी अधिकांश क्षेत्रों में पुरातन विधियों को देखा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता की दृष्टि से हमारा देश काफी पिछड़ गया है। कृषि क्षेत्र उद्योग–धंधे और अन्य क्षेत्रों में विकसित तकनीकों का जहाँ पालन नहीं हुआ वहाँ पर लोग पिछड़ेपन की सीमाओं को लाँघ नहीं पाये हैं।

dqVhj m|ksx %– कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है न कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योगों मे कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

भारत में प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योगों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात् देश में कुटीर उद्योग तेजी से नष्ट हुए एवं परम्परागत कारीगरों ने अन्य व्यवसाय अपना लिया। किन्तु स्वदेशी आन्दोलन के प्रभाव से पुनः कुटीर उद्योगों को बल मिला और वर्तमान में तो कुटीर उद्योग आधुनिक तकनीकी के समानान्तर भूमिका निभा रहे हैं। अब इनमें कुशलता एवं परिश्रम के अतिरिक्त छोटे पैमाने पर मशीनों का भी उपयोग किया जाने लगा है।

ifjHkk"kk& एशिया एवं सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग द्वारा कुटीर उद्योगों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :–

''कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं, जिनका एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है।''

भारत के द्वितीय योजना आयोग द्वारा इसी परिभाषा को मान्यता प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त 'प्रो. काले ने कुटीर उद्योगों को पारिभाषित करते हुए कहा है:–

''कुटीर उद्योग इस प्रकार के संगठन को कहते हैं जिसके अंतर्गत स्वतंत्र उत्पादनकर्त्ता अपनी पूँजी लगाता है और अपने श्रम के कुल–उत्पादन का स्वयं अधिकारी होता है।''

dqVhj m|ksxksa ds izdkj %&

dqVhj m|ksxksa dks fuEufyf[kr oxksZa esa j[kk tkrk gS &

1. ग्रामीण कुटीर उद्योग
2. नगरीय कुटीर उद्योग

m|ferk dk ifjp; %उद्यमिता नये संगठन आरम्भ करने की भावना को कहते है। किसी वर्तमान या भावी अवसर का पूर्वदर्शन करके मुख्यतः कोई व्यावसायिक संगठन प्रारम्भ करना उद्यमिता का मुख्य पहलू है। उद्यमिता में एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की सम्भावना होती है। तो दूसरी तरफ अनिश्चितता और अन्य खतरे की भी प्रबल संभावना होती है। जीवित रहने के लिए पैसा कमाना आवश्यक होता है अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है। श्रमिक कारखाने में काम करता है डॉक्टर अस्पताल में प्रैक्टिस करता है। क्लर्क बैंक में नौकरी करता है, मैनेजर किसी व्यावसायिक उपक्रम में कार्य करता है। ये सभी जीविका कमाने के लिए कार्य करते हैं। ये उन लोगों के उदाहरण हैं, जो कर्मचारी हैं तथा वेतन अथवा मजदूरी से आय प्राप्त करते हैं। यह मजदूरी द्वारा रोजगार कहलाता है। दूसरी ओर एक दुकानदार, एक कारखाने का मालिक, एक व्यापारी, एक डॉक्टर, जिसका अपना दवाखाना हो इत्यादि अपने व्यवसाय से जीविका उपार्जित करते है। ये उदाहरण हैं स्वरोजगार करने वालों के। फिर भी कुछ ऐसे भी स्वरोजगारी लोग हैं जो न केवल अपने लिए कार्य का सृजन करते हैं बल्कि अन्य बहुत से व्यक्तियों के लिए कार्य की व्यवस्था करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण है : टाटा, बिरला आदि जो प्रवर्तक तथा कार्य की व्यवस्था करने वाले तथा उत्पादक दोनों हैं। इन व्यक्तियों को उद्यमी कहा जा सकता है।

m|ferk dk vFk% %& उद्यम करना एक उद्यमी का काम है जिसकी परिभाषा इस प्रकार है:–

''एक ऐसा व्यक्ति जो नवीन खोज करता है, बिक्री और व्यवसाय चतुरता के प्रयास से नवीन खोज को आर्थिक माल में बदलता है। जिसका परिणाम एक नया संगठन या एक परिपक्व संगठन का ज्ञात सुअवसर और अनुभव के आधार पर पुनः निर्माण करना है। उद्यम की सबसे अधिक स्पश्ट स्थिति एक नए व्यवसाय की शुरूआत करना है। सक्षमता, इच्छाशक्ति से कार्य करने का विचार संगठन प्रबंध की साहसिक उत्पादक कार्यों व सभी जोखिमों को उठाना तथा लाभ को प्रतिफल के रूप में प्राप्त करना है।''

उद्यमी मौलिक (सृजनात्मक) चिंतक होता है। वह एक नव प्रवर्तक है जो पूँजी लगाता है और जोखिम उठाने के लिए आगे आता है। इस प्रक्रिया में वह रोजगार का सृजन करता है। समस्याओं को सुलझाता है गुणवत्ता में वृद्धि करता करता है तथा श्रेष्ठता की ओर दृष्टि रखता है।

अपितु हम कह सकते हैं उद्यमी वह है जिसमें निरंतर विश्वास तथा श्रेष्ठता के विशय में सोचने की भाक्ति एवं गुण होते हैं तथा वह उनको व्यवहार में लाता है किसी उद्देश्य, उत्पाद अथवा सेवा का आविष्कार करने और उसे सामाजिक लाभ के लिए प्रयोग में लाने से ही यह होता है। एक उद्यमी बनने के लिए आपके पास कुछ गुण होने चाहिये। लेकिन, उद्यम शब्द का अर्थ कैरियर बनाने वाला उद्देश्य पूर्ण कार्य भी है, जिसको सीखा जा सकता है। उद्यमशीलता नये विचारों को पहचानने, विकसित करने एवं उन्हें वास्तविक स्वरूप प्रदान करने की क्रिया है। ध्यान रहे देश के आर्थिक विकास के अर्थ में उद्यमशीलता केवल बड़े व्यवसायों तक ही सीमित नहीं है। इसमें लघु उद्यमों को सम्मलित करना भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में बहुत से विकसित तथा विकासशील देशों का आर्थिक विकास तथा समृद्धि एवं सम्पन्नता लघु उद्यमों के आविर्भाव का परिणाम है।

m|eh gku dk egÙo %& उद्यमशीलता और उद्यम की भूमिका का आर्थिक व सामाजिक विकास में अक्सर गलत अनुमान लगाया जाता है। सालों से यह स्पष्ट हो चुका है। कि उद्यमशीलता लगातार आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करती है। एक सोच को आर्थिक रूप में बदलना उद्यमशीलता के अंतर्गत सबसे महत्त्वपूर्ण विचारशील बिन्दु है। इतिहास साक्षी है कि आर्थिक उन्नति उन लोगों के द्वारा संभव व विकसित हो पाई है, जो उद्यमी है व नई पद्धति को अपनाने वाले हैं, जो सुअवसर का लाभ उठाने वाले तथा जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। जो जोखिम उठाने वाले होते हैं तथा ऐसे सुअवसर का पीछा करते हैं जो कि दूसरों के द्वारा मुश्किल या भय के कारण न पहचाना गया हो। उद्यमशीलता की चाहे जो भी परिभाषा हो यह काफी हद तक बदलाव, सृजनात्मकता, निपुणता, परिवर्तन और लोचशील तथ्यों से जुड़ी है जो कि संसार में बढ़ती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता के मुख्य स्रोत हैं।

यद्यपि उद्यमशीलता का पूर्वानुमान लगाने का अर्थ है व्यवसाय की प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। उद्यमशीलता का महत्व निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है :

ykxksa dk jkstxkj miyC/k djkuk %& अक्सर लोगों का यह मत है कि जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता वे उद्यमशीलता की ओर जाते हैं, लेकिन सच्चाई

यह है कि आजकल अधिकतर व्यवसाय उन्हीं के द्वारा स्थापित किए जाते है, जिनके पास दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं।

vu|l/kku vkj fodkl i|.kkyh e ;kxnku %& लगभग दो तिहाई नवीन खोजें उद्यमी के कारण होती हैं। आविष्कारों का तेजी से विकास न हुआ होता तो संसार रहने के लिए शुष्क स्थान के समान होता। आविष्कार तकनीक के द्वारा कार्य करने का आसान तरीका प्रदान करते हैं।

राष्ट्र व व्यक्ति विशेष के लिए धन–सम्पति का fuek.k djuk %& सभी व्यक्ति जो कि व्यवसाय के सुअवसर की तलाश में हैं, उद्यमशीलता में प्रवेश करके संपत्ति का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा निर्मित संपत्ति राष्ट्र के निर्माण में अहम् भूमिका अदा करती है। एक उद्यमी वस्तुएं और सेवा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। उनके द्वारा निर्मित संपत्ति राष्ट्र के निर्माण में अहम् भूमिका अदा करती है। एक उद्यमी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करके अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। उनके विचार, कल्पना और आविष्कार राष्ट्र के लिए एक बड़ी सहायता है।

dVhj m|kx d vrxr dk;jr efgykvk dh lkekftd ,o vkfFkd fLFkfr dk v/;;u

¼v½ chMh m|kx %& जबलपुर जिले में बीड़ी उद्योग में कार्यरत महिलाएँ अधिकांश घर पर ही रहकर घर का कार्य समाप्त होने के पश्चात् बीड़ी बनाने का कार्य करती हैं जिसके लिए शाम को ही वे (तेंदूपत्ता) जिससे बीड़ी का निर्माण होता है, पानी में डाल देती हैं। रात भर पानी में पड़ी रहने के कारण पत्तियाँ नरम हो जाती हैं। फिर इन पत्तों को आयताकार टुकड़ों में नापकर कैंची से काट लेते हैं। तब पत्ते में तम्बाखू भरकर बीड़ी तैयार की जाती है। बीड़ी उद्योग में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन किया गया है: –

बीड़ी उद्योग न केवल जबलपुर जिले वरन् भारतवर्ष का एक बड़ा एवं प्रमुख कुटीर उद्योग है। देश में कृषि उद्योग के बाद सबसे बड़े एवं महत्त्वपूर्ण उद्योग के रूप में बीड़ी उद्योग का ही नाम आता है। आज के युग में बीड़ी मनुष्य का मुख्य शौक बन गई है, और आम आवश्यकता भी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बम्बई से लेकर असम तक कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर बीड़ी का शौक व्यक्ति न करते हों।

बीड़ी उद्योग की प्रकृति का यदि गंभीरता से अध्ययन किया जाये तो इसमें एक विरोधाभास दृष्टिगोचर होता है। बीड़ी उद्योगपतियों के दृष्टिकोण से पूंजी के आधार पर जहाँ एक ओर यह लघु उद्योग से वृहत् उद्योग के अंतर्गत गिना जा सकता है। बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों के दृष्टिकोण से मुख्यतः यह एक कुटीर उद्योग है। इस उद्योग में उद्योगपतियों की बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोजित रहती है। क्योंकि उन्हें तेंदूपत्ता खरीदने, लायसेंस लेने, लेबिल (चिन्ह) का पंजीयन करवाने, गोदाम एवं कारखानों की स्थापना करने आदि में बड़ी राशि का विनियोग करना पड़ता है।

बीड़ी उद्योग का प्रारंभ देश में सन् 1902 से माना जाता है। गुजरात प्रांत देश का पहला प्रांत है जहाँ से बीड़ी निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। कुछ ही वर्षों में इस उद्योग ने व्यापक रूप धारण कर लिया और देश के प्रत्येक प्रांत में स्वयं को स्थापित कर लिया। मध्यप्रदेश के वनों में तेंदू वृक्षों की प्रचुरता होने के कारण यहां इस उद्योग ने अच्छी उन्नति की है और इस उद्योग से आकर्षित होकर गुजरात के अनेक तम्बाकू व्यापारी इस प्रांत में आये तथा उन्होंने वृहद स्तर पर इस उद्योग को अपना लिया।

tcyiqj ftys e chMh m|kx dh fLFkfr %& मध्यप्रदेश के अन्य जिलों की तरह जबलपुर जिले में भी बीड़ी उद्योग का प्रारम्भ बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ और अतिशीघ्र इसने प्रमुख कुटीर उद्योग का रूप ले लिया। जबलपुर जिले के स्थानीय वनों में तेंदू पत्ती प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के वनों से प्रतिवर्ष औसत रूप से 1200,000 मानक बोरे तेंदू पत्ती संग्रहीत होती है। एक मानक बोरे में 850 गड्डियाँ होती हैं तथा एक गड्डी में 50 पत्ते होते हैं तथा इस एक छोटी बोरी का वजन 60 किलोग्राम होता है। 1986–87 से पहले तेंदू पत्ते के वनों को शासन नीलाम कर देता था, मगर 1986 में तेंदू पत्ता का राष्ट्रीयकरण हो जाने से शासन स्वयं मजदूरों से ठेके पर तेंदू पत्ते तुड़वाता है। मजदूरों से 30/– प्रति सैकड़ा के हिसाब से शासन अपने स्थापित फर्मों पर खरीद लेता है। इस तरह शासन ने तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण करके मजदूरों की उचित मजदूरी तथा उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाने में मदद की है।

जबलपुर जिले में बीड़ी निर्माण कार्य उद्योगपतियों द्वारा चलाया जा रहा है। उद्योगपतियों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाये तो बीड़ी उद्योग में उनकी लगभग 1 करोड़ अठारह लाख रुपये की पूँजी विनियोजित है जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 प्रतिशत भाग बीड़ी उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

जबलपुर जिले में बीड़ी निर्माण की छोटी बड़ी इकाइयाँ कार्यरत हैं एवं उन इकाइयों की सहायक इकाइयाँ भी छोटे–छोटे गाँवों तक हैं जिनमें कार्यरत मजदूरों में महिलाएँ भी शामिल हैं।

ydMh d lkeku ,o Quhpj m|kx %& वनों पर आधारित उद्योगों में लकड़ी के सामान का उपयोग अर्थात् फर्नीचर के निर्माण का उद्योग भी महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न तरह के उपस्कर का उपयोग घरों, कार्यालयों, व्यवसायों आदि में किया जाता है। ऐसे उपस्करों में पलंग, टेबिल, कुर्सियाँ, अलमारियाँ, रैक, स्टूल, सोफासेट, डायनिंग टेबिल, श्रृंगार मेज, आदि अनेकानेक वस्तुएँ आती हैं। जबलपुर जिले में उपस्कर निर्माण का कार्य अधिकांशतः बढ़ई जाति के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका यही धंधा परंपरागत रूप से रहा है। इसके अलावा महिलाओं द्वारा लकड़ी के सामान जैसे–पटा, बेलन, अगरबत्ती स्टैंड इत्यादि भी बनाये व बिक्री किये जाते हैं।

dEgkjh m|kx %& कुम्हारी उद्योग के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य भारतवर्ष में अत्याधिक प्राचीन है। मोहन–जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त मिट्टी के विभिन्न कलात्मक बर्तन सिन्धुकालीन सभ्यता में इनके उपयोग के प्रमाण हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों अर्थात् वेदों में भी मिट्टी के बर्तनों, विशेषतः कलशों का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। वर्तमान युग में विभिन्न धातुओं के बर्तनों का उपयोग, प्रचलन और प्रसिद्धि ने मिट्टी के बर्तनों की उपयोगिता अत्याधिक कम कर दी है। अपना प्राचीन गौरव खोकर भी किसी तरह मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग चल रहा है।
जिले में कई कुटीर उद्योग महिलाओं द्वारा भी चलाये जा रहे हैं। उपरोक्त वर्णित कुटीर उद्योगों के अतिरिक्त जिले में अन्य कुटीर उद्योग भी हैं।

1. ?kjyw [kk| lkexzh: जबलपुर जिले में धीरे–धीरे घरेलू सामग्री बनाने का काम महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में महिलाएँ समूह में एकत्रित होकर विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री के निर्माण का काम कर रही हैं। जैसे– कई तरह के अचार, मुरब्बा, पापड़ बनाना, राजगीर के लड्डू बनाना, कई तरह के मसाले (हल्दी, धना, गरम मसाला) पिसवाकर पैकेट तैयार करना इत्यादि। यह कार्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए किसी बड़े भवन की आवश्कता नहीं है। घर पर ही इस कार्य को किया जा सकता है एवं कम पूँजी से भी लाभ कमाया जा सकता है।
2. nkuk&iÙky fuekZ.k– महिलाओं द्वारा जिले में दोना–पत्तल भी बनाये जा रहे हैं। यह कार्य घर पर ही किया जाता है। पत्तियों को तोड़कर साफ करके दोना–पत्तल निर्माण कर बिक्री की जाती है। यह सारा काम महिलाएँ ही करती हैं।
3. vxjcÙkh fuekZ.k:– जबलपुर जिले में ग्राम तथा शहरों में अगरबत्ती उद्योग भी विकास की ओर बढ़ रहा है। कम पूंजी लागत में इस उद्योग को स्थापित किया जा सकता है। महिलाओं द्वारा घर पर ही या कारखानों में जाकर अगरबत्ती निर्माण किया जाता है।

dVhj m|kx d vrxZr vkuokyh efgykvksa dh leL;k,a %–

1. कुटीर उद्योग का उचित प्रबंधन न होने के कारण अस्तित्व समाप्ति की ओर जा रहा है।
2. सही प्रबंधन व्यवस्था न होने के कारण मँहगाई दर से मजदूरी प्राप्त न किया जाना।
3. कुटीर उद्योगों को चलाने हेतु उचित प्रशिक्षण प्रदाय न किया जाना।
4. कुटीर उद्यमियों की कला को प्रदर्शित करने हेतु उचित प्रबंधन न हो पाना।
5. महिला उद्यमियों के मनोबल को बढ़ाने हेतु कोई पुरस्कार प्रदान न किया जाना।
6. महिलाओं को कुटीर उद्योग चुनाव करने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

fu"d"kZ %& आज आधुनिकीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा का सामना प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है और गुणवत्ता एवं नई वस्तुओं को सर्वत्र प्राथमिकता मिल रही है। ऐसी स्थिति में किसी कार्य और क्षेत्र में दक्षता का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गया है। किसी भी व्यवसाय में विधि, तकनीकें जो कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं, अस्वीकार कर दिये जाते हैं। अतः आज विभिन्न कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाना आवश्यक हो गया है। किंतु वास्तविकता यह है कि कुटीर उद्योगों में निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के लोग जुड़े हुए हैं तथा उद्योगों में प्रोत्साहन की कमी एवं उद्योग से कम आय होने से कई बार लोग दूसरे कार्य करने लगते हैं या गाँव से पलायन कर जाते हैं।

अतः प्रस्तुत लघुशोध में कुटीर उद्योगों में कार्यरत महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी

सामाजिक–आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने हेतु प्रयास किये जायें। इस लघुशोध कार्य का उद्देश्य केवल कुटीर उद्योगों में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना भर था।

उपरोक्त समस्या पर अध्ययन के पूर्व उससे संबंधित पूर्व शोध कार्यों का अध्ययन किया गया।

fofHkUu dqVhj m|kxk e dk;jr efgykvk dh lkekft d&vkfFkd fLFkfr lEc/kh fu"d"k %&

1. विभिन्न कुटीर उद्योगों में करने वाली महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। समाज में उन्हें अलग वर्ग में रखा जाता है। इस वर्ग में महिलाओं के परिवार के सदस्य अधिकांशतः मजदूरी, ठेला चलाना, रिक्शा चलाना जैसे कार्य करते हैं या कई कुटीर उद्योगों में महिलाओं का हाथ बंटाते हैं।
2. विभिन्न कुटीर उद्योगों में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जिन कुटीर उद्योगों में महिलाएँ कार्यरत हैं, उससे उन्हें होने वाली आमदनी कम है। जिसके कारण महिलाएँ स्वयं या परिवार के लिए आवश्यक मदों पर व्यय नहीं कर कर पातीं हैं और उनकी जरूरी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पातीं जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

l>ko %& भारत की संस्कृति ग्रामीण परिवेश के कारण ही है जहाँ हमें उद्योगों की एक झलक कुटीर उद्योगों के रूप मिलती है। कुटीर उद्योग निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के लोगों को जहाँ एक ओर उनके जीवनयापन का साधन प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये कुटीर उद्योग भारतवर्ष के उद्योग की परंपरा को सजीव बनाये रखने में विशिष्ट भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इन कुटीर उद्योगों का अस्तित्व बनाये रखने हेतु प्रशासकों, प्रबंधकों एवं स्वयं महिलाओं को सम्मिलित रूप से प्रयास करने होंगे तभी कुटीर उद्योगों में कार्यरत महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी कुटीर उद्योगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

अतः शोधकर्त्ताओं द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं :

प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु सुझाव :–

1. उद्योग प्रशासकों द्वारा कुटीर उद्योग को बनाये रखने के लिए नई योजनाओं को बनाना चाहिए जिससे कुटीर उद्योगों में कार्य कर रहे लोगों को अन्यत्र काम की तरफ न जाना पड़े और कुटीर उद्योगों का अस्तित्व बना रहे।
2. प्रबंधन द्वारा ऐसे कुटीर उद्योगों, जिनमें मजदूरी दी जाती है, उपयुक्त मजदूरी का निर्धारण किया जाना चाहिए। कई बार तय मजदूरी कर्मचारियों तक नहीं पहुँच पाती इसलिये समय–समय पर पता करते रहना चाहिए। महँगाई के अनुसार मजदूरी की दर भी बढ़ानी चाहिए।
3. कुटीर उद्योगों को उन्नत करने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण चलाये जाने चाहिए।
4. कुटीर उद्योगों में कार्यरत लोगों की कला और निखारने एवं कलात्मक सामग्री के निर्माण हेतु सरकार द्वारा राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मेला या प्रदर्शनों का आयोजन समय–समय पर किया जाना चाहिए।
5. कुटीर उद्योगों में कार्य को अच्छा करने एवं उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रशंसा व ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए जिससे कुटीर उद्योगों में कार्यरत लोगों का मनोबल बढ़ सके।

dqVhj m|kxk e dk;jr efgykvk grq l>ko %&

1. महिलाओं को व्यवसाय (उद्योग) का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस उद्योग में वे कितनी निपुण हैं या किस स्तर तक वे उसमें कार्य कर सकती हैं।
2. महिलाओं को उद्योग का चयन करते समय उद्योग में रुचि एवं अभिक्षमता का होना आवश्यक है, यह बात ध्यान में रखना चाहिए।
3. महिलाओं को उद्योग चयन के समय उससे होने वाली आमदनी की जानकारी होना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रह सके।
4. महिलाओं को सरकार द्वारा उनके हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी रखना चाहिए। उद्योग विभाग एवं बैंक द्वारा ऋण की सुविधा के बारे में पता करते रहना चाहिए।

lnHk lph %&

1. कुलश्रेष्ठ, आर. एस., 1998 : औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा पब्लिकेशन
2. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ, 1991, भारत में सामाजिक परिवर्तन, विवेक प्रकाशन, दिल्ली
3. चतुर्वेदी, डॉ. पी. एल., भारतीय अर्थशास्त्र

4. डॉ. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ, 1991, सामाजिक सर्वेक्षण व सामाजिक शोध, विवेक प्रकाशन
5. मदन, जी. आर., भारतीय सामाजिक समस्याएँ

if=dk,¡ %&

- लघु कुटीर उद्योग कैसे लगायें, उद्यमियों के लिए मार्गदर्शन, उद्योग विभाग
- लघु उद्योग समाचार, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

e/; izns'k esa egkRek xk/kh jk"Vªh; xzkeh.k jkstxkj xkjaVh ;kstuk

Mk- **शिवेन्द्र शर्मा**
प्राचार्य, प्रज्ञान महाविद्यालय, कसरावद (म.प्र.)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को रोजगार मांगने अधिकार उपलब्ध कराया है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार मांगने के 15 दिनों अंदर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी है। रोजगार मांगने पर निर्धारित समयावधि (15 दिवस) में उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्श में परिवार के लिए 100 दिवस में रोजगार की गारंटी और स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन है।

भारत सरकार द्वारा 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005' पारित की गई है, इसके तहत 'मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' का सृजन किया गया है। योजना का क्रियान्वयन 2 फरवरी 2006 से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अकुशल मजदूरी के 100 दिनों के रोजगार देने की गारंटी दी गयी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को जो अकुशल श्रम (मजदूरी) करने का इच्छुक है, की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना में 100 दिवस के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी एक परिवार के लिए है, न कि किसी परिवार के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के लिए, वयस्क सदस्य का मतलब होगा कि वह 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो।

गांवों में निवास करने वाले पंजीकृत परिवार का वयस्क सदस्य, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गयी हो और वह अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हो, जॉब कार्ड प्राप्त कर रोजगार हेतु ग्राम पंचायत को रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो, प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जावेगा, उपरोक्त सभी योजना के लाभार्थी हो सकते है।

dk;Øe dk lapkyu :– प्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ग्राम स्वराज की अवधारणा के अनुरूप ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व एवं वन ग्रामों के लिए ग्राम सभा का गठन किया गया है। ग्राम के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत करवाये जा रहे विभिन्न कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा को ''सामाजिक अंकेक्षण हेतु एजेंसी'' घोषित किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण प्रभावी तरीके से हो, इस उद्देश्य को पूरा कने के लिए ग्राम सभा स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा समिति बनाये जाने के निर्देश हैं।

ग्राम सभा स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन और जिम्मेदारी –

- प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वालों की सामाजिक समिति की ग्राम सभा द्वारा गठित की जावेगीं
- समिति में जिसमें एक तिहाई से अधिक महिलाओं को सम्मिलित करना जरूरी है।
- सामाजिक संपरीक्षा समिति को सदस्य आवश्यक जानकारियों की फोटो प्रतियां सामाजिक अंकेक्षण से 15 दिन पहले ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
- सामाजिक संपरीक्षा समिति से समस्त अभिलेखों/सूचनाओं का सत्यापन कराया जावेगा।
- अगर कोई भी व्यक्ति कार्यों के संबंध में समिति को जानकारी देना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था की जावेगी।
- सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा सभी आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन करने और कार्यस्थल पर अवलोकन के बाद अपना प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा।
- सामाजिक संपरीक्षा समिति के प्रतिवेदन का वाचन ग्राम सभा में किया जावेगा।

सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा का आयोजन –

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम अंतर्गत किये जा रहे कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण समस्त ग्राम सभाओं का कराया जावेगा।
- ग्राम सभा स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण कार्य की उद्घोषणा 30 दिवस पहले की जावेगी।
- ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए ग्राम पंचायतवार नोडल अधिकारी नियुक्ति किए जावेगें।
- जनप्रतिनिधियों और एनआरईजीए से संबंधित शासकीय सेवकों को लिखित में अग्रिम रूप से सूचित किया जावेगा, ताकि वे भी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में भाग ले सकें।
- ग्राम सभा आयोजन के पूर्व एवं दौरान में ग्राम पंचायत अंतर्गत कार्यों का विवरण, नस्तियां इत्यादि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जावेगें।
- अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत और शासकीय अधिकारियों से सूचना और जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था की जावेगी।
- ऐसी ग्राम पंचायतें, जिन्होंने माह जनवरी 2009 से माह जुलाई 2009 तक 10 लाख से अधिक की राशि के निर्माण कार्य किए हैं, उनमें सामाजिक अंकेक्षण कार्यवाही वीडियो ग्राफी भी कराई जायेगी।
- सामाजिक अंकेक्षण कार्य में प्रेक्षक के रूप में आमजन के भाग लेने की व्यवस्था होगी।
- सामाजिक अंकेक्षण में प्रस्तुत/निरीक्षण के लिए सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराये जावेगें।
- पूर्व में हुए सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन का वाचन किया जावेगा।
- सामाजिक अंकेक्षण का कार्यवाही विवरण का अभिलेखन सचिव द्वारा कराया जावेगा और अंकेक्षण के पूर्व और उपरांत ग्राम सभा के प्रतिभागियों से हस्ताक्षरित कराये जावेगें।
- सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर 30 दिवस के भीतर कार्यवाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

जानकारी/सूचना उपलब्ध कराना –

- अधिनियम/स्कीम से संबंधित आमजन की संवीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करना और मांग किये जाने पर अधिनियम/स्कीम के प्रावधानों अनुसार फीस प्राप्त कर 3 दिवस के भीतर प्रदाय की व्यवस्था की जावेगी।
- सामाजिक अंकेक्षण में प्रस्तुत निरीक्षण के लिए सत्यापित दस्तावेजों की उपलब्धता की व्यवस्था की जावेगी।
- ग्राम पंचायत अंतर्गत कार्यो का विवरण, नस्तियां इत्यादि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जावेगें।

अधिनियम के विपरीत कार्यों पर कार्यवाही –

- ग्राम सभा के सामाजिक अंकेक्षण के दौरान अधिनियम के विपरीत कार्यों की जानकारी को शिकायत माना जाएगा और उसकी जाँच कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
- निधि में गड़बड़ी शिकायतों पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही और वसूली करने की कार्यवाही की जावेगी।
- शासकीय अंकेक्षण द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य में वित्तीय गड़बड़ियों अथवा दुरूपयोग के संबंध में प्राप्त जानकारियों पर विचार किया जावेगा।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रचलित कार्यों के संबंध में समस्त स्तर पर प्राप्त शिकायतें भी संबंधित ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जावेंगी। ग्राम सभा के द्वारा ही शिकायतों का निराकरण की कार्यवाही की जावेंगी।

सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ का गठन –

- जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया जावेगा।
- जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण, पंचायत, वित्त, एमआईएस और मीडिया को जिसके सदस्य होंगे।
- जनपद पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जावेगा।
- ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही भारत सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध पत्रक अनुसार संकलित की जाएगी।

;kstuk dk fØ;kUo;u :– योजना के क्रियान्वयन के चरण में योजना के आरंभ में जिले में तैयार किये गये पर्सपेक्टिव प्लान से कार्य आरंभ करवाये जा सकेंगे। ग्राम स्तर पर गांव के लोग अपनी ग्राम सभा में बैठकर यह तय करेंगे कि योजना के अंतर्गत कौन–कौन से काम करवाये जा सकते है। ग्राम सभा द्वारा ग्राम

ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 2 March 2019

पंचायत को कार्यों की अनुशंसा की जावेगी। ग्राम सभा की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कार्य योजना तैयार करेगी। ग्राम पंचायत से यह कार्ययोजना जनपद पंचायत को भेजी जाएगी। जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (कार्यक्रम अधिकारी) द्वारा जनपद पंचायत से अनुमोदन लिया जावेगा। कार्यों के आधार पर क्रियान्वयन एजेंसी का चयन किया जावेगा। जनपद पंचायत के अनुमोदन के बाद कार्ययोजना जिला पंचायत को अग्रेषित की जावेगी। जिला पंचायत द्वारा विकासखण्ड की योजनाओं को अनुमोदित किया जावेगा।

मजदूर रोजगार प्राप्त करने के लिए गांव में रहने वाला प्रत्येक परिवार या उसके ऐसे वयस्क सदस्य अपना पंजीयन ग्राम पंचायत में करायेगा जो अकुशल श्रम करने के लिए तैयार है। पंजीयन कराने वाले परिवार को ग्राम पंचायत जॉब कार्ड बना कर देगी। पंजीयन से संबंधित जॉब कार्ड में परिवार के वयस्क सदस्यों की फोटो भी लगाई जावेगी। ग्राम पंचायत द्वारा किया जाने वाला पंजीयन योजना के लागू रहते तक की अवधि तक के लिए मान्य होगा जो कि पांच साल से कम की नहीं होगी। इसके अलावा समय–समय पर इनके नवीनीकरण की व्यवस्था भी की जाा सकती है। जिस परिवार का ग्राम पंचायत में पंजीयन हो गया हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते है। वह जितने दिनों की जरूरत समझे उतने दिनों के लिए रोजगार मांग सकता है। ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी होगी कि इस प्रकार रोजगार की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन की तारीख से 15 दिन के भीतर या उस तारीख से जिससे उसने रोजगार के लिये आवेदन किया है, 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध करायेगा। परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसे रोजगार पत्र जारी किया गया है अकुशल श्रम के लिये रोजगार की मांग करने का पात्र होगा। ग्राम पंचायत से रोजगार उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी को रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत में रखे जाने वाले रिकार्ड में ग्राम पंचायत, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजना का विवरण, जॉब कार्ड जारी किये गये व्यक्तियों के नाम, उम्र, पता और परिवार के मुखिया के नाम इत्यादि का विवरण अभिलेख में रखेगी। ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत लोगों के विवरण के साथ अन्य आवश्यक चाही गई जानकारियां निर्धारित समय में कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जावेंगी। जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया हो, ऐसे व्यक्तियों की सूची को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के नोटिस बोर्ड तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजी जावेगी। जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया हो ऐसे व्यक्तियों की सूची को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के नोटिस बोर्ड तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (कार्यक्रम अधिकारी) जहां उचित समझे वहां पर चस्पा की जावेगी। यह सूची राज्य सरकार या किसी भी इच्छुक व्यक्ति के निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

पंजीकरण हो जाने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवार के वयस्क सदस्यों के फोटो वाले जॉब कार्ड जारी किये जायेंगे। यह कार्ड पांच वर्ष के लिए बनाया जायेगा। इस कार्ड में परिवार के पंजीकरण की संख्या दर्शायी जावेगी। इस कार्ड का उपयोग रोजगार की मांग करने के लिए किया जावेगा। जॉब कार्ड प्राप्त करने के बाद ही रोजगार प्राप्त करने की पात्रता होगी।

lanHkZ xzaFk lwph :–

1) सबका साथ सबका विकास आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश शासन पृष्ठ 67
2) मध्यप्रदेश जिला गजेटियर झाबुआ, राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल, पृष्ठ 38
3) वाजपेयी अशोक, पंचायती राज एवं रूरल डेवलपमेन्ट, 1998 पृष्ठ 61
4) आगे आये लाभ उठाये 2009, प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क, टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ 26
5) मध्यप्रदेश संदर्भ 2012, आयुक्त जनसंपर्क भवन, टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ 273
6) मध्यप्रदेश संदेश अंक 11, वर्ष 110, नवम्बर 2014 प्रकाशन, जनसंपर्क भवन बाणगंगा, भोपाल
7) मध्यप्रदेश शासन दैनंदिनी म.प्र. शासन, भोपाल, पृष्ठ 62